राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६९ का ४३ वां दिवस [संख्या ३२

शनिवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६९.

विधान सभा की बैठक म. पू. ११–०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, सहकारी, कृषि, उद्योग, यातायात, विद्युत एवं पंचायत–विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन !

नापासर के अभावग्रस्त इलाके के लोगों को काम

६७६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नापासर के अभावग्रस्त लोगों को काम देने हेतु अभी तक कोई राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस साल वर्षा की कमी के कारण नापासर के कुओं का पानी कम हो गया है, अतः नया ट्यूब-वैल जो कि वहां पर खोदा गया है उसे पानी की दिक्कत को दूर करने हेतु चालू करना आवश्यक है ? अगर हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री दौलत-राम सारण) : (१) नापासर से बंबलू वाया नौरंगदेसर रोड स्वीकृत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त नापासर से करीब ३–४ मील दूरी पर नापासर-जसरासर सड़क का कार्य ४०,०००) रु० की लागत से पी. डबल्यू. डी. द्वारा चल रहा है। नापासर से करीब ६-७ मील की दूरी पर बीकानेर-नापासर की सड़क पर पी. डबल्यू. डी. द्वारा सड़क के ड्रेसिंग का कार्य हो रहा है। नापासर की कुछ दूरी पर भी बीकानेर डूंगरगढ़ नेशनल हाईवे पर नौरंगदेसर के पास पी. डबल्यू. डी. द्वारा कार्य हो रहा है।

(२) जी नहीं। जिलाधीश ने सूचित किया है कि ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। ट्यूब वैल भी चलाया जा सकता है, यदि ग्राम पंचायत इसका खर्चा वहन करने को योजनानुसार तैयार हो।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, वहां नापासर में वर्षा के अभाव में कुए का पानी सूख गया है। नया ट्यूब-वैल वहां पर खोदा

Page No 2

(श्री भीमसेन)

गया है । सरकार अगर प्रयास करे तो आने वाली गर्मी को मोसम में वहां के निवासियों और पशुओं को पानी की दिक्कत दूर हो सकती है ।

श्री दौलतराम सारण : पानी सूख गया है यह कहना सही नहीं है । पानी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ट्यूब-वैल चलाना आप चाहते हैं यह अलग बात है ।

श्री भीमसेन : पानी की बड़ी कठिनाई हो रही है और अब गर्मी का मौसम आ रहा है । कलेक्टर ने जो जवाब दिया है वह गलत है । कुओं का पानी गहरा हो गया है । मोटर पम्पिंग की कैपेसिटी वहां पर नहीं हो रही है तो क्या इसके बारे में सहानुभूति पूर्ण विचार हो सकता है ?

श्री दौलतराम सारण : पानी के अभाव की स्थिति में सरकार आवश्यक व्यवस्था करेगी ।

श्री भीमसेन : फेमिन कैम्प्स के बारे में नापासर से बंबलू की सड़क का काम शुरू नहीं हुआ है और आपने जो सूचना दी है तो नापासर-जसरासर की सड़क पर ५० आदमी काम करते हैं । कान्ट्रेक्टर की तरफ से काम हो रहा है । फेमिन लेबर तो वह लगाता नहीं है । आपने सूचना दी है नेशनल हाईवे की तो वहां पर १०० आदमी काम करते हैं । इसलिए ज्यादा आदमी नहीं लगाना चाहते हैं । आपने यह कहा कि पर्याप्त मात्रा में काम चल रहा है यह सही नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : जितने मजदूर काम पर आना चाहते हैं तो उनको काम दिया जाता है । उस पर कोई पाबन्दी नहीं है । इसलिए यह कहना सही नहीं है कि काम नहीं दिया जाता है ।

श्री भीमसेन : मूलसर से नापासर पर हजारों आदमी गये हैं, सड़क पर उनको नहीं लगाया गया है । जितनी वहां की कैपेसिटी है उसमें १०० आदमी काम करते हैं और वह भी कान्ट्रेक्टर से काम हो रहा है ।

श्री दौलतराम सारण : आप जितने मजदूर देंगे, मैं लगाने की व्यवस्था करूंगा ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जो मजदूर वापिस चले गये उनका खर्चा आप देंगे क्या ? जो एक बड़े ही सम्माननीय सदस्य ने कहा कि मजदूरों को नहीं लगाया तो जो मजदूर वापस चले गये उनका खर्चा आप देंगे क्या ? (श्री दौलतराम सारण के गरदन हिलाने पर) यों मोर की तरह गर्दन क्या हिला रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आप क्या हंस की तरह कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं तो हंस हूं हां आपकी तरह कौवा थोड़े ही हूं ।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य जरा जुबान सम्हाल कर बोलें । इस तरह से न बोलें ।

श्री मानसिंह महार : आपको सप्लीमेन्ट्री का जवाब देना पड़ेगा ।

श्री दौलतराम सारण : जो उत्तर था वह दे चुका ।

Page No 3

श्री मानसिंह महार : जवाब नहीं मिले तो क्या करें ? अगर मजदूर वापस आयेंगे तो उसका खर्चा आप देंगे क्या ? तुम × × × × बोलते हो।

श्री दौलतराम सारण : तुम × × × × बोलते हो।

श्री मानसिंह महार : तुम × × × × बोलते हो × × कहीं के !

श्री दौलतराम सारण : तुम × × × × कहीं के।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष, यह × × और इस तरह के शब्द कहे गये हैं वे एक्सपन्ज कर दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : वे एक्सपन्ज किये जायं।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में कुछ परम्परा बनती जा रही है।

श्री मानसिंह महार : ऐसे सीनियर आदमी ने बात कही, मैं निवेदन करूं कि सदन में भीमसिंह जैसे सीनियर आदमी कहें और उस पर उप मंत्री जी कहते हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको × नहीं कहें तो क्या कहें ?

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ आदमी गये और उनको एम्पलोय नहीं किया। इस पर उप मंत्रीजी ने कहा कि मैं गारन्टी करता हूं कि एक एक आदमी को एम्पलोय करने की व्यवस्था कर दी जायगी। मामला वहीं पर खत्म हो गया। इस पर भी आप कहें, गर्दन हिलाना, ऐसा और वैसा यह न आप जैसे सदन के प्रतिष्ठित लोगों को शोभा देता है और इधर उधर लफ्ज कहने से सदन की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के लफ्ज प्रोसिडिंग्ज में से निकाल दिये जायं।

श्री मानसिंह महार : मैंने क्लीयर प्रश्न किया था। आपने कहा कि जो आदमी वहां जाते हैं उनको मजदूरी पर लगाते है इस पर एक बहुत सीनीयर माननीय सदस्य ने कहा कि कई लोग वापिस गये। उन्होंने कहा नहीं गये, लग गये। इस पर मैंने कहा कि जो लोग जाते हैं और काम पर नहीं लगाने के के कारण रो-रो कर वापिस आ जाते है तो क्या उनके आने जाने का खर्चा आप देंगे। आप सदन में जो बात कह देते हैं उसको सुनकर सारे आदमी जायेंगे और उनको काम नहीं मिलेगा तो क्या उनको जाने आने का खर्चा आप देंगे यही प्रश्न मैंने किया था।

श्री मथुरादास माथुर : यह खर्चा देने का प्रश्न नहीं है। उप मंत्रीजी ने कह दिया उसके बाद यदि कोई ऑफिसर हुक्म के खिलाफ काम नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। कहने पर भी नहीं लगायेंगे और सरकारी हुक्म की अवहेलना करता है तो उस सरकारी ऑफिसर को सस्पेन्ड किया जायगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इसलिए उप मंत्रीजी ने तसल्ली दिला दी तो मैटर वहीं पर समाप्त होना चाहिये। हम भी अकाल पीड़ितों को काम देने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने आप हैं और यह चाहते हैं कि ज्यादा से

× × × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No 4

(श्री मथुरादास माथुर)

ज्यादा लोगों को काम दिलाया जाय इसी-लिये तो फेमिन कोड बनाया है। कोई ऑफिसर अगर काम नहीं देता है तो उस ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जब सदन में विश्वास दिलाते हैं तो आपको मानना चाहिये।

श्री मानसिंह महार : आज तक किसी ऑफिसर को सजा दी है क्या, तीन वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह दूसरा प्रश्न है। लास्ट टाइम के फेमिन में जितने लोगों को एम्पलोयमेंट मिला राजस्थान में फेमिन की हिस्ट्री में उतना कभी नहीं मिला। इस साल अभी अभी मामला शुरू हुआ है कहीं से शिकायत आएगी तो एक्शन लेंगे।

श्री भीमसेन : नापासर में काम शुरू करने के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री **दौलतराम सारण** : चालू करने के आदेश दे दिये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : महार साहब के उन शब्दों को सदन की कार्यवाही में से निकालने के बारे में आदेश दिया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : ऑलरेडी कह दिया है, एक्सपन्ज कर दिये जायं।

प्रश्न संख्या ६७७.

श्री छत्रसिंह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर के उप–केन्द्र।

१७८, **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर के तीन उप-केन्द्रों के लिए जनता द्वारा अपने जन सहयोग की रकमें पंचायत समिति सांचोर में काफी अर्से पहले जमा करा दी गई थीं ? अगर हां, तो वे कब जमा कराई गई ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त उप–केन्द्रों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने अभी तक १०,०००) रु० की रकम की मंजूरी नहीं दी है और इसी कारण से उप-केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ? अब राज्य सरकार द्वारा अनुदान की रकम मंजूर करके पंचायत समिति को कब तक भेज दी जावेगी ?

(३) उपरोक्त पंचायत समिति के उप केन्द्रों के निर्माण कार्य कब तक सम्पूर्ण करा दिए जावेंगे ?

(४) भवन के अभाव में क्या अभी तक उप–केन्द्रों का काम चालू नहीं किया गया है ? अगर हां, तो अब उप–केन्द्रों का कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

उप–मन्त्री, चिकित्सा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां। पंचायत समिति सांचोर में ५०००) रु० की धन-राशि जन सहयोग से तथा शेष ५०००) रु० की धन

Page No 5

(श्री परसराम मदेरणा)

राशि पंचायत समिति के नीजि कोष से जमा हुई है। इस प्रकार कुल १०,०००) रु० की धन-राशि पब्लिक पार्टीसिपेशन से जमा दिनांक २२-५-६५, ७-७-६५ व ६-८-६५ को हुई है।

(२) जी नहीं। ज्वाइन्ट डवलपमेंट कमिश्नर राजस्थान, जयपुर के पत्र संस्या १३१(१६) पी० एस० सी० क्वार्डिनेशन। डी० डी०। ६०। २७४२३। ५०५ दिनांक ६-२-६१ के द्वारा १०,०००) रु० की धन राशि तीन उप-केन्द्रों के लिए मंजूर की गई थी।

ज्वाइन्ट सर्क्यूलर द्वारा १०,०००) रु० की धन-राशि पब्लिक पार्टीसिपेशन की ओर से और १०,०००) रु० की धन-राशि डवलपमेंट की इस तरह २०,०००) रु० की धन-राशि से तीन उप केन्द्र जो विकास अधिकारी के ओवरसियर की देख रेख से बनाये जाते हैं। इनके भवन निर्माण होने पर स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। दो उप-केन्द्रों पर क्रमश: अरनाय, ज्ञानवी पर एक मिडवाइफ कार्य कर रही है। तीसरा उप-केन्द्र भाव भवन की व्यवस्था होने पर चालू कर दिया जावेगा।

(३) चूंकि डवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा १०,०००) रु० की धन-राशि दिनांक ६ फरवरी, १९६१ को मंजूर की गई थी, उस समय सांचोर ब्लॉक प्रथम चरण में था। इस समय विकास अधिकारी को चाहिये था कि उक्त धन-राशि का उपयोग तीन उपकेन्द्रों के भवन निर्माण के कार्य में ले लेता, परन्तु अक्टूबर, ६१ में यह सांचोर खंड द्वितीय चरण में प्रवेश कर गया और उस समय तक पंचायत समिति तीन उप केन्द्रों के स्थान का निर्णय नहीं ले सकी। अत: यह १०,०००) रु० की धन-राशि लेप्स हो गई। इस कारण से सांचोर केन्द्र के तीन उप-केन्द्रों के स्थानों को समय पर भवन निर्माण नहीं हो सके।

(४) जी नहीं। तीन उप-केन्द्रों में से दो चालू हो चुके हैं। केवल एक उप केन्द्र भाव भवन के अभाव में चालू नहीं किया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो धन-राशि लेप्स होने की बात बताई इसके अंदर जब कि प्रथम चरण में धन राशि जमा होने के बाद पंचायत समिति ने समय पर प्रस्ताव भेजा और राज्य सरकार के पास पीपल्स पार्टिसिपेशन की रकम जमा हो चुकी है तो पहले यह बताइये कि युनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स हैल्थ स्कीम के अन्तर्गत प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स को सहायता दी जाती है तो क्या यह फंड उस श्रेणी में आ सकता है?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति ने जो प्रस्ताव पास किया लोकेशन के बारे में कहां कहां उप-केन्द्र बनेंगे वह किया दिनांक ५-८-६४ को और जब कि आपका ब्लॉक सैकन्ड स्टेज में अक्टूबर ६१ में आ गया, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से रकम सेंक्शन की जाती है १०,०००) पब्लिक पार्टीसिपेशन के अगेन्स्ट में वह फरवरी ६१ में कर दी गई थी। अक्टूबर ६१ में आपका ब्लॉक सैकन्ड स्टेज में आया तब तक यह तय नहीं कर सके उप केन्द्रों का लोकेशन कहां होगा। इसलिये सैकड स्टेज में

(श्री परसराम मदेरणा)

आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया १० हजार नहीं देती है इसलिए यह १०,०००) की धन राशि देने में सरकार असमर्थ है।

जहां तक दूसरी बात कही यू० एन० आई० सी० एस० के अन्तर्गत आपने कहा कि एड दी जाती है जीप के अलावा रेफ्रिजरेटर, प्लग्ज, सोइंग मशीन, वेइग मशीन के लिए दी जाती है, यह उस प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को देते हैं जहां सेन्टर ओपन हो गया हो, पूरा का पूरा स्टाफ ट्रेण्ड हो। जहां जीप देने का प्रश्न है लास्ट में रिलीज की जाती है। जो सुविधा मिलने वाली है वह ट्रेण्ड स्टाफ मिल जाय दोनों सेन्टर्स खुल जायेंगे तब मिल सकती है। आप यहां ७-४-६६ को दो दिन पहले उप-केन्द्र खुला है, इसलिए क्वालिफाइ भी नहीं कर सके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तीन उप-केन्द्र खोलने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। लोगों का इसमें क्या कसूर है कि जब कि राज्य सरकार कहती है कि १० हजार रु० लेप्स हो चुके हैं? ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां पर कि जन सहयोग पूरा मिल चुका है और ऐसे रूरल एरिया में जहां फेसिलिटीज नहीं हैं वहां पर फेसिलिटीज देने के बारे में राज्य सरकार गंभीरता से क्यों नहीं विचार करती है?

श्री परसराम मदेरणा : टेक्निकल स्टाफ गवर्नमेंट के पास नहीं है। २३२ पंचायत समितियों में २३२ प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स है, उनके लिए क्वालिफाइड डाक्टर्स नहीं हैं, न भेज सकते हैं। लेडी हैल्थ विजिटर्स भी ट्रेन्ड नहीं मिल रही हैं इसलिए अन ट्रेन्ड लगानी पड़ती हैं। ट्रेनिंग का इन्तजाम किया हुआ है। ट्रेन्ड नहीं मिलती हैं उप-केन्द्र भी तीन में से दो खोलने चाहिए आपके यहां आलरेडी डाक्टर हैं, स्टाफ ट्रेन्ड है तो मैं जांच करवा लूंगा। यदि ट्रेंड हैं तो मदद के लिए लिख सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : १०,०००) रु० लेप्स हो गये उनके बारे में राज्य सरकार पुनः क्या विचार कर रही है?

श्री परसराम मदेरणा :इनेबिलिटी जाहिर की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका कारण क्या है?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति की गलती।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पंचायत समिति की गलती नहीं है। इस तरह से सभी पंचायत समितियों की राशि लेप्स हो जायगी तो सरकार इसको रिव्यू क्यों नहीं करती, ?

श्री परसराम मदेरणा : रिव्यू का प्रश्न नहीं है! पब्लिक पार्टी सिपेशन के अगेन्स्ट का प्रश्न है फर्स्ट स्टेज पर लागू है और आपके ब्लॉक का फर्स्ट स्टेज निकल गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को कितनी धन राशि मिलती है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री छत्रसिंह-क्वेश्चन नं० ६७७.

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : इसको ले लिया जाय।

जालोर का डाक बंगला

६७७. **श्री छत्रसिंह** (आहोर) : [**श्री जयनारायण सालोदिय** (निवाई)]. क्या सार्वजनिक निमार्ण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री छत्रसिंह)

(१) क्या यह सही है कि जालोर डाक बंगले को कलेक्टर के रेजिडेन्स में बदल दिया गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उस डाक बांगले में सरकार ने काफी धन खर्च करके सात बैड रूम्स का निर्माण किया था ?

(३) क्या यह भी सही है कि क्लेक्टर के जिस बंगले को डाक बंगले में परि-वर्तित किया है उसमें सिर्फ दो ही बैड रूम्स हैं और दूसरे कलेक्टर्स भी उसी बंगले में रहते आये हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि नये डाक बंगले में स्थान अपर्याप्त होने से अधिकारियों और दूसरे लोगों को ठहरने की बड़ी दिक्कत हो रही है ? यदि हां, तो उसको कलेक्टर के रेजिडेन्स में बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

(५) क्या सरकार इस डाक बंगले को कलेक्टर के खाली करवाने का इरादा रखती है ?

(३) अगर हां, तो कब तक ?

(७) अगर नहीं, तो सरकार दूसरे लोगों के ठहरने का क्या प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

श्री परसराम मदेरणा : ६७७ नं० का प्रश्न जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखता है इसलिए हमने जी० ए० डी० को ट्रान्स-फर कर दिया है वे अगले सप्ताह जवाब देंगे।

कृषि ऋण दात्रि सहकारी समितियों में मुनाफे का हिसाब

६८०. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (विलाड़ा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) असीमित दायित्व की कृषि ऋण दात्रि सहकारी समितियों में उनके उपनियमों के अनुसार मुनाफे का हिसाब कितने वर्षों में होने का प्रावधान है ?

(२) ग्राम भावी जिला जोधपुर में असीमित दायित्व की कितनी कृषि ऋण दात्रि सहकारी समितियां हैं ?

(३) क्या भावी की इन समितियों में मुनाफा वितरण उपनियमों का पालन हो गया है ?

(४) क्या यह सही है कि इन समि-तियों द्वारा मुनाफा वितरण की बार बार मांग हो रही है और इसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीम-सिंह) : (१) असीमित दायित्व वाली सहकारी समितियों में उनके उपनियमों के अनुसार उनकी रजिस्ट्री की तारीख से १० वर्ष पहले लाभ वितरण न किये जाने का प्रावधान है।

(२) २ समितियां हैं।
(३) जी नहीं।
(४) जी नहीं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : मुनाफा वितरण की बात है। उन्होंने मुनाफा वितरण अभी तक क्यों नहीं किया ?

श्री भीमसिंह : उन्होंने सन् ६५ में १,७५८ रुपये का लाभ बताया है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : यह लाभ जो अभी बताया गया है वह अलग अलग मदों में किस प्रकार वितरण होगा ? यह आप स्पष्टीकरण कर दें। ये आगे लेते आये हैं........

श्री भीमसिंह : सहकारी समितियों में उप नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन की तारीख से १० साल पहले लाभ वितरण नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने वितरण का प्रस्ताव पास नहीं किया। भावी की दो सोसायटीज हैं, उनमें एक में ३६७६ और भावी जटना सोसाइटीज हैं, उसमें १७५८ का लाभ हुआ है। उन्होंने इसको वितरण नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि यह कमी है। इसमें कोशिश की जावेगी कि समय समय पर वितरण होते रहें।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कब वितरण होना चाहिये था यह एक महत्व की बात है। यह था कि ११ वें वर्ष में जो पैसा लाभ के रूप में आवेगा वह १० वर्षों का मुनाफा उस पूंजी में जोड़ दिया जावेगा और पूंजी में बढ़ोत्तरी कर दी जावेगी। जिससे समितियों की ऋण लेने की क्षमता बढ़ जावेगी। मगर आज ६ वर्षों से चिल्ला रहा हूं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इसमें जल्दी करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

कृषि विभाग में रिसर्च असिस्टेन्ट के पद

६८१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) [**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद)]: द्वारा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कृषि विभाग में रिसर्च असिस्टेन्ट के कुल कितने पद हैं और उनमें खाली कितने हैं ?

(२) क्या यह सही है कि काफी तादाद में रिसर्च असिस्टेन्ट के स्थान रिक्त पड़े हैं ?

(३) क्या यह है कि स्थान खाली पड़े रहने का कारण उनके वेतन तथा अन्य सुविधायें हैं जो दूसरे विभागों के मुकाबले में कम हैं ?

(४) क्या यह सही है कि एम. एस सी. योग्यता वाले व्यक्ति को मेडिकल एवं शिक्षा विभाग में बेसिक वेतन २८५) रु० का स्टार्ट दिया जाता है और कृषि विभाग में उसी योग्यता वाले को २२५) रु० का वेतन दिया जाता है ?

(५) यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों है ?

(६) क्या यह सही है कि वेतन बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ?

(७) यदि हां, तो वेतन कब तक बढ़ाया जायेगा ?

Page No 9

उप-मंत्री कृषि, (श्री भीमसिंह) : (१) कुल पद १९७ हैं, ७२ पद खाली हैं :

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) इस फर्क को हटाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(५) जी हां।

(६) जल्दी ही निर्णय हो जाने की संभावना है।

(जिस समय प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय पढ़ रहे थे उस समय)

एक माननीय सदस्य : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत पूछ रही हैं।

अन्य माननीय सदस्य : साड़ी तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आजकल साड़ी की जरूरत नहीं है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : बाल भी नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे स्थान रिक्त पड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहां पर उत्पादन बढ़ाया जावे इसके लिये यह जरूरी है कि इन रिक्त स्थानों को जल्दी से जल्दी भरा जाए।

श्री भीमसिंह : स्थान खाली इसलिये हैं कि पे स्केल कम होने से लोग आते नहीं हैं। वे कहते हैं कि पे स्केल बढ़ाया जावे। इसलिये केस एग्ज़ामिन होकर फाइनेन्स डिपार्टमेंट में गया है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैंने कई लोगों को अपोइन्टमेंट के लिये भेजे मगर उनको नहीं लिया गया।

श्री भीमसिंह : पे स्केल में कम होने से नहीं आते हैं और अगर कोई आते हैं तो थर्ड डिविजन आते हैं जिनको हम लेते नहीं हैं।

श्री भीमसेन : मैंने फर्स्ट डिविजन वालों को भेजा है मगर उनको लिया नहीं गया।

श्री भीमसिंह : अगर कोई ऐसा केस है तो आप बतावें और भेजें।

प्रश्न संख्या ६८२.

श्री उपाध्यक्ष : Next. श्री रावतराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार।

निम्बाहेड़ा के उद्योग

६८३. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा में जिन-उद्योगों के लिये कर्ज दिया गया वे उद्योग चालू नहीं हैं।

(श्री अब्दुल जब्बार)

(२) मेसर्स लक्ष्मी रेडीमेड वस्त्र उत्पादक स० स० लि० निम्बाहेड़ा की मौजूदा हालत क्या है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी नहीं। जिन ११ उद्योगों को निम्बाहेड़ा में कर्ज दिया गया है उनमें से १ को छोड़ कर सभी उद्योग चालू हैं।

(२) मेसर्स लक्ष्मी रेडीमेड वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि० निम्बाहेड़ा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और यह समिति सामूहिक रूप से कार्य नहीं कर रही है, मगर इसने ४०० रुपये किश्त व ७८) रु० ब्याज को छोड़ कर सभी किश्तें मय ब्याज के अदा कर दी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Next

मनोहरथाना छीपा बड़ोद सड़क

६८४. श्री **भैंरवलाल कालाबादल** (अकलेरा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :---

(१) मनोहर थाना (जि० झालावाड़) से छीपा बड़ोद जाने वाली कच्ची सड़क को कब तक पक्का बनाया जावेगा ?

(२) क्या यह सही है कि इस रोड़ के कितने ही पुल टूट गये हैं। यदि हां तो इनकी मरम्मत कराने के लिए सरकार ने क्या सोचा है ?

(३) क्या यह सही है कि इस कच्ची सड़क पर कई वर्षों से मिट्टी आदि डाल कर रिपेरिंग करने की जो प्रणाली थी वह भी सरकार ने रोक दी है जिसके कारण यह सड़क इतनी खराब हो गयी है कि जिस पर बसों का तो क्या बैल गाड़ियों तक का चलना मुश्किल हो गया है।

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) मनोहर थाना से छीपा बड़ोद वाया हरनावदा रोड का निर्माण कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) जी हां, किन्तु यह कच्ची सड़क पंचायत समिति छीपा बड़ौद तथा पंचायत समिति मनोहर थाना के कार्य क्षेत्र में है।

(३) जी हां, यह सड़क पंचायत समितियों के अधीन है।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, एक लम्बी सड़क है। यह दस-दस मील का टुकड़ा है, आपने पंचायत समिति को दे दिया है। यह टुकड़ा कितना है जो पंचायत समिति को आपने दिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह फेअर वेदर रोड़ है और ६०–६१ में राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया है कि सभी फेअर वेदर रोड़ हैं उन्हें पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दी जावे।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वे पंचायत समितियों को दिये गये हैं यह तो एक बड़ा टुकड़ा है इसलिये आपने उसके लिये क्या किया है ?

Page No 11

श्री परसराम मदेरणा : मनोहर थाना से छीपाबड़ोद तक ३० मील है। मगर १५ मील है हरनावड़ा तक । दो पंचायत समितियों हैं उनके दो अलग अलग भाग आ जाते हैं जहां तक फेअर वेदर रोड का प्रश्न है राजस्थान सरकार ने इसके लिये यह निर्णय लिया है कि ये पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दी गई है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन—सु०) : क्या वहां पर बसें चलती हैं या वैसे ही है।

श्री **परसराम मदेरणा** : यह तो रोड़वेज वालों को मालूम है।

श्री **भैंरवलाल कालाबादल** : इसमें बसें नहीं चल रही हैं। ८ बसें पास हैं। इन पर मिट्टी डालने की जिम्मेदारी पंचायत समितियों ने ली होगी मगर वहां पर जो पुलिये टूटे हुए हैं उनको कौन बनवायगा ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जिन रूटों पर बसेज प्लाई करती हैं, वे रूट ट्रान्सफर नहीं की जाती हैं और पंचायत समिति को आपने ट्रान्सफर की हैं, वे रूट उसमें नहीं आतीं।

श्री परसराम मदेरणा : बसेज तो बहुत से कच्चे रूट्स में चलती हैं। इसलिये यह प्रश्न नहीं पैदा होता कि जिन पर बसें चलती हैं, वह ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता। हमारे यहां पर यह तय किया गया था कि फेअर वेदर रोड्स हैं उनकी देख भाल पंचायत समितियें करेंगी और वे अब हमारी मेन्टीनेंस लिस्ट में नहीं हैं और जब वे हमारी मेन्टीनेन्स लिस्ट में नहीं हैं, तो हम कैसे मरम्मत कर सकते है ?

एक माननीय सदस्य : आपने कोई फन्ड उनको अलॉट किया है ?

सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री हरिश्चन्द्र) : पहले ये पी. डब्ल्यू. डी. के पास थीं, तब इनकी मेन्टीनेन्स पी० डब्ल्यू० डी० से की जाती थी। बाद में यह तय हुआ कि कच्ची सड़कें जितनी भी हैं। पी० डब्ल्यू० डी० के अन्डर में हैं, उनको पंचायत समितियों को सुपुर्द कर दिया जावे और उनकी मेन्टिनेन्स के लिए जो बजट हमारे पास था वह हमने उनको ट्रान्सफर कर दिया।

श्री दयाचन्द सोन (बारां—सु०) आपने कच्ची सड़कें उनको सुपुर्द की हैं, वे तो उनको बना नहीं सकते।

श्री हरिश्चन्द्र : उनको रिपेयर करने का प्रश्न है।

श्री **दयाचन्द सोन** : आप उनको इसके लिए पैसा नहीं देते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : हमने ६ लाख रुपया डवलपमेंट डिपार्टमेंट को इसके लिया दिया है।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : रोड़ टैक्स तो आप वसूल करें और खर्चा उन पंचायत समितियों को करना पड़ता है।

श्री **उपाध्यक्ष** : Next

नागौर जिले में कुए और नलकूप

६८५ श्रीमती **गोरी पूनीया** (डेगाना) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 12

(श्रीमती गौरी पूनिया)

(१) राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड ने १९६५–६६ में नागौर जिले में कुल कितने कुओं को गहरा किया गया है ? तथा किस किस पंचायत समिति क्षेत्र में ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इसी वर्ष भूमिगत जल बोर्ड ने नागौर जिले में उक्त स्थानों पर नलकूप कितने लगाए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) कुओं को गहरा करने की प्रति फुट दर क्या है ? प्रति नलकूप की औसत कीमत कितनी पड़ती है ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) :(१) १९६५–६६ में नागौर जिले में निम्नलिखित पंचायतों में कुल २३० कुए गहरे किये गए हैं।

(१) डेगाना ४८ (२) नागौर ५ (३) परबतसर १२५ (५) मूंडवा २ (६) डीडवाना १२ (६) जायल (७) मकराना ३५

(२) १९६५–६६ में नागौर जिले में निम्न स्थानों पर नलकूप लगाये गये हैं व बोरिंग किया गया है।

(अ) नलकूप–लाडनूं, जसवन्तगढ़ और सुजानगढ़।

(१) वाटर सप्लाई स्कीम ६

और

(२) प्राइवेट १। कुल ७

(ब) (३) बोरिंग (प्राइवेट) लाडनूं १।

योग ८।

(३) कुओं को गहरा करने (डीपनिंग) ऑफ वेल बाई रॉक ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग) की दर नीचे लिखे अनुसार है :–

(अ) (१) प्रति ब्लास्ट की दर ६५.०० ५०.००
सार्वजनिक कुए (जो कृषि हेतु काम में नहीं आते हैं)

(२) प्रतिफुट की दर (१० फुट व्यास के कुए) ५२.०० ४०.००

(ब) कुओं में बोरिंग करना व नलकूप लगाने की दर

(१) बोरिंग की दर ३८.०० ३०.००

(२) बरिंग और पाइप जालीदार

पाइंट की कीमत व डवलपमेंट की कीमत सहित ७५.०० ५८.००

श्रीमती गौरी पूनीया : कुओं को गहरा करने की दर बहुत ज्यादा है, इस वास्ते किसान इस दर को देने में असमर्थ हैं और इसके फलस्वरूप हरसाल लोग बीस बीस कोस से पानी लाते हैं, इसलिए क्या सरकार इसको फिर कन्सीडर करके दर कम करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान सरकार ने कन्सीडर किया है ? पर कहीं हार्ड स्ट्राटा होती है, कहीं सोफ्ट सोइल होती है, आप हाई स्ट्राटा के लिए कर रही हैं तो इसको कन्सीडर किया जा सकता है।

Page No 13

प्रश्न संख्या ६८६

श्री उपाध्यक्ष :

श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ६८७

श्री जेठमल अरवड !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल !

सलूम्बर तहसील के अभाव–ग्रस्त ग्राम

६८८. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा–सु०) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सलूम्बर तहसील के कितने ग्राम १९६५ की खरीफ की फसल नहीं होने से अभावग्रस्त घोषित किये गये ?

(२) खरीफ के अभाव–ग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य कब से प्रारम्भ होना चाहिये ?

(३) सलूम्बर तहसील में राहत कार्य कब से प्रारम्भ किये गए हैं ?

उप-मन्त्री अकाल सहायता (श्री दौलत राम सारण) : (१) तहसील सलूम्बर के ८९ ग्राम १९६५ के खरीफ में अभाव-ग्रस्त घोषित किये गए।

(२) खरीफ के अभावग्रस्त गांवों में फरवरी से जुलाई तक कार्य चालू रखे जा सकने का प्रावधान फेमीन कोड के नियम ५० ए. में है।

(३) राहत कार्य फरवरी माह के अन्त में प्रारम्भ कर दिये गए।

श्री देवीलाल मीणा : कितनी जगह कितने काम शुरू किए हैं ?

श्री दौलतराम सारण : पहले शुरू में तो मानपुरा रोड़ थी उसको रिपेयर शुरू की, १० हजार की लागत की। इसके बाद कई टैंक्स की रिपेयर का काम है, छ, सात टैंक्स हैं।

श्री देवीलाल मीणा : कहां कहां ?

श्री दौलतराम सारण : रिपेयर ऑफ कावड़ा टैंक, रिपेयर ग्राफ कुपारिया फाल टैंक, रिपेयर ग्राफ कूपरपुरा टैंक, रिपेयर ग्राफ ग्रमानिया काडला टैंक, रिपेयर ग्राफ पड़ोद टैंक रिपेयर ग्राफ खीरावाड़ा टैंक, रिपेयर ग्राफ खवाड़ी टैंक और रिपेयर ग्राफ गुड़ टैंक।

श्री देवीलाल मीणा : सबके काम शुरू हो गये क्या ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैं इस समय डेफिनेट नहीं सकता स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं, काफी समय हो चुका है इस हिसाब से काम होना चाहिये।

श्री देवीलाल मीणा : ८ तारीख तक तो कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मानपुरा रोड पर काम चार दिन बाद बन्द कर दिया टैंक का कोई काम शुरू नहीं हुआ है।

Page No 14

श्री दौलतराम सारण : मैं इसकी जानकारी करके आवश्यक व्यवस्था करने की चेष्टा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

कुचामन घाटवा सड़क

६८९. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि कुचामन घाटवा सड़क पर कई बड़े गांव स्थित हैं और उन्हें इस सड़क के अलावा तहसील मुख्यालय, कुचामन धानमंडी व सीकर जाने का अन्य कोई सुगम मार्ग नहीं है ?

(२) क्या यह भी सरकार के ध्यान में है कि उक्त रेतीले मार्ग में विशेष कर गर्मी की मौसम में बसें खराब हो जाने से यात्रियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ? क्या यह भी सही है कि कच्ची सड़क भी नहीं के बराबर है और बड़ी खराब दशा में है ?

(३) आज तक इस कच्ची सड़क की मरम्मत पर कितना खर्चा हुआ व इस जरूरी सड़क को सरकार ने मेटलरोड़ अथवा टार रोड में परिवर्तित करने हेतु क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) कुचामन से घाटवा तक केवल कच्चा मार्ग है जो इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(२) बसों के आवागमन के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(६) यह मार्ग विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है अतः मरम्मत पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है। इस मार्ग को पक्का या डामर रोड बनाने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह सड़क कब से है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा, यह रोड नहीं कच्चा मार्ग है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या इसका सर्वे कराया हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : सर्वे कराया है।

श्री हनुमानसिंस चौधरी : कब ?

श्री परसराम मदेरणा : सर्वे की डेट तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन अगर यह सड़क बनायेंगे तो १२ लाख रुपया खर्चा आयेगा।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कच्चा मार्ग एप्रूव्ड है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपका मतलब नहीं समझा ?

श्री हनुमानसिंह चौधरी : पी, डब्ल्यू. डी, के हिसाब से एप्रूव्ड है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : हमारी सूची में मेण्टेनेन्स लिस्ट में जो रोड्स हैं. चाहे फेअरवेदर रोड्स हों, मेटल रोड्स हों, ग्रेवल रोड्स हों, जो रोड्स हमारी मेन्टेनेन्स सूची में हैं उन्हीं की मरम्मत कराने की हमारी

(श्री परसराम मदेरणा)

जिम्मेदारी है। यह कच्चा रास्ता है, न योजना में स्वीकृत है, न धन है, सर्वे तो प्रोस्पेक्टिव प्लान के लिये कर लेते हैं। पर हमारी फाइनेन्शियल कन्डिशन इस समय ऐसी नहीं है, कि इस सड़क को इस समय टेक अप करें।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : इस क्षेत्र में केवल मात्र यही एक सड़क है ५०-५५ गांव इस पर आते हैं, लोगों को बड़ी दिक्कत है, क्या इन तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रेवल रोड तो कम से कम करा दें? सालों से यह सड़क है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी कर लूंगा क्योंकि अभी हमारे पास जो एस्टीमेट्स हैं वे मेटल रोड के लिये हैं, ग्रेवल रोड बनाने के नहीं हैं। हमारे बजट में इसके लिये पैसे का प्रावधान नहीं है। मैं जांच करवा लूंगा कि आयन्दा चौथी पंच वर्षीय योजना में, कुचामन से घाटवा रोड का कार्य हाथ में लिया जा सकता है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

राज्य के उपभोक्ता भण्डार

६६०. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) इस समय राज्य में कुल कितने उपभोक्ता भण्डार हैं?

(२) इन उपभोक्ता भण्डारों से प्रति वर्ष कितनी जनसंख्या को लाभ मिलता है तथा इनसे बाजार भाव पर क्या असर पड़ा है?

उप-मंत्री सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) राज्य में इस समय ६३२ उपभोक्ता भण्डार हैं।

(२) राज्य में लगभग ११ लाख जन-संख्या की सहकारी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा दैनिक उपभोग की वस्तुओं की व्यवस्था की जा रही है। अधिकांश भन्डारों का गठन योजना से बाहर होने के कारण उनको कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। परिणामस्वरूप ऐसे भण्डारों का कारोबार का विकास सन्तोषप्रद नहीं हो सका है। योजना के अन्तर्गत गठित केवल १० होलसेल भण्डार एवम् १६० प्राथमिक भण्डार ही हैं जो भी अभी शैशव अवस्था में हैं। इनका बाजार भावों पर प्रभाव क्या हुआ इसका अनुमान लगाना कठिन है।

श्रीमती गौरी पूनिया : इस वर्ष योजना काल में कितने उपभोक्ता भण्डार खोलने का प्रावधान है?

श्री भीमसिंह : इस नये वर्ष में सीकर, ब्यावर इन दो जगहों पर और खोले जायेंगे। इसके तहत यह कोशिश की जायगी कि १० हजार से नीचे की आबादी के कस्बे हैं उनमें भी खोले जायं। प्राइमरी सैंटर्स अभी चल रहे हैं, वे इस परव्यू में नहीं आते, उन्हें लिया जावेगा।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : क्या नफे में चलते हैं?

श्री भीमसिंह : बहुत से नफे में चलते हैं और बहुत से घाटे में चलते हैं।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : घाटे में चलने के क्या कारण हैं ?

श्री भीमसिंह : बहुत से कारण हैं ।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : एक आध तो बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी ।

ग्राम पांचोता को बिजली

६६१. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नांवां): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि नांवां से श्यामगढ़ तक चम्बल विद्युत् लाइन होते हुए भी ग्राम पांचोता को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि गांव पांचोता, गांव आवास जहां तक चम्बल विद्युत् लाइन गई है, से केवल ३।४ माइल की दूरी पर स्थित है और गत दो वर्ष से पांचोता के किसानों ने कृषि योजनार्थ विद्युत् की मांग कर रखी है, और फार्म व फार्म फीस आदि सहायक अभियन्ता विद्युत् विभाग सांभर के कार्यालय में जमा भी करा चुके हैं ?

(३) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता महोदय के आदेशानुसार ग्राम पांचोता का सर्वे किया जाकर एस्टीमेट्स भी पेश किये जा चुके हैं ?

(४) क्या ग्राम पांचोता के ४३ सिंचाई के कुओं पर बिजली की मांग होते हुए भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

उपमंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां । धनराशि के अभाव के कारण ग्राम पांचोता का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

(२) जी हां, । केवल २० प्रार्थनापत्र अगस्त, ६५ में फीस के साथ प्राप्त हुए थे ।

(३) जी हां । सर्वे किया गया था लेकिन योजना लाभप्रद नहीं है ।

(४) योजना लाभप्रद नहीं है । इस लिये प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : लाइन के बीच में गांव है, सवा तीन लाख रुपया इस लाइन पर खर्च किया गया है तो इस गांव को कैसे छोड़ा ?

श्री चन्दनमल वैद : जिस गांव का विद्युतीकरण किया है, उसके आस पास और कई गांव हो सकते हैं उन सबका विद्युतीकरण कर दिया जाय यह संभव नहीं है । तीन चार मील की दूरी पर यह गांव है तो तीन चार मील की दूरी पर और भी बहुत से गांव हो सकते हैं, चूंकि एक गांव का विद्युतीकरण किया है इसलिये उन सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाय यह संभव नहीं है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह तीन चार मील की दूरी पर नहीं है । आपकी लाइन निकली है उसके बिलकुल निकट है, ४५ कुओं पर किसानों ने विद्युत् मांगी है वहां

Page No 17

श्री चन्दनमल वैद : आवास से तीन-चार माइल दूर है, ४५ दर्ख्वास्तें आई थीं, फीस जमा कराने को कहा तो २० ने फीस जमा कराई। हमने सर्वे कराया तो मालूम हुआ कि अपने आप में यह लाइन लाभप्रद नहीं है।

श्री **हनुमानसिंह चौधरी** : तीन चार माइल दूर नहीं है। केवल पौन मील की दूरी पर है आवास से।

प्रश्न संख्या ६९२।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री **किशनसिंह बाटड़।**

सीकर जिले में हल

६९३. श्री **किशनसिंह बाटड़** (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कृषि विभाग ने जिला सीकर में कुछ नये हल किसानों को उपयोग के लिए भिजवाये हैं ?

(२) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है, कि ये हल यों ही पड़े हैं व उनका किसानों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

(३) क्या हलों में कुछ नुक्स है जिनके कारण किसान उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अथवा विभाग द्वारा उन्हें किसानों को दिया नहीं जा रहा है ?

(४) जो किसान उन हलों को लेना चाहें तो उसके लिए क्या नियम हैं ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) :

(१) जी हां।

(६) जी नहीं।

(३) कृषि यंत्रों का किसानों में वितरण हो रहा है।

(४) नकद दामों पर १५ प्रतिशत अनुदान पर बेचे जाते हैं।

श्री **किशनसिंह बाटड़** : कई पंचायत समितियों में ऐसे हल पड़े हैं जो काम में नहीं आ रहे हैं।

श्री **भीमसिंह** : ऐसा है कि २२५ हल बांटे गये हैं। आपका कहना है कि कई पंचायत समितियों में कुछ हल पड़े हैं, जो काम में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ डिमोन्सट्रेशन के लिए हों। बाकी अगर जानकारी दें कि कहां पड़े हैं तो उसकी जानकारी कर लेंगे। बाकी किसानों को इससे फायदा हुआ है, किसान उन्हें काम में ले रहे हैं।

श्री **किशनसिंह बाटड़** : जो पुराने हल पड़े हैं वे काम में नहीं आए, बेकार पड़े हैं। कई जिलों में पड़े हैं।

श्री भीमसिंह : अगर स्पेसिफिकली कहते हैं कि इस समिति में पड़े हैं तो सरकार की जानकारी में नहीं हैं। आप बताएंगे तो मालूम करूंगा कि वहां के प्रधान या बी. डी. ओ. इन्हें लेकर क्यों बैठे हैं और काश्तकार तो इन्हें पसंद भी करते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभी जिलो में ऐसे हल भेज दिये गए हैं जिनकी किसानों को जरूरत है, वैसे नहीं खरीदे जाते हैं।

श्री **भीमसिंह** : यह सर्वथा गलत है। हल काश्तकारों के काम में आते हैं।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा): अगर विकास अधिकारी और प्रधान कहता है कि हमारे काम में नहीं आते या वे काम में नहीं लेना चाहते तो हम देखेंगे कि विकास अधिकारी मेहनत नहीं करना चाहता और ये जो हल हैं, ये राजस्थान में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में डवलप किए गए हैं। हो सकता है किसी प्लो का बोल्ट और नट टूट जाय किसी का और औजार टूट जाय। रिप्लेसमेंट के लिए पार्टस मौजूद हैं, तो आपका कहना कि हल काम में नहीं आते हैं यह सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

सांचोर में बिजली

६६४. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सत्य है कि सांचोर में सरकार द्वारा तारीख ३१—३—६६ तक बिजली लगाने की योजना है ? अगर हां, तो अब तक इस योजना को कार्यान्वित करने के बारे में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मन्त्री, विद्युत (श्री चंदनमल वैद): जी हां। सब—स्टेशन कायम करने के लिए भूमि देने की कार्यवाही की गई है जो १-१-६६ को ही मिल सकी है। सब—स्टेशन की बिल्डिंग बनाने के लिए टेन्डर्स मांगे गए और कार्य केवल प्रारंभ ही नहीं हो चुका अपितु ८ फुट ऊंची दिवार भी बन चुकी है। डीजल जेनरेटिंग सैंट भी स्थान पर पहुंचा दिया गया है। आशा है जून तक इस ग्राम का विद्युतिकरण हो जायेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : धन्यवाद।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री उपाध्यक्ष : महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जैठमल बरवड़।

गांगवा ग्राम में बिजली

६६६. **श्री जेठमल बरवड़** (परवतसर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत गांगवा, पंचायत समिति, परवतसर ने गांगवा ग्राम में बिजली की लाइन लगाने के लिए एक प्रार्थना—पत्र मन्त्री महोदय के पास पेश किया था ?

(२) क्या यह सही है कि गांगवा ग्राम के किसानों ने अपने कुओं पर बिजली लगाने के लिए सरकार से मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या यह सही है कि गांगवा ग्राम के पास १ मील दूरी पर मगलाना ग्राम में बिजली दे दी गई है ? यदि हां, तो गांगवा में बिजली कब तक दे दी जावेगी ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री चंदनमल वैद) :

(१) जी हां ।

(२) जी हां । गांगवा का विद्युतीकरण ३१-३-६६ को कर दिया गया है ।

(३) गांगवा में बिजली दी जा चुकी है। अब आप भी धन्यवाद दे दें ।

श्री जेठमल बरवड़ : धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजराम गहलोत ।

स्थगित प्रश्न

(२८-३-६६)

पंचायतों के विरुद्ध शिकायतें-जिला पाली

५२५. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में किन किन पंचायतों के विरुद्ध गबन की कितनी कितनी शिकायतें जिलाधीश के पास १९६० से जून, १९६५ तक वास्ते जांच पेश की गईं व प्राप्त हुईं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों की जांच न तो साल भर से पूरी की गई है और न पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने तक और सन् १९६० में की गई शिकायतों की जांच जून, १९६५ तक नहीं की गई हैं ?

(३) क्या उक्त शिकायतों में से कोई शिकायतें गलत पाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गलत शिकायत करने वालों के विरुद्ध धारा १८२ आई. पी. सी. के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उपमंत्री, पंचायत (**श्री** परशराम मदेरणा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) ४३ मामलों में से केवल १४ विचाराधीन हैं ।

(३) जी हां । परन्तु जांच अधिकारी ने उनके विरुद्ध कार्यवाही करना उचित नहीं समझा ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा

(पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : आपने जो यह सूची दी है इसके अन्दर ऐसे मामले हैं जो ऑडिट में गबन के मामले पाए गए हैं, पंचायतों के निरिक्षण के दौरान गबन के मामले पाए गए हैं, और जिनकी शिकायत जिलाधीश को की गई है, क्या वे मामले भी इसमें शामिल हैं ?

श्री **परसराम मदेरणा** : ऑडिट के एतराजात के जो मामले पाए गए हैं **और** प्राइवेट शिकायतें भी शामिल हैं ।

श्री **तेजाराम** गहलोत : यह बिल्कुल असत्य है, इन ४३ में वे कतई शामिल नहीं हैं । आपने बताया कि ४३ में से १४ विचाराधीन हैं । २९ जो फैसल हुए उनमें से कितने सही पाये गए और कितने झूठे ?

श्री परसराम मदेरणा : २४ तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में ही गलत पाए, प्राइमाफेसी केस नहीं बना । बाकी रहे पांच । पांच

Page No 20

(श्री परसराम मदेरणा)

में से एक में पुलिस के इन्वेस्टीगेशन के बाद ऑफेन्स प्रूव नहीं हुआ इसलिए बन्द कर दिया। दो में फाइनल इन्क्वायरी के समय सरकार ने जब फाइनल इन्क्वायरी होकर आई उस समय बन्द किया गया और दो के मामले में चेतावनी दी गई क्योंकि माइनर इरेग्यूलेरिटीज थीं और इसलिए सरकार ने चेतावनी देकर दो को क्लोज किया।

श्री तेजाराम गहलोत : जिन मामलों में प्राइमाफेसी बिल्कुल साबित नहीं हुआ, वैसे मामलों में उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने कि केवल पंचायतों को हैरेस करने के लिए ऐसी झूठी शिकायतें कीं, उनके विरुद्ध दफा १८२ आई. पी. सी. में क्यों नहीं कार्यवाही की गई ? मेरी मान्यता है कि अधिकारियों को डिस्क्रिशनरी पॉवर्स नहीं हैं कि कानून की अवहेलना करें और आप उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य का कहना है कि जिन सरपंचों या उप-सर-पंचों के खिलाफ प्राइमाफेन्सी केस प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के समय नहीं बना तो जिन लोगों ने झूठी शिकायतें की थीं उनके खिलाफ धारा १८२ आई. पी. सी. के तहत कार्यवाही इसलिए नहीं की कि अगर कोई मैलाफाइडी, जान-बूझ कर किसी को हैरेस करने के इरादे से करे या जानता हो कि शिकायत झूठी है तो भी वह शिकायत करता है तो धारा १८२ के तहत ऑफेंस बनता है। पंचों के लिए कलेक्टर इन्क्वायरी ऑफिसर है और राज्य सरकार उ०-सरपंचों और सर-पंचों के लिए है, तो राज्य सरकार ने ऐसा नहीं पाया कि तमाम शिकायतें इसलिए की गई हैं कि सरपंचों को हैरेस किया जाय और पेनल ऑफेंस तब बनता है जब यह साबित हो जाय कि कम से कम प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के मामले में मेन्सरिया है। जब पेनल ऑफेन्स नहीं बनता है तो धारा १८२ के तहत कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.) : जो १४ केसेज़ आपने बताए कि विचाराधीन हैं, वे कब से विचाराधीन हैं और क्या जिलाधीशों ने पूरी जानकारी कर ली है ?

श्री परसराम मदेरणा : १४ केसेज़ जो पैंडिंग हैं उनमें से ८ प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के लिए गए हैं और बाकी जो ६ हैं उनमें से दो सरकार के पास में फाइनल इन्क्वायरी होने के बाद अब आए हैं और उनमें नोटिस दिए हुए हैं कि उनको सुन कर कार्यवाही करें। एक पुलिस इन्वेस्टीगेशन में है देवली का केस और

(विराम)

नहीं नहीं। दो तो कोर्ट्स में चालान कर दिये, इसलिए वहां पेंडिंग हैं और तीन में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी फाईनल स्टेज पर है और एक की फाइनल सुनवाई २०-४-६६ पर रखी है। दूसरे के लिए रीइन्क्वायरी के लिए आदेश दिए हैं और तीसरे में कलेक्टर ने जानकारी चाही है।

श्री उपाध्यक्ष : I will repeat the questions.

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

जयपुर–पिलानी मार्ग का राष्ट्रीयकरण

६८६. **श्री मोहर्रासह** (चुरू) [**श्रीमती सुमित्रा** (भुन्भूनू) द्वारा पूछा गया] : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) जयपुर से पिलानी मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जावेगा ?

(२) क्या इस विषय में सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) :

(१) अभी सन् १९६७ तक इस मार्ग के राष्ट्रीय करण करने की कोई योजना निगम ने तैयार नहीं की है ।

(२) अभी तक कोई योजना नहीं है । आगे आने वाले वर्षों में राष्ट्रीयकृत किये जाने वाले मार्गों की सूची निगम तैयार कर रहा है । सूची तैयार होने पर ही आगे की योजना के बारे में यह बताया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जेठमल बरवड ।

कोला डूंगरी विदीयाद सड़क

६८७. श्री **जेठमल बरवड़** (परबतसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ७ वर्ष पहले माइन्स डिपार्टमेन्ट ने मकराना से कोला डूंगरी होती हुई विदीयाद रेलवे स्टेशन तक डामर रोड़ बनाई थी ?

(२) क्या यह सही है कि कोला डूंगरी से विदीयाद स्टेशन तक जो सड़क बनी उसमें किसानों के खेत सड़क में आ गये लेकिन किसानों के खेतों का मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि विदीयाद ग्राम के किसानों ने कई प्रार्थना-पत्र सरकार को दिये परन्तु सरकार ने आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया और न उनके खेत सड़क में चले गये उनकी बीगोडी (लैंड रेवेन्यू) भी कम की ? यदि हां, तो उपरोक्त किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां ।

(२) जी हां, राजस्व विभाग से ५१९. २३ रुपये का अवार्ड प्राप्त हो गया है । चैक भिजवाया जा रहा है ।

(३) किसानों के प्रार्थना-पत्रों के विषय में इस विभाग को जानकारी नहीं है । मुआवजा दिया जाना शेष है । खेतों की बीगोड़ी कमी का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है । मुआवजा भुगतान के लिये चैक राजस्व विभाग को भिजवाया जा रहा है ।

श्री जेठमल बरवड़ : कब भिजवा दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : ३० मार्च को ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहर्रासह ।

भुंभुंनूं से बिसाऊ सड़क

६९२. श्री **मोहर्रासह** (चूरू) [**श्रीमती सुमित्रा** (भुंभुंनू) द्वारा पूछा गया] : क्या

Page No 22

(श्री मोहरसिंह)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि झुंझुनू से बिसाऊ सड़क बहुत टूटी फूटी हालत में है और उसमें जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं जिससे आवागमन में बाधा पड़ती है ?

(२) सरकार कब तक इसकी मरम्मत करवा देगी ?

(३) क्या इस सड़क पर टीबों के कारण चार महीने गर्मी के मौसम में रेत चढ़ जाती है और इससे भी आवागमन रुकती है ? इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कब तक कर सकेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) झुंझुनू-बिसाऊ सड़क के कुछ मीलों में कहीं २ गड्ढे हो गये हैं जिससे आवागमन में थोड़ी कठिनाई होती है ।

(२) गड्ढों की मरम्मत चालू वर्ष में कर दी जावेगी ।

(३) जी हां, अधिक आंधी आने पर सड़क पर रेत आजाती है, जिससे यातायात को कठिनाई होती है । रेतीला क्षेत्र होने के कारण व्यवस्था सम्भव नहीं है ।

श्री किशनसिंह बाटड (लक्ष्मणगढ़) : आंधी हमेशा ही उड़ेगी तो सड़क भी हमेशा उड़ती रहेगी क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : रेगिस्तान के आप भी रहने वाले हैं और मैं भी रहने वाला हूं । रेगिस्तान में इसकी रुकावट हो तो यह तब ही संभव है जब तक ऐसी योजना नहीं बन जाय और हरियाली नहीं हो जाय तब तक आंधी आती रहती है और रेत हटाने का काम होता रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए :

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चम्बल नदी पर पुल

६७६. **महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मंडरायल के पास चम्बल नदी पर ढोलों का पुल (पौन्टून-ब्रिज) बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से लिखा पढ़ी की गई है ?

(२) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार का क्या उत्तर प्राप्त हुआ तथा राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) मध्य प्रदेश सरकार ने अर्थाभाव के कारण करौली, मंडरायल, मांगरोल मार्ग पर पौन्टून पुलों के निर्माण कार्यों को तृतिय योजना में सम्मिलित करने में असमर्थता प्रकट की थी तथा इन पर चतुर्थ योजना में विचार करने को लिखा है ।

चूरू जिले के लिए चिकित्सा व्यवस्था

६८२. **श्री रावतराम** (सादूलपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रावतराम)

(१) तीसरी पंच साला योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कुल कितनी नई डिस्पेन्सरी खोली गई हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) किसी जगह नई डिस्पेन्सरी खोलने का क्या आधार है ?

(३) क्या सरकार यह महसूस करती है कि जिला चूरू एक डेजर्ट एरिया है और वहां पर आबाद गांव जो शहरों से दूर दूर हैं, वहां के निवासियों को चिकित्सा सुविधा नहीं के बराबर मिलती है ? यदि हां, तो सरकार चौथी पंचसाला योजना में इस जिले के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) इस योजना काल में खोले गये चिकित्सालय २५ हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) चिकित्सालय (डिस्पेन्सरी) खोलने के निम्नलिखित आधार हैं :—

(१) जिस स्थान की आबादी जनगणना १९६१ के आधार पर ३००० या इससे अधिक हो।

(२) जिस स्थान पर चिकित्सालय (डिस्पेन्सरी) खोले गये हैं, उस स्थान के ५ से १० मील के क्षेत्र में कोई चिकित्सा सुविधा (एलोपैथिक या आयुर्वेदिक) न हो।

(३) उपरोक्त दोनों आधारों के साथ यदि डिस्पेन्सरी का भवन भी प्राप्त हो तो उस स्थान को प्राथमिकता दी जावेगी।

(४) जिला चूरू में भी चौथी पंचवर्षीय योजना में और जिलों की तरह डिस्पेन्सरी इत्यादि खोलने की पॉलिसी सामान्य रूप से काम में लाई जायेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मैक्सीकन गेहूँ का प्रयोग

६६५. महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कृषि विभाग ने मैक्सीकन गेहूं के बीज का प्रयोग कहीं किया है ?

(२) यदि हां, तो कहां ? और इसकी उपज की परिणाम रिपोर्ट क्या है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) राजस्थान के कोटा, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, पाली और सवाई-माधोपुर क्षेत्रों में इस बीज का प्रयोग किया है। फसल देखने में अच्छी है। लेकिन फसल काटी नहीं गई है अत: पैदावार के परिणाम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता कि इसकी बाली लम्बी है, फूट भी अधिक है, दाना भी लाल रंग का है तथा इसकी फसल आंधी में भी नहीं झड़ती है।

अतारांकित प्रश्नोतर

धौलपुर से पोकरन स्टेट हाई-वे

१३९. **महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धौलपुर से पोकरन स्टेट हाईवे नं० २ के निर्माण की कोई योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो इस सड़क की कुल माईलेज क्या होगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) ४३० मील होगी।

राज्य को नियंत्रित औद्योगिक मैटीरियल

१४०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान राज्य को विभिन्न नियंत्रित औद्योगिक मैटीरियल प्रतिवर्ष कितना २ केन्द्रीय सरकार से एलॉट होता है ?

उत्तर

१९६५-६६ में जो नियंत्रित औद्योगिक मैटीरियल राजस्थान को दूसरे प्रदेशों की तुलना में मिला उनकी सूचियां संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा जिले के अकाल-ग्रस्त ग्राम

१४१ **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले की किस २ तहसील में कितने कितने ग्राम अकाल ग्रस्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और उनको राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

कोटा जिले की सब तहसील इन्द्रगढ़ के ३० गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं, जिनकी लगान की वसूली ३०-९-६६ तक स्थगित कर दी गई है। सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डूंगरपुर जिले के अकालग्रस्त ग्राम

१४२. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर-सु०) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

डूंगरपुर जिले में सन् १९६४-६५ में कितने गांव अकाल ग्रस्त रहे ?

उत्तर

डूंगरपुर जिले में सन् ६४-६५ में खरीफ व रबी में क्रमशः ५४७ व ९६ गांव अभावग्रस्त थे।

ग्राम आनन्दपुर कालू को बिजली

१४३. **श्री मांगीलाल रिणवा** (रायपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 25

(श्री मांगीलाल रिणवा)

क्या यह सही है कि ग्राम आनन्दपुर कालू, जिला पाली की जनसंख्या ५,००० से कहीं ज्यादा है ? यदि हां, तो वहां बिजली क्यों नहीं दी गई है तथा अब कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां । अर्थाभाव के कारण यह अभी तक किसी भी योजना में शामिल नहीं हो सका है ।

(११.५५ म. पू.)

राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा भूख-हड़ताल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : कुछ स्थगन प्रस्ताव हैं । राजस्थान शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष श्री सदाशिव व्यास की भूख—हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें श्री भैरोंसिंह, श्री विजयसिंह झाला, श्री राधाकृष्ण गोयल तथा श्री जयनारायण सालोदिया द्वारा दी गई हैं । ये प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की आज की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जा कर इन पर विचार किया जाय, अतः मैं इसको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु आज या सोमवार को वक्तव्य दिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सरकार क्या कर रही है ?

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान के शिक्षक संघ के कुछ शिक्षकों ने भूख—हड़ताल रख रखी है उसके सम्बन्ध में सरकार को क्या कहना है ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : शिक्षा का तो डिब्बा ही गोल है ।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : नैक्स्ट वर्किंग डे पर दे देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : नैक्स्ट वर्किंग डे का तो मतलब सोमवार नहीं होता है ।

श्री मथुरादास माथुर : नैक्स्ट वर्किंग डे तो सोमवार ही आवेगा ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह एडजोर्नमेंट मोशन आज से चार दिन पहले दिया गया था और हर रोज किसी न किसी माननीय सदस्य की ओर से इसी विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाता है । दुर्भाग्य यह है कि जिस दिन स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है उस दिन इसकी उनको सूचना थी । एक व्यक्ति भूखहड़ताल पर बैठा है । दिन—ब—दिन भूखहड़तालियों की संख्या बढ़ती जा रही है । न केवल जयपुर में, बाकी जिलों में भी भूख हड़तालियों की संख्या बढ़ती जा रही है; उनके वेतन और बाकी समस्याओं के संबंध में सरकार से कई बार आग्रह कर चुके हैं, और मांग कर रहे हैं कि उनकी उन समस्याओं का समाधान किया जाय । आज सरकार यह कहती है कि परसों वर्किंग डे पर जवाब देंगे । आपका स्टेटमेन्ट परसों आवेगा, आज जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं उनकी

(श्री भैरोंसिंह)

मांगों के औचित्य को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उन सब की स्थिति को देखते हुए इससे भी अधिक लज्जा की बात नहीं हो सकती कि सरकार भूख हड़-ताल के सम्बन्ध में यह बात कह रही है कि परसों जवाब देंगे। यह सरकार किस लिये बैठी है ? किस लिए वेतन लेती है ? किस काम के लिए सरकार कहलाती है ? भूख हड़ताल के लिए भी किसी प्रकार की मानवता नहीं है, मानवता के नाते विचार कर के कह सकें कि अभी नहीं एक घंटे के बाद स्पष्टिकरण करूंगा। लेकिन पांच दिन से मौन हैं। पांच दिन पहले स्थगन प्रस्ताव रखा गया था उसी दिन एक प्रतिलिपि सम्बन्धित मंत्री महोदय को, उप-मंत्री महोदय को दी गयी, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के पास भेजी गयी। आज कहते हैं कि सरकार परसों जवाब देगी। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि मसला भूख हड़ताल का है। ऐसे मसले का प्रश्न नहीं है जिस पर आज नहीं परसों विचार किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को आदेश दें कि आज ही सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले इस पर जवाब दिया जाना चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षक संघ के तत्वाधान में जो भूख हड़ताल राजस्थान में चल रही है, उसके सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव है। माननीय उपाध्यक्षजी, प्रजातन्त्र में सरकार से ज्यादा से ज्यादा नाराजगी प्रकट करने का, अपनी वाजिब मांगों को प्रदर्शित करने का भूखहड़ताल आखरी आइटम है। लेकिन जैसा कि माननीय भैरोंसिंहजी ने बताया उन्होंने सरकार को लिखित में उनकी मांगों के सम्बन्ध में कहा, लिखा और लोगों के डेप्युटेशन मिले और अन्त में आज उन शिक्षकों को भूख हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन, मैं दुःख के साथ यह कहूँगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि भूखहड़ताल जैसी एक महान और आखिरी सीढ़ी को भी सरकार इतना सीरियसली नहीं देखती। एक तरफ लोग भूखे मरते हैं, पड़े रहते हैं, अपनी तन्दुरुस्तियों को खराब करते हैं और इसलिए सरकार उनकी बातों पर जल्दी गौर करे, दूसरी तरफ सरकार जितना वे अपनी वाजिब बातों के लिये कहते हैं, जितना जल्दी करवाने की बात करते हैं....

श्री जयकृष्ण (थानागाजी) : On a point of clarification, sir, स्थगन–प्रस्ताव मंजूर हो गया क्या, जो बहस हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन में जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार चलाया जा रहा है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं सर-कार से यह कहना चाहता हूं कि जो प्रति-निधि उनके बीच में खड़े होकर बोलते हैं, उन्होंने कभी भूखा रहकर देखा है ? कितनी पीड़ा उनको होती है ? कितनी वेदना होती है ? यह तो जो भूखा रहता है उसी को पता चल सकता है। आप इस चीज को इस तरह से मजाक के रूप में न लें।

श्री मथुरादास माथुर : आप मुझे माफ करेंगे, सात तारीख को जयपुर से आने वाले

Page No 27

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय सदस्य ने स्पीकर महोदय के पास एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था।

श्री भैरोंसिंह : सात तारीख को नहीं, ६ तारीख को दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने फाइल देखी है, सात तारीख का आपका दिया हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : दो-तीन दिन की तो झूठ बोल सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : चुप रह, बीच में बक बक करता है, बैठा नहीं रहता है।

श्री **मथुरादास माथुर** : सात तारीख को जब आपका एडजोर्नमेंट का प्रस्ताव आया उस समय तक स्पीकर महोदय की इस बारे में कोई रूलिंग नहीं थी। आज पहली दफा उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा है कि इसका जवाब आज दिया जाय या सोमवार को दिया जाय।

ऐसी सूरत के अन्दर सरकार के लिये यह कहना कि जागरूक नहीं रही भूख हड़तालियों के प्रति जागरूक नहीं, ये बात नहीं आसन से आज आदेश हुआ, हमने कहा सोमवार को इस बारे में जवाब दे दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आज सदन में शिक्षा मंत्री और उप-शिक्षा मंत्री दोनों में से कोई उपस्थित नहीं है, आपने उनको मजबूर क्यों नहीं किया कि वे सदन में उपस्थित रहें ?

श्री मथुरादास माथुर : यह कोई आवश्यक नहीं कि सभी यहां उपस्थित हों। अगर आसन द्वारा जवाब देने की आज्ञा होती तो अवश्य उपस्थित होते।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : भूख हड़ताल के बारे में स्थगन-प्रस्ताव आया हो और उसके बारे में चेयर द्वारा व्यवस्था हो, भूख-हड़ताल लगातार चल रही हो, फिर भी शिक्षा मंत्री और उप-शिक्षा मंत्री उपस्थित नहीं हों, यह बहुत ही खेदजनक बात है।

श्री मथुरादास माथुर : यह कोई जरूरी नहीं कि हर मंत्री, उप-मंत्री उपस्थित ही रहे। जिसका बिजनेस है वह हाजिर रहना चाहिये। यहां आप देख सकते हैं, काफी सदस्य नहीं हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि २४ घन्टे यहीं पर ही रहा जाय। कार्य हो तो बाहर जा सकते हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : दोनों उपस्थित नहीं हैं। तो शाम को जवाब दिलवा दिया जाय। वे जयपुर में हैं या बाहर गये हुए हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो यह बतलाइये कि शिक्षा मंत्री और उप-शिक्षा मंत्री दोनों जयपुर में हैं या जयपुर के बाहर गये हुए हैं ? अगर यहां नहीं हैं तो यह फरमा दें।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे इस बारे में पता नहीं है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप तो यह जवाब दीजिये शिक्षा मंत्री और उप-शिक्षा मंत्री यहां जयपुर में हैं या बाहर ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : Point of order sir, मुझे यह आपत्ति है कि आपने जब इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान नहीं की इसके बारे में उचित जवाब विभाग की तरफ से दे दिया जायगा : क्या मंत्री महोदय ने इस बात की आपको सूचना दी है क्या कि वे इसका जवाब ६ तारीख को देना चाहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इस भूख हड़ताल के विषय में ७ तारीख को स्थगन–प्रस्ताव आया था उसका कम से कम सरकार की तरफ से राइटिंग में जवाब जरूर आना चाहिये। क्योंकि उनको जवाब तो कभी न कभी देना ही पड़ता है। इसमें डिले करने की आवश्यता नहीं।

सरकार की इस बारे में मजबूरी समझ में आ सकती है, माननीय मंत्री अनायास उपस्थित नहीं हो सके, इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हो सके तो आज शाम तक जवाब दे दें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय अध्यक्ष ने इस सदन में यह व्यवस्था दी थी कि कोई मंत्री या उप–मंत्री इस सदन से बाहर जाय, सरकारी कार्यवश बाहर जाय, तो अध्यक्ष महोदय को उसकी सूचना देना आवश्यक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री और उप–शिक्षा मंत्री जो आज दोनों सदन में उपस्थित नहीं हैं, क्या उन्होंने आपको सूचना दी है कि वे आज सदन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे ?

श्री मानसिंह महार : कल ही की अध्यक्ष महोदय की रूलिंग है।

श्री उपाध्यक्ष : I will check it up and then I will inform you.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है कि क्या उनके बाहर जाने की सूचना आपके पास आयी है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस समय तो मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर उनकी सूचना नहीं है तो आप निन्दा करिये। सदन के द्वारा मंत्री, उप–मंत्री दोनों की निन्दा की जानी चाहिये कि वे अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के अनुसार आचरण नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : अगर ऐसी व्यवस्था दी गई है तो उनकी अवहेलना खेदजनक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लीअर अव–हेलना की गई है जो अध्यक्ष के आदेश थे उनकी।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात को मानते हुए कि सरकार के पास, मंत्रियों के पास काफी कार्य होता है, फिर भी जब आसन से इस प्रकार की व्यवस्था हो तो उसके लिए आसन को सूचित करने में हर्ज नहीं।

(१२.०५ म० प०)

अध्यक्ष–पीठ को बिना सूचना दिये जयपुर से बाहर जाने के कारण एक अशा–सकीय प्रस्ताव।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपसे यह यह पूछना चाहता हूँ कि कोई सदस्य आसन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के आदेशों की अवहेलना करता है तो क्या उसको दंड नहीं दिया जा सकता ?

उपाध्यक्ष महोदय, कल ही अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि कोई मंत्री या उप–मंत्री सरकारी कार्यवश बाहर जाते हैं तो उसकी सूचना अध्यक्ष को दी जानी चाहिये। शिक्षा मंत्री और उप-मंत्री दोनों ही आज यहां पर नहीं हैं और उनके बाहर जाने की सूचना भी अध्यक्ष महोदय के पास नहीं आयी है। ऐसी हालत में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करते हैं उनको सस्पेन्ड किया जाता है, शेष सत्र के लिये निष्कासित कर दिया जाता है। जब माननीय मंत्रियों द्वारा अध्यक्ष के आदेशों की अवहलेना हो तो फिर सदन की परम्पराओं का कहां सवाल रहता है ? इसका असर दूसरे सदस्यों पर भी पड़ता है। आखिर इसका इलाज सोचना चाहिये। मैं इसके लिये सुझाव देता हूं कि उप-मंत्री और मंत्री दोनों को शेष सत्र के लिये यानि ९ से १४ तारीख तक या जब तक यह सदन चले तब तक के लिये सदन से निष्कासित कर दिया जाय। श्री वृजसुन्दर शर्मा और श्री निरंजन-नाथ आचार्य द्वारा अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करने के कारण यह सदन उनके व्यवहार की निन्दा करता है और उनको शेष सत्र से निलम्बित किया जाता है, इस प्रकार का प्रस्ताव, मैं सदन के सामने रखता हूं।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमको तो परम्पराओं की बातें कही जाती हैं, लेकिन जो मंत्री, उप-मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं, और न उन्होंने अपनी बाहर जाने की सूचना ही अध्यक्ष महोदय को दी है, वैसी हालत में जब कभी हम किसी मंत्री या उप-मंत्री के लिये ठीक बात कहते हैं, और ऐसी बात भी कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिये फिर ऐसी बात को सदन की प्रोसीडिंग से निकालने की बात होती है। लेकिन आज मैं समझता हूं मंत्रीगण ने इस प्रकार का व्यवहार किया है जिससे चेयर के आदेशों की स्पष्ट अवहे-लना हुई है। मैं इस प्रस्ताव का कि इस सदन से इन मंत्रियों को शेष अवधि के लिये सदन से निष्कासित कर दिया जाय, का समर्थन करता हूं। आज जो लोग भूख हड़-ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी जिन्दगी का सवाल है। मैंने भी पंचायत मंत्रीजी को बीस दिन पहले नोटिस दे दिया था भूख हड़ताल का। अध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में कहा था ऐसा मत करना.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह झूठ बात है।

श्री मानसिंह महार : आप मुझे डिस्टर्ब मत करिये। यह मेरे पर सीधा अटेक है। अभी भीमसेन जी को किस प्रकार जवाब दिया, यह भी आपके सामने है। आप मत डरिये, इससे कांग्रेस में आपका अविश्वास का सवाल पैदा नहीं होगा। इस मसले की ताईद कीजिये। मंत्री और उप-मंत्री दोनों को सदन से जरूर निकालना चाहिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह दूं कल दोनों ही मंत्री, उप-मंत्री उपस्थित नहीं थे।

Page No 30

श्री मानसिंह महार : सरकार भी मौजूद नहीं थी क्या ?

एक माननीय सदस्य : कल आचार्यजी यहां पर थे ।

श्री मानसिंह महार : आप तो सरकार की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी मानते हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह कहना उचित नहीं है ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन–सु०) : यह तो चिलम भरना हुआ !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह क्या बात हुई कि जो मन में आये वह कह दें ।

श्री मानसिंह महार : यहां सदन में आये नहीं और जहां कहीं कोई बड़ा ठेका होता है तो मंत्री महोदय रातों-रात दौड़े जाते हैं, क्योंकि वह कमाई की बात है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह बिल्कुल गलत है । उपाध्यक्ष महोदय, आखिर कोई व्यवस्था तो हो ।

श्री मानसिंह महार : और सदन के अन्दर उपस्थित नहीं रहते । उपाध्यक्ष महोदय, ये बीच में मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं, मैं क्या करूं । मैं महत्वपूर्ण मामले पर बोल रहा हूँ । मंत्री महोदयों के द्वारा जो चेयर के आदेशों की अवहेलना हो रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते । हम इस आसन को इन्द्रासन मानते हैं । कल चेयर ने एक व्यवस्था दी थी और हाउस पांच बजे एडजोर्न हो गया, हालांकि वह हमारी इच्छा के विपरीत था, लेकिन क्योंकि वह चेयर का आदेश था इसलिए हमने उसे माना !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उर्वशी को मालूम नहीं है कि वह कल यहां थे नहीं ।

श्री मानसिंह महार : आप चुप रहिये ।

हम कहना चाहते हैं कि दोनो हाथों से ताली बजती है, चेयर का आदेश मिलता है तो विरोधी पक्ष आपके आदेश का पालन करने को तत्पर रहता है लेकिन सरकारी पक्ष, जिसका यह कर्त्तव्य होता है कि इधर-उधर की दौड़–भाग छोड़ कर इस सदन का कार्य सुचारु रूप से चलाये, द्वारा यह यदि आपके आदेशों की अवहेलना होती रहे तो इससे अधिक कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती । इसलिए यह प्रस्ताव मैं और मूवर दे रहे हैं और मेरा निवेदन हैं कि इसी वक्त इस सब्सटेंटिव मोशन पर बहस होकर इन दोनों मंत्रियों को सदन से निलम्बित कर दिया जाय । मैं सोचता हूं कि यह करना पड़ेगा इस सदन को ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो राय जाहिर की है, मैं समझता हूँ, कि सदन इसको गम्भीरता से ले । अध्यक्ष महोदय द्वारा कल स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया था कि कोई मंत्री बिना सूचना दिये हुए या बिना कारण बताये

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हुए सदन से अनुपस्थित नहीं रहे। इस वक्त खास तौर से राजस्थान में एक गम्भीर मसला चल रहा है जिसको लेकर इस सदन में स्थगन-प्रस्ताव लाया गया है। उसके बाद भी राजस्थान में स्थिति बिगड़ रही है और राजस्थान में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अध्यापक लोग भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस मसले की गम्भीरता को न मानते हुए जो इस सरकार के, इस विभाग के जिम्मेदार मंत्री हैं, वह सदन में उपस्थित नहीं रहें और सरकार इस स्थिति में नहीं हो कि सदन को पूरी जानकारी दे कर इस सदन को अपने पक्ष में ले, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह गम्भीर प्रश्न है और इस पर विचार करना चाहिए। और माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, माननीय मंत्री इस सदन के एक सदस्य हैं और सदन के सदस्य होने के नाते, जो अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है, उन्होंने उसकी अवहेलना की है, आदेश की अवहेलना करके अध्यक्ष का अपमान किया है। इसलिए ऐसे सदस्य को बकाया समय के लिए सदन से निष्कासित किया जाय और...

श्री **मानसिंह महार** : निकाल देवें, हमेशा के लिए निकाल देवें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सदन के द्वारा इस पर विचार करना चाहिए।

श्री **चन्दनमल वैद** : (श्रीजयनारायण सालोदिया से) उप-नेताजी बोलिये।

एक माननीय सदस्य (श्री मथुरादास माथुर की ओर संकेत कर) : वह बोल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा गया है, इसके बारे में कहने के पहले मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि कल आसन से यह कहा गया था कि कोई भी मंत्री या उप-मंत्री सदन से गैर-हाजिर रहे, तो आसन को और खास तौर पर स्पीकर महोदय को सूचना दे दिया करें। यह बात कल कही गई थी, वसे अमूमन स्पीकर महोदय को सूचना देने की प्रथा पहले भी रही है। लेकिन इसके मायने यह नहीं हैं कि आसन की आज्ञा से ही मंत्री या उप-मंत्री, या इस सदन का कोई सदस्य इस सदन से गैर-हाजिर रहे तो छुट्टी लेकर जाये। और चूंकि मंत्री महोदयों के ऊपर जवाबदारी रहती है, उनको जवाब देना पड़ता है इसलिए वह कहीं बाहर रहें तो स्पीकर महोदय को सूचना दे दिया करें। यह बात कल कही गई थी। वैसे आसन से जो कुछ कहा गया था उसका हम सब स्वागत करते हैं और मैं आसन को यह विश्वास दिलाता हूँ कि चूंकि कल यह पिछले टाइम-पी एम० में बात कही गई थी इसलिए बहुत से लोगों को इसकी सूचना नहीं है, बहुत से उसके पहले ही बाहर गये हुए थे, खास तौर से शिक्षा मंत्री....

श्री दयाचन्द सोन (बारां-मु०) : आचार्यजी यहां थे।

श्री मथुरादास माथुर : दो-तीन दिन पहले बम्बई गये थे-उनके सेक्रेटरी

(श्री मथुरादास माथुर)

का नोट आया है और उप-शिक्षा मंत्री आज सुबह गये हैं।

श्री मानसिंह मह़ार : आज क्यों गये हैं, जब कल थे और कल आदेश हो गये थे ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात सुनिये।

ऐसी सूरत में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां जो कल आसन से जो कुछ भी कहा गया उसकी हम लोग बहुत कद्र करते हैं, आसन के आदेश को मानना हर एक सदस्य का फर्ज है और हमारी कभी भी मन्शा नहीं रही है, और हो भी नहीं सकती है कि आसन के आदेश की अवहेलना की जाय। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि आसन से जो आदेश मिलते हैं उनका पूरा पालन किया जाय।

जहां तक इस एडजोर्नमेंट मोशन का सवाल है, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, कि सात तारीख को एडजोर्नमेंट मोशन की कॉपी डिप्टी मिनिस्टर एजुकेशन को मिली थी। उसके बाद में आसन की तरफ से कोई रूलिंग नहीं हुई है कि इसको एडमिट किया जायगा या नहीं किया जायगा, या इसके ऊपर गवर्नमेंट को या मिनिस्टर को जवाब देना है। यह बात आज तक नहीं कही गई है। अमूमन ऐसा होता है, इस बात को इस सदन के माननीय सदस्य मानेंगे, कि जब भी कोई एडजोर्नमेंट मोशन आते हैं, तो आसन की तरफ से बुला कर ट्रेजरी बैंचेज को या गवर्नमेंट को कह दिया जाता है कि इसका जवाब देना है और उसके लिए तारीख इन्डीकेट कर देते हैं और उसके बाद में तब जवाब दे देते हैं। लेकिन आसन की तरफ से इसका जवाब देने के लिए हमें नहीं कहा गया है। इसको मैंने चैक-अप कर लिया है। और जब कभी आसन से आदेश मिला है कि एडजोर्नमेंट मोशन पर जवाब दिया जायगा तो वह पहले कहा गया है। इसके सम्बन्ध में कल कह देते, परसों कह देते कि इस एडजोर्नमेंट मोशन का जवाब देना है तो हमेशा ही आसन के आदेश पर ट्रेजरी बैंचेज जवाब देती हैं और आसन का आदेश नहीं होता है तो नहीं देते हैं। आज आसन का आदेश मिला है कि इसका जवाब देना है, ऐसी सूरत में जो हालत मौजूद है–उस हालत के सम्बन्ध में जवाब देना है और फेक्चुअल मामले पर जवाब देना है–अगर कोई पॉलिसी का मामला होता, तो उसका जवाब दे सकते थे, लेकिन इसका जवाब देना कठिन है और नैक्स्ट वर्किंग डे पर जरूरी तौर पर सदन के सामने उत्तर रख दिया जायेगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी यह मन्शा नहीं है कि चेअर या इस सदन के माननीय सदस्य चाहते हैं तो उसका हम जवाब न दें। हम जवाब बराबर देते हैं और हमारे द्वारा

(श्री मथुरादास माथुर)

जवाब देने से हमारे को, इस सदन को भी लाभ होता है। लेकिन इसका खास तौर पर आज उत्तर दिया जाय, यह नामुमकिन है। मैं आसन से भी निवेदन करूंगा कि भविष्य में पहले हमें बता दिया जाय कि अमुक तारीख को जवाब देना है ताकि हम तैयार हो कर आ सकें।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अभी कुछ इस प्रकार के सिद्धान्त बता दिये जो इस विधान सभा की व्यवस्था और नियमावली-दोनों के विपरीत हैं। आपने यह बताया कि एडजोर्नमेंट मोशन सात तारीख को सदन में मूव किया गया और उसकी सूचना सात तारीख को सरकार को मिली है, लेकिन आसन की तरफ से इस बात का आदेश नहीं मिला कि इसका जवाब देना है........

श्री **मथुरादास माथुर** : कब देना है ?

श्री भैरोंसिह : आप मान कर चलिये कि यहां पर एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया जाता है, उस एडजोर्नमेंट मोशन की एडमिसिबिलिटी के लिए कि इसको स्वीकार किया जाय या न किया जाय, आसन हमेशा सरकार से उसे एडमिट करना है या एडमिट नहीं करना है– इसकी जानकारी करती है। इसको करने के लिए एडजोर्नमेंट मोशन की कॉपी भी उसको दी जाती है और जब सरकार का उत्तर आता है तो उसके ऊपर आसन निर्णय करता है कि इस एडजोर्नमेंट मोशन को स्वीकार किया जाय या न किया जाय, या उस एडजोर्नमेंट मोशन को सदन में पढ़कर सुनाया जाय या पढ़ कर नहीं सुनाया जाय, या उस एडजोर्नमेंट मोशन पर सरकार से उत्तर सदन में दिलाया जाय या नहीं दिया जाय–इन तीनों बातों का निर्णय सरकार का उत्तर आने के बाद आसन अक्सर किया करता है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया जाता है वह उस दिन की सदन की कार्यवाही को पूर्णतया एडजोर्न करने के लिए किया जाता है जिस दिन वह एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया गया है। अब यदि यह सात तारीख को मूव किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि सात तारीख की विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जा कर इस प्रश्न को प्राथमिकता दी जाय और उसके ऊपर विचार किया जाय। लेकिन आसन ने सरकार को एडजस्ट करने की गरज से, सरकार पूर्ण उत्तर दे सके इस एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर–इसके लिए दो दिन तक सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा में रहा, तो मैं समझता हूं कि सरकार को अपने आप पहले इस पर उत्तर लाया जाना चाहिए था जब कि आसन से एडजोर्नमेंट मोशन की कॉपी सरकार को दे दी गई थी, दो–तीन दिन तक सरकार की ओर से विधान सभा कार्यालय को या विधान सभा के अध्यक्ष महोदय के पास उत्तर नहीं आया है। माननीय मंत्री महोदय,

Page No 34

(श्री मथुरादास माथुर)

जो पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स के अपने आपको काफी माहिर मानते हैं, वे यह बात किस प्रकार से कह गये—मुझे ताज्जुब होता है, जब कि उनको यह महसूस करके चलना चाहिए था कि एडजोर्नमेंट मोशन का जवाब नहीं मांगा जाता है बल्कि सरकार को आगे बढ़ कर जवाब देने की स्थिति में रहना पड़ता है। तो सरकार से उत्तर तीन दिन तक अध्यक्ष महोदय के पास नहीं आये इससे आसन के आदेश की उसने अवहेलना की है।

दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार जागरूक कितनी है ! माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अध्यक्ष महोदय ने कल रूलिंग दी थी उस समय कुछ मंत्री सदन में नहीं थे। तो कल की आड़ लेकर जो वह बचने की कोशिश कर रहे हैं उससे वह किसी नई विधान सभा के सदस्य को तो मुगालता दे सकते हैं लेकिन हमें नहीं दे सकते क्योंकि यह एक स्टेन्डिंग व्यवस्था है। इस व्यवस्था के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कई बार इस सदन में कहा है और कई बार माननीय मंत्रियों को उलाहना दिया गया है, कई बार अध्यक्ष महोदय ने मुख्य मंत्री को और कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक को सचेत किया है। फिर भी यह बहाना लिया जाय कि कल शिक्षा मंत्री नहीं थे या उप-शिक्षा मंत्री नहीं थे इसलिए हम जवाब नहीं दे सकते; वह यह बात कह नहीं सकते कि कल जो व्यवस्था दी गई उसकी जानकारी उनको मिली या नहीं, कि वह यहां उपस्थित रहें या नहीं रहें। माननीय मंत्री जी ने अपने बचाव की दृष्टि से यह एक बात कह दी कि मंत्री महोदय अनुपस्थित रहें तो उसकी सूचना पहले से देते आ रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि उनके सब-कॉन्शयस माइन्ड में गिल्टी कॉन्सेस थी। वसे यह अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था या रूलिंग की बात पुरानी है, कोई आज की नहीं है और पुरानी होने के कारण सूचना के तौर पर, अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखते आ रहे हैं कि अमुक अमुक तारीख को मैं सदन में उपस्थित नहीं रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमारी सरकार के जिस समय मंत्री सदन में बैठे नहीं होते हैं, तो हम कई प्रकार के प्रश्न उठाते हैं और सरकार से कहते हैं कि इस समय राजस्व विभाग की मांग पर चर्चा चल रही है, अकाल की मांग पर चर्चा हो रही है और इस समय मंत्री उस विभाग के है नहीं, या उप-मंत्री उस विभाग के हैं नहीं तो माननीय माथुर साहब खड़े होकर कह देते हैं कि यह तो हमारी रेस्पोन्सिबिलिटी है, कोई विभाग के मंत्री और उप-मंत्री भले ही नहीं हों, यह तो सरकारी पक्ष का बोलने का काम जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी का है। इस सदन में कमला बेनीवाल नहीं हो तो माथुर साहब कमला बेनीवाल का रौल अदा कर देते हैं........

श्री मानसिंह महार : कमला बेनीवाल बन जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कुम्भारामजी नहीं हों, तो माथुर साहब कुम्भारामजी का पार्ट अदा कर सकते हैं। तो उस समय तो वह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी की बात करते हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन वह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी की बात आज कहां गई ? अब कहते हैं कि इसमें फेक्ट्स का सवाल है।

आप शिक्षा विभाग से पूछिये कि जिस शिक्षा विभाग के पास तीन दिन पहले इस एडजोर्नमेंट मोशन की कॉपी पहुंच गई तो उसने मंत्री महोदय के पास उसका उत्तर भेजा है या नहीं। अब मंत्री महोदय के पास कोई उत्तर या सूचना पहुंची नहीं है, अध्यक्ष महोदय के पास कोई उत्तर या सूचना आई नहीं है। फिर भी सरकार कहती है कि मंत्री महोदय कल चले गये। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मौका है इस सदन को इन मंत्रियों को कन्डेम करने का, यह मौका है इस सदन को इन मंत्रियों की निंदा करने का। यदि एक बार मंत्रियों की निन्दा की और सदन से निष्कासित करने के प्रश्न पर इस सदन में विचार किया और उस पर कोई निर्णय लिया तो यह ट्रेजरी बेन्चेज भरी हुई रहेंगी। हम मंत्रियों को तनख्वाह देते हैं, हम उनसे कोई मुफ्त में बेगार नहीं लेते हैं। जो बाकी के सरकारी कर्मचारी कम वेतन के ऊपर काम करते हैं—उस तरह यह मंत्री अल्प-वैतनिक कर्मचारी नहीं हैं, आप चपरासी नहीं हैं, जिसको बहुत कम वेतन मिलता है, आप कैजुअल लेबर नहीं हैं, जिसको सुबह से शाम तक काम करने पर बहुत कम वेतन मिलता है। हम आपको पैसा देते हैं, पन्द्रह सौ रुपये देते हैं, उसके साथ मोटर देते हैं और मोटर के साथ चपरासी देते हैं, पी० ए० देते हैं और पी० ए० भी जिस प्रकार का पी० ए० चाहिए उस प्रकार का पी० ए० देते हैं, यह सारी सहूलियतें हम देते हैं और फिर भी मंत्री महोदय इस सदन में आने में संकोच करें—यह बड़े अफसोस की बात है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने जमाने की एक हिस्टोरिकल रूलिंग देकर मंत्रियों को पुल-अप करके बता दें ताकि मंत्रियों को यह मालूम हो जाय कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय कमजोर नहीं हैं, और ट्रेजरी बैंचेज को पुल-अप कर सकते हैं।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। मैं यह समझता हूं कि जब हम ट्रेजरी बेंचेज को खाली देखते हैं और हम कोई बात कहते हैं......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order....

श्री मानसिंह महार : यह डिसऑर्डर हो सकता है, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है, ज्वालाप्रसाद जी !

मैं कह दूं.......

श्री भैरोंसिंह : यह मालूम पड़ गया है कि आप आ गये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि इस मसले.... ...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आज जल्दी आ गये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस मसले पर कितनी मर्तबा बोल सकते हैं ? यह रूलिंग दे दें । इस मसले पर एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा कितनी दफा बोल सकते हैं ?

श्री मानसिंह महार : कौनसा मसला है ? यह अभी आये हैं । यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं, पोइन्ट ऑफ डिसऑर्डर है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पहले ही आ गया था और मैंने उर्वशी की स्पीच सुनी थी ।

श्री भैरोंसिंह : इनको मुगालता हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर डिबेट शुरू हो गयी है ।

श्री मानसिंह महार : यह हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को जाने दीजिये ।

मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे माथुर साहब कभी मुख्य-मंत्री का चोला पहन लेते हैं, कभी कुम्भारामजी का चोला पहन लेते हैं और कभी कमला बेनीवाल का चोला पहिन लेते हैं ....

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : मंत्रियों का तो चोला होता है, लेकिन महिला मंत्री का चोला नहीं चोली होती है ।

श्री मानसिंह महार : कभी कमला बेनीवाल की चोली पहिन लेते हैं.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चोली तो आप पहिनते हैं ।

श्री मानसिंह महार : मुझे कहना है, उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई बात पर्टीक्यूलर किसी मिनिस्टर से सम्बन्धित रखते हैं तो माथुर साहब कहते है कि जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है और वह सबका जवाब दे देते हैं । लेकिन कहीं पकड़ में आनेवाली बात होती है तो कहते हैं मंत्री हैं नहीं, मंत्री गायब हैं । इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जब स्पीकर रूलिंग दे रहे होते हैं, तो एक बार नहीं अनेक बार आप इस चीज को पार्लियामेंट में देख चुके हैं या नहीं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप देख चुके हैं आसन जब अपने पैरों पर होता है तो मंत्रियों को सदन से उठ कर बाहर नहीं जाना चाहिए, when the chair is on its legs, तो मंत्रियों को नहीं जाना चाहिए । सदस्य तो बाहर कभी जाते नहीं है, ऐसी गलती वे नहीं करते ।

हाल ही में, भारत की प्रधान मंत्री ने आसन से इस बात के लिए माफी भी मांगी है । लेकिन आपके मंत्रियों को देखिये, जब चेयर व्यवस्था देती है तो उठ उठ कर भाग जाते हैं । यह आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास है । मैं निवेदन करूंगा, आपको इतनी मोटी तनख्वाह दी जाती है, इतनी सुविधायें दी जाती है-इतना सब कुछ होता है और वह भी काबलियत पर नहीं । माथुर साहब को भी डेढ़ हजार मिलते हैं और आपके साथी जो अनपढ़ हैं उनको भी डेढ़ हजार मिलते हैं । अगर उनको डेढ़ सौ रुपये चपरासी के बराबर मिलें तो हम मानें कि यह लो-पेड आदमी हैं, यह समझता नहीं है । आपके यहां तो खल और गुड़ एक भाव है । आपके यहां चाहे कोई मन्त्री अंगूठा-छाप हो, नासमझ हो, या जैसे माथुर साहब हैं, जो झूठ बोलने में

(श्री मानसिंह महार)

माहिर हैं और सदन को बहकावे में डालने में माहिर हैं–उनको भी वही तनख्वाह देते हैं और आपको भी वही तनख्वाह देते हैं। इस बात को देखते हुए, मैं समझता हूँ, कि आज जो हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर का व्यवहार है वह अत्यन्त निन्दनीय है, अत्यन्त निन्दनीय है। अगर सदन के विरोधी पक्ष से यह चाहते हैं कि पार्लियामेन्ट्री डिकोरम मेन्टेन करें, हम डेमोक्रेसी को देश में जिन्दा रखें तो आपको हम लोगों को एग्जाम्पल देनी चाहिये। कल स्पीकर महोदय ने रूलिंग दी। पहले की रूलिंग्स को आप जाने दीजिए लेकिन इसको उठाइये तो वह मंत्री आज गायब हैं जो कल यहां पर मौजूद थे और आज गायब हैं तो आप बड़े प्रेम से कहते हैं कि डिप्टी होम मिनिस्टर आज सुबह गये हैं, क्यों नहीं टूर पर जायेंगे वह, लेकिन यह बतायें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां गए हैं ?

श्री मानसिंह महार : कहां गए हैं, ऐसा क्या काम था, क्या बहुत जरूरी काम था ? क्यों गए हैं, कब गए हैं, किस तरह गये हैं ? इस बात की सूचना दीजिए इस सदन को....

श्री भैरोंसिंह : यह भी बतलायें किस को साथ लेकर गये हैं ?

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय की इस प्रकार अवहेलना करें और वह किसी जगह 'उद्घाटन-भाषण-चाटन' के लिए होंगे, हम नहीं चाहते कि कोई मन्त्री 'उद्घाटन-भाषण-चाटन के लिए जायें। आप कोई ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'उद्घाटन-भाषण-चाटन' के लिए कोई मिनिस्टर रख दें।

श्री मानसिंह महार : नहीं, मिनिस्टर काहे को रख दें। एक चपरासी की ड्यूटी रख दें वह 'उद्घाटन–चाटन' दिया करेगा। यह मंत्रियों का काम नहीं है। और आपको यदि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव को ही करना है तो आइडियल नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, उनको 'उद्घाटन–चाटन', के लिए कह दें, इससे इस सदन में अनपार्लियामेन्ट्री काम भी कम होंगे और उनको भी 'उद्घाटन–चाटन' के लिए मौका मिल जायगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह गम्भीर मसला है, इस पर हमें सोचना है। यह क्या बात हुई कि कल रूलिंग हुई सदन में और आज गायब ! इसी सदन में हम लोगों पर तो इतना हो कि नौ नौ आदमियों को निकाल दिया जाय, पूरे के पूरे समय के लिए। इस पक्ष पर इतना दबाव और जब सरकारी पक्ष की बात आये तो इस पर कहें कि जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। आज राजस्थान में लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहें, लोग मरते रहें और यहां पर माथुर साहब सब विभागों के सर्वेसर्वा हो रहे हैं, वह यह कहें कि हमें मालूम नहीं है। फिर आप यहां क्यों पधारे हुए हैं ? आप भी पधार जाइये। क्या जरूरत है आपकी ? हम बिना ट्रेज़री बेंचेज़ के सदन का काम चला लेंगे। आप यह कर लीजिये, सदन में फिर खूब 'चाटन–उद्घाटन' करें। यह क्या बात है कि कोई बात का जवाब मांगा जाय, तो अध्यक्ष महोदय के आदेश की भी अवहेलना करें, और कोई लोग रीज़नेबल बात करें तो उसको नहीं सुनें। हमारे ही पेड आदमी हैं,

Page No 38

(श्री मानसिंह महार)

हमारे ही आप लोग बनाये हुए हैं और उस पर भी इस प्रकार हमारी अवहेलना करें—तो आप इस सदन में बैठ नहीं सकते हैं, यहां बैठने के आप योग्य नहीं हैं। यह एक शुभ शुरुआत आज हम कर रहे हैं। हम श्री निरंजननाथ आचार्य को और श्री बृजसुन्दर शर्मा को इस सदन से चार दिन के लिए निष्कासित करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी जो प्रश्न उठाया गया है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : Order please. इस पर कोई डिवेट की आवश्यकता नहीं है।

यह प्रश्न उठाया है गवर्नमेंट के मंत्रियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के विषय में, इस विषय में एक सब्सटेंटिव मोशन भी पेश किया है और एक प्रिविलेज मोशन भी, लेकिन नियमों के अनुसार वह बैठक के पहले होना चाहिए और बिजनेस........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सैकण्ड !

श्री उपाध्यक्ष : बिजनेस चल सके इसलिए....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सैकण्ड, इससे पहले कि आप व्यवस्था दें........

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के बीच में न बोलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यवस्था देने से पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन दो माननीय सदस्यों के खिलाफ मोशन है, वे आज उपस्थित नहीं हैं। पिछली बार जब बारह माननीय सदस्यों के खिलाफ इस सदन में मोशन आया था निष्कासित करने का उस समय तीन सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे, उनको अपोर्चुनिटी—कि उनको इस सम्बन्ध में क्या स्पष्टीकरण देना है, हीयरिंग की देना जरूरी थी, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह बारह माननीय सदस्यों को निष्कासित करने का सवाल आया था उस समय उसमें से तीन सदस्यों को निकाल दिया था, उसी तरह से यह एक सब्सटेंटिव मोशन दो सदस्यों के खिलाफ है उनको इस सम्बन्ध में क्या कहना है! यह जो एक सब्सटेंटिव मोशन श्री बृजसुन्दर शर्मा और निरंजननाथ आचार्य को निष्कासित करने के लिए दिया गया है, यह हो जाता है तो इसके सम्बन्ध में वह एक टैक्निकल ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और उनकी जो रिट जायगी हाई कोर्ट में वह प्रिन्सिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर एडमिट हो जायगी कि उनको हीयरिंग का मौका नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि आज नहीं जिस दिन वह हाउस में मौजूद हों, उनकी उपस्थिति के समय निर्णय दिया जाय ताकि उनको कहने का मौका मिल जाय और फिर कोई निर्णय लिया जाय। इसलिए आज इस पर व्यवस्था नहीं दे सकते !

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरे मैंने एक विशेषाधिकार-प्रस्ताव दिया है दो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मंत्रियों के खिलाफ कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय के आदेशों की अवहेलना की है, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय का अपमान किया है और अध्यक्ष महोदय का अपमान करने के साथ ही सदन का अपमान किया है क्योंकि अध्यक्ष महोदय की प्रतिष्ठा को गिराया है और सदन की प्रतिष्ठा को गिराया है, इस लिए दोनों मंत्री महोदय का व्यवहार इस सदन की प्रतिष्ठा और परम्परा के प्रतिकूल है और इसलिए इस सम्बन्ध में उनको दण्ड दिया जाय और दण्ड देने की दृष्टि से उनके सारे व्यवहार और कदम की जानकारी विशेषाधिकार समिति को भेज दी जाय। वैसे एक मोशन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मैंने मूव कर दिया है–इसके ऊपर वह विचार कर लें।

इन दोनों प्रस्तावों पर आप दिन में रूल्स के आधार पर विचार कर लें और उसके बाद में मौका दें। आज विचार करने की जरूरत नहीं है और आगे जो आज का बिजनेस है उसको ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : बात यह है कि इन दोनों को उक्त कारणवश नहीं लिया जा सकता और इसलिए मैं इन्हें अस्वीकार करता हूँ।

(१२.३१ म० प०)

प्रतिवेदन का उपस्थापन

(क) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री भीमसेन (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : उपस्थापित हुआ।

(ख) राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य में मुद्रांक तथा मुद्रांक–शुल्क सम्बन्धी विधियों को समेकित और संशोधित करने हेतु विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उपस्थापित हुआ।

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

(पुरःस्थापित)

श्री भीमसिंह (उप–मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६२ में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(माननीय सदस्य, श्री जयसिंह के सदन में आगमन पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कहां हैं दामोदरजी ?

श्री मानसिंह महार : दामोदरजी भाग गए कहीं, देख कर ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने देखा नहीं महाराजकुमार श्री जयसिंहजी आ गये हैं ।

(१२. ३३ म. प.)

जयपुर में आदर्शनगर इत्यादि सड़कों की मरम्मत न होने विषयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत आदर्शनगर, राजापार्क, गुरूनानकपुरा, आदि बस्तियों की सड़कों की मरम्मत न किये जाने की ओर सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के पिछले सत्र में मैंने इसी प्रकार का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और मेरे उस प्रस्ताव के उत्तर में राज्य सरकार ने सरकारी स्तर पर एक निर्णय लेकर आदर्शनगर, राजापार्क और गुरूनानकपुरा की जितनी सड़कें थीं उन सड़कों की मरम्मत का काम म्युनिसपैल्टी के जिम्मे सौंपा था । लेकिन वह सारी भी रोड्स की रिपेयर का काम करने की जिम्मेदारी सरकारी आदेश में पी.डब्ल्यू.डी. ने अपने ऊपर ली थी । उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि मैं इस सदन में सवाल को अनेक वर्षों से उठाता आया हूं ।

सौभाग्य से पिछली बार सरकार ने इस प्रकार का उत्तर दिया जब कम से कम इस का निर्धारण किया जा सका कि आखिर जो आदर्शनगर, राजापार्क और गुरूनानकपुरा, आदि इलाके की सड़कों की जिम्मेदारी किस के ऊपर है । उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस इलाके का यह था कि पिछले कई वर्षों से सन् ४७ के बाद जब हिन्दुस्तान व पाकिस्तान बना और हिन्दुस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप जब अनेक पुरुषार्थी भाई हिन्दुस्तान में आये और उस सिलसिले में जब वह पुरुषार्थी भाई जयपुर में आये तो जयपुर में उनके पुनर्वास के सिलसिले में इन बस्तियों में बसाया गया, जहां रेत के बड़े बड़े टीले थे, जहां विकास की कोई योजना नहीं थी, जहां इन्सान तो क्या जानवर भी नहीं रहते होंगे, श्मशान के पास का इलाका जो कि ऊंचे २ रेत के टीले और अनउपजाऊ भूमि–उबड़–खाबड़ दरें उन स्थानों पर हमारे पुरुषार्थी भाइयों को जिन्होंने आजादी की कीमत अपना खून देकर चुकाई थी, दुर्भाग्य से उनको सरकार ने उस इलाके में बसाया । उपाध्यक्ष महोदय, उन भाइयों ने आकर वह वास्तव में पुरुषार्थी थे, उन्होंने अपने पुरुषार्थ को प्रकट किया और रेत के टीलों को समतल किया, जमीन को एकसा किया, वहां सड़कों का निर्माण किया और वहां पर ऐसे ऐसे शानदार बंगले और मकान बनाये कि उस नगरी का नाम जैसी उस नगरी का है वह आदर्श–नगरी नहीं रही वलिक पिछले दस बारह वर्षों में राज्य सरकार की कुनितियों के कारण,

Page No 41

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकार की जिस प्रकार की व्यवस्था रही है उसके कारण, सरकार के प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण वह आदर्शनगर का इलाका और वहां की सड़कें टूटती गईं, पानी भरता रहा, नालियां टूटती गईं, सड़कें बनी नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, नालियों की व्यव- नहीं, नतीजा यह हुआ कि आदर्शनगर के इलाके में जिन पुरुषार्थी भाइयों ने लाखों रूपये लगाकर शानदार मकान बनाये थे, एक इस प्रकार की भव्य निर्माण योजना बनाई थी उस सारी नगरी मे नरककुण्ड बन गया। पानी के, उपाध्यक्ष महोदय, पानी के कुण्ड भरे हुए हैं, सड़कों पर पानी बह रहा है, साईकिले चल नहीं सकतीं, मोटरें चल नहीं सकती, स्कूटरे चल नहीं सकते, लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत में मैंने पिछले सत्र में भी इसी सदन में ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव दिया था और मैंने जानना चाहा था कि इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? यहां पर आदर्शनगर के निवासियों का बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ था, सरकार को मेमोरेन्डम दिया। दो साल पहले दिया, ६४ में दिया और सरकार ने कहा कि हम जांच करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि आदर्शनगर के सिलसिले में सबसे पहला सवाल यह था कि सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी किस पर है? अगर कोई आदमी रिहेबीलिटेशन डिपार्टमेंट में जाये तो वह कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कोई पी० डब्ल्यू० डी० में जाये तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जाये तो वहां के लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, कोई म्युनिसिपेलटी में जाये तो वहां के लोग कह देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इन चारों डिपार्टमेंट के बीच में आदर्शनगर की समस्या लुढ़कती रही, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं बना। अंततोगत्वा मजबूर होकर एक बड़ा भारी प्रदर्शन इस सदन के सामने किया गया। मैंने भी इस सवाल को बड़े जोर-शोर से सदन में उठाया। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने अपने विभाग की मीटिंग बुलाई क्योंकि यह सरकार बिना प्रदर्शन के कोई काम करती नहीं, मुझे खुशी है है कि आपने उस मसले को तय किया कि सड़कों की जिम्मेदारी किसकी है। आपने पिछले साल सदन में वह आज्ञा प्रेषित की, सरकार ने सदन को आश्वासन दिया आदर्श-नगर की सड़कों की मरम्मत जल्दी से जल्दी करा दी जायेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आश्वासन देने के बाद भी मुझे अफसोस इस बात का है कि अध्यक्ष महोदय ने भी इस प्रकार का आदेश दिया और उन्होंने भी सरकार को कहा कि आदर्शनगर की सड़कों की हालत खराब है और उनकी तुरन्त मरम्मत होनी चाहिये, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से पूछना चाहता हूँ, स्वायत्त शासन मन्त्री से पूछना चाहता हूं और इन दोनों के पास में बैठे हुए मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में १३ तारीख को चुने हुए उप-नेता श्री मथुरादासजी माथुर से पूछना चाहता हू कि आदर्शनगर की सड़कों के सम्बन्ध में सरकार ने जो आदेश जारी किए, जो सरकार ने आश्वासन दिया, अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये, उनका पालन क्यों नहीं हुआ, आपने कितना रुपया उसके बाद में सड़कों की मरम्मत के लिए खर्च किया, पी. डब्ल्यू. डी. ने किन सड़कों की मरम्मत

Page No 42

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कराई, म्युनिसिपेलिटी ने कितना पैसा खर्च किया और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कितना किया ? सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं हुई ? कौन उसके लिए जिम्मेदार है ? और अगर कोई जिम्मेदार है तो उसे माननीय मन्त्री सदन में पेश करें।

मैं जानना चाहता हूँ कि आदर्शनगर के अन्दर कुल सड़कों पर कितना पैसा खर्च हुआ है, कौनसी सड़कों की मरम्मत हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई और कौन उसके लिए जिम्मेदार है ? कब तक वह मरम्मत होने वाली है और कितने पैसे की व्यवस्था सरकार ने की है ? इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर मिलने के बाद जो कुछ कहना होगा, उसको बाद में कहूँगा।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने तो साहब, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित किया है, पहले वे कुछ कहें....

श्री **उपाध्यक्ष** : सम्मिलित जिम्मेदारी तो है ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन ये किस हिसाब से बोलते हैं ? स्वायत्त शासन मंत्री यहां मौजूद हैं, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। इनका न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्ध और न पी. डब्ल्यू. डी. से सम्बन्ध है, फिर ये किस हैसियत से बोल रहे हैं ?

श्री **उपाध्यक्ष** : He is a member of the Cabinet.

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : If he is a member of the Cabinet, तो एजूकेशन के टाइम पर क्या हो गया था ? उस समय क्यों कहा था कि एजूकेशन मिनिस्टर आयें तब लिया जाय।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) : नहीं साहब, माथुर साहब को हम नहीं बोलने देंगे। माथुर साहब आप बैठ जाइए, यह नहीं हो सकता।

श्री **सतीश चंद्र अग्रवाल** : दोनों के दोनों ही बैठे हैं, इन दोनों को क्या हो गया है ? आपको क्या हो गया है ? क्या आपको कोई मौन है ; कोई कष्ट है ?....

श्री मानसिंह महार : पीड़ा हो रही है। वे बाद में बोल सकते हैं, अभी नहीं।

श्री **सतीशचंद्र अग्रवाल** : मैंने तो ध्यान आकर्षित किया है पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब का और ध्यान आकर्षित हो रहा है उनका जबरदस्ती। यह भी कोई महिला हैं जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो रहा है, आप का ध्यान आकर्षित किया ही नहीं और आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है।

श्री **उपाध्यक्ष** : Order please. मैं निवेदन करूं....

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एक का काम दूसरा करे, क्या यह ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं जो बात प्रस्तुत कर रहा हूं वह सुन लीजिये।

श्री मानसिंह महार : The Chair is on its legs.

श्री उपाध्यक्ष : जो ध्यान आकर्षित किया गया है सरकार का, तो इसमें सरकार की सम्मिलित जिम्मेवारी है। कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एजूकेशन के समय कहां मर गई थी सरकार ?

श्री उपाध्यक्ष : अगर एजूकेशन के लिए भी तैयारी थी तो उनको जवाब देना चाहिए था।

श्री मानसिंह महार : हम जानते हैं कि माथुर साहब हर विषय पर तैयार रहते हैं। उनके लिए कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर उनकी तैयारी न हो। और मंत्रियों से भी ज्यादा तैयारी रखते हैं, अब यह बात दूसरी है कि वे जवाब न देना चाहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो एवर-रैडी सैल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इतने काबिल नहीं हैं, फिर भी तारीफ कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इन कुछ बस्तियों का सम्बन्ध जिस विभाग से है, उसमें हमारे सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब इसका जवाब देने वाले थे, लेकिन वह आज सदन में उपस्थित नहीं होने के कारण यह कार्य मैं कर रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ध्यान आकर्षित किया गया है कि आदर्श-नगर, राजा पार्क, गुरुनानकपुरा आदि बस्तियों की सड़कों की मरम्मत के सिलसिले में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान पहले भी आकर्षित किया था। चूंकि इन बस्तियों की सड़कों की मरम्मत, नालियों की मरम्मत. आदि का कार्य कौनसा विभाग करे, इसका सम्बन्ध राज्य सरकार के किसी विभाग से हो तो उसमें इतनी परेशानी पैदा नहीं होती लेकिन इसके साथ साथ स्वायत्त शासन संस्थाएं भी इससे सम्बन्धित हैं।

म्युनिसिपेलिटी चुनी हुई संस्था है और उसके क्षेत्र के अन्दर यह बस्ती आती है, इसलिए यह उनका दायित्व इन सड़कों की मरम्मत कराने का हो जाता है। इसके साथ साथ अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो दूसरी संस्था है वह भी इस काम को करने लिए उत्तरदायी है, उनका भी दायित्व आता है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्ट-मेन्ट्स जो इससे सम्बन्ध रखते हैं, रिलीफ एण्ड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, ये सब डिपा-र्टमेंट इससे सम्बन्धित हैं। इसलिए इस प्रश्न को कौन करे, किस के बजट का पैसा खर्च किया जाय, आदि सवाल राज्य सरकार के विचाराधीन रहे हैं। अन्त में मुख्य मंत्रीजी ने एक हाई पॉवर कमेटी इस सिलसिले में बना दी है ताकि इस बारे में बिल्कुल एक ढंग से, सभी डिपार्टमेंट एक जगह मिल लें और इस मामले को देख लें ताकि और देरी न हो। उस कमेटी के अन्दर हमारे रिलीफ एण्ड रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर साहेब, फाइ-नेंस मिनिस्टर साहब और दूसरे सरकारी ऑफिसर इससे सम्बन्धित हैं, वे सब सदस्य

(श्री मथुरादास माथुर)

बनाए गए हैं। इस कमेटी को मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दिया है अभी मार्च के महीने में, इससे पहले भी एक कमेटी बन चुकी थी लेकिन इस कमेटी के कुछ पोर्टफोलियो बदल जाने से इस कमेटी का कार्य पूरी तरह से नहीं हो सका, और अब उन्होंने आदेश दिया है कि इसको बहुत जल्द से जल्द निपटाया जाय, कमेटी जल्दी से जल्दी मिल ले और कुछ दिनों में ही इसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही कर दी जाय। बाकी यह मामला कौन करेगा, धनराशि कौन से विभाग की लगेगी, कौन इसको एग्ज़ीक्यूट करेगा, किसके ऊपर डिस्पोज़ल का भार होगा, यह सब बातें उस कमेटी में तय होंगी और उनका फैसला होने पर मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि इस कमेटी की रिपोर्ट बहुत शीघ्र ही आएगी और उसका निर्णय होकर जो कठिनाई इन क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों को होती है, सड़कों के बारे में, नालियों के बारे में, वह नहीं होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर दूं कि there shall be no debate.... ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिबेट नहीं कर रहे हैं साहब। स्पष्टीकरण है।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण करें लेकिन एक बात निवेदन करूं माननीय सदस्यों को कि उन्हें सबको रूल्स की जानकारी हैं, सब रूल्स से अवगत हैं और रूल्स के अनुसार सारी कार्यवाही चलती रहे तो सब प्रकार से ठीक होगा। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों को बहुत बुरा लगा होगा जब कल सदन की बैठक स्थगित की गई लेकिन वह समय पूरा होने पर भी और फिर भी तब उसी समय समय बढ़ाने की बात रखी जानी चाहिए थी जब मैंने कहा था कि अभी दो रिज़ोल्यूशन्स हैं उनको डिस्कस करना है, उसका क्या समय रहेगा, तो उसी समय कहा जा सकता था कि क्या किया जावे? इसलिए सारी चीजों को रूल्स के अनुसार रखें और अगर आप उसी हिसाब से थोड़ा सा रास्ता निकाल लें तो मैं समझता हूँ कि सारा काम ठीक से चल सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह : एक बात मैं पहले पूछ लूं, साहब। यह मामला सरकार के सामने कब से विचाराधीन है कि यहां पर सड़कों पर होने वाले खर्चे का भार किस विभाग को वहन करना चाहिए? यह प्रश्न राजस्थान की हुकूमत के सामने कब से विचाराधीन है।

श्री मथुरादास माथुर : यह मामला राज्य सरकार के सामने सन् ६५ से विचाराधीन है और मुख्य मंत्रीजी ने इसके सिलसिले में ५–७–६५ को....

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी को इसकी जानकारी नहीं है। और जानकारी इसलिए नहीं है कि आपने खुद ने इसको स्वीकार किया है कि माननीय सदस्य ने इसी प्रश्न को पहले भी उठाया

(श्री भैरोंसिंह)

और आपको ध्यान होगा कि सन् १९६२ में भी यही जवाब सरकार की ओर से दिया गया था कि इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और अब आप कहते हैं कि ६५ में यह मामला विचार में आया।

श्री मथुरादास मायुर : ६५ में तो कमेटी बनाई।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता दीजिए कि यह प्रश्न सरकार के सामने किस वर्ष से विचाराधीन है कि इन क्षेत्रों में होने वाले खर्चे का भार भारत सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये, राजस्थान सरकार को करना चाहिए और अगर राजस्थान सरकार बर्दाश्त करे तो किस विभाग को करना चाहिए ?

श्री मथुरादास मायुर : यह प्रश्न आदर्श-नगर बनने के बाद यह करीब तीन-चार साल से मामला चल रहा है सरकार के सामने। १९ मार्च, १९६५ को माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने सदन के सामने इन सड़कों की रिपेयर्स के बारे में खास तौर से अपने भाषण में कहा था। यह तीन-चार साल से मामला चल रहा है, एग्ज़ेक्ट डेट और टाइम तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन यह मामला पहले भी विचाराधीन था और आखिर में मुख्य मंत्री ने कमेटी अपोइन्ट की है। यह म्युनिसिपल क्षेत्र में होने से उनसे कॉरस्पोडेंस चलती रही, उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर १९ मार्च, १९६५ को यह मामला यहां उठाया गया और उसके उठने के बाद गवर्नमेंट ने, जैसा मैंने आपको बताया, यह कमेटी बनाई है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है कि जिस दिन से रिलीफ एण्ड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट खत्म हुआ उसी दिन से यह मामला सरकार के सामने विचाराधीन है। रिलीफ एण्ड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के बचे हुए काम का उत्तरदायित्व किस विभाग का हो और इसे सरकार का कौन सा विभाग सम्भाले; उस समय से यह मामला चला आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने न तो इस मामले पर कोई निर्णय किया और न भारत सरकार को कुछ लिखा-पढ़ी की। यदि भारत सरकार को समय रहते हुए लिख दिया होता तो राजस्थान सरकार का खर्चा भी नहीं होता और आदर्शनगर में रोड्स भी बन जातीं। अपनी उस सारी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए यह कहा जा रहा है कि सन् ६५ में एक कमेटी नियुक्त की है और वह कमेटी इसके ऊपर निर्णय करेगी। मैं समझता हूं कि सरकार पूरी गम्भीरता से इस पर विचार करे ताकि यह मालूम हो सके कि इस मसले पर इतनी देरी क्यों हुई और इस देरी की वजह से राजस्थान सरकार को कितने खर्चे का भार वहन करना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में इस बात को स्वीकार किया है कि आदर्श-नगर आदि की सड़कों की मरम्मत का काम कौन करे; यह प्रश्न राज्य सरकार के पास तीन-चार साल से विचाराधीन है। मुझे बड़ा अफसोस है कि जो प्रश्न चार साल से राज्य सरकार के विचाराधीन है, और क्या प्रश्न है कि आदर्शनगर की सड़कों की मरम्मत नगरपालिका करे या नगर-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विकास मंडल करे या रिहबिलिटेशन विभाग करे या पी० डब्ल्यू० डी० करे ; इतना सा प्रश्न, इतना छोटा प्रश्न ! राज्य सरकार के अन्तर्गत चार विभाग हैं, अलग–अलग उन चारों में से किस की जिम्मेदारी है ? उस सम्बन्ध में राज्य सरकार चार साल से निर्णय नहीं ले पाई है । यह माननीय मंत्री महोदय सदन में कह रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र से जब मैंने इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण किया, ऐसा कोई सत्र नहीं जाता है जिसमें कि इस मसले को मैंने नहीं उठाया हो । पिछले सत्र में मैंने मजबूरन सरकार से कहा था कि उस इलाके से मैं चुनकर आया हूं, विरोधी पक्ष से, जनसंघ पार्टी से चुनकर आया हूं और सरकार को तकलीफ देता हूं और सरकार इसके कारण से परेशान है । मैं तकलीफ ज्यादा देता हूं, इसलिए उस इलाके का विकास नहीं किया जाता है । मैं इस सदन में उस इलाके से चुनकर आया हूं और अगर सरकार मेरे कारण से उसके विकास में इन्ट्रेस्ट नहीं लेती है, अगर उस इलाके का विकास मेरे कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जनसंघ से चुनकर आया हूँ और विरोधी पक्ष में होने के कारण सरकार की रोज मुश्किल करता हूँ, अगर सरकार यह समझती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ । लेकिन उस इलाके का विकास करायें । यह मैंने पिछली बार इस सदन में कहा था । तो इस पर सरकार ने कहा था कि यह बात नहीं है कि आप विरोधी पक्ष से आये हैं इसलिए नहीं करा रहे हैं ।

लोकतन्त्र में विरोधी पक्ष की आवश्यकता है । सरकार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उस इलाके का विकास नहीं करना चाहते हैं । कांग्रेस के सदस्य श्री भैरवलालजी 'काला बादल' यह कहते हैं कि सरकार विरोधी दल के जूते से डरकर उनका काम करा देती और हमारा काम नहीं होता है । भैरोंसिंहजी का टैलीफोन आता है तो मंत्रीजी खड़े हो जाते हैं और हम मिलने जाते हैं तो बाहर बैठे रहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उस इलाके के सम्बन्ध में पिछली बार जो लोकल सैल्फ मिनिस्टर साहब ने आदेश निकाले थे उनका क्या हुआ ? मैं यह पूछना चाहता हूं, मैं कमेटी के बारे में नहीं पूछना चाहता हूँ जिसमें फाइनेन्स मिनिस्टर और रिहबिलिटेशन मिनिस्टर–इन दो निकम्मे मंत्रियों को रखा है जो कुछ नहीं करते हैं । जो अपने इलाके के बारे में भी कुछ नहीं कर सकते । अजमेर में पीने के पानी की योजना जो पूरी नहीं कर रहे हैं वे आदर्शनगर की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे । श्री अमृतलाल यादव जो राजस्थान की २५ लाख, ४० लाख आदिवासियों और अनुसूचित जन–जातियों के छात्रावासों में मिलने वाले भोजन की मात्रा में सुधार नहीं कर सके, जहां कीड़े मिला हुआ आटा मिलता है । ऐसे मंत्री महोदय आदर्शनगर की समस्याओं का कोई हल नहीं निकाल सकते । इसलिए यह जो कमेटी बनाई है उससे फायदा नहीं होने वाला है । गवर्नमेंट ने पिछली बार एक ऑर्डर निकाला था, मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से, जो पीछे बैठे हुए हैं, पूछना चाहता हूं, वे खड़े होकर सदन में बतायें कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया था, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के बाद आज तक इस कमेटी के अलावा कितना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रुपया खर्च हुआ और क्यों नहीं हुआ ? (श्री मथुरादास माथुर के खड़े होने पर) लोकल सैल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष यह जो प्रश्न है इसके ऊपर इसलिए इस कमेटी की जरूरत पड़ी कि इसकी जवाबदारी कौन सा विभाग ले ? राज्य सरकार के विभागों में ही आपस में नहीं बल्कि स्वायत्त शासन संस्था यानी जयपुर म्युनिसिपल कमेटी और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ये दोनों भी इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं ? रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट किस हद तक पैसा दे सकता है ? किस हद तक जवाबदार है ? उसके बाद वे नहीं कर सके तो फिर राज्य सरकार इसको करे तो फाइनेन्स मिनिस्टर को भी इस कमेटी के अन्दर रखा गया है ताकि इस पर जल्दी फैसला होकर काम हो सके । मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि इस कमेटी के जरिये से फैसला होकर और एक महीने के अन्दर अन्दर जिसको जो कुछ भी विभाग को करना पड़ेगा उस विभाग के द्वारा सड़कों के बारे में कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ । आपको पता नहीं है । लोकल सैल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूँ । गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत शासन मन्त्री) : गवर्नमेंट ने यह कहा कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट उसकी जिम्मेदारी ले तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने यह कहा कि यह एरिया हमारे पास में नहीं । यह एरिया रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में है । रिलीफ एण्ड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट ने इसके प्लॉट्स बेचे हैं और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने सारा कन्ट्रोल किया है । वह इसलिए कहते हैं कि हमारा एरिया उस वक्त होता जब कि इस चीज को सारी को हमने किया होता तो हम डेवलप करते या डेवलप होने के बाद प्लॉट्स को बेचा होता । इसलिए यह लाइबिलिटी हम पर नहीं लगाई जाय । उसके बाद गवर्नमेंट ने बात की और उसी बेसिस पर यह हाई-पॉवर कमेटी बना दी गई कि इसके ऊपर जिसको जितना लगाना है वह लगाया जाय, यह फाइनल हो जाये ताकि हमेशा के लिए यह झगड़ा जो बार-बार खड़ा होता है, वह खत्म हो जाये । एक मर्तबा तो कोशिश यह भी की गई कि ५० परसेन्ट म्युनिसिपेलिटी बर्दाश्त करे और ५० परसेन्ट पी० डब्ल्यू० डी० । उसके ऊपर नगरपालिका ने कहा कि उनके पास फाइनेन्स नहीं है और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते । इसलिए इन सब चीजों को दूर करने के लिए यह कोशिश की गई है कि यह हाई-पॉवर कमेटी बिठाई जाय और उसका निर्णय होने वाला है और उसके ऊपर वह जिम्मेदारी आयद करे वह मान ली जाय । उसको केबिनेट का डिसीजन माना जाय । माननीय मुख्य मंत्री ने खुद ने इन्ट्रेस्ट लेकर यह किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछली बार फरवरी, १९६५ में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था और राज्य सरकार ने यह निश्चित कर दिया था कि आदर्शनगर की सड़कों की जिम्मेदारी किसकी होगी ।

Page No 48

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह पढ़ता हूं–

"Government of Rajasthan, Town Planning Department.
To

The President, Municipal Council, Jaipur."

यह गवर्नमेंट का लेटर है–

"Subject:--Amenities of Roads and Road lights in Adarsh Nagar, Raja Park and Fateh Tiba Colonies.
Sir,

I am directed to say that in the last session of Rajasthan Legislative Assembly, Shri Satish Chandra Agarwal, M. L. A. gave a notice under Rule 131 of the Rules of Procedure & Conduct of Business of Rajasthan Legislative Assembly regarding lack of proper amenities such as good roads......"

यह रोड के रिपेयर का काम है–

"......and road lights in Adarsh Nagar, Raja Park and Fateh Tiba Colonies. Government reply was given on 27th. October, 1964. It has, therefore, been decided that the maintenance of roads should be taken up by the Public Works Department and the Municipal Council, Jaipur, should pay for the same. The Municipal Council shall also look after the sanitation of these localities.

Since these colonies have almost been developed, you are requested please to take over this area under Section 50 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, except the plots that have yet to be allotted by the Improvement Trust and ensure proper maintenance of road lights etc. as also sanitation etc. thereof.

Yours faithfully,
Asstt. Secretary to the Government.

Copy forwarded to the:—

1. Director of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur,

2. The Chief Engineer, B & R, P. W. D., Rajasthan, Jaipur,

3. Secretary, Improvement Trust, Jaipur, for information and ecessary action.

4. P. W. D. Government Secretariat"

उपाध्यक्ष महोदय, आपका यह डिसीजन हो गया, आपने जिम्मेदारी आयद कर दी पी० डब्ल्यू० डी० के ऊपर कि आदर्श–नगर की सड़कों की मरम्मत का काम पी० डब्ल्यू० डी० के ऊपर है, तो मैं पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि उनकी मेन्टीनेन्स क्यों नहीं की गई ? आप क्यों चुपचाप बैठे रहे फैसला होने के बाद ? फैसला फरवरी, १९६५ में होगया तो गवर्नमेंट ने क्यों हाई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पॉवर कमेटी बनाने का कहकर इसको खड्डे में डाला, क्यों नहीं आदर्शनगर की सड़कों की मरम्मत की ? मैं आपसे इसे बारे में जवाब चाहता हूँ।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले की वकफियत थोड़ी बहुत मुझको भी है। माननीय सदस्य ने इस मामले को इस सदन में पिछले साल उठाया था उसके पहले भी वे उठाते आये हैं, और कई डेपु-टेशन उस इलाके के मुझसे मिले भी थे। यह जो आप कुछ कहना चाहते हैं, कि रेस्पो-न्सिबिलिटी पी० डब्ल्यू० डी० की है या नहीं तो जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं वह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन असेम्बली के....

श्री भैरोंसिह : यह आप नहीं कहें तो अच्छा हो। मैंने और सतीशचन्द्रजी ने यह लेटर आपको पढ़वाया था और कह रहे हैं कि मालूम नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : आप सुनिये।

श्री भैरोंसिह : इसलिए ही मैं कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑफिशियली आप के पास नहीं पहुँचा होगा। यह तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का काम था।

श्री हरिश्चन्द्र : वह फाइल जो मेरे पास थी वह तो कमेटी के पास चली गई। फाइल के अन्दर क्या पोजीशन है वह मैं आज बता नहीं सकता। लेकिन इस विधान सभा के अन्दर वहीं का डेपुटेशन हम लोगों से मिला था, और इस बात को उस वक्त भी सरकारने सोचा था कि वहां सड़कों के लिए, ड्रेनेज के लिए, बिजली के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए कुछ न कुछ कदम उठाया जाय। उसके

(१. म. प.)

बाद यह तय हुआ था कि जो धन-राशि पी० डब्ल्यू० डी० के पास है म्युनिसिपेलिटीज़ को बांटने के लिए उसमें से मौजूदा अमा-उन्ट, जिसके आंकड़े मैं अभी सदन के सामने पेश नहीं कर सकता क्योंकि वे कागजात मेरे पास नहीं हैं, वह अमाउन्ट पी० डब्ल्यू० डी० को ट्रान्सफर करदी जाय और उससे सड़कों की मरम्मत करा दी जाय। जब यह बात तय हुई उसके बाद, मैंने एक मीटिंग कॉल की थी और उसके बाद यू० आई० टी० और पी० डब्ल्यू डी० के इंजीनियर्स से बातचीत करने के बाद मैंने उनसे कहा था कि एक फेज़ प्रोग्राम बना दिया जाय जिस फेज़ प्रोगाम के आधार पर वहां की सड़कों की मरम्मत करली जाय। बातचीत के दौरान सरकार ने उचित समझा कि कमेटी का निर्माण कर दिया जाय ताकि कमेटी इस बात की व्यवस्था करे कि इस इलाके में किस तरह से सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज और जो व्यवस्थाएं करने की हैं वे हों। क्योंकि इसमें खर्चा काफी होने की संभावना थी इसलिए यह खर्चा कहां से उपलब्ध होगा ; किसकी देख रेख में होगा ; इन विषयों पर यह कमेटी निर्णय ले। जैसा कि माथुर साहब ने कहा एक महीने में वह कमेटी निर्णय लेले और जिससे एग्ज़ीक्यूट करना चाहती है इसका भी निर्णय ले ले उसके बाद यह काम सहूलियत से हो जायगा।

Page No 50

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी आप मुझे दे दें, जो आॅर्डर अभी पढ़कर सुनाया है उसका एग्ज़ीक्यूशन किसी ने स्टे किया है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : स्टे करने का सवाल नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : कौनसा आॅर्डर ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं फिर पढ़ कर सुना देता हूं :

"It has, therefore, been decided that the maintenance of roads shold be taken by the Public Works Department and the Muncipal Council, Jaipur pay for the same."

Copy of this has been forwardded to the Chief Engineer, B & R, P. W. D, Rajasthan, Jaipur, and the P. W. D Government Secretariat.

श्री हरिश्चन्द्र : म्युनिसिपेलिटी को डेबिट होगा तो पहला काम यह है कि क्या म्युनिसिपेलिटी इस पोजीशन में है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आप जाने, गवर्नमेंट जाने हम सेमतलब नहीं। हम तो यह जानना चाहते हैं कि इसका एग्ज़ीक्यूशन क्यों नहीं हुआ ? इन्होंने एक डी० ओ० लैटर भैरोंसिंहजी के सामने लिखा था इतना इतना पैसा है, लेकर डेवलप करिये। आपको लैटर लिखा था, ज्वालाप्रसादजी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में लैटर लिखा था आपसे पूछा कि लैटर कहां तो आपने कहा लैटर मेरे पास नहीं आया। या तो लिखा नहीं गया या आपके पास पहुँचा नहीं। लिखा गया तो क्यों नहीं पहुंचा ? इसमें क्या राज है ? कैसे मंत्रीजी के पास नहीं पहुँचा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह सही है कि इस सिलसिले में जब आदर्श नगर वालों का जुलूस आया, डिमोन्स्ट्रेशन हुआ उस समय किसी तरह का आश्वासन सरकार ने दिया, सदन के सामने बात आई और उसके बाद यह लैटर लिखा गया। यह लैटर भी सही है और इस लैटर के बाद स्थिति यह है कि इसमें दो इन्कम्बेन्ट चीजों को मिला दिया जाता है। आखिर गवर्नमेंट ने अपनी ताकत से किया था। लोकल सैल्फ गवर्नमेंट म्युनिसिपेलिटी को एड देती है उस ताकत से बात हुई थी। जो जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल को एड दी जाती है, शायद आठ आना पर–हैड के हिसाब से सालाना देते हैं, वह उनको नहीं देंगे और आदर्शनगर में लगायेंगे और पी० डब्ल्यू० डी० को ट्रान्सफर कर देंगे। वह पी० डब्ल्यू० डी० को ट्रान्सफर हुआ नहीं। यदि ट्रान्सफर कर दिया जाय तो पी० डब्ल्यू० डी० ने हां की है कि हम यह काम करा देंगे लेकिन उसके पास रुपये आये नहीं, इस स्थिति में नहीं आये जैसा कि माथुर साहब ने कहा कि वे मानेंगे या नहीं। इसमें म्युनिसिपेलिटी के मानने न मानने का प्रश्न नहीं है। गवर्नमेंट म्युनिसिपेलिटी कौंसिल को सालाना २–२॥ लाख रुपये अपने एक्सचेकर से देती है। उन रुपयों के ऊपर इसको प्रायोरिटी मिलनी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चाहिये। लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट को पी० डब्ल्यु० डी० को ट्रान्सफर कर देना चाहिये जिससे राइट वे में काम चल जाय इस वक्त जो म्युनिसिपल कौंसिल को दिये जायं उसमें पहली शर्त यह होनी चाहिये कि आदर्शनगर को सुधारे। इसमें उनकी कंसैन्ट लेने का सवाल नहीं है। They are not entitled for the aid. जो आदर्शनगर नर्क के समान रखती है उसको कोई हक नहीं है सबसिडी लेने का। वह पी० डब्ल्यू० डी० को ट्रान्सफर होनी चाहिये जिससे काम शुरू हो जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : यह जो लैटर आपने बताया है, यह म्युनिसिपैलिटी के पास क्योंकि फंड्स नहीं थे इस वास्ते यह तय किया गया, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के पास फंड्स नहीं हैं। मैं नहीं बता सकता मेरे मित्र बतायेंगे कि उसकी क्या कंडीशन है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कंडीशन ऐसी नहीं है कि वह रुपये दे सके। ऐसी हालत में क्या करना? जो रुपये म्युनिसिपैलिटी को सड़कों के लिये एडहोक मिलते हैं वह करीब ८०,०००) थे, लेने का तय हुआ था। इस बीच कमेटी बन गई। वह जो कुछ निर्णय ले हो सकता है यू. आई. टी. कर दे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कमेटी बीच में कहां से आ गई? वह लैटर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह जब मामला चल रहा था, यह जो ५ लाख रुपये हमको मिलते हैं, उसमें से ८०,०००) रुपये (अनुमानित है) इस काम के लिये खर्च किये जाएं। मेरे लेवल तक बात चल रही थी इस बीच हाई-पॉवर कमेटी बन गई....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई-पॉवर का नाम मत खराब करिये।

श्री हरिश्चन्द्र : इस सिलसिले में बनी कि कौन एग्जीक्यूट करेगा म्युनिसिपैलिटी या पी. डब्ल्यू. डी.? कितने रुपये खर्च होंगे? टाउन इम्प्रूवमेंट वालों से भी पूछा जाय इन सारी बातों को कमेटी देखकर जैसा कि माथुर साहब ने कहा १ महीने में रिपोर्ट दे दे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि ८०,०००) रुपये की मिकदार दे दें, तो पी. डब्ल्यू. डी. एग्जीक्यूट कर दे। इसके बाद यह सवाल कहां से आ गया। ८ साल से यह मामला लटका हुआ है। इस सदन में सवाल आ जाता है कि क्योंकि पी. डब्ल्यू. डी. इस काम को करने के लिये बैस्ट एजैन्सी है आप उसको रुपया दे दीजिये वह करा देंगे। वे लोग तो कराते नहीं, उनकी इच्छा है नहीं। गवर्नमेन्ट ने खुद इनिशियेटिव लेकर उनकी इच्छा नहीं है इसलिये, पी. डब्ल्यू. डी. के लिये तय किया। पी. डब्ल्यू. डी. अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी शर्क नहीं कर सकती। आप उसको लाख या डेढ़ लाख रुपये दीजिये और पी. डब्ल्यू. डी. से इन सड़कों की मरम्मत करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें डिबेट की जरूरत नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया है शीघ्रातिशीघ्र करने का, एक महीने में करने का प्रयत्न करे। इधर उधर कमेटियों में

Page No 52

(श्री उपाध्यक्ष)

उलझावें नहीं ताकि जो राहत मिलनी है वह जल्दी मिल सके।

श्री भैरोंसिंह : एक बात का जवाब गवर्नमेन्ट दे दे। कई बार लैटर लिखते हैं एक विभाग से दूसरे विभाग को और आज्ञा देते हैं। स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री बरकतुल्ला साहब द्वारा पी. डब्ल्यू. डी. को आदेश दिया जाता है कि रोड का काम शुरू करो और पैसा म्यूनिसिपैलिटी के फंड में से ले लो। स्वायत्त शासन मंत्री ने यह आदेश दिया उसकी तामील पी. डब्ल्यू. डी. ने क्यों नहीं की ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अर्ज कर रहा हूं हमारे पास पैसा नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आदेश है लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट मिनिस्टर का चीफ इंजीनियर के नाम कि सड़कों की मरम्मत करे उसका पालन क्यों नहीं किया ?

श्री भैरोंसिंह : यह सवाल नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी किस पोजीशन में है. किसमें नहीं है ? यह स्वायत्त शासन विभाग के देखने की बात है। स्वायत्त शासन विभाग को यह जानकारी होती कि म्यूनिसिपैलिटी की पोजीशन ऐसी है तो पत्र नहीं लिखते। उन्होंने सारे आस्पेक्ट को ध्यान में रख कर आदेश निकाला है कि पी. डब्ल्यू. डी. काम करे। कैसे कहा, यह स्वायत्त शासन मंत्रीजी से पूछा जाय ?

माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी इस बात की बार बार शिकायत करते हैं कि दूसरे विभाग वाले उनके आदेश नहीं मानते। एक स्वायत्त शासन का मंत्री आदेश देता है पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इन्जीनियर को और वह अवहेलना करता है उस आदेश की और पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर उसको दाद देते हैं। यह एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा इस तरह से करेंगे तो। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी कहिये अपने नीचे के अधिकारियों को अगर वे कागज रोकते हैं किसी दूसरे मिनिस्टर के तो। यह एफीसियेन्सी का सवाल है, दाद देने का नहीं, कि आदेश देने के बाद आप अपने अधिकारियों से तामील करने न करने के बारे में पूरा ध्यान रक्खें। पर यह कहां का तरीका है कि एक मन्त्री हुक्म देता है और दूसरा कहता है कि कहना मत मानो उसका। कल यही आपके साथ होगा। फिर अनुशासन कहां रहेगा और आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहां चला जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई अवहेलना करने का सवाल नहीं है। मैं तो यह अर्ज करना चाहता था कि अगर साथ साथ फण्ड भी ट्रान्सफर हो जाता और फिर एग्जीक्यूट नहीं होता तो बात थी।

श्री भैरोंसिंह : लैटर लिखा, वापिस उसका जवाब तो देना था कि फण्ड भी ट्रान्सफर करें। लैटर ही दबा कर बैठ जाना–यह क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब तक फण्ड का प्रबन्ध न हो तब तक रैस्पोन्सिबिलिटी डालना कि काम क्यों नहीं हुआ, सम्भव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो मिनिस्टर साहब स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश निकाला

(श्री भैरोंसिंह)

या तो वह आदेश आपके कहने के हिसाब से गलत है या स्वायत्त शासन मन्त्रीजी अयोग्य हैं कि जिनकी जानकारी नहीं कि बिना फण्ड काम नहीं हो सकता। और इसलिये वह लैटर लिखना बेकार था, गलत था, अनुभवहीनता का द्योतक था।

श्री **हरिश्चन्द्र** : मेरा मतलब यह नहीं था। इसमें योग्यता का सवाल ही नहीं है। मैंने तो एक बात कही कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिये कहां से उसे एग्जीक्यूट करें।

श्री भैरोंसिंह : आप यह कह दीजिये कि इस पत्र के आने के बाद स्वायत शासन मन्त्री को वापिस चिट्ठी गई या नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है और इसलिये इसकी मेन्टीनेन्स का काम हाथ में नहीं ले सकता।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास तो पत्र नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : तो आपके चीफ इन्जीनियर ने कहा क्यों नहीं आपको यह कि पत्र आया है? क्या उन्होंने उसका जवाब दिया?

श्री हरिश्चन्द्र : चीफ इन्जीनियर ने वापिस लिखा होगा जरूर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह होगा वो होगा से काम नहीं चलेगा यहां। यह अन्दाज लगा रहे हैं लिखा होगा। आसमान टूटा होगा, जमीन फटी होगी। पानी निकला होगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कहता हूँ, जरूर लिखा होगा। उनके पास का पत्र नहीं है यहां कि जिस पर डिबेट कर सकूं।

श्री **भैरोंसिंह** : बेसिक क्वेश्चन तो यह है कि एक मन्त्री एक विभाग के अधिकारी को आदेश देता है कि तुम्हें अमुक प्रकार का काम करना चाहिये। वह वापिस लिख कर कुछ भेजता नहीं और कागज को दबा कर बैठ जाता है।

श्री **हरिश्चन्द्र** : चीफ इन्जीनियर को वह कागज मिला, तो उसका जवाब दिया होगा। जरूर दिया होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कागज चीफ इन्जीनियर को मिल गया। और कुछ तो आपको नहीं दिखाऊंगा वह कागज दिखा देता हूं।

(श्री सतीशचन्द्र ने श्री हरिश्चन्द्र को कागज दिखाया)

(१.१३ म० प०)

राजस्थान राज्य विद्युत-मण्डल के वार्षिक आय-व्ययक, १९६६-६७ पर विचार-विमर्श

श्री उपाध्यक्ष : Next business माननीय मन्त्री!

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक वितीय विवरण आय–व्ययक ६६–६७ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : अभी सवा बज रहा है। मैं निवेदन कर दूं कि मैं संकेत करूंगा कि समय समाप्त होने वाला है उस समय इधर पक्ष से या उधर पक्ष से जो भी इन्ट्रेस्टेड हों ज्यादा समय तक बोलने का संकेत करेंगे तो पूछ लिया जावेगा, अन्यथा यथा समय इसको समाप्त कर दिया जावेगा।

(सर्वश्री चौसरसिंह बावेल और सम्पति लाल बोहरा के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, किसको इजाजत दी आपने ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो समय के बारे में इतने उदार रहते हैं कि कभी समय पर कार्यवाही खत्म होती ही नहीं।

श्री **उपाध्यक्ष** : बढ़ा दूंगा समय, पर यथाविधि सदस्यों की भी यह ड्यूटी है कि वे मांग कर लें।

(विराम)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने तीसरी योजना में पॉवर के सम्बन्ध में एक लक्ष्य निर्धारित किया था पर उसको प्राप्त करने में सरकार बिल्कुल असफल रही है।

उसने निश्चित किया था कि तीसरी योजना के अन्त तक २७५ मेगावाट अतिरिक्त पॉवर की क्षमता बना लेंगे। इसके विपरीत आज स्थिति यह है कि सरकार केवल ४७ मेगावाट अचीव कर पाई है। इसके कई कारण सरकार ने बताये हैं, कई योजनाएं पूरी नहीं होना, वर्षा की कमी होना यह किसी सीमा तक सही है, पूरी तरह नहीं। वर्षा की कमी के कारण जब गांधी सागर में कमी आई, तो रतनगढ़ से जयपुर तक १३२ के० वी० लाइन डालने का जो प्रयास किया गया उसकी मैं प्रशंसा करूंगा।

साथ ही कोटा में औद्योगिक क्षेत्र में पॉवर की कमी पूरी करने के लिये जो दस मेगावाट का गैस टरबाइन लगाया उसकी भी प्रशंसा करूंगा।

परन्तु इसके साथ ही साथ यह देखना होगा कि आखिर सरकार ने जो टार्गेट निश्चित किये थे वे पूरे क्यों नहीं कर पाई ? इस राज्य की तरफ से विद्युत मण्डल की ओर से एक नोट सर्क्यूलेट किया गया उसमें लिखा है कि और बहुत से कारणों के साथ एक अज्ञात कारण भी है। मैं स्पष्ट तौर से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौनसा वह अज्ञात कारण है जिसको आप ज्ञात नहीं कर सके और बता नहीं सके और जिसके कारण आप अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सके।

जिस अज्ञात कारण के बारे में सरकार मौन है राणा प्रतापसागर के टार्गेट को पूरा करने के बारे में जो कि वहां से तीसरी योजना के अन्त में बिजली की सप्लाई प्रारम्भ हो जानी चाहिये थी, पर आज तक वह नहीं हो पाई, वह अज्ञात कारण सरकार बताने में घबराती है। मैं बताता हूं, वह अज्ञात कारण है-मौडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिसको इसका ठेका दिया गया। उसके साथ पक्षपात बरता गया। श्रौर इस कारण उसके साथ सरकार कोई लिखित ऐग्रीमेन्ट नहीं कर पाई। जितना कर पाई, उसमें लेकूना जान बूझ कर रखा गया। इस बारे में, इस सदन में कई बार ध्यान भी श्राकर्षित किया गया है।

इस मौडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को ठेका दिया गया चार करोड़ का जिसमें एक करोड़ का स्पष्ट स्कैण्डल है। उस स्कैण्डल को छिपाने के लिये श्राज राजस्थान सरकार बार बार यह कह कर मेन कारण को टालना चाहती है कि उसे काम की जल्दी थी श्रौर जल्दीबाजी में ऐग्रीमेन्ट उसके साथ नहीं लिख पाई। जिसके कारण श्राज स्थिति यह पैदा हो गई है कि राज्य सरकार के सामने लगभग ८० लाख रुपये के केसेज इस प्रकार के हैं, कि जिसको मौडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। चूंकि ऐग्रीमेन्ट नहीं लिखा गया मजबूरन श्राज सरकार को ८० लाख के इन केसों को श्रारबिट्रेशन को रैफर करना पड़ा है। श्राज उस श्रारबिट्रेशन पर सरकार श्रनाप–शनाप पैसा खर्च कर रही है। दो दो सरकार के एडवोकेट लगे हैं श्री एम० एम० व्यास को २५० रुपया रोजाना देते हैं। एक श्रीमती कान्ता खतूरिया को जिनको कोई श्रनुभव नहीं, ३०) रोज पर लगा रक्खा है श्रौर श्राज स्थिति यह पैदा हो गई है कि राणा प्रतापसागर का मौडल ही बदलना पड़ रहा है। नींव जो श्रौर गहरी खोदी जानी थी, कम खोदी गई, श्राज उसे फिर से श्रधिक गहराई तक खोदना पड़ रहा है। जो मैटीरियल सप्लाई करने की बात थी उसको बदल दिये जाने की बात कही जा रही है। श्राज इस सबको देखकर यह कहना श्रसत्य नहीं होगा कि इन कारणों से ही ६६ तक भी वे इससे बिजली नहीं दे सके। मेरी निश्चित मान्यता है कि इसका एक मात्र कारण मौडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ सरकार का पक्षपात करना है श्रौर उसको श्रनुचित फायदा पहुंचाना है।

इसके साथ साथ यह श्रौर निवेदन करना चाहता हूं जैसा सदन में कई बार प्रश्न भी श्रा चुके हैं, कि जब राजस्थान सरकार का बिजली पर उत्पादन खर्च ५.०३ पैसे–प्रति यूनिट श्राता है, तो क्या कारण है कि राजस्थान सरकार की प्यारी डी. सी. एम. फैक्ट्री-लाला भरतराम की फैक्ट्री को ? पैसे प्रति–यूनिट से बिजली दी जा रही है ? कई बार इस प्रकार की चर्चा की गई। कई बार स्पष्टीकरण किया गया श्रौर कई बार राजस्थान सरकार का ध्यान इस श्रोर श्राकर्षित किया गया। लेकिन श्राज राजस्थान सरकार की लापरवाही से १८ लाख रुपयों का घाटा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्यों ? ये श्रांकड़े बहुत पुराने हैं। ५ पैसे यूनिट गांधीसागर से उत्पादन का खर्चा होता था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह तब उत्पादन का खर्चा होता था जब ६ लाख यूनिट मिलते थे। श्रब जब श्रापको १।। लाख या २ लाख यूनिट गांधी सागर से मिल रहे हैं, तो इस समय उत्पादन का खर्चा क्या होगा ? मैं कहूंगा कि वह ५.०३ पैसे पर–यूनिट है। श्रापसे मैं निवेदन करूं कि श्राज की स्थिति में गांधीसागर में जब पानी नहीं है, श्रौर ६ लाख यूनिट की जगह दो लाख यूनिट बिजली ही मिल रही है तो वह श्रब

Page No 56

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

५ पैसे यूनिट नहीं होनी चाहिये। वह तो १० या १५ पैसे यूनिट के बीच में खर्चा आना चाहिये। इसका मतलब यह हुआ कि १८ लाख का सालाना नुकसान था वह अब १८ लाख का नुकसान नहीं है बल्कि वह डी. सी. एम. को पॉवर सप्लाई करते हैं, उसका ७२ लाख सालाना का नुकसान हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? स्थिति केवल यह है कि बिजली का खर्चा जो आप कोटा में गैस टरबाइन लगा रहे है २ करोड़ है। जैसी कि आपकी मान्यता है कि ४५ पैसे प्रति यूनिट खर्चा आवेगा। यह तो ४५ पैसे गैस टरबाइन और गांधी सागर में जो खर्चा हम पर पड़ा है वह केवल ८० लाख, ७० लाख का ही नुकसान नहीं होगा, ज्यादा नुकसान होगा। मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान को एक करोड़ रुपयों का सालाना नुकसान हो रहा है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि वे इसके बारे में स्पष्टीकरण करें। राजस्थान सरकार का कहना है कि हम ७० तक ऐग्रीमेन्ट से बंधे हैं। आज इस इकरारनामे का बहाना लेकर किसी कारण से डी. सी. एम. को लाभ दे रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की जनता का कमाया हुआ पैसा इस प्रकार खर्च किया जाए, ? क्या जनता के पैसों के आधार पर पूंजीपतियों और करोड़पतियों को लाभ पहुंचाया जाए ? और डी. सी. एम. जैसी फैक्ट्री को दिया जाय ? वह फैक्ट्री कैसी है ? जिसके गंदे पानी को आप रोक नहीं सकते। वह कौनसी फैक्ट्री है–जिसमें हजारों मनुष्य मर चुके हैं ? वह कौनसी फैक्ट्री है जिसको आप लाभ पहुंचाने जा रहे हैं ? यह वह फैक्ट्री है जिसने श्री लालबहादुर शास्त्री के निधन पर अपने मजदूरों को छुट्टी देने को तैयार नहीं। वह कौनसी फैक्ट्री है ? यह वह फैक्ट्री है कि जब हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे उसने पाकिस्तान को लगभग १० लाख का सामान दिया। उस डी. सी. एम. फैक्ट्री को आप ३ नये पैसे पर–यूनिट बिजली देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ आप उनके साथ पुराने एग्रीमेंट की बातों को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं और एक करोड़ का नुकसान कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज विद्युत मंडल की क्षमता को देखा जावे तो मैं इस सम्बन्ध में थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। १९६५–६६ में जो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एस्टीमेट था वह ६ करोड़ ३७ लाख ५३७ और रिवाइज्ड एस्टीमेट था उसके मुकाबले में ६६–६७ का ७ करोड़ ५३ लाख ९५ हजार। उसका तात्पर्य यह हुआ कि गत साल की अपेक्षा आप यह एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपके रेवेन्यू साइड में १,१६,८८,५००) रु० ज्यादा मिलेंगे। इसके मुकाबले में एक्सपेन्डिचर साइड है उसमें ६५–६६ का रिवाइज्ड एस्टीमेट है उसके आंकड़े आते है ४,३५,५१,५०० और उसके मुकाबले में ६६–६७ में एक्सपेन्डिचर साइड ५,३७,०३,३७०) और इसका मतलब यह हुआ कि गत वर्ष की अपेक्षा ४ करोड़ ११लाख ८३० रु० खर्च ज्यादा रखा है। इन दोनों का मिलान करने के बाद स्थिति यह आती है कि गत वर्ष की अपेक्षा आपका १५,७६,–६७०) ज्यादा लगा। इस वर्ष जो सेविंग

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

होगा १५,७६,६७०) और इसको आप किस प्रकार सदन को संतोष करा सकते है क्योंकि आपके यहां ५० लाख से उपर खर्च स्टाफ के सुपरविजन में होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने अधिक सेविंग बताई। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेबिलशमेंट ऑफ स्टाफ में पिछले १० वर्षों के बनिस्पत ४१ लाख २० हजार २५० अधिक देंगे और एस० ई० ऑफिसर्स इत्यादि पर गत साल की अपेक्षा १ लाख ५४ हजार ९० रुपये देंगे और इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर के इशारे पर गत वर्ष की अपेक्षा १० लाख रुपया अधिक देंगे। इस प्रकार केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर पर आने वाला खर्च होगा वह ५१ लाख ११ हजार तीन सौ तीस होगा। इन आंकड़ों से अन्दाजा लगा सकते हैं कि आज विद्युत मंडल गत ६५-६६ में राजस्थान के हित में क्या करने वाले हैं? आज की गत साल की अपेक्षा इसके बजट के अनुसार १५ लाख के मुकाबले में आपको ५१ लाख तो केवल अपने स्टाफ पर खर्च करने को चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय मेन वर्क जिसके आधार पर यह आंका जा सकता है कि राजस्थान में कितनी बिजली का जाल आप फैलाने वाले हैं, गत वर्ष की अपेक्षा, यदि इसको देखा जावे तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन में १० साल का ११,३३,५००) की कमी की है और एक ओर आपके सुपरवाइजिंग स्टाफ का खर्चा है १० साल में ५१ लाख पड़ता है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिये। मगर मैं यह कहूँगा कि आपने इसमें कमी की है। आपने जम्मू और काश्मीर को कम कर दिया है इसी प्रकार ट्रान्सिशमेंट का एक्सपेन्डिचर १० लाख की अपेक्षा १ लाख ६८ हजार और पॉवर पर्चेजिंग में ६ लाख का कम खर्चा आपका आवेगा।

इसके अलावा इसमें कन्ज्यूमर सर्विस भी एक अहमियत रखती है। इसके आधार पर मालूम पड़ता है कि आप कन्ज्यूमर को कितना फायदा देना चाहते हैं। इसमें भी देखें तो आपको मालूम होगा कि आपने अपने बजट में ११,५००) की कमी की है। आशा तो यह थी कि आप इसमें बढोतरी करेंगे मगर आपने इसमें भी कमी की है और गिरावट आई है। इसका राजस्थान की जनता से सीधा सम्बन्ध रहता है। उसमें भी आपने कमी की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका बजट केवल सरकारी अधिकारियों के लिए ही हैं। या उन लोगों के लिये जिनको आप खुश करना चाहते हैं। हमारे मंत्री महोदय उसमें कुछ नहीं कर सकते। और जो कुछ किया जाता है वह बड़े बडे लोगों को खुश करने के लिये किया जाता है। आज समाजवाद राजस्थान के महलों में नहीं है। मगर आपका ध्यान उनकी तरफ है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका ध्यान उधर नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आप अपने प्यारे बेटे को बन्दरिया की तरह छाती से क्यों चिपकाए बैठे हैं। इसका क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूँ मन्त्री महोदय से कि श्री कान्तिचन्द्र सत्संगी कौन हैं, कान्तिचन्द्र सत्संगी जिसको अपना लाड़ला बेटा बनाकर आपने छाती से चिपका रखा है! श्री कान्तीचन्द्र सत्संगी

Page No 58

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आपके बोर्ड के टेक्निकल मैम्बर हैं। ये कौन थे? यह आज राजस्थान की जनता से छिपा हुआ नहीं है। श्री कान्तिचन्द्र सत्संगी को १९५७ में सब्सटेन्टिव अपोइन्टमेंट एक्स० ई० एन० की पोस्ट पर दिया गया था। पर इनसे डिप्टी चीफ इन्जीनियर का कार्य लिया राजस्थान में। उसके बाद ५७ में अपोइन्टमेंट होने के बाद जून ५७ में इनको सस्पेंड किया गया और सस्पेंड करने के भी कोई छोटे मोटे आरोप नहीं, भयंकर आरोप था कि लाखों रुपयों का डिस्पोजल का सामान था, जिनको बेचने के पहले स्वीकृति लिये गैर कानूनी, नाजायज फायदा उठाने के लिये इन्होंने वह लाखों का सामान बेच दिया। सस्पैंड करने के बाद इनके खिलाफ फौजदारी कार्यवाही चली, कोर्ट आॅफ लॉ में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद किन्हीं कारणों से बरी हो गये और बरी होने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकारी वकील इस केस को कन्डक्ट कर रहे थे उन्होंने सिफारिश की थी कि इस मुकदमे में हमको हाईकोर्ट में अपील में जाना चाहिये, पर आपने इस लाड़ले बेटे के खिलाफ कोई अपील नहीं की। जहां डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी होनी चाहिये थी, वह भी नहीं करवाई और इनको इनाम यह दिया कि ५७ में एक्स० ई० एन० थे मुकदमा चलने के बाद इनको जूनियर चीफ इन्जीनियर के नाम से अपोइन्ट कर दिया। जूनियर नाम भी कागजों में रहा, वस्तुस्थिति यह रही कि ये चीफ इन्जीनियर के नाम से राजस्थान में कार्य करते रहे और आज विद्युत विभाग, राजस्थान का विद्युत विभाग इनकी शरण में जा रहा है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कानून की मखौल इस लाड़ले बेटे के लिये की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना हुआ है। उसके नियम बने हुए हैं। उन नियमों की खुले रूप में अवहेलना की जा रही है। आज आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट है, उसकी धारा ७८ में सरकार को पावर्स हैं कि रूल्स बनाये, रूल्स जो इस धारा के अन्दर हैं...

'The power of the Chairman and the term of office of the Chairman and other members of the Board, the conditions under which they shall be eligible for re-appointment and their remuneration, allowances and other conditions of service.'

यह धारा ७८ है, इसके तहत सरकार को नियम बनाने के अधिकार हैं, इस एक्ट की धारा ७८ के तहत सरकार ने नियम बनाये वह नियम बने और ६ जून, १९६४ के गजट में शाया किये गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा इन रूल्स का नियम ४ है:

"Rajasthan State Electricity (Supply) Rules, 1963"

इसमें स्पष्ट लिखा है सब क्लॉज (३) में, ४ के सब रूल (३) में लिखा है:

"No person shall hold office of the Chairman or a member beyond the age of 60 years."

उसके बाद आगे लिखा है सब रूल (४) में:

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

"Subject to sub rule (3) the Chairman and the members shall be eligible for re-appointment."

आप (४) के तहत अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए सब रूल (३) की अवहेलना नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को चाहे वह बोर्ड का चेअरमेन हो, चाहे बोर्ड का मेम्बर हो। ६० वर्ष की आयु के बाद सर्विस में नहीं रखा जायगा। अधिक समय नहीं दिया जायगा। जब आपके रूल्स में प्रावधान है कि ६० वर्ष की आयु के बाद किसी को सर्विस में नहीं रखें, एक्सटेन्शन नहीं दें, अपोन्टमेंट नहीं दें तो फिर इस लाड़ले बेटे को जिसकी डेट ऑफ बर्थ है २–१–१९०६ और इस हिसाब से ये २-१-६६ को ६० साल की आयु पार कर गये। इन्होंने जनवरी, १९६६ में ६० साल की आयु पार कर ली तो ऐसे बोर्ड के मेम्बर को न रूल्स के तहत आप सर्विस में रख सकते हैं, न बोर्ड का मेम्बर रख सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैसे इनको बोर्ड की सर्विस में चला रहे हैं? ये टेक्निकल मेम्बर हैं, बोर्ड की हर मीटिंग में इन्हें निमन्त्रित किया जाता है। ये बोर्ड की हर मीटिंग में आते हैं, किस दृष्टि से इनका बोर्ड में बैठना आपने जारी रखा है? बोर्ड में रिजोल्यूशन्स पास होते हैं, ऐसे मेम्बर की मौजूदगी में रिजोल्यूशन पास किये जाते हैं जो बोर्ड का मेम्बर कानून के अनुसार नहीं रह सकता। इससे भी बड़ी अजीब ताज्जुब की बात यह है कि २ जनवरी, १९६६ के बाद ये सर्विस में रहेंगे इस प्रकार का कोई लिखित आर्डर नहीं दिया है फिर भी वे सर्विस में चल रहे हैं। इनको बोर्ड की मीटिंग्स में निमन्त्रित किया जाता है, बोर्ड की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं, बोर्ड में रिजोलूशन्स पास होते हैं, फैसले होते हैं तो क्या कभी आपने इस पर गौर किया है कि ऐसे मेम्बर की मौजूदगी में जो कि बोर्ड का मेम्बर नियमानुसार नहीं रह सकता, जो रिजोल्यूशन्स पास किये जायेंगे उनकी क्या वकत होगी? मन्त्री महोदय, आप दबते क्यों हैं? जो व्यक्ति ६० वर्ष की आयु पार कर चुका है उसको सर्विस से क्यों नहीं निकालना चाहते? नये खून को क्यों नहीं मौका देते? आप नये खून को आगे बढ़ाने की बात करते हैं फिर इस बुड्ढे खून को क्यों रखे हुए हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इनके भाई एम० पी० हैं, इसलिये मंत्री महोदय की हिम्मत नहीं होती कि कहीं सुखाड़ियाजी से इनकी टांग पकड़वा कर खींच न लें। पालियामेंट में जिसका भाई एम० पी० बना बैठा हो, सुखाड़ियाजी को एक इशारा करके कहीं मेरी टांग पकड़ कर खींच न ली जाय। अगर यह नहीं है तो बतायें क्या कारण है? मुझे तो यहां तक मालूम हुआ है कि यह बोर्ड के टेक्निकल मेम्बर श्री सत्संगी हैं इनका हित एक ही काम में लगा हुआ है और वह यह है कि इनके भाई एम० पी० साहब की कॉन्स्टीट्यूएन्सी को कितना ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाय, वहां बिजली के मद में कितना ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाय। ऐसा नहीं है तो मंत्री महोदय बतायें कि इन पिछले सालों में उन एम० पी० साहब की कान्स्टीट्यूएन्सी में बिजली के मद में कितना खर्च किया गया।

इन सत्संगी साहब के एक छोटे भाई है सौभागचन्द, उनके सुपुत्र चौमूं में एक्स,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ई० एन० थे। उन्होंने वहां घोटाला किया, भ्रष्टाचार के आरोप में होना तो यह चाहिये था कि सस्पेन्ड किया जाता, डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी की जाती पर उधर एम० पी० इधर टेक्निकल मेम्बर और एक भाई रजिस्ट्रार हैं, उसके लड़के के खिलाफ कैसे डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी हो, कैसे उसे सस्पेन्ड किया जाय ? इन्होंने उस प्यारे भतीजे को जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था उसे सस्पेन्ड नहीं किया, डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी नहीं की अपने यहां, जयपुर में पोस्टिंग कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्यों यह राजस्थान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ? यह नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को खुश करने के लिये राजस्थान के हितों की उपेक्षा करते चले जायं। राजस्थान की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं कि इस विभाग के अंदर पैसे के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, विद्युतीकरण के नाम पर कैसे पैसा उड़ाया जा रहा है ? किसी स्थान पर लाइन डालने की जरूरत है तो वहां नहीं डालेंगे और जहां जरूरत नहीं है तो वहां जरूर डालेंगे। जब आप गांधी सागर से कोटा बिजली लेकर आए तो आपको क्या जरूरत थी कि बिजली की लाइन को सकतपुर ले गए ? इनकी लापरवाही के कारण या जानबूझकर इनको ६ मील की एक्सट्रा लाइन डालनी पड़ी। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जब लाइन ले गए तो ६ मील अतिरिक्त लाइन डालनी पड़ी, वह लाइन सिंगल सरकट भी नहीं, डबल सरकट की लाइन डाली गई है। आज स्थिति यह है कि जो आप वहां पर लाइन लेकर चले गए हैं, वह बेकार पड़ी हुई है। सकतपुर में सबस्टेशन नहीं है, ट्रांस्फोरमर नहीं है और ट्रांस्फौरमर और सबस्टेशन न होने के कारण ६ मील की डबल सरकट लाइन डाली गई है। इसके कारण राज्य सरकार को केवल इस ६ मील के टुकड़े के कारण जो आपके एस्टीमेट्स हैं कि ६,०००) रु० प्रति मील खर्च होता है। आप अनुमान लगाएं कि केवल ६ मील पर आपको कितना नुकसान हो गया। लगभग ८१,०००) का नुकसान आपने केवल इस ६ मील के टुकड़े पर किया है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई कार्यवाही करने वाला नहीं है और स्थिति यह है कि वहां पर इक्विपमेंट डाला गया है, जहां पर कोई सबस्टेशन नहीं है, ट्रांस्फोरमर नहीं है, जहां पर लाइन ले जाने का औचित्य नहीं था वहां पर इक्विपमेंट डाला है, उस पर ६-७ लाख रुपए का खर्चा अलग करना पड़ा और इसके अलावा जो स्टाफ लगा हुआ है उस पर डेढ़ हजार प्रति माह का खर्चा आ रहा है। तो इस ६ मील के टुकड़े पर आपने राजस्थान की जनता का कम से कम एक लाख रुपए का नुकसान किया है। आपको क्या अधिकार है कि उस लाइन पर ६-७ लाख रुपए का एक्विपमेंट डालें, रिकरिंग एक्सपेंडीचर स्टाफ का कर रहे हैं ? आखिर यह सब स्थिति क्यों चल रही है ? विद्युत् मंडल के अंदर यह काम क्यों हो रहा है ?

आज तक उन जूनियर इन्जीनियर्स जिनके कार्य का श्रेय आप लेते हैं उसमें हमें आपत्ति नहीं। जब गांधी सागर में पानी कम आया था तो आपने बड़ी इफिशियेंसी के साथ काम किया और ऑफीसर्स

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

की सहायता से रतनगढ़ से जयपुर लाइन डाली लेकिन जो बिचारे जूनियर इन्जीनियर थे, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स की पोस्ट्स पर काम किया था उनको कोई सब-स्टैंटिव अलाउन्स दिया ? जिनके कारण आपने विधान सभा में खुलकर श्रेय लिया उनको एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स की पोस्ट्स पर काम करने का अलाउंस दिया ? आज तक वह अलाउंस नहीं दिया गया। जूनियर इन्जीनियर्स के अपग्रेडिंग के मामले में पक्षपात किया जाता है। आज तक जूनियर इन्जीनियर्स को पता नहीं कि केवल उनके अनुभव के आधार पर कब उनका प्रोमोशन होगा। केवल विद्युत् मंडल की मंशा, मर्जी और कृपा पर चले आ रहे हैं।

पहले नियम था कि जो डिप्लोमा होल्डर्स थे उनको पांच साल के अनुभव के बाद प्रोमोशन दिया जाय। इसी प्रकार से जो पहले नियम थे, जो आपके डिग्री होल्डर्स थे, उनको केवल एक साल के अनुभव के आधार पर प्रोमोशन दिया जाय। नियमों के अन्दर आपने संशोधन किया। डिप्लामा होल्डर्स बेचारे अपने स्थान पर पड़े रहे। कई जूनियर इंजीनियर्स जिनके नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि आप उनके साथ पक्षपात करना चाहते हैं, आपने रूल्स को रिलैक्स किया, एक साल की जगह ६ महीने किया गया और इतना ही नहीं समय समय पर इनकी सीनियोरिटी को लेकर लिस्ट बनाई गई १९६४ के अन्दर, उस पर आपत्तियां आमंत्रित की गईं, आपत्तियां हुईं लेकिन कोई एक्नोलेजमेंट नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि जो सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई है वही एप्रूव हो जायगी, लेकिन उसके बाद विद्युत् मंडल अपनी इच्छानुसार इन्टर व्यू कॉल करता है, उसके अन्दर लोग जाते हैं, फिर फेरफार की जाती है। फिर जूनियर इंजीनियर्स लगातार इस एक्सपेक्टेशन में हैं, चाहे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, उनकी मान्यता है कि अपने अनुभव के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर एक दिन वे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बनेंगे। लेकिन वे क्या देखते हैं कि १९६५ में विज्ञापन निकलता है, फिर उनको आमंत्रित करते हैं।

चाहे सकतपुर का मामला हो, चाहे सब्सटैंटिव अलाउंस का मामला हो, चाहे जूनियर इंजीनियर्स का मामला है, क्या इस प्रकार स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट करके आप विश्वास करके चल सकते हैं कि राजस्थान की बहबूदी के लिए कोई कार्य करेंगे ? स्थिति आ रही है, आज राजस्थान की प्रतिभा तो नहीं है लेकिन आज प्रतिभा किसी विशेष व्यक्ति के प्रति चली जा रही है।

इस हाईटेक के मामले को लेकर, केवल विद्युत् मण्डल हो, ऐसी बात नहीं है, राजस्थान का प्रत्येक विभाग, फाइनैन्स विभाग देखिए, पब्लिक सैक्टर में देखिए, हाई-टेक को देखिए। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने बताया कि डेढ़ लाख रुपये का घोटाला है। हाईटेक के अंदर ब्रेकेज का मामला जिसको वाश-अप किया जा रहा है कोई देखने वाला नहीं है। जनरल मैनेजर के मामले को लेकर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई उनके पास विशेष योग्यता नहीं है, पी० एस० सी० से एप्रूव्ड नहीं हैं लेकिन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

क्योंकि वह परम प्यारी प्रतिभा देवीजी का सगा भाई है इसलिए उस व्यक्ति को बिना बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की एप्रूवल लिए उस व्यक्ति को प्रोमोशन दे दिया और आज वह व्यक्ति राजस्थान सरकार से १६००) रु० महीना प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। हाईटेक के खिलाफ असेसमेंट किया जा चुका है। सेल्स टैक्स विभाग द्वारा पैनल्टी इम्पोज की जा चुकी है। लेकिन क्योंकि वित्त विभाग में कौल साहब बैठे हुए हैं, बना बनाया खेल बिगड़ जायगा। सेल्स टैक्स वसूल नहीं होगा उनके खिलाफ जो असेसमेंट किया गया है, वसूली नहीं आ रही। श्री खत्री साहब को अपाइंटमेंट दी जायगी १६००) रु० माह पर। अगर वसूली की गई तो फैक्टरी बन्द हो जायगी, फैक्टरी बन्द हो जाएगी तो खत्री साहब का रोजगार बन्द हो जायगा। क्या आपने इस स्थान पर नियुक्ति करने के लिए कभी विज्ञापन दिया था? एप्लीकेशन्स आमंत्रित की थीं? जिस प्रकार से प्रोसी-डिंग्स हैं, मिनिट बुक्स वहां पर हैं, एजेंडा के अन्दर कभी भी इस प्रकार की सूचना मेम्बर्स को नहीं दी कि किसी अमुक व्यक्ति की पोस्ट भरनी है, कभी भी यह प्रश्न नहीं आया कि जनरल मैनेजर के स्थान पर या किसी टैक्नीशियन के स्थान पर अमुक व्यक्ति को प्रोमोशन देना है। बल्कि राजस्थान सर-कार कहे कि इस मान्यता के पश्चात् कि कोई विदेशों से जिसने कोई शिक्षा प्राप्त की हो ऐसे व्यक्ति को टैक्नीशियन लाना हमारी क्षमता में नहीं है, सामर्थ्य में नहीं है, इतना अच्छा पैसा देकर कोई आदमी रखें, उसकी बिना परवाह किए, उस रिजोल्यूशन की बिना चिंता किए, बिना विज्ञापन दिए, बिना बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग के खत्री साहब को १६००) रु० माहवार पर नौकर किया। तो केवल विद्युत् मण्डल ही ऐसा हो ऐसी बात नहीं, सुखाड़िया जी के शासन के अंदर चारों ओर अंधकार ही अंधकार है।

अन्त में निवेदन करता हूं कि अगर विद्युत् मंत्री किसी दबाव में नहीं आते, ईमानदारी से राजस्थान का हित करना चाहते हैं तो स्पष्ट करें, सुखाड़िया जी की छाती से क्यों चिपके हुए हैं? जूनियर इंजी-नियर्स, जिनका प्रोमोशन करना चाहिए उनको प्रोमोट क्यों नहीं किया गया? रत-लाम से जयपुर लाइन लगाने के लिए जो उन्होंने मेहनत की थी उनको अलाउंस क्यों नहीं दिया गया। इस प्रकार की इन्डस्ट्री आपकी आंख के नीचे, आपके शासन में पनप रही है। क्यों पनप रही हैं? अगर ये पनपेंगी और आपने उनमें सुधार नहीं किया, बिजली विभाग में लाइट जरूर लग जावेगी। लेकिन राजस्थान की जनता अन्धेरे में ही रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान बना है और उसके पूर्व जब यहां पर रियासतों का राज्य था उस वक्त इस प्रदेश में सिर्फ ४४ बस्तियों में बिजली दी गई थी। लेकिन राजस्थान बनने के बाद इस विभाग ने इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली देने का काम किया। जहां दूसरी योजना में इन्स्टाल्ड

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कैपैसिटी ३४,८०० तक बढ़ी उसी प्रकार माइलेज ३३४७ में इन्होंने बिजली का प्रसारण किया। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली का जो हमने लक्ष्य रखा था उसमें २७५ मेगावाट की क्षमता हमने मानी थी। लेकिन इसके कई कारण होने से इस कैपैसिटी को हम नहीं पहुंच सके और उसके लिए रिपोर्ट में विवरण दिया है कि राणा प्रतापसागर से बिजली प्राप्त होने वाली थी वह प्राप्त नहीं हो सकी, उसी प्रकार सतपुड़ा और–भाखरा से जो बिजली प्राप्त होने वाली थी वह भी नहीं मिल सकी। इसके बावजूद भी इस विभाग ने अपनी क्षमता से बिजली के प्रसारण का काम किया। १३२ के बी ६०० माइल, ६६ के. बी. २१५ माइल, ३३ के. बी. २०७५ माइल, ११ के. बी. २६०० माइल। इन लाइनों को खींचा गया है। जहां तक इन लाइनों को खींचने का सवाल है, राजस्थान के ग्रामों, बस्तियों और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कुओं में बिजली देने का प्रश्न है इस विद्युत बोर्ड की ओर से काफी काम किया गया है। ७५०० कुओं को सन् ६६ में बिजली देने का प्रावधान है। इसी प्रकार ११३३ बस्तियों को तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से तीन चार साल से हमारे प्रदेश में बारिश की कमी हुई, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी पानी की कमी रही। इस कारण चम्बल में बहुत कम पानी आया और बिजली की कटौती हुई और उसके कारण स्थान-स्थान पर, सब जगह पर विद्युत मंडल द्वारा कमी की गई।

उसके बावजूद भी, जो प्रौडक्शन की सामग्री जिसके लिए हमको पैसा मिलता है, प्रदेश का विकास हो, उनको किसी प्रकार बिजली देने का प्रबन्ध किया जाय, जगह जगह पर थर्मल पावर और डीजल सैट लगाये गये और बिजली देने का प्रयास किया गया। जहां तक प्रयास का सवाल है, बावजूद कई कठिनाइयों के उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े रखे थे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५ हजार की बस्तियों को बिजली दे देंगे, तहसील हैड-क्वार्टर्स को बिजली दे देंगे और आस पास के गांवों को बिजली दे देंगे। ये तीन प्रावधान आपने तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखे थे, उसकी पूर्ति किस प्रकार की। उसके आंकड़े पूर्व में प्रस्तुत किये गये। जहां तक राजस्थान और भारत के बिजली के उपयोग और उपभोग का सवाल है राजस्थान में १४.६ उपलब्ध होती है उसके कम्पैरिजन में भारत के आंकड़े हैं ५६.२ और उपभोग के हैं १२.६ राजस्थान के और भारत के ४८. तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर भारत के उस आंकड़े में हम किस प्रकार पीछे हैं।

जहां तक राजस्थान के कुओं और गांवों को बिजली देने का सवाल है पंजाब और मद्रास के मुकाबले में १।१० भी नहीं है जब कि राजस्थान खेतिहर प्रदेश है और खेती के प्रौडक्शन को बढाना है, प्रौडक्शन के प्रश्न को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक हमारा हमारा प्रदेश विकास नहीं कर सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा सम्पन्न बनाना चाहते हैं, इसकी प्रगति करना चाहते हैं, इसका प्रौडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से

Page No 64

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ज्यादा बिजली गांवों में देनी चाहिये और उसके द्वारा आपकी बेहबूदी और प्रगति तब ही हो सकती है. लेकिन इस सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिला वाइज, हर जिले का एक विवरण देखें कि किस प्रकार हर जिले में बिजली देने का प्रावधान किया गया है ? तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले में जो राजस्थान के प्रौडक्शन के माने में एक बहुत अच्छा जिला है उसके साथ भेदभाव की नीति बरती गयी है । राजस्थान में कुल कुओं की तादाद १०,६६,००० के करीब है और अकेले भीलवाड़ा जिले में १ लाख कुए हैं । राजस्थान में भीलवाड़ा जिला ही एक ऐसा जिला है जिस जिले में १ लाख कुए हैं । किस प्रकार उस जिले के साथ आपने भेदभाव बरता है । मैं यह निवेदन करूं कि भीलवाड़ा जिले में एक लाख के करीब कुए होते हुए भी सिर्फ ५–७ गांव, जो भीलवाड़ा के आस पास पड़ते हैं, उनमें बिजली दी है । इसके सिवाय किसी भी तहसील और गांव में बिजली सप्लाई नहीं की । जब कि आपने इस प्रकार का प्रावधान किया था कि पांच सात हजार का कस्बा होगा वहां पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली दे देंगे । लेकिन मैं अर्ज करूं आसींद तहसील जहां से, मैं आया हूं, आसींद-प्रोपर तहसील का हैड-क्वार्टर है, पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है, और इस तहसील के बिलकुल मध्य में है, उसमें सात हजार की जन संख्या होते हुए भी उसमें अब तक बिजली नहीं दी । उसी प्रकार बदनोर गांव है, पांच हजार की जन संख्या होते हुए भी बिजली सप्लाई नहीं की । इसका क्या कारण है ? कई बार मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया तथा एडीशनल चीफ इन्जीनियर अमरसिंहजी भीलवाड़ा आये उनसे निवेदन किया था, दरख्वास्तें भी भेजीं, आश्वासन दिया गया कि इस कार्य के लिए प्रावधान किया जावेगा लेकिन इस बजट में देखें तो कहीं पर नामो-निशान नहीं है । आपको प्राथमिकता उन स्थानों को देनी चाहिये जहां इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो । प्रौडक्शन बढ़े और प्रदेश को प्रगति करने में सहयोग मिले । आप किस दृष्टिकोण से किन किन स्थानों को बिजली दे देते हैं यह सोचने का विषय है । भीलवाड़ा जिले में आसींद तहसील में १७ हजार कुए हैं जब कि सारे भीलवाड़ा जिले में १ लाख कुए हैं, खारी नदी के वे किनारे हैं जहां एवरेज ईल्ड दूसरी जगह से ज्यादा है, गंगानगर के बराबर है, वहां पर, गेहूं, कपास और दूसरे उपयोगी सामान जो कि प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी हैं, ज्यादा से ज्यादा पैदा होता है, उनको बिजली न देकर ऐसे स्थानों को बिजली देते हैं, जिनसे पूरा लाभ नहीं होता है ।

(२ म० प०)

मैं आपसे निवेदन करूं अगर आप आसीन्द तहसील को बिजली देते हैं तो आज जितनी प्रौडक्शन वहां की है, उससे दुगुनी हो जायेगी । इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा इसलिये मेरा यह निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बारे में ध्यान दें । इस बारे में मैंने मन्त्री महोदय से और संबन्धित अधिका-रियों से भी निवेदन किया है । फिर भी आपने किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया है । आशा है आप इस बारे में जल्दी ही कार्यवाही करेंगे और आसीन्द क्षेत्र में जहां

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

की जन संख्या आपकी घोषणा के अनुसार है, पांच हजार की जन संख्या वाले नगर को आप बिजली देंगे उस हिसाब से भी आसीन्द व बदनोर इसके पाने के हकदार हैं। वहां के प्रोडक्शन को देखते हुए कुओं में आपको बिजली देनी चाहिये। मैं अब तक समझ नहीं पाया कि उसके लिये प्रावधान क्यों नहीं हो पा रहा है ? धन के अभाव में यह कार्यवाही नहीं की जा रही हो यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि मुझे यह भी मालूम है कि मालपुरा क्षेत्र में एक कुए पर बिजली देने के लिये पन्द्रह मील लम्बी लाइन खींची गई, जिसके लिये डेढ़ दो लाख का खर्चा किया गया केवल एक आदमी को ओब्लाइज करने के लिये। लेकिन जहां एक लाख जन संख्या का सवाल है उस ओर ध्यान नहीं देकर व्यक्तिगत जिनके साथ ताल्लुकात हैं, उनको ओब्लाइज करने के लिये उनको बिजली दे दी जाती है और एक तहसील को छोड़ दी जाय यह न्याय संगत बात नहीं है। मैं इस संबन्ध में निवेदन करना चाहूंगा सात हजार की आबादी आसीन्द की है बदनोर की पांच हजार की आबादी है इन दोनों स्थानों को बिजली जल्दी से जल्दी प्रदान करें इस बारे में अवश्य प्रबन्ध करिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जहां तक बिजली कर्मचारियों का सवाल है जिन्होंने रतनगढ़ से जयपुर तक लाइन लगाई इसमें जिन कार्यकर्त्ताओं ने काम किया, जिन मजदूरों ने काम किया, उसके संबन्ध में मंत्री महोदय ने लम्बी चौड़ी घोषणा की थी कि हमारे मजदूर और कार्यकर्ता कितने इफीसियेन्ट हैं थोड़े ही दिनों में कितनी लम्बी लाइन खेंच दी। लेकिन आज जब उनके बोनस का सवाल है, महंगाई भत्ते का सवाल है, टैम्परेरी को परमानेन्ट करने का सवाल है, बदली का सवाल है, इस प्रकार से कई प्रकार के उनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बिजली बोर्ड है, वह एक ओटोनोमस बोडी है उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इस लिये बिजली बोर्ड ने तानाशाही का राज चला रखा है, वह बिजली विभाग के कर्मचारियों के प्रति किसी प्रकार भी ध्यान नहीं देता।

श्री डूंगाराम रांजोरिया (जमवा रामगढ़) : दूसरे मंत्रियों के बारे में तो इस प्रकार की बातें नहीं करते ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : बिजली कर्मचारियों के बोनस के संबन्ध में प्रश्न बराबर इन्टक की तरफ से उठाया जाता रहा है, बिजली बोर्ड के सामने रखा जाता रहा है. करीब साल डेढ़ साल उसको हो गया। यह डिस्प्यूट बराबर चला आ रहा है जो रिकगनाइज्ड यूनियन है उसके द्वारा बराबर यह मांग रखी जाती रही है फिर भी बिजली बोर्ड द्वारा किसी प्रकार भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक तरफ तो आप उनके कामों का एप्रीसियेशन करते हैं दूसरी तरफ उनकी जो वाजिब मांगें हैं, महंगाई भत्ता, बोनस आदि की, उनको हल नहीं करना चाहते। जब आल इन्डिया लैविल पर कानून द्वारा तय कर दिया गया है कि कर्मचारियों को चार परसेन्ट बोनस दिया जाय। उसके बाद में भी प्रौफिट हो तो उस हिसाब से बोनस दिया

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जाय । यह इन्टक द्वारा मांग पेश की गई है, जिस पर बराबर जोर दिया जा रहा है मगर इस संबन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है । माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनके ओवर टाइम का भी सवाल है, परमानेन्ट बनाने का सवाल है, बोनस और महंगाई भत्ता देने का सवाल है, इन प्रश्नों पर जल्दी से जल्दी गौर किया जाय ताकि कर्मचारियों के साथ आपके संबन्ध अच्छे बने रहें, और आपका विभाग दिन प्रतिदिन फलता फूलता नजर आवे ।

हमारे यहां पर राजस्थान में हम जो चीफ इन्जीनियर बनाते हैं, उसमें हम अपने यहां के लोगों को चान्स नहीं देते हैं । हमें इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिये कि योग्य व्यक्ति इस पोस्ट के लिये राजस्थान का निवासी मिल जाता है तो पहले राजस्थानी को अवसर देना चाहिये । हम यहां देखते हैं चीफ इन्जीनियर असिस्टेन्ट चीफ इन्जीनियर इन स्थानों पर बाहर से लाकर आदमियों को लगा दिया जाता है । अभी जो चीफ इन्जीनियर पद्मनाभन् हैं फाइनेन्सियल रूल्स का वायोलेशन करके उनका अपोइन्टमेन्ट किया गया है । पे, पेन्शन आदि का मसला है जिनको बाहर से लाते हैं उनके लिये पे, पैन्शन का सवाल पैदा नहीं होना चाहिये । फाइनेन्सियल रूल्स का वायोलेशन करते हुए और योग्य आदमी हमारे यहां होते हुए भी, उनको यहां थोपा गया है । जिसकी लोगों में बुरी प्रतिक्रिया हो रही है । वे मद्रास के लोगों को भरे जा रहे हैं यहां तक कि छोटे से छोटे काम के लिये मजदूर तक मद्रास से बुलाये जाते हैं । खास तौर से इस बारे में आपको ध्यान रखना चाहिये । आप यहां पर किसी क्षेत्र के विकास के लिये रखे जाते हैं, उसमें इस प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट और ।

अगर राजस्थानी इस पोस्ट के लिये योग्य मिल जाता है तो सबसे पहले राजस्थानी को प्रोत्साहन देना चाहिये । उसके बाद में दूसरे का सवाल पैदा होता है ।

चौथी योजना के संबन्ध में भी, मैं कुछ निवेदन कर देता हूं चौथी योजना में आपने रखा है सत्तर हजार कुओं को और सात हजार गांवों को आपने बिजली देने का प्रस्ताव किया है लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तीसरी योजना में जो आंकड़े थे, वे भी पूरा नहीं कर सके, तो चौथी योजना में जो आंकड़े आपने रखे हैं ७० हजार कुओं और सात हजार गांवों को बिजली देने के, वे किस प्रकार पूरा कर सकेंगे ? इस बारे में मंत्री महोदय जब जवाब दें अवश्य प्रकाश डालें । इतना ही मुझे इस बारे में निवेदन करना है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मैंने हिसाब देखा, तो मुझे बड़ा दुःखद आश्चर्य हुआ । यह बोर्ड १–७–५७ को बना । आज दिन तक इसका पता नहीं, कि राज्य सरकार ने इस बोर्ड को कितने रुपये का सामान दिया, कितनी पूंजी दी, कितना धन दिया और कितना ऋण दिया । सन् ५७ से लेकर आज ६६ तक हमारा यह

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

विभाग तय नहीं कर पाया कि राज्य सरकार से उसको कितने मूल्य की सम्पत्ति मिली और कितना कर्जा दिया गया।

जो कुछ लेना-देना है उसको पूंजी माना जाय या ऋण माना जाय, इसके बारे में तय नहीं हुआ। इतना छोटा सा प्रश्न बरसों से उलझा हुआ चला आ रहा है, हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सन् ५७ से लेकर सन् ६३ तक तो यह यों ही चलता रहा और ६३ में जाकर एक समिति को यह काम दिया गया। उस समिति ने आज तक इस बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया। एक छोटी सी बात के लिये इस प्रकार का व्यवहार मेरी समझ में जंचा नहीं। इसलिये आज जब यह तय नहीं कि राज्य सरकार ने इसको कितनी सम्पत्ति दी है तो आगे का सारा हिसाब किताब, बैलेन्स शीट और सारे आंकड़े गलत हैं क्योंकि जबतक यही मालूम नहीं कि उसकी पूंजी कितनी और कहां से आई है तबतक आगे क्या हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि आप एक घण्टा नहीं लेंगे। पन्द्रह बीस मिनिट में समाप्त करेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : एक ही पार्टी के दूसरे सदस्य भी बोलने बाकी हैं, और दूसरी पार्टी वाले भी हैं।

श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** : उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि बहियां जो हिसाब किताब की बोर्ड मेन्टेन करता है उसका मिलान महा लेखापाल की बहियों से खाता नहीं। बोर्ड कहता है कि उसे २६३५ लाख देना है, जब कि महालेखापाल कहता है कि तुम्हें ३२११ लाख देना है। छः करोड़ का डिफरेंस सिर्फ देने में और वह भी, राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने जो पैसा दिया वह बोर्ड स्वीकार नहीं करता। बोर्ड को कहता है वह लेखापाल स्वीकार नहीं करता। और यह डिफरेंस भी हजारों और लाखों तक ही सीमित हो तो कुछ बात भी हो, पर छः छः करोड़ रुपये का डिफरेंस, और वह भी केवल एक आइटम में देने में।

राजस्थान सरकार का जो ऋण है उसके बारे में भी इतना फर्क। यह १–७–५७ के बाद का फर्क है। इसके पहले का तो कुछ कहना ही नहीं है। बाद के ५७, ५८, ५९, ६०, ६१ ६२, और ६३ तक प्रत्येक वर्ष के ऋण में फर्क।

यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जो पी. डी. लेखा नम्बर १ और २ जो हैं, उनमें भी अन्तर है। ६३–६४ के आंकड़ों में बोर्ड कहता है, २२९ लाख लेना है। महालेखापाल कहता है कि २७ लाख ही लेना है।

इसी तरह पी. डी. लेखा नम्बर २ में २६ लाख लेना है, महालेखापाल कहते हैं सिर्फ छः लाख देना है। देने लेने में फर्क है। दोनों में विद्युत बोर्ड का हिसाब सही नहीं उतरता। जब ६३–६४ का हिसाब देखा तो पी. डी. लेखा नं० २ में ४४ लाख का फरक पड़ा।

इसी तरह पी. डी. लेखा नम्बर १ कहता है कि हमें ३६१ लाख लेना है जब कि लेखापाल कहता है कि २६८ लाख लेना है। पी. डी. लेखा नं० १ में दूसरी जगह १५ लाख २९ हजार लेना है तो महालेखापाल

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

कहता है १५ लाख ३० हजार लेना निकलता है। तो इस तरह कुल मिलाकर ४४ लाख ६४ हजार का फर्क इस पी. डी. लेखे में है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप यह अन्दाज लगावें कि जिस बोर्ड का हिसाब लेखापाल के हिसाब से नहीं मिले, जिस बोर्ड के हिसाब की बैलेन्स शीट जो हमें दी गई है, उसका रिकार्ड उसकी बहियों से नहीं मिले, उनके जो रजिस्टर हैं, उनमें जो आंकड़े है, वे बैलेन्स शीट से टैली नहीं करते। यह तो ऐसी बात हुई कि राजा हरिश्चन्द्रजी घर से निकले एक हजार श्रीमतीजी से लेकर, तो दफ्तर पहुंचे तब तक ८००) रह गये, क्लर्क को दिये तो ७००) रह गये। तो सरकार ने लोन दिया बोर्ड को, उस में फर्क। बोर्ड और लेखापाल के हिसाब में फर्क और बोर्ड में बहियां जो रहती हैं उस पर से बैलेन्स शीट बनता है, पर उस बैलेन्स शीट में और उन बहियों और रजिस्टरों में भी फर्क।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि यदि उनसे पूछा जावे कि तुम्हारे रजिस्टर कितने फिक्स्ड असैट्स बताते हैं? जरा बताओ। कोई सूचि बताओ, तो ये नहीं बता सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास प्रोपर सही रजिस्टर नहीं, कैश का रजिस्टर नहीं, स्टोर का रजिस्टर नहीं, लैजर नहीं, डिपोजिट रजिस्टर नहीं एडवान्सेज का रजिस्टर नहीं, कन्जूमर्स की लेजर नहीं। आजतक मेन्टेन नहीं की गई सही मानों में और जो मेन्टेन की गई, वे बहियों से टेली नहीं होतीं।

क्या होता है? आपके पास ६८ करोड़ की पूंजी लग रही है और आपको पता नहीं, आपके रजिस्टर यह नहीं बताते कि आपके पास कितने असैट्स हैं, स्टोर का प्रॉपर रेकार्ड नहीं। जो स्टोर इस्यू होता है कन्ज्यूम होता है उसका प्रोपर रेकार्ड नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिसाब कैसा भी हो, कम से कम हिसाब की एक पद्धति है कि साल समाप्त होते ही आडिट उसका हो जाना चाहिये। बड़े बड़े कन्सर्न हैं, टाटा के बिड़ला के भी हैं, कम्पनियां हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों का व्यापार उनमें भी होता है, पर उन पर पाबन्दी है, कम्पनी ला है कि १५ महीनों में अधिक से अधिक बैलेन्स शीट बन कर शेयर होल्डरों के सामने रखना पड़ता है। वे रखते हैं। पर हमारे इस बोर्ड का अभी बैलेन्स शीट ६३ का भी पूरा नहीं हुआ उपाध्यक्ष महोदय।

इसका सही तरीके से फिजिकल वैरीफिकेशन नहीं होता जिससे मालूम हो सके कि इनके पास कितना स्टोर अब बैलेन्स है, कितना आया, कितना कन्ज्यूम हो गया।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, विद्युत): ६३-६४ की तो बैलेन्स शीट सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह जो आपने रिपोर्ट दी है, इसमें तो लिखा है, अभी आडिट नहीं हुआ है; आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : कल रख दी है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उसी में से तो बोल रहा हूं। उसमें आपने कहा है कि

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

आडिट नहीं किया गया है। आप कहते हैं आपने रखी है, आपने कहां से रख दी। इसमें लिखा है।

श्री चन्दनमल बैद : ६३ की रख दी है।

श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** : खैर। तो फिर ६४–६५ की बाकी है। अभी बहुत बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टोर का यह हाल है कि उनको पता नहीं कि वास्तव में उनके पास कितना स्टोर, कहां कहां पर है और स्टोर में कितना गबन होता है, कितना स्टोर चला जाता है, इसका अन्दाज नहीं।

जो माल खरीदते हैं, उसका किस समय क्या पेमेन्ट करना चाहिये, कितना करना चाहिये इसकी जानकारी नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

उन्होंने ब्यावर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी को अपने पास लिया। यह तय हुआ था कि, क्योंकि ब्यावर इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लौस में रन कर रही है और वह अपने शेयर होल्डरों को मुनाफा नहीं दे सकती, इसलिये सरकार ने उसे ले लिया।

वह पार्टी चाहती थी कि उसे बल्क सप्लाई दे दी जावे। सरकार ने कहा कि बल्क सप्लाई नहीं दे सकते। तो कम्पनी वालों ने कहा कि फिर इसे ले लो। इस के अनुसार १५–३–६४ को इसे ले लिया गया बोर्ड के द्वारा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर २१ लाख के असेट्स उस कम्पनी ने बोर्ड से डिमाण्ड किये थे। पर उसको सिर्फ एक लाख के पेमेन्ट किये गये और चूंकि यह ३१–३–६४ के पहले ले ली गई थी इसलिये इससे भी साबित होता है कि यह आपका पेश किया गया बैलेन्स शीट झूंठा है। अधूरा है। इफेक्टिव नहीं है। आपका डेली कैश बुक और लेजर बुक की एन्ट्रियां फरजी होजाती हैं। इनमें से आपके ये २१ लाख के असेट्स गायब हैं। इनकी कहीं एन्ट्री नहीं की गई उस दिन। आपको इसका ध्यान ही नहीं। उसका सामान स्टोर डीजल मशीनें, स्पेअर पार्ट्स, पोल तार सब गायब। वे असेट्स आपके कहां गये ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी तय हुआ था कि इस सब सामान का किस प्रकार से वेल्यूएशन किया जावेगा। यह वेल्यूएशन मार्केट वेल्यू से करना था और इसके आधार पर उसका ७० परसेन्ट उसी वक्त पार्टी को देने की बात थी और उस वक्त यह भी तय हुआ था कि उसकी सारी सम्पत्ति ले ली जावेगी।

साथ ही देना भी ले लिया, लेना भी ले लिया पर उनकी बिजली के जितने बिल बाकी थे उस अमाउन्ट को रिकवर करने की कोशिश आज तक नहीं की गई। उनका सामान ले लिया पर इसकी इन्वेन्टरी नहीं बनाई गई। अब इससे ज्यादा क्या आश्चर्य होगा ? जो कम्पनी का सामान १३–३–६६ को लिया गया उसकी इन्वैन्टरी आज तक नहीं बने। माल आप खरीदते है तो उसकी इन्वेन्टरी बननी चाहिये। पर माल कन्ज्यूम होता जाता है डीजल है तेल है

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

स्पेअर पार्ट्स हैं रोज कन्ज्यूम होते हैं पर कीमत नहीं लगाई। फरनीचर और टाइप राइटर्स जैसा सामान ले लिया गया। उसके लिये कम्पनी वाले ने कहा कि या तो इनकी कीमत दो, या हमें माल लौटाओ तो माल नहीं लौटाया। कीमत नहीं दी। एन्ट्री नहीं, वैल्यूएशन नहीं। आप अगर उसकी वेल्यूएशन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ला के तहत इलेक्ट्रिसिटी इन्सपेक्टर आॅफ इण्डिया इसके लिये प्रबन्ध करेगा। आपने उसकी कोई सुनवाई नहीं की।

उनके सात एन्जिन थे। ४० हजार देना तय किया। पर नहीं दी। कम्पनी ने कहा कि उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, यदि आप नहीं चाहते हैं तो वापिस कर दो। ये ११० लाख में लोग मांग रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार के पास, बोर्ड के पास बिजली की कमी है। उसे ये ७ इन्जन अच्छी हालत में मिल रहे थे और ४० हजार में मिल रहे थे, बाजार में अगर उनको खरीदने जावें तो १०–१५ लाख लगें, पर उनको चालीस हजार देना भारी लगा और उनको लौटाने की स्वीकृति हो गई। वे ही सात इन्जन ११० हजार में बिके। तो इस प्रकार सरकार के वेल्यूएशन में और बाजार के वेल्यूएशन में कितना फर्क है। प्रौपर वेल्यूएशन कराकर उनको ले लेते तो आज के समय में बोर्ड के बहुत काम आते जब कि बिजली की शार्टेज का सामना आपको आज करना पड़ रहा है। पर आपने उनको नहीं लिया।

इस तरह से बहुत से आइटम्स हैं। इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। सिर्फ यह कहूँगा कि यह जो माल आपने उसका लिया उसकी इनवेन्ट्री नहीं बनी, माल जो लिया उसकी कीमत आपने नहीं चुकाई जो टाइपराइटर्स और फर्नीचर आप वापर रहे है, काम में ले रहे है उसका पैसा नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि देश का विकास हो, देश में तरक्की हो लेकिन आज जिस उद्योग में ६३ करोड़ रुपये लगा रखे हैं उसकी हालत क्या है? अब तक इसमें ३ करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। यह जो आपका लेटेस्ट १९६५–६६ का प्रतिवेदन है उसमें ३,०१,१७,५१४ रुपये का घाटा बताया हुआ है और कुल पूंजी ६८,०३,७१, ३१५ रुपये की है। अगर यह पूंजी किसी सेठ के पास हो, किसी व्यापारी के पास हो तो वह सारे हिन्दुस्तान को खरीद सकता है, इतनी ताकत वह रखता है। लेकिन आपको इस पूंजी में ३ करोड़ का घाटा है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि वास्तव में घाटा कहीं इससे अधिक है। अगर आप एक ही अकाउन्ट को ले लें तो १९६३–६४ के अकाउन्ट में घाटा, १९६१–६२ में घाटा, सिर्फ ६२-६३ में ८० लाख का घाटा है। इसके अलावा सिर्फ १९६३-६४ में मुनाफा बताया और इसमें मेरे हिसाब से तो १ करोड़ का घाटा है और वह घाटा आपकी पूंजी में नहीं है बल्कि भाखरा कामन पूल की पूंजी में है। और आज ५५ लाख का घाटा इसके हिसाब से होता है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

यही नहीं घाटा और भी होगा। जब आपकी बैलैंसशीट आई है तो आपको मजदूरों को, चाहे आपको लास हो या प्रौफिट, आपको

Page No 71

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

बोनस देना होगा और उस हिसाब से कम से कम ४ परसेन्ट बोनस आपको देना होगा और आप देखें तो यह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है क्या ? यह तो राज्य सरकार का एक कन्सर्न है । जितना रुपया लग रहा है वह सरकार का लग रहा है, सरकार यह तय करती है कि कहां बिजली जायेगी, किस गांव में जायेगी और किधर बिजली लगाई जायेगी, किन किन कुओं पर लगाई जायेगी या कहां लगाई जायेगी, यह सब बातें सरकार ही तय करती है । आखिर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या फंक्शन कर रहा है ? आपका इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली पैदा नहीं करता है । राजस्थान सरकार तय करती है कि लाइनें कहां जायेगी, टैरिफ क्या होगी, कितनी रेट ली जायेगी । फिर यह बोर्ड क्या है ? क्या अधिकार हैं इसको । लाईन आप लगायेंगे, पैसा आप खर्च करेंगे, पैसा आप दो, फिर यह बोर्ड किस बात का ? सिर्फ आपका कन्सर्न और यह गवर्नमेन्ट सरवेन्ट की तरह से नौकर हो जाते हैं । जब सारा का सारा आपका है तो जो अधिकार लेबर्स को बोनस का मिलना चाहिए वह आप क्यों नहीं देते हैं ? इसी प्रकार से जो मजदूर टेम्प्रेरी हैं, आपका इलैक्ट्रिसिटी का प्रोग्राम बढ़ रहा है, गांव-गांव में बिजली पहुंचानी है तो फिर आप मजदूरों को परमानेन्ट क्यों नहीं बनाते हैं ? आज आवश्यकता इस बात की है कि जो टेम्प्रेरी हैं, उनको आप परमानेन्ट बनायें, उनको सारी सुविधायें दें तब लेबर्स का आप विकास कर सकेंगे वर्ना आप उनका विकास नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की थी कि हमारा जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे से हमें जितनी प्राप्ति होनी चाहिए थी और तृतीय पचवर्षीय योजना में जो हमने निर्धारित किया था कि २७५ मैगावाट बिजली पैदा करेंगे, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी समझ में नहीं आता कि यह हिसाब कौनसा सही है ? यह आपका लेखा है, यह कहता है कि ४७ मेगावाट बिजली बनी और यह कहता है कि ४० मैगावाट बनी । दोनों लेखे एक ही साल के हैं । यह कहता है कि ४० मैगावाट बिजली बनी और यह कहता है कि ४७ मैगावाट बिजली पैदा की और यह कहता है कि हमने ११२६ रूट माइलेज तय किया और जिसमें से ६४६ पूरा किया और यह कहता है कि हमने ७४५ रूट माइलेज लिया और उसमें से ५४८ रूट माइलेज पूरा किया । इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है । यह दोनों किताबें हैं और दोनों किताबों में आपको अन्तर मिलेगा । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि मैं एक को आधार मान लेता हूं जिसमें ७४५ रूट माइलेज हमने लिया और उसमें से ५४८ रूट माइलेज पूरा किया तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें से, जो १३ लाइनें ली थीं, उसमें से एक भी लाईन कम्पलीट नहीं हुई । उपाध्यक्ष महोदय, जितने गांवों में बिजली पहुँचानी थी–आज राजस्थान में ३४,००० गांव है और उनमें से ११८३ गांवों में बिजली है । राजस्थान में कितने कुए हो सकते हैं, कितनों का आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहां ३४ हजार गांव हैं वहां कितने कुए हो सकते हैं लेकिन सिर्फ ६५०० कुओं में बिजली पहुंचेगी । उपाध्यक्ष महोदय, हमने खर्चा कितना किया ? हमारा प्रावीजन था ३३ करोड़ रूपया हम खर्च करेंगे लेकिन हमने कुल ४० करोड़ खर्च कर दिया । याने

Page No 72

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

जितना दिया गया था उससे अधिक खर्च किया और हमारी जितनी प्राप्ति थी और जितनी होनी चाहिए थी, वह बहुत कम हुई ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत कम समय लूंगा । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश में आवश्यकता इस बात की थी कि हम अधिक से अधिक मितव्ययता बरतें । कम से कम खर्चा करके अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाये । लेकिन आज हालत क्या है ? हमारा उत्पादन एक्सपेन्डीचर प्रति दिन बढ़ता जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो उत्पादन एक्सपेन्डीचर था, वह बढ़कर ७२ परसेन्ट तक चला गया है । आपरेशन एक्सपेन्डीचर ७१ परसेन्ट तक पहुंच गया है और इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम इस बोर्ड में प्रशासन को देखें तो मालूम होगा कि सिर्फ ४५ केसेज ऐसे हैं कि जिनमें एम्बेजिलमेन्ट, मिएप्रोप्रियेशन और स्टोर्स की कमी है और उसमें ४। लाख का अमाउन्ट इनवाल्व्ड है । अगर आप समय पर चैकिंग करते तो आपको काफी फायदा हो सकता है । यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इनसे गलत हिसाब बनाकर गलत बिल बनाकर रुपया चार्ज कर लिया और आज दिन तक वह रुपया वसूल नहीं किया गया है और १।। लाख के करीब रुपया है जो पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इनसे ज्यादा चार्ज कर लिया । उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि हमारी मोटरें ३ महीने से ३५ महीने तक बेकार पड़ी रहती हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उनका रोड टैक्स वापिस नहीं मांगा जब कि मियाद होती है और इसमें सरकार को ४७,४२५ रुपये का नुकसान हुआ । जहां तक टैन्डर्स का सवाल है. जो लोएस्ट टेन्डर होता है वह एक्सैप्ट होना चाहिए लेकिन जो हाइएस्ट टेन्डर था वह एक्सैप्ट हुआ । जहां लोएस्ट टेन्डर ७२,३३० रुपये का था उसको एक्सैप्ट न करके हाईएस्ट टेन्डर ६४,००० का एक्सैप्ट किया । स्टाफ का हाल यह है कि जब गवर्नमेन्ट ने कहा कि एक्सेस स्टाफ है उसको निकाल दो तो एक्सैस स्टाफ को वापिस एब्जार्ब करने की बात हुई । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि २ साल २ महीने तक वह स्टाफ बेकार पड़ा रहा और उनको तनख्वाह चुकानी पड़ी । क्या सरकार इस खर्च को रोक नहीं सकती थी ? उपाध्यक्ष महोदय । मशीन लगाई और मशीन को लगाकर उसको काम में नहीं लिया । यह मशीन जयपुर पावर हाउस में लगी और उसको काम में नहीं लिया और आश्चर्य यह है कि बिना काम में लिए उस मशीने के पुर्जे गायब हो गए और उन पुर्जो को मंगाने के लिए आर्डर दिया और वह पुर्जे आयेंगे, तब तक जो उसमें आलरेडी पुर्जे हैं, वह गायब हो जायेंगे, और फिर शायद मशीन ही गायब हो जायेगी । टैन्डर के देरी से मन्जूर करने में, लाखों रुपयों का नुकसान हुआ । हम एक रजिस्टर्ड डीलर है फिर सी फार्म लेकर हम लोगों को खरीदना चाहिए । लेकिन सी फार्म नहीं दिया और उसके कारण से नुकशान हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह सारी बातें बताकर सिर्फ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सब घोटालों के बाद, इन सब के बाद, हमारी हालत आखिर क्या है ? हम कहां जा रहे हैं ? इतना खर्च करने के

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

बाद में, आज हमारे कन्जम्पशन और अवे-लेबिलिटी की हालत क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान क १९६३–६४ में १४. ६० था, वहां भारत का ५६ था और कन्जम्पशन १९६३–६४ में १२·१४ राजस्थान का है वहां भारत का ४८ है १९६४–६५ में राजस्थान की उपलब्धि २०.४ हैं, और उपभोग १७.१७ हुआ। भारत की उपलब्धि ६६.२ और उपभोग ५२.१ हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा गया है कि हम चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत से आगे निकल जायेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब यह देखा ५२–५३ में भारत १५ था वहां आज ६६ में हम पहुंचे हैं और हम अभी बीस पर हैं. और जो हमारी प्रोग्रेस है वह १४ से बीस हुई है, जब कि भारत की ५६ से ६६ हुई है। तो भारत सरकार भी चौथी पंचवर्षीय योजना में बैठी नहीं रहेगी वह भी प्रोग्रेस करेगी और उस हिसाब से पर कैपिटा उत्पादन भी बढ़ेगा और कंज़म्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन इस प्रकार से झूठी बातें लिख कर हमें गुमराह करते हैं । आपको यह कहना चाहिए कि आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये डिफि-कल्टीज़ हैं, लेकिन वह कहना कि हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारत से आगे निकल जायेंगे तो कैसे निकल जायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो हालत है उसमें मैं एक बात यहां और बताना चाहता हूं। जो हमारे यहां डेप्रीसियेशन फण्ड और प्रोविडेंट फण्ड होता है इनका रिज़र्व फण्ड होता है सरकार के पास । लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो नियमों के अनुसार प्रोविडेंट फण्ड का अमाउण्ट अलग से इन्वेस्ट होना चाहिए था उसे पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं किया गया है। आज कर्मचारियों की अंशदायी भविष्यनिधि और डेप्रिसियेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व का कुल मिला कर साढ़े चार करोड़ रुपया होता है और जो हमारे पास जमा है, उसके अगेंस्ट में २ करोड़ ६१ लाख का इन्वस्टमेंट ही है, और उसमें से भी ५८ लाख का कर्जा ले लिया है। यह हमारी हालत है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को देखते हुए और इस सारे हिसाब को लगाने से मुझे यह लगा कि यह....

(अनवरत घण्टी)

बस खत्म कर रहा हूं,

अंतिम है इन कागजों को देखने के बाद मुझे लगा कि आज जो हिसाब दिया गया है, यह कागज काम में लिए गए हैं वह भी सही नहीं हैं बल्कि रद्दी हैं। इस पर आंकड़े छपे हैं वे भी रद्दी हैं उसका हिसाब भी रद्दी है न बहियों से मेल खाते हैं और न जो माल खरीद किया जाता है, वह भी स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं होता है ।

आज हमें आवश्यकता है कि हम एग्री-कल्चर प्रोडक्शन को बढ़ायें और उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, उपा-ध्यक्ष महोदय, कि एक ऐसा एरिया सिलेक्ट कर लिया जाय, जहां बहुत अच्छी पैदावार होती हो, वहां पर जितने कुंए हों, उनमें बिजली उत्पादन बढ़ाया जाय और इस प्रकार से एरिया सिलेक्ट करके हम बिजली

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

का विस्तार करें तो अधिक उपयोगी होगा और जो कुछ हमारा हिसाब-किताब है, उसको ठीक करने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह ।

(२·३४ म. प.)

दिनांक २६ मार्च को २८ मार्च तक स्थगित हुई बैठक पुनः उसी दिन होने विषयक औचित्य प्रश्न

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : On a point of order, sir. उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक २६-३-६६ को सदन की कार्यवाही २६ से २८ मार्च तक के लिए स्थगित की गई । कार्यवाही स्थगित एक बज कर पांच मिनिट पर हुई और उसके बाद जब कि २८ तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी उसी कार्यवाही को १ बज कर चालीस मिनिट पर फिर कार्यवाही शुरू की गई । उस दौरान के अन्दर जो भी कुछ कार्यवाही शुरू की गई वह बिल्कुल गलत और अवैधानिक थी । यहां तमाम जितने माननीय सदस्य थे, वे यह समझ कर कि क्योंकि २८ तारीख तक के लिए मीटिंग स्थगित हो गई है, वे तमाम के तमाम जा चुके थे और किसी भी हालत में किसी को भी बगर नोटिस दिए दुबारा मीटिंग, बगैर नोटिस के दुबारा मीटिंग बुलाने का अधिकार नहीं है । इसलिए वह बगैर नोटिस के बुलाई गई मीटिंग और उससे जो भी कार्यवाही शुरू की गई, वह कार्यवाही बिल्कुल अवैधानिक है । जब हम इस तरह की कार्यवाही देखते हैं तो फिर हमको पता लगता है कि इस सरकार की क्या नीयत है ? क्या यह सरकार जो अपोज़िशन के नौ सदस्यों को, उन लोगों को को जिस तरह से घसीट-घसीट कर बाहर निकालती है और इस तरह की कार्यवाही करती है वह महज इसीलिए करती है कि वह सरकार की जो कमजोरी है, उसकी जो मनमानियां है, जो ज्यादतियां हैं, उनको कोई पकड़ न सके, इसलिए वह अपोजिशन को दबाने की हर मुमकीन कोशिश करती है, ताकि अपोज़िशन किसी न किसी तरह से कमजोर रहे, और इस तरह से उनको रखें कि वह थोड़ी बहुत भी अगर उनसे गल्ती हो जाय तो उसको नजरअन्दाज़ किया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है । कोई इसके ऊपर अगर हाई कोर्ट में चला जाय तो तमाम की तमाम कार्यवाही गलत होती है और इससे पूरे हाउस का, तमाम जितने माननीय सदस्य हैं, तमाम का और हाउस का अपमान होता है क्योंकि हाई कोर्ट तो किसी का लिहाज नहीं करता । इसलिए कोई भी अवैधानिक कार्यवाही हो, उसे हमें ठीक तरह से दुरुस्त करना चाहिए वरना यह तमाम कार्यवाही गलत हो जाएगी ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है । जिस रोज २६ तारीख का यह जिक्र करते हैं उस दिन तो माननीय सदस्य जेल में थे । इनको कुछ मालूम नहीं है । हम सदन के सदस्य यहां मौजूद थे, उनको मालूम है कि कुछ समय के लिए आपने कार्यवाही एडजोर्न की थी और कुछ समय बाद दुबारा सदन

(श्री मानसिंह महार)

को बुलाया गया । ये सारी चीजें प्रोसीडिंग्स में हैं, और इस प्रकार की गलत बातें कह कर सदन में गड़बड़ी करना चाहते हैं, यह उचित नहीं है । यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है; इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे आउट राइट रिजेक्ट किया जाय ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट बोलना चाहूंगा ।

प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है. उसके लिए मुझे यह कहना है कि जो मिनिट बुक में लिखा हुआ है उसके अनुसार तारीख २८-४-६६ को ११ बजे तक के लिए हाउस एडजोर्न किया गया था और उसके बाद में जो कुछ पत्रों में लिखा गया, उपाध्यक्ष महोदय, उसका भी सरकार की तरफ से कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं किया गया और जो हमने सुना वह भी सही था कि यह हाउस तारीख २८-४-६६ को ११ बजे तक के लिए स्थगित हुआ था । उसके बाद में जहां तक वापिस बुलाने का प्रश्न है और नोटिस देने का प्रश्न है उसके बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन इस प्रकार की, एक इस बात की मान्यता दी जाय कि यह हाउस तारीख २८-४-६६ के लिए स्थगित हुआ था, क्योंकि यह मिनिट्स बुक में और प्रोसीडिंग्स में लिखा है और उसके बाद में जब पॉइन्ट ऑफ आर्डर के द्वारा इस प्रश्न को उठाया गया तो कहा गया कि यह हाउस कुल आधे घण्टे के लिए स्थगित किया गया । हम समझते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जिस पर विश्वास किया जाता है कि सब माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं. जो कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा कहा जाता है, उसको सही रूप में लिखा जाता है, एक यह मान्यता है और हम मानते हैं कि जो कुछ लिखा गया है प्रोसीडिंग्स में, वह सही रूप में लिखा गया है । उसके बाद में प्रश्न यह उठता है कि अभी जो कुछ कहा गया वह क्या प्रोसीडिंग्स में जो लिखा है उसके विरुद्ध है इस बात का सवाल उठता है और जो कुछ प्रोसीडिंग्स में लिखा गया है क्या वह सही नहीं है । इसलिए आपके द्वारा हमे यह व्यवस्था चाहेंगे कि जो आपने हाउस स्थगित किया था २६–३-६६ को वह २८ को ११ बजे तक के लिए स्थगित किया था अथवा आधे घण्टे के लिए इस बारे में, हम आपसे व्यवस्था चाहेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र (मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला जो अभी माननीय सदस्य ने उठाया है उसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय ने स्पष्टीकरण उसी दिन कर दिया था कि जब यह सदन फिर मिला कि हाउस सिर्फ आधे घण्टे के लिए एडजोर्न किया गया था । मैं समझता हूं जब उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी, तो अब इस वक्त यह प्रश्न उठाना कहां तक ठीक है ? यह मैं समझ नहीं सका कि इस समय इस प्रश्न को उठाना कहां तक उचित है और इस विषय में सारे हाउस के जो लीडर्स हैं, वेरियस पार्टीज के उन्होंने सब ने मिल कर इस बारे में उनके सामने बातचीत हुई थी कि सदन आधे घण्टे के लिये एडजोर्न किया गया ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वह तो क्लीअर है ।

Page No 76

श्री हरिश्चन्द्र : और जो कुछ आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है मैं उससे इत्तफाक करता हूं।

श्री हरिराम चौहान : आधे घण्टे क प्रश्न ही नहीं है। इसके अन्दर साफ लिखा हुआ है, कार्यवाही के अन्दर लिखा है कि सदन की कार्यवाही....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of information Sir.

श्री उपाध्यक्ष : उन्हें कह लेने दें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्फार्मेशन के लिए है, इससे उनकी जानकारी भी बढ़ेगी।

श्री हरिराम चौहान : उसमें लिखा है कि सदन की कार्यवाही ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाया गया है यह किस नियम के तहत उठाया गया है ? मैं जानना चाहता हूं सम्माननीय सदस्य से, कि यह किस बेसिस पर उस दिन की बात को इस समय उठा रहे हैं ? इस सदन को चलाने के नियम हैं, और जो नियम हैं, उन सारे नियमों के अन्दर, दिन में किए जाने वाले कार्य का एजेण्डा आप भेजते हैं कि आज यह कार्यवाही करेंगे, फिर यह किस आधार पर इस बात को सदन की नोटिस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिए यह पॉइन्ट ऑफ आर्डर ऑलटूगेदर रिजेक्ट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जी माननीय हरिरामजी ने....

श्री हरिराम चौहान : माननीय उपाध्यक्ष रूलिंग दें उससे पहले मुझसे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप पॉइन्ट उठा चुके हैं। माननीय हरिरामजी ने जो आपत्ति उठाई है, इस विषय में मेरा केवल इतना ही कहना है कि विशेष परिस्थितियों के कारण उस दिन जो सदन स्थगित हुआ था उसके विषय में, आगे जो कार्यवाही चालू हुई, वह सदन की अनुमति से हुई। सदन सार्वभौम है। सदन रूल्स भी बना सकता है और सदन सब कुछ कर सकता है। इसलिए इस आपत्ति को मैं निराधार मानकर रूल आउट करता हूं।

(२.४१ म. प.)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक ? आय-व्ययक के १९६६-६७ पर अग्रेतर विचार-विमर्श (पूर्व क्रम से)

श्री **चौसरसिंह बाबेल** (बेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर वाद-विवाद हो रहा है। उस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि यह सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५ हजार की आबादी से ज्यादा वाले कस्बों में, बिजली देने में असफल रही रही है, और इसकी कई नजीरें मौजूद हैं। अभी माननीय सदस्य जो आसींद से आये हैं, उन्होंने भी जिक्र किया है, और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं, कि गत वर्ष इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट में बेंगू के लिए जो कि साढ़े सात हजार की आबादी का कस्बा है, २,६०,०००) रु० रखा गया था, लेकिन यहां डिस्कशन होने के बावजूद भी वहां पर

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

खर्चा नहीं किया गया। और बस्सी से बैंगू तक लाइन ले जाने का प्रावधान था उसके बावजूद भी उस साल वहां पर कोई लाइन नहीं ले जाई गई। इसके लिए वहां के लोगों में बड़ा उत्साह था किसानों में, और, और लोगों में उसको सब को टाल दिया गया। इस साल भी बस्सी से बैंगू तक लाइन ले जाने के लिए ३,३८,०००) रू० बजट में रखा है और चौकियां और अन्य सामग्री के लिए ५० हजार रुपया और स्थानीय वितरण के लिए ३० हजार रुपया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि चौकियां और अन्य सामग्री के लिए पिछले साल ७० हजार रुपया था उसका ५० हजार कैसे बन गया और स्थानीय वितरण के लिए गत वर्ष ६० हजार रुपया था उसके लिए अब ३० हजार रुपया रखा है, इसका क्या कारण है ? इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

जब सदन में यह सवाल उठा था कि बैंगू को बिजली कहां से दी जा रही है तो यहां पर मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि चित्तौड़ की तरफ से देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब बैंगू के लिए बिजली चित्तौड़ से बस्सी और बस्सी से बैंगू लाइन आ रही है। बैंगू साढ़े सात हजार की आबादी का कस्बा है। गत वर्ष इसके लिए प्रावधान किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५ हजार तक के कस्बों में तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में यह प्रस्ताव किया गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली पहुंचा देंगे, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हुए।

आप चुनावों के टाइम में जनता से वादा करते हैं। सन् ६२ में मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय बैंगू आये तो उन्होंने जनता से और किसानों से उनकी और तकलीफें मिटाने के साथ साथ जंगलात की तकलीफ मिट जायगी, तुम्हारे यहां वाटर वर्क्स लगेगा, इसके साथ-साथ बिजली के लिए भी कहा है। और सन् ६२ से अब तक बिजली नहीं मिली। वहां के लोगों ने एन्जिन लगाया तो वह भी बंद हो गया और वहां अंधेरा हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी लाइन जा रही है तो उसके रास्ते में बारडौली, पिछौर, कागदी, नकदई, जजई, टीकरी, आदि गांव पड़ते हैं। इनको बिजली देने की कार्यवाही करें। बड़ावदा उसके नज़दीक है उसमें भी बिजली पहुचाने की कोशिश करें। आपने ६८ करोड़ रुपया खर्च किया है। राजस्थान ने ३३३ करोड़ का कर्जा लिया है उसके हिसाब से प्रगति ठीक नहीं हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ बढ़े हैं बिजली के मामले मे, लेकिन जितने बढ़ने चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है वहां पर लोगों ने कुए में सैट लगाये लेकिन कुओं में बिजली नहीं दी, इसलिए नाज की समस्या है। देते तो हजारों मन नाज वहां पर पैदा होता। जनता को सुविधा मिलती। आज त्राही-त्राही मच रही है। लोग दुखी हो रहे हैं। आप न कर्मचारियों की सुनते हैं और न जनता की सुनते हैं। आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह से बिजोलिया और मांडल के लिए ६ लाख का प्रोवीजन रखा है। उसको खर्च करने की कृपा करें। ऐसा न हो कि गत वर्ष की तरह २,६०,००० रु० की स्कीम को बदल दें।

मैं यही प्रार्थना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम !

Page No 78

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमुवा रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली के बजट पर सदन में विवाद हो रहा है। इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार का जो लक्ष्य था, जो उसकी योजना थी बिजली के सम्बन्ध में, यह सरकार बिजली पूरी तरह से देने में असमर्थ रही है। इस लिए मैं कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य जो रखा जाता है कम से कम सरकार जब तक उसकी पूर्ति नहीं करेगी तब तक प्रगति या उत्पादन के बारे में या और किसी के बारे में, कस्बों वा कुओं को बिजली देने के बारे में सरकार उन्नति नहीं कर सकी। उसका उदाहरण मैं दूं। मेरे जमवा रामगढ़ क्षेत्र में सन् ६३ में सरकार की बिजली लगाने की योजना थी। उसका कारण यह था कि सिंचाई का खास साधन नहीं था। खास साधन नहीं होने की वजह से और दूसरे यहां से जयपुर से जमवा रामगढ़ तक बिजली आसानी से और कम खर्चे के साथ दी जा सकती थी। ६२ में सरकार की योजना बनी थी तो ६३ के बाद ६३ से लगाकर आज ६६ आ गया और ६६ में केवल तीन गांवो को बिजली देकर सरकार यह कह दे कि योजना पूरी कर दी, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जिन गांवों में बिजली देने की व्यवस्था है और उत्पादन बढ़ाने का एक यही उपाय है, जिससे कि नाज की समस्या हल हो तो वहां भी जब बिजली न दें और अपने लक्ष्य की पूर्ति न कर सकें तो उस तरह से कैसे आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं ? उन गांवों में जो कमी है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं हैं, उन किसानों की समस्या को आप किस तरह से हल कर सकते हैं ? इसके बारे में सरकार को निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो ढिलाई है, और गलत नीति है, उसको जब तक सरकार विचार नहीं करेगी कि बिजली को किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं, बिजली को ज्यादा से ज्यादा काम में कैसे ले सकते हैं ? और इसका ज्यादा से ज्यादा क्या उपयोग हो सकता है ? इसके बारे में सरकार को विचारना चाहिए। एक तरफ तो जैसा कि मैंने बताया कि आसानी से बिजली दे सकते हैं और कम खर्चे में दे सकते हैं वहां वह काम नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार ने खम्भे गाड़ दिये १५०—२०० मील तक बिना काम के। जो साधन काम में लाना चाहिए थे, उन साधनों को बर्बाद करके रख दिया वे वहां पर काम में नहीं आ रहे हैं और आप यहां के लिए कहते हैं कि सामान की कमी है बिजली की आप व्यवस्था नहीं कर सके हैं। वह व्यवस्था आपकी किस रूप में है कि चुनाव के समय खम्भे गाड़ दिये, जैसे दौसा से लगाकर लालसोट तक खम्भे गाढ़ दिये। वे किस काम के लिए गाड़ें हैं। वह सामान बिल्कुल बेकार वहां लगा रखा है। वहां पर जो सन् १९५२ से खम्भे गाढ़ रखे हैं वह उपयुक्त जगह पर गाढ़ते और उपयुक्त जगह पर काम में उनको लेते तो वे खम्भे काम में आ सकते थे, जैसे जमवा रामगढ़ की पूरी तहसील में आप उनसे बिजली दे सकते थे। बिजली देते एक जगह और शो कर देते हैं कि इतनी दी। मानपुर में बिजली दी और वहां पर सौवां अधिवेशन कर दिया। पूरी तहसील में तीन गांवों में बिजली दी और कह दिया कि बहुत बड़ा तीर मार दिया कि उत्पादन के लिए बिजली दे दी है काफी। तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि बिजली के बारे में आपकी जो नीति है वह इस तरह की हो

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

कि बिजली ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आये।

दूसरी ओर, तीन गांवों में बिजली दी, तो उनके बारे में निवेदन करूं कि जमवा रामगढ़ में बिजली दी है तो वहां पर तीस कुओं में आज तक बिजली क्यों नहीं दी ? उन कुओं में लोगों ने पंपिग सेट फिट किये हुए हैं। पंचायत समिति से लोन लेकर किसानों ने पंपिग सेट फिट कर दिये। उससे उनके कुए रुक गये ! लाव चड़स भी काम में नहीं ले सके। इसलिए खड़ी फसलें सूख गई और उन्हालू की साख मारी गई। जब आप ऐसी स्थिति में थे कि वहां पर बिजली नहीं दे सकते थे, कनेक्शन नहीं दे सकते थे तो उन कुओं के रुकने के पहले यह आपको सोचना चाहिए था। जब पंपिग सेट से कुए रोक दिये जावेंगे और कनेक्शन नहीं होगा तो साख की पिलाई कैसे होगी ? आपने बेवकूफी करदी. वह तो ठीक है, लेकिन उन किसानों की दुर्दशा तो हो गई। किसानों की यह साख मर गई। उनकी हालत क्या होगी ? इसके बारे में विचारने की बात है। कनेक्शन आप समय पर नहीं दे सकते थे तो पहले सोचना चाहिये था कि कनेक्शन पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं है उतना ही काम करते। आप ऐसा कदम क्यों बढ़ाते हैं कि जिससे नुकसान उठाना पड़े। आप बिजली जितनी सुचारु रूप से दे सकें उतने कुओं के लिए पहले से योजना बना दें कि इतने कुओं में बिजली देनी है। और इतने में कनेक्शन फिट कर सकेंगे, तो उतनी ही बिजली का कहें। आप तो पंचायत समितियों को ऑर्डर कर दें कि इतने व्यक्तियों को बिजली देंगे इतने सैटों को लोन देना चाहिये। बाकी को लोन देंगे तो उपयोग में नहीं आयेगा इसलिये मैं कहता हूँ कि किसानों के प्रति जिनके बारे में आप कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिये नई सुविधा देना चाहते हैं तो उनके साथ पहले तो आपने अन्याय कर दिया अब तो न्याय करें। सरकार को सोच समझ कर बिजली देनी चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि आप कहते हैं कि आपकी बिजली की क्षमता कम है और क्षमता बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं। पलाना में आपकी कोयले की खान है उसमें हर साल १६–१७ लाख रुपयों का नुकसान आपको उठाना पड़ता है। इतना नुकसान उठाकर भी आप उस कोयले को काम में नहीं ले सकते यदि आप सही रूप में कोयले को काम में लेना चाहें तो इसे बिजली उत्पादन के काम में ले सकते हैं। दूसरी ओर आपको पानी की जरूरत है तो वहां पर आप ट्यूबवैल लगा सकते हैं, उससे आपको पानी मिल सकता है। आप इसका सर्वे करावें तो आपको पता चल जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि पलाने की कोयले की खान नुकसान में जा रही है उसको आप बिजली बनाने के काम में लावें तो आपको राहत मिल सकती है।

तीसरी बात आपने जो ३ करोड़ रुपयों का बिजली बजट में नुकसान बताया है। आप इसको अपनी गैर अक्लमंदी समझिये या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसा कर रहे हैं, जिससे आपको खुद को नुकसान हो रहा है। आप जो चीज १)

(श्री डूंगाराम राजौरिया)

६० में लाते है उसको १० आने में बेचेंगे तो नुकसान ही होगा । यही नहीं हमारे जन संघ के मित्र बार—बार कहते है कि कोटा में एक उद्योगपति ऐसा है जिसके बिजली दी हुई है उसमें आपको १५–१६ लाख रुपये का हर साल नुकसान उठाना पढ़ता है । आप शायद ५ पैसे में बनाते है और ३ पैसा युनिट से बेचते हैं । आप इतना नुकसान उठाकर उद्योग पनपाते हैं तो ठीक है लेकिन आप ऐसा उद्योग पनपाते हो जो एक आदमी के ही काम आता है १६ लाख रुपये एक साल में नुकसान उठाकर सौ डेढ़ सौ आदमियों की छोटी—छोटी फैक्ट्रीज कायम करके उनको प्रोत्साहन देते तो हम भी समझते कि गरीब तबके को रोजगार मिल रहा है । लेकिन आप तो एक ही आदमी को फायदा देकर १६ लाख का नुकसान उठा रहे हो, प्रोफिट न करके उल्टा नुकसान उठा रहे हैं । यह क्या प्रोत्साहन की बात है ? एक ही आदमी की फैक्ट्री को आप इतना लाभ पहुंचाते हैं और अपना नुकसान उठाते हैं यह कहां तक उचित है ? ....

श्री **दयाचन्द सोन** (बारां–सु.) : उनसे चंदा मिलता है गरीबों से क्या मिलेगा ?

श्री डूंगाराम राजौरिया : मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी यह व्यवस्था उद्योगपतियों को फायदा देकर अपना इतना नुकसान कर रहे हैं यह बिल्कुल खराब बात है। सरकार को सोचना चाहिये कि हम किन लोगों का फायदा करें । आप इस तरह से १६-१७ लाख नुकसान करके, बिजली बोर्ड का नुकसान करते हैं, गवर्नमेंन्ट का नुकसान करते हैं, और उन तबकों को प्रोत्साहन देते हैं, जिनके लिये आप कहते हैं कि हमें उनको प्रोत्साहन नहीं देना है, गरीबों का धंधा पनपाना है । आपने इस उद्योगपति से जो गारन्टी कर रखी है उसको अब तो खत्म करें । काफी समय हो गया । आप को नुकसान हो रहा है उसको कम करें और छोटे उद्योग-धंधे करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन दें, उनको किफायत से बिजली दें, ताकि उनको फायदा हो सके ।

इसके अलावा मैं एक बात और कहूंगा । जैसा आपने कहा कि कस्बों को बिजली देने की योजना हैं और ज्यादा कस्बों को बिजली देंगे । मैं कहना चाहता हूँ कस्बों को बिजली देने के लिये मना नहीं करता लेकिन आपके पास क्षमता नहीं है और उधर आपका विचार कृषि-उत्पादन को प्रोत्साहन देने का है और कृषि के लिये अधिक बिजली देना चाहते हैं तो यह आप कैसे करेंगे ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कस्बों में बिजली कम दें । पहले उत्पादन का मामला है उसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान दें । पेट भर जाय तो अंधेरे में तो रह सकते हैं । इसलिये मैं कहूँगा कि पहले ज्यादा से ज्यादा बिजली कूओं के लिये दें फिर बचे तो कस्बों के लिये दें, तो अच्छी व्यवस्था होगी । मैंने जो कमियां बताई हैं उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और विचार करना चाहिये और जो जमुवारामगढ़ के बारे में कहा है उस पर भी विचार करना चाहिये । वहां पर न सिंचाई का साधन है और न किसी प्रकार की व्यवस्था है, इसलिये वहां पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में बिजली दी जाय । वहां जो साधन था, उसको भी रोक दिया गया है । वहां के बांध का पानी जयपुर को दे दिया है, तो कूओं को तो ज्यादा से ज्यादा बिजली

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

द। तीन साल पहले देने का विचार था लेकिन नहीं दिया इसलिये जमुवारामगढ़ में बिजली देने का काम आगे की साल में पूरा करदें तो आभारी होऊंगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् मंडल का एक बैलैन्स शीट है उस पर सदन को चर्चा करने का अधिकार है बाकी तो पूरे सर्व अधिकार विद्युत् मंडल को दिये हुए हैं ऐसा मालूम पड़ता है। जो हिसाब हमारे पास आया है उसको देखने से मालूम होगा कि जहां उन्होंने ३ करोड़ १ लाख का नुकसान बताया है, उस पर यदि ब्याज पूरा जोड़ लें तो यह नुकसान ९ करोड़ का होगा। जितना महा-लेखाकार ने विद्युत् मंडल को राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ ऋण बताया है, विद्युत् मंडल उतना नहीं मान रहा है उससे करीब ७-८॥ करोड़ रुपये कम अपने यहां जमा करना चाहता है। यही नहीं इसके बाद विद्युत् मंडल के हिसाब पर मुझे तो विश्वास नहीं होता। उनकी अपनी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मजदूरों का क्या हिसाब देय है एक जगह नहीं दिया गया है। उन्होंने अपना हिसाब बताया है, उपादेय का हिसाब कुछ और है रजिस्टरों में कुछ और है उनके पी.डी. अकाउन्ट में कुछ और दिया है। हिसाब विश्वास करने योग्य नहीं है, यह कहा जा सकता है। अच्छी तरह से कहा जा सकता है।

आज इसमें जो पूंजी लगी हुई है, वह करीब ८४ करोड़ की हो जायगी इस साल और उसमें यदि ब्याज जोड़ा जाय जैसा कि साढ़े पांच पर्सेन्ट और साढ़े चार पर्सेन्ट के हिसाब से ब्याज दिया हुआ है, इसको जोड़ा जाय तो करीब १२ करोड़ रुपये ब्याज के और होते हैं इनको इसमें जोड़ा जाय तो १ अरब के नजदीक पहुँचने वाला है। और जो काम किया जाता है उसमें नुकसान है। हर साल नुकसान रह जाता है। अबकी भी नुकसान है पहले भी नुकसान था। इसका कारण यह है कि साफ तौर से हिसाब नहीं है। कभी सत्यापन नहीं होता है हिसाब का। जहां १ अरब रुपया लगादें, सरकार इतना विश्वास करके पैसा दे दे, वहां विद्युत् मंडल यह कह दे कि हमने सत्यापन नहीं किया, यह दुःख की बात है। पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं है बोर्ड के मेम्बर्स का नहीं है, जनता का है। मैं अर्ज करूंगा कि राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का ९५ करोड़ रुपया ब्याज चुकाने में दे दें जिनसे पैसा लिया है उनको और जिनको पैसा दिया है उनमें ब्याज बाकी है उनसे दिया नहीं जाता है, क्योंकि हिसाब होता नहीं, वह करीब ३० करोड़ के आस-पास है।

(३. म. प.)

मैंने इसका हिसाब जोड़ा है, मैं बता सकता हूँ, कभी भी मंत्री महोदय देखें। इस तीस करोड़ में इनका भी बारह करोड़ है। हम तीस करोड़ रुपया ब्याज का लोगों में मांग रहे हैं, आप इसमें से बारह करोड़ मांग रहे हैं, वैसे ही अठारह करोड़ दूसरे इसमें मांगते हैं। लेकिन आप ब्याज वसूल नहीं कर पाते हैं। विद्युत् मंडल आपका दिया हुआ पैसा मानता नहीं है। और कहें किसे ?

विद्युत् मंडल पर जितना अधिकार है वह विद्युत् मन्त्री जी का है। वे यहां बैठे

Page No 82

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

हैं। हमारी सरकार से जो पैसा दिया गया है उसको विद्युत् मंडल आपका पैसा मानता नहीं हैं। वह कहता है कि इतना जमा नहीं किया है। उसके लिए कमेटी बिठा कर कोई निर्णय नही ले सके। भई, यह तो खर्च किया है, हमारा केपिटल, जो १९५७ में जितना खर्च किया है वह जमा करना चाहिए। जितना पैसा सरकार ने दिया है वह, वह जमा करे। लेकिन मालूम नहीं, क्या बात है ? लाखों रुपया विद्युत् मंडल में खर्च किया जाता है। ५१ लाख रुपया १९६३–६४ में विद्युत् ये स्टाफ पर खर्च किया गया। अब तो वह और बढ़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ठीक तरह से हिसाब नहीं रख सके।

उपाध्यक्ष महोदय, व्यापार का कायदा है, कि जिस दुकानदार ने ठीक से हिसाब नहीं रखा वह दीवालिया हो जाता है। हिसाब रखना सबसे पहले जरूरी होता है। मुझे मालूम है कि जितना सामान स्टोर से इश्यू होता है–इसको एक लेजर से दूसरे लेजर में ले जाया गया है या नहीं–जिस काम के लिए वह इश्यू हुआ उसमें लया दिया है या नहीं इसका सत्यापन नहीं हुआ है। तो आपके डिपार्ट–मेंट के स्टोर की हालत खराब है, वहां लेजर मिलते नहीं हैं एक दूसरे से। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि हम विद्युत् मंत्री से निवेदन करेंगे कि आप एक जांच कमेटी बिठाइये और विधान सभा के सदस्यों की बिठाइये और पता लगाइये कि यहां पर किस प्रकार गड़बड़ी हुई है ? वहां होती हैं गड़बड़ियां। अनुशासन नाम की कोई वस्तु विद्युत् मंडल में नहीं है। यहां तो मजदूरों को दबाया जाता है। यहां तो, कुछ लोग अनुशासनहीन और अयोग्य हैं वह बैठे रहते हैं और उनको बैठने के लिए वेतन मिलता है। यह दोनों आदमी वहां पर विद्युत् मंडल को सुचारु रूप से नहीं चला रहे हैं, व्यवस्थित रूप से नहीं चला रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : आप नहीं पहुंच सकते, ज्वालाजी !

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही साहब पूरा करता हूँ।

तो एक निवेदन है कि जल्दी ही हिसाब को पूरा करलें।

एक महालेखपाल ने बताया है, उसको मिलाया जाय। हर वर्ष १९६०–६१ की रिपोर्ट में कहा गया कि अभी तक नहीं हुआ है, १९६१–६२ में कहा गया कि अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है. १९६२–६३ में यह कहा गया कि अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है। हिसाब महालेखपाल लगाते हैं तो एसा नहीं है कि हिसाब नहीं हो और वह अन्दाज लगाते हों। मारा जाय रुपया तो आपका हिसाब-किताब से पिंड छूट जाय। उनके पास हिसाब लिखा है, आप उनसे मिल कर हिसाब करा सकते हैं। लेकिन हिसाब नहीं लिखा गया है और इसीलिए बारह करोड़ की ब्याज का कोई हिसाब नहीं है, और वह ब्याज हम मांगते नहीं हैं, क्या क्या मालूम क्या व्यवस्था है ?

अब मैं व्यवस्था की बात करता हूं। जिन गांवों में बिजली दी गई है उन गांवों में कूए हैं या नहीं– इसका ध्यान नहीं रखा

Page No 83

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

गया है। जहां बिजली दी गई है वहां से वहां से उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं–इसका ध्यान नहीं रखा गया है। शहर के किसी मोहल्ले के लिए कह दें कि यहां सार्वजनिक लाइट देना जरूरी है तो दे देते हैं, लेकिन गाँवों में अन्धेरा रहता है, वहां घरों पर लाइट नहीं देते। किनको कहें ? अगर कहते हैं तो कह दिया जाता है कि कॉमशियल मामला है, हम कुछ कर नहीं सकते। मैं कह देना चाहता हूं कि किसी गांव में तो एक कूए के लिए छः छः मील तक लाइन चली जाती हैं और हमने कहा कि यहां हरिजन बरती है, यह चार मील की लाइन लगा दो तो वह नहीं होता है....

श्री जयकृष्ण शर्मा [थानागाजी] : गांव का नाम बता दें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : गांव है चांदी। गजनेर के पास चांदी गांव है वहां एक आदमी के यहां गई है और ...

श्री अब्दुल जब्बार खां [निम्बाहेड़ा] : उस आदमी का नाम क्या है ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : गांव का नाम चांदी है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : तहसील ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : तहसील कोलायत। एक आदमी के लिए पांच छः मील लाइन ले जायें। और हम कहें कि हरिजन मोहल्ले में दीजिये....

श्री भीमसेन [लूणकरणसर] : वहां तो चांदी ही चांदी है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : चांदी चांदी है तो वहां बिजली बिजली है।

मैंने निवेदन किया, उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष और उससे पहले भी कि अपने देश में विदेशी मुद्रा की अत्यन्त कमी है और भी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में माइका की बहुत सी खान है और अभ्रक बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला है। आज एक करोड़, सवा करोड़ का प्रोडक्शन होता है तो एक करोड़, सवा करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब यह कहें कि यदि पच्चीस-तीस मील लाइन ले जायें और वहां विद्युत् चली जाय तो वहां का प्रोडक्शन दुगना हो जायगा–और इस बात को मंत्री महोदय ने माना है, लेकिन वह पच्चीस–तीस मील लाइन नहीं जायगी। क्यों नहीं जायगी, वह भगवान जाने ? लेकिन जहां साहब लोग चाहते हैं ऐसे गांवों में बिजली दी है, ऐसे इलाकों में बिजली दी है जहां एक भी कूआ नहीं है किन्तु जिस गांव में किसी की ससुराल है, किसी की बहिन की ससुराल है.......

श्री जयकृष्ण शर्मा : साफ साफ कहिये साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको साफ कहना चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : साफ कहूं, आप चिन्ता नहीं करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप ससुराल कहते हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैंने नाम बताया, सोनयाला गांव है वहां बिजली दी है लेकिन एक भी कूआ नहीं है। उसके पास

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

ही अमली एक मील है वहां पचासों कुए मिलेंगे और वहाँ का प्रोडक्शन बीस लाख रुपये का प्रोडक्शन हो सकता है। फिर शिवतरी, जो एक मील दूर है वहां ले जायें तो १० लाख का प्रोडक्शन हो सकता है। आप महेन्द्रगढ़ के पास बागौर नहीं ले जाते हैं, जहां बीस–तीस लाख का प्रोडक्शन ज्यादा होता तो विदेशी मुद्रा ज्यादा मिलती। आप बिजली वहां ले जायेंगे जहां आदमियों को आपको खुश करना है। गरीब आदमी बिजली मांगता है, तो, उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने कहा कि मैं चक्की चलाता हूं, या कोई होजरी वाला मांगता है कि मुझे ढाई हॉर्स पावर दे दो तो उसके लिए बिजली नहीं है। आज दो-दो साल से एप्लीकेशन्स पड़ी हैं। लेकिन आप उनको कैसे देंगे? आप नहीं देंगे। हमारे मित्र हैं, पुराने कार्यकर्त्ता हैं, और दस साल तक सदस्य रहे हैं–तेज मल बापना–वह ढाई हॉर्स पावर के लिए रोते फिरते हैं। उस गांव में से बिजली होकर आई है और सौ किलोवाट बिजली के लिए इन्कार कर दिया। क्या बात है? सेठों के लिए तो बिजली दे रहे हैं लेकिन उस आदमी के लिए जरूरी नहीं जो सार्वजनिक क्षेत्र का है और कमाने खाने के लिए काम करना चाहता है, तो ढाई हॉर्स पावर, पांच हॉर्स पावर के लिए दो साल हो गये। आप कहेंगे कि यह कैसे हो गया, क्यों हो गया? यह कैसे हो गया का कोई उपाय है आपके पास? आपको यह हो गया, कैसे हो गया को छोड़ना पड़ेगा, आपको गांवों में रोज़गार देने का काम करना पड़ेगा। देने की पोज़ीशन नहीं है तो यह क्या कि किसी की मन–मर्जी से खत्म कर दें और किसी के लिए ऊपर से आज्ञा हो जाती है, और इधर–उधर से पॉवर की आज्ञा हो जाती। इसमें नीचे वाले मन–मर्जी करते हैं। हम कहते हैं कि पॉवर की कमी है तो भाखरा के राइट बैंक से आप पूरी बिजली क्यों नहीं ला पाये, क्यों नहीं पूरी लाइन खींच पाये? आज पंजाब वाले हमारे हिस्से की बिजली को काम में ले रहे हैं। आपने काम क्यों नहीं किया? इसमें गलती किसकी है? आप यह काम नहीं कर पाये लेकिन पांच मील लाइन खींच कर बिजली गांव में ले जायें एक आदमी के लिए। वहां लाइन क्यों नहीं खींच पाये? आपकी गलती से वह हमारे हिस्से की बिजली को काम में ले रहे हैं। वह कहते हैं ले जाओ। उन्होंने कभी ना नहीं कहा है। लेकिन आप भाखरा के राइट बैंक से बिजली को नहीं ला सके और क्योंकि आप नहीं ला सके इसलिए राजस्थान में उद्योग-धन्धों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। वह अब यह समझ गये हैं कि राजस्थान में यदि उद्योग लगा देंगे और बिजली नहीं मिलेगी तो हम बिल्कुल साफ हो जायेंगे। तो आप इस तरह से काम करते हैं, भाखरा के राइट बैंक से अपने हिस्से की बिजली को आप नहीं ला पाते और फिर गुजरात के पीछे घूमते फिरते हैं। आप कोशिश करते हैं कि कहीं दूसरी जगह से आपको कोई बिजली दे दे, लेकिन आप अपने हिस्से की बिजली नहीं लाये हैं। अगर आप ले आते तो आज यह स्थिति नहीं होती। इस पर आप विचार नहीं करेंगे तो राजस्थान में उद्योग-धन्धे कैसे चलेंगे और कैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा? इसके अलावा पलाना की माइन्स है कोयले की। वहां पर लिगनाइट सीधा बिजली के काम में आता है। बीकानेर पॉवर हाउस है, यह बिकानेर को,

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

सारे डिवीजन को रियासत के टाइम में बिजली देता था लेकिन आज वह काम में नहीं लिया जाता पॉवर लिगेनाइट से सस्ती मिलेगी। अब आपने अलग कन्सर्न बना रखा है वह गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग में चल रहा है। अब क्या होता है कि हर साल लाखों रुपये का नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि और भी कुछ खर्चा करना पड़े लेकिन हमेशा के लिए इस काम को पूरा किया जा सकता है तो पलाना में काम करना चाहिए वह नहीं किया है।

अब काम में डिले क्यों होती है ? इस प्रान्त में बहुत लोग आये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और रीजनेबल लोग आये, लेकिन काम नहीं मिला यहां से तो चले गये, दूसरी जगह काम करने के लिए। लेकिन आपने अस्सी, चौरासी हजार लगा कर एक वृद्ध पेंशनयाफ्ता आदमी को लगा दिया। और उसको भी पूरा वेतन दिया जावेगा। पेन्शन भी उसमें से नहीं कटेगी और उसके साथ-साथ उनको यह भी कहा गया कि आप अपनी मर्जी के आदमियों को लगावें। मैं यह निवेदन करूंगा कि काम में भी मर्जी के व्यक्तियों को रखा जावे। जब ऐसा होता है तो यहां पर जो लोग काम करते हैं उनके मन में ईर्ष्या पदा होती है और होना स्वाभाविक भी है। क्योंकि वे समझते हैं कि हम अच्छी तरह से काम करते हैं फिर भी हमको मौका नहीं मिलता है। इसलिये काम में ढिलाई आ ही जाती है। अगर किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं भी उत्पन्न हो तो भी नेचुरल स्लोनेस आ ही जाती है। उनके मन में कुछ भी नहीं हो मगर फिर भी ऐसा होता है कि जब इस प्रकार की बातें होती हैं, तो उनके हाथ-पैर नहीं चलते मैं समझता हूं कि सरकार का यह नियम है कि बहुत से आदमियों के जिनको पेन्शन मिलती है, और उनको सर्विस में लिया जाता है, तो पेन्शन के पैसे काटे जाते हैं। परमानन्द साहब को, पेन्शन के पैसे नहीं काटे और वे अपने साथ कितने आदमियों को लाये ? मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां के प्रान्त के कई लोग हैं जो बहुत होशियार और अच्छे काम करने वाले हैं, उनको-प्रोत्साहन नहीं दिया गया और उनको हतोत्साहित किया गया और इसी कारण आपका काम ढीला होता गया।

इसके बाद मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, कि आप जहां चाहें बिजली देंगे। हमारे यहां पर बिजली की रोशनी एक कोने में कहीं लगी है जैसे कोई अंगूर की वेल हो। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान एक रेगिस्तानी प्रान्त है और रेगिस्तान के गांवों को बिजली नहीं मिलती है। वहां पर कुए इतने गहरे हैं कि उनसे पानी निकालने में और जानवरों को पानी पिलाने में चरस निकालने में आधा घंटा चाहिये। क्योंकि वहां पर कुए ३५० फीट नीचे होते हैं। वहां पर बिजली देदें, तो उनको बहुत सहूलियत पैदा हो सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिससे भगवान भी नाराज हों आप कैसे खुश हो सकते हैं। रेगिस्तानी इलाका है इससे भगवान भी नाराज है। अकाल पड़ते रहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इन इलाकों का ध्यान रखें और उनको जल्दी से जल्दी पॉवर दें और छोटे-छोटे काम करने वाले लोग हैं जो छोटी पूंजी से काम करते हैं उनको भी पॉवर दें। आज

Page No 86

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

१०० पॉवर केवल एक नमस्कार में मिल जावे, मगर मैं आपको किसी को भी इसके लिये दोष नहीं देता हूं। मैं समझता हूं कि आप किसी को लिहाज़ करके भी पॉवर दे दिया करते हैं। मगर उसको भी मैं गुनाह ही मानता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, लेकिन यह कहता हूँ कि आप इसको दुरुस्त कराइये और हमारे जिले के गांवों में और दूसरे स्थानों पर जहां पर कुए में पानी गहरा हो वहां पर बिजली दी जावे और जल्दी दी जावे ताकि वहां पर गांवों में पैदावार ज्यादा हो सके। आपने बताया कि ११०० गांवों को बिजली दी गई है, मगर इससे काम नहीं चलेगा।

अभी बड़े-बड़े पॉवर देने की बात हुई कि इन्डस्ट्रीज में सस्ती बिजली क्यों दी गई ? मैं इसका विरोध करता हूँ और निवेदन करूंगा कि हमारा राजस्थान एक कौने में पड़ता है और यहां पर यातायात के साधन भी नहीं हैं। अगर आपने उनको सस्ता पॉवर और सस्ती जमीन का लालच नहीं दिया तो आपके यहां पर कौन इन्डस्ट्रीयलिस्ट इन्डस्ट्री लगाने को आवेगा ? अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां पर पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार मिले तो हमें उनको प्रोत्साहन देना होगा, उनको सस्ती बिजली और सस्ती जमीन देनी पड़ेगी और उनको सहूलियतें देनी होंगी। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उनको इतनी रियायतें न दें जिससे लोग आपके खिलाफ उंगली उठावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह नहीं मानता कि कोटा में कितना दिया है ? क्या आमदनी है ? कई भाई वहां पर गये होंगे, उनको चन्दा नहीं मिला होगा मैं कहूंगा कि इससे तो सरकार की आमदनी होती है। एक्साइज ड्यूटी मिलती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप बड़ों बड़ों का ध्यान रखते हैं, रखें मगर छोटों-छोटों का भी ध्यान रखिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत् मंडल के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। राजस्थान विद्युत् मंडल ने उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जहां तक बिजली प्रसारित करने का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मंडल ने काफी प्रगति की है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की योजना का संबन्ध था खास तौर से सतपुड़ा, राणाप्रतापसागर और दूसरी जगह का जो टार्गेट रखे थे उनके बारे में विद्युत् मंडल ने जो सफलता प्राप्त करनी चाहिये थी नहीं कर सका है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : On a point of order sir क्या आपके पास कोई नाम तो नहीं भेज रखे हैं ? अगर ऐसा हो तो हम भी अपना नाम भेजें।

श्री उपाध्यक्ष : यथा-क्रम, यथा-समय आपको समय मिलेगा।

Page No 87

श्री **भीमसेन** : तीसरी पंचवर्षीय योजना में २७५ मे गावाट बिजली जनरेट करने का टारजेट था वहां पर हम ४० मैगावाट जनरेट कर पाये हैं। इसलिए इस बारे में जहां तक हमारे विद्युत् मंडल को सफलता मिलनी चाहिये, नहीं मिल पाई है। लेकिन इसके विपरीत मैं खास तौर से सतपुड़ा के बारे में कहूंगा क्योंकि मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों का हिस्सा है। इस बारे में हमारे विद्युत् मंडल का ज्यादा प्रयास नहीं रहा हैं। लेकिन जहां तक गांवों के विद्युतीकरण करने का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक हजार गांवों को सारे राजस्थान में बिजली पहुँचाई गई है। लेकिन आज भी हमारे राजस्थान में बिजली की मांग बहुत है। वैसे तो सैन्ट्रल वाटरबोर्ड ने राजस्थान का सर्वे किया था उस समय हमारे राजस्थान की डिमान्ड है, वह बहुत लो एस्टीमेट की थी। लेकिन मैं यह राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी योजना ६२ के लोड सर्वे पर बनती है मगर आज जरूरत उससे कहीं अधिक है। इसलिए उस समय जो सेन्ट्रल वाटर बोर्ड ने हमारे यहां पर लोड सर्वे किया उसको वापस सर्वे कराने की जरूरत है, जिससे हम अपनी वास्तविक जरूरत है उसके अनुरूप योजना बना सकें।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पलाना के बारे में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट एन्टरप्राइज काम कर रहा है। राजस्थान सरकार को, जैसी स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए, चेष्टा से पलाना की तरफ ध्यान देना चाहिये, जो नहीं दिया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको स्टेट एन्टरप्राइज में नहीं लेकर प्राइवेट सैक्टर में ले सकें, और लेकर प्लान्ट लगा सकें तो, उसके जरिये से वर्षा की कमी की वजह से या प्रकृति प्रकोप के कारण से बिजली की शिकायत आई है, वह नहीं आवेगी। अगर आप वहां पर थरमल स्टेशन लगा सकें तो जो मुश्किल आएगी उसको हम पूरा कर सकेंगे। बिजली का संकट आवे तो उसको पूरा कर सकेंगे और मुकाबला कर पाएंगे। अन्यथा आज राजस्थान में इन्डस्ट्रियलिस्ट इस बात को सोचता है कि आया राजस्थान में कोई इन्डस्ट्री लगाई जावे या नहीं क्योंकि यहां पर बिजली की कमी हो सकती है और संकट आ सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि एक लाख मैगावाट का प्लान्ट पलाना में लगा रहता है, तो राजस्थान में शहरों को पॉवर मिलेगा और इन्डस्ट्रीज ज्यादा लग सकेगीं और इन्डस्ट्रियलिस्टों का हौसला भी बढ़ेगा कि अगर पावर की स्थिति खराब हुई तो वहां से. वे पावर काम में ले सकेंगे।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा, कि राजस्थान विद्युत् मंडल के जो ऐम्पलोईज हैं उनमें काफी लोगों का फिक्सेशन नहीं हुआ है। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिये। इन्टक ने इस ओर आपका ध्यान दिलाया है कि कुछ वर्क चार्ज, कुछ टैम्परेरी हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसके अलावा उनकी पे स्केल है वह भी दूसरी स्टेटों के मुकाबले में बहुत कम है। इसलिये इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

इसी तरह से खास तौर से जो रेगिस्तानी इलाका है जैसे बीकानेर जिला है वहां पर पानी बहुत गहरा है। बीकानेर स्टेट के समय में भी वहां पर १२० मील

(श्री भीमसेन)

लम्बी बिजली की लाइन थी और आज इस स्टेट में जिस तरह से विद्युत् का प्रसार हुआ है और राजस्थान में इसका जो हिस्सा आता है उस हिसाब से बीकानेर में विद्युत का प्रसार नहीं हुआ है। वहां पर ऐसे ऐसे कुए हैं, जहां ३०० फीट नीचे पानी है। पशुपालन के लिये भी यह होना जरूरी है। आप कृषि के लिये सस्ती रेट पर बिजली देते हैं तो आपको रेगिस्तान में पशुपालन के लिये भी बिजली सस्ती दर पर इन लोगों को कुओं पर देनी चाहिये। बीकानेर के पशु आज दिल्ली और जयपुर को दूध सप्लाई करते हैं। गहरा पानी है इसलिये वहां पर बिजली सस्ती दरों पर दी जा सके और राजस्थान में जहां पशुपालन का धन्धा है, इस तरह कृषि को सस्ती दर पर बिजली देते हैं, इसी तरह से दिया जावे तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को भी लाभ मिल सकता है।

इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष, मैंने ये सुझाव दिये हैं। मैं समझता हूँ, सरकार इस बारे में ध्यान देगी।

दूसरा सवाल यह है कि डिअरनैस और बोनस का इन्टक यूनियन ने सवाल उठाया था, ६२ से यह सवाल उठा रही है। हमें जानकारी मिली है कि ट्रिब्यूनल का हाई कोर्ट में फैसला हुआ है, उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इन्टक यूनियन की यह जायज़ मांग है, उसको स्वीकार करना चाहिये।

इन सुझावों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन्हें स्वीकार करेगी।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, ३१ मार्च, १९६४ तक का विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखे का विवरण व टिप्पण हम लोगों को प्रसारित किया गया है। उस विषय में चर्चा चल रही है। उसका अध्ययन करने का मुझे मौका मिला। इस टिप्पण के प्रथम पृष्ठ पर जो इस बोर्ड की ओर से इस बोर्ड की दयनीय स्थिति का दिग्दर्शन किया गया है, यह भी सराहनीय है कि इस बोर्ड ने अपना लेखा-जोखा देने में, जो उसकी गलती है, उसको प्रथम पृष्ठ पर जतला दिया है। इस लेखे जोखे के प्रथम पृष्ठ पर ही इन आंकड़ो पर जिन पर चर्चा चल रही है, इनको कहां तक सही मानें इसका दिग्दर्शन इससे होता है आप स्वयं प्रथम पृष्ठ पर ही लिख कर देते हैं कि जो आंकड़े इसमें दिये गये हैं, इसमें यह लिखा है :

बोर्ड के अन्तिम लेखे यूनिट अधिकारियों द्वारा संचारित प्रारम्भिक अभिलेखों तथा कागजात से सचालित किये गये हैं, ये प्रारम्भिक अभिलेख तथा कागजात अपूर्ण पाये गये। अतः यह सम्भव है कि अंतिम मिलान करने पर इन लेखाओं में प्रदर्शित आंकड़ों, शेष राशियों को पुनरीक्षित पुनः आवंटित तथा चालू या आगामी वर्ष (वर्षों) के राजस्व लेखे पर प्रभावित करना पड़े।

इसके बाद मैं इस टिप्पण के पृष्ठ ६ पर आपका ध्यान दिलाऊंगा जहां पर लेखा-जोखा देकर नोट लगाया

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

गया है कि आंकड़े सत्यापन तथा समायोजन एवं आडिट किये जाने के आधीन हैं।

इसी केआगे कॉलम ४ में लिखतेहैं :

'सप्लाई की गई बिजली के ऋणों तथा शुल्क लेखे। यद्यपि यथा सम्भव राजस्व प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखांकित किया गया था किन्तु यूनिट अफसरों द्वारा उपभोक्ता लेजर लेखे यथोचित रूप से संचालित न किये जाने के कारण और प्रदाय की गई बिजली के कर्जदारों तथा वसूली योग्य भुगतान योग्य शुल्क के संबंध में प्रमाणित इन्दराजों के अभाव में वाणिज्य लेखे में अपनाये गये आंकड़े अस्थायी हैं और समायोग्य है।,

इसके आगे पृष्ठ ५ और ६ में भी यही लिखते हैं। यह आपका लेखा-जोखा है, जिस पर सदन में चर्चा चले, आप स्वयं मान कर आते हैं कि ये अपूर्ण हैं, आपके अधिकारियों ने वे हिसाब सही नहीं रखे। जो आंकड़े दिये हैं, ये आडिट नहीं हुए हैं, इनमें दुरुस्ती हो सकती है, आपके यहां लेजर नहीं रखा गया, हिसाब अपूर्ण हैं, इन्दराजात सही नहीं हुए....

(३. २१ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यह क्या दयनीय स्थिति है ? विद्युत मंडल के लेखे जोखे की किस प्रकार की परिस्थिति आपने कर दी है ? सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि आपका बोर्ड ८४ करोड़ की धन राशि का इन्वैस्टमेंट किये हुए है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखता, आपके हिसाब इतने अपूर्ण हैं, कि आप को खुद को विवश होकर कहना पड़ा कि न आंकड़ों में सचाई है, न लैजर रखे जाते हैं। अगर आपके आंकड़ों में सचाई नहीं है, तो फिर यहां सदन में आप किस बात की चर्चा करना चाहते हैं, जब कि आप स्वयं मानते हैं कि आपके आंकड़े, आपके हिसाबात सही नहीं हैं। अपूर्ण हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? मैं तो सरकार और इसके इन्चार्ज मिनिस्टर से जवाब में स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आज बोर्ड की यह स्थिति है कि ८४ करोड़ की इतनी बड़ी धनराशि के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिसाबात नहीं रखना, हिसाबात अपूर्ण रखना, इसकी आपने किस पर जिम्मेदारी आयद की है ? जिस प्रकार आप यहां अपनी गलती मान कर आते इसी तरह से बताते कि इन हिसाबात को पूर्ण नहीं रखने के कारण हमने फलां फलां अधिकारी को दोषी माना है और उसको इसके लिए यह दंड दिया है।

इसी तरह से हमें एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात सुनने को मिली कि गत पहली तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए पैसा न रहा क्योंकि इसमें ३ करोड़ रुपये का घाटा है और अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए बोर्ड के पास पैसा नहीं। ए० जी० आफिस में गये तो ए० जी० आफिस वालों ने बताया कि आपके खाते में एक करोड़ रुपया फालतू पड़ा हुआ है, तब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों को मालूम पड़ा कि हमारे पास एक करोड़

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

रुपया पड़ा हुआ है, तब खुशियां मनाई गई कि हम अपने मुलाजिमों को तनख्वाह दे सकते हैं। आखिर इतना बड़ा विभाग, इतना बड़ा जिसका प्रारूप, उसको यह मालूम नहीकि ए० जी० के आफिस में उनका कितना रुपया पड़ा हुआ है, जब ए० जी० ऑफिस वालों ने बताया कि आपका एक करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो खुशियां मनाई और अपने मुलाजियों को तनख्वाह देना शुरू किया। आपकी खुद की मान्यता है कि आपके हिसाबात अपूर्ण हैं, आपके आंकड़े सही नहीं हैं, और आपको अपनी आमदनी का पता नहीं, आपका कहीं एक करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, इसका आपको पता तक नहीं, इससे बढ़कर लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है। यह सब इस कारण हुआ कि आपने अकाउन्ट्स ब्रांच को अलग किया। आपके हिसाबात डायरेक्ट ए० जी० आफिस में चले जाते हैं और आप के विभाग को पता तक नहीं रहता कि कितना रुपया आया और कितना चला गया? यही कारण है कि आपको तो कुछ पता नहीं चला और ए० जी० ने आपको कहा कि एक करोड़ रुपया हमारे यहां फालतू पड़ा हुआ है। तो यह शर्म की बात है कि आपकी फिर आंखें खुलती हैं। यह दयनीय स्थिति इस प्रारूप को पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होती है। क्या ऐसे विभाग की चर्चा इस सदन में करना चाहते हैं। यहां चर्चा करने से पहले आपको अपने हिसाबात पूरे करने चाहिए और जिन्होंने हिसाबात को पूरा नहीं रखा उनको दोषी ठहरा कर दण्डित कर के हिसाबात को सही कर के फिर इस सदन में आना चाहिए कि यह हमारे सही हिसाब हैं, इन पर चर्चा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं ५ मिनट और लूंगा।

आपके इस विभाग में आम चर्चा के लिए यह कहा जाता है कि यह ऑटोनोमस बोर्ड है, कोई दूसरा इसकी चर्चा नहीं कर सकता, चाहे जो यह मनमानी करे कोई दूसरा चर्चा नहीं कर सकता। क्या ऑटोनोमस बोर्ड है? मैं तो, यही कहूंगा कि यह ऑटोनोमस बोर्ड नहीं, मन्त्री महोदय की हिदायतों का पालन करने वाला बोर्ड है। हर एक स्कीम हर एक चीज मन्त्री महोदय के इशारे से होती है। अगर ऑटोनोमस संस्था है तो कमर्शियल कन्सर्न होनी चाहिये, हर योजना को लाभप्रद योजना बना कर लाइनें बनानी चाहिये। पर यह सब कुछ इस नाम मात्र के ऑटोनोमस बोर्ड में नहीं होता। जो इसकी योजना बनती है, जो भी लाइनें डाली जाती हैं मन्त्री महोदय कहते हैं, वैसी ही योजनाएं बनती हैं। मन्त्री महोदय कहते हैं उधर ही लाइनें डाली जाती हैं, लाभ का कोई सवाल नहीं। यह कैसी ऑटोनोमस संस्था है? तनख्वाह के नाम से ऑटोनोमस है, उसमें इशारा तो सारा आपका है। नाम मात्र का ऑटोनोमस है। आप स्वयं मान कर चलते हैं कि हिसाबात अपूर्ण हैं, ऑडिट नहीं हुआ है। इसका एक ज्वलंत प्रमाण देना चाहूंगा। मन्त्री महोदय विचार करें। हमारे क्षेत्र दौसा में ५ गांवों में ५ नये ट्रान्सफोर्मर लगा कर

Page No 91

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

बिजली दी। किसके लिए दी ? एक व्यक्ति के लिए दी, कांग्रेस के प्रधान के गांवों नांगल बेरसी में उसकी चक्की के लिए आपने बिजली दी, कनेक्शन दिया, सीतापुर में नया ट्रान्सफोर्मर लगा कर दो महीने में लाइन दे दी, आपके पास मांग आई और आपने मन्जूरी दे दी। बोर्ड वाले ताकते ही रह गये। बोर्ड को पता नहीं कि यह योजना लाभप्रद है या नहीं, कितने लोग कनेक्शन्स मांगने वाले हैं। वही हाल पुरी में हुआ, नांगल बेरसी में वही हुआ। लाखों रुपया लगाकर लाइन लगाई।

हमने कई बार कहा कि दौसा से बांदी कुई २७ मील लम्बी लाइन दे रखी है, एक भी कुए वाले को एक भी गांव वाले को कनेक्शन नहीं दिया है। चार वर्ष हो गए बांदीकुई से बसवा ८ माइल लम्बी लाइन है, एक गांव वाले को, एक भी कुए वाले को कनेक्शन नहीं दिया है। वहां तो आप कहते हैं कि ३३ किलोवाट की लाइन है, बीच में नहीं दे सकते। पर सिकराय तहसील बीच में आती है, फिर भी गांव वाले को आपने कनेक्शन नहीं दिया। दुब्बी, सिकन्दरा वाले मांगते हैं कि हमें कनेक्शन्स दिए जायं।

हम देखते हैं कि हमारे यहां ४–४ वर्षों से लाइन खिंची हुई है लेकिन बिजली से वंचित हैं आप बीच में डाइरेक्शन्स दे देते हैं। एक एक पूरी तहसील के अन्दर आपने एक कुए में भी बिजली नहीं दी। बांदीकुई में आप कहते हैं कि तीन तीन मील में पांच कुओं पर एक लम्बी लाइन दे दी, लेकिन आपके पास शालावास और कोलावा के लिये पंचायत समिति ने लिखा है। जिला परिषद के अन्दर जो प्रतिनिधि जाता है उसको बताया है। तो यह नाम मात्र की आटोनोमस बोर्ड है। मन्त्री महोदय की मर्जी जहां पर हुई, जहां वे देखेंगे कि हमारे पैर पकड़ें, जहां हमारे साथी रहते हैं, तो वहां तो गांव गांव में बिजली देंगे। यह दयनीय स्थिति है।

(समय-समाप्ति-सूचक–घंटी)

मैं आपके विभाग का ध्यान आकर्षित करूंगा जयपुर शहर के लिए १५ हजार एकड़ जमीन, जिसको बरबाद हुए तीन वर्ष हो गये। आपके आश्वासन चल रहे हैं, कैबिनेट का फैसला चल रहा है, आप बिजली देकर जल्दी उत्पादन बढ़ाने के लिए आश्वासन देते हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। हमारे यहां चीफ इन्जीनियर के पी० ए० हैं वे हिंगोटा गांव के रहने वाले हैं, इसलिए उनके गांव में शीघ्र बिजली लाना जरूरी है। मन्त्री महोदय आप विचार कीजिए कि यह कैसी ओटोनोमस बोर्ड है। पी० ए० है इसलिए उसके गांव में बिजली जायगी और दूसरी ओर तहसील की तहसीलें आपसे मांग कर रही हैं वहां कुछ नहीं दे सकते ? कुए वालों को नहीं दे सकते। बंधा बन्द हो जाय, १५ हजार एकड़ जमीन बेकार पड़ी रह जाय, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा समय के अभाव में कि आप लेजों जोतों को कम्पलीट कराएं, इस बोर्ड को सुधारिये या कमर्शियल लाइन्स पर इसको चलाइये।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, विद्युत मण्डल का बजट

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हमारे सामने प्रस्तुत है, इसलिए कि हम उस पर विचार कर सकें। वैसे तो वह ओटोनोमस बोडी है, इसलिए मैं अपने विचार संक्षेप में प्रकट करूंगा। इस विद्युत मण्डल के सम्बन्ध में जितनी बातें कही गई हैं। हमारे पास विद्युत मण्डल का कोई ऐसा बजट या कोई ऐसे आँकड़े इस प्रकार के नहीं हैं जिनसे आभास हो सके कि विद्युत मंडल घाटे में चल रहा है। जिन आंकड़ों को हम देखते हैं उनमें खामियां ही खामियां दीखती हैं। इसका कारण क्या है? इसकी पृष्ठ-भूमि में जाना होगा। सबसे पहले मैं बिजली के सम्बन्ध में कहूँ। मेरा सबसे बड़ा कर्त्तव्य है कि मैं अपने जिले के सम्बन्ध में, जिस जिले से मैं विधान सभा में आता हूं, उस जिले के सम्बन्ध में कहूँ। आपको भी भलीभांति मालूम है और मन्त्री महोदय को भी मालूम है, उन्होंने भी कई इलाकों का दौरा किया है। मेरा जिला पंजाब और दिल्ली के नजदीक है। वह इस प्रकार का जिला है जहां पर भूमि उपजाऊ है, अधिक से अधिक अन्न उत्पादन होता है। और देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाद्य उत्पादन की है। यदि आपने राष्ट्रीय परम कर्त्तव्य बना रखा है कि किस प्रकार उत्पादन बढ़े तो इसमें योगदान के लिए मेरा जिला भी लालायित है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस जिले में किसानों द्वारा इतना अधिक उत्पादन करने पर भी बिजली मुहैया नहीं हो रही है। मेरे जिले के नजदीक से बिजली इस प्रकार से जाती है जिस प्रकार से हमारे मन्त्री महोदय जयपुर से दिल्ली जाकर और अलवर होते हुए वापस लौट आते हैं। उसी प्रकार से खम्भे चमचमाते हैं, मेरे जिले के नजदीक बिजली चमचमाती रहती है। मंत्री यह कहेंगे कि राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा बिजली दी गई है तो अलवर जिले को दी गई है। वे आंकड़ों का हिसाब लगाकर १०० गांवों को गिनाएंगे। इस प्रकार आंकड़े देने से १०० गांव बताने से काम चलने वाला नहीं क्योंकि आपको मालूम है कि राजस्थान में जहां इरिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दूसरे सिंचाई के साधन मुहैया हो सकते हैं, वहां मेरे जिले के अन्दर कोई इरिगेशन के साधन नहीं आ सकते। पहली योजना में ७५ लाख का सैंक्शन था आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ और न होने वाला है। तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए यदि आप राष्ट्रीय हित में सोचेंगे तो आप मानेंगे कि राष्ट्र पर जो संकट आया है उसको टालना है तो आपको गांवों को बिजली मुहैया करनी पड़ेगी। दूसरे स्थानों में जहां पानी की एक बूंद भी नहीं तो उसके लिए मुझे नाराजगी नहीं कि उन जिलों में भी बिजली दी जाय, पर राष्ट्रीय संकट में हमें इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि देश का राष्ट्रीय संकट किस प्रकार मिट सकता है तो इसके लिए सबसे बड़ा हमारा कर्त्तव्य होगा कि हम सोचें कि खाद्य का उत्पादन कहां ज्यादा हो सकता है और किस प्रकार से हो सकता है।

मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे अलवर जिले के सबके सब विधायक चाहे किसी पार्टी के थे–चाहे कम्यूनिस्ट, चाहे कांग्रेस, सबको एडीशनल चीफ इन्जीनियर की उपस्थिति में मन्त्री महोदय ने एक बैठक में बुलाया। बैठक तो वैसे भी करते रहते हैं, क्योंकि हम विधायकों का कर्त्तव्य है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों से हम आते हैं, वहां के लोगों की

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

समस्याओं और कठिनाइयों को वहां रखते हैं। तो हमने ६ जुलाई १९६५ को विधायकों की बैठक बुलाई विद्युत मन्त्री की अध्यक्षता में और इसके अन्दर यह विचार विमर्श हुआ कि अलवर जिले के पास २८०० किलोवाट बिजली तावरू, नारनौल, फीरोजपुर और रेवाड़ी के अन्दर हमारे हिस्से में पहुँची हुई है। उन्होंने आंकड़े बताए और हमने उनसे निवेदन किया कि आपके कर्मचारियों और आपके बस की बात नहीं तो राजस्थान के विधायक पंजाब के अधिकारियों पंजाब के मन्त्रियों और केन्द्रीय मंत्री से मिलकर इस बात को तय करें कि आखिर यह २८०० किलो वाट बिजली हमारे यहां नजदीक पड़ी है यदि वह हमारे गांव को मिल जाती है तो कुछ गांव लहलहाने लग जाते हैं, वहां पर उत्पादन अधिक हो सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एडीशनल चीफ इन्जीनियर को इस बात के लिए कहेंगे कि एक महीने में कॉन्टैक्ट करके इस बात के लिये बतलाएं। परन्तु ६ जुलाई, १९६५ के बाद भी और उससे पहले भी कई मीटिंगें हुईं। उसके बाद और मीटिंग करने की बात आई। दो बार टेलिग्राम्स दिये। कुछ कारण वश वह मीटिंग केन्सिल हो गई। उसके लिये मुझे कोई मिला नहीं।

चेयरमेन महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव है। राजस्थान की तृतीय पंच–वर्षीय योजना में यह नीति निर्धारित की गई थी कि पांच हजार से अधिक आबादी के गांव में बिजली दी जावेगी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सन् १९४७ में उस गांव की जनसंख्या ५०२१ थी। ५१ के आंकडे हैं मेरे पास उस समय उसकी जन संख्या ४९७१ रह गयी क्योंकि उस गांव में मुसलमान भी थे और वे पाकिस्तान को चले गये। जब हिन्दुस्तान से पाकिस्तान विलग हुआ उस समय कोई शरणार्थी वापिस नहीं आया और न ही नये आये। १९६१ की जनसंख्या ५३७१ है और एक छोटा सा गांव नागला पडता है। उसको दूसरे गांव में लगा दिया। दो पटवारी से नहीं पड़ता पूरा इसलिये तीसरा पटवारी लगा दिया। उसमें २६२ कुए हैं। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि २० हजार बीघा पक्की जमीन है उस गांव में और चेयरमैन महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गेहूं की पैदावार में वह इलाका बहुत सरसब्ज है, तीन मील के एरिया के अन्दर कितना वह थिकलीपोपुलेटेड है कि तीन मील के एरिया के अन्दर ३५ हजार ४० हजार की आबादी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिये आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना का रूप देखा तो १. १०. ६२ से पत्र लिखने शुरु किये और उसके बाद १. ३. ६३ को विद्युत मंत्री जी को एक खत लिखा कि इस प्रकार की आपकी योजना है कि पांच हजार की जनसंख्या वाले गांवों में बिजली दी जावेगी तो इस ग्राम को भी बिजली दी जावे। आप इसको देखेंगे किसी प्रकार से तो आपको आभास हो जावेगा कि उस गांव में बिजली की कितनी आवश्यकता है। ६६ जुलाई को मीटिंग हुई। चेयरमैन मि० कक्कर ने कहा कि वह तो ४५०० की जनसंख्या का गांव है। मैंने कहा कि आपकी सैन्सस है, राजस्थान सरकार की सैन्सस है। अगर पांच हजार से ज्यादा की जनसंख्या निकले तो बिजली देना आखिर कार ५३७१ की सर्टी-

Page No 94

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

फाइड कापी मैंने उनके पास भेजी । मंत्री महोदय को सबकी दरख्वास्तें करवाईं, बार बार लिखा मंत्री महोदय । को एक खत मिला उसको पढ़कर यह आभास हुआ कि राज–स्थान विद्युत मंडल के पास बजट नहीं है । ६५–६६ के ईयर का एन्ड है, इम्पोसिबल है, फन्ड की कमी है । इस साल लेना बहुत दिक्कत तलब है । लेकिन मामा और भाणजों के रास्ते बनते देखे तो आठ मील के लिये, जो बिजली पाने का हकदार, पांच हजार की जन संख्या वालों को नहीं मिला, बीजवाड़ पृथ्वीपुरा के गांव हैं, कभी भानजे पैदल न चले जांय इसलिये उनको सड़क मिली और बिजली भी उनको मिली ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे दुःख हुआ बिजली कहां गयी और कहां आयी और आज भी यह मान्यता है, विधान सभा का सत्र फिर जुड़ेगा, मुझे कहने का मौका मिलेगा माननीय सदस्यों को कि मुझे बिजली नहीं मिली । जिला परि–षद की मीटिंग हुई तब भी कहा था । एक अधिकारी ने कहा कि आपके गांव को बिजली नहीं मिलेगी, धौंस से बिजली नहीं मिलेगी । मैंने कहा मैं जायज हक मांगता हूँ और जायज हक से ही देना चाहें तो दें और नहीं चाहें तो नहीं दें । अक्टूबर और नवम्बर में विधान सभा में आऊंगा फिर यही कहूंगा मेरी कोन्स्टिटुएन्सी में एक गांव हकदार है बिजली लेने का, उसको बिजली नहीं मिली यह बात मैं कहूँगा और इसलिये कहूंगा कि उस गांव को बिजली नहीं मिलने वाली है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट में ही समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : काफी समय ले चुके हैं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : चेयरमैन महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की बात है जमुवा रामगढ़, प्रतापगढ़ आठ मील, शाहपुरा से बैराठ, जयपुर से ७० मील पर बिजली आवेगी । जमुवा रामगढ़ से प्रताप गढ़ नहीं जा सकती ८ मील । फन्ड्स की कमी है क्योंकि एक डिप्टी मिनिस्टर का इन्ट्रैस्ट है यह नेशनल इन्ट्रेस्ट का सवाल है

(शोरगुल, व्यवधान)

राष्ट्रीय उपज को बढ़ाने का सवाल है । यदि आप कायदे कानून से बिजली दे सकें तो आप बहरोड़ मंडावर को बिजली दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वह पंजाब का बोर्डर है, वहां बिजली की आवश्यकता है । वे बिछुड़ जावेंगे क्योंकि नजदीक में पंजाब है और वहां पर बिजली है । आप जमुवा रामगढ़, बैराठ से थाना गाजी तक ले जाने से बानसूर से नारायणपुरा नहीं लाने की सोच सकते । आप यह सोचते हैं कि आपको बिजली देंगे । आपको कहूँगा कि जब तक महाराजा हरिश्चन्द्र बैठे हैं ये चाहेंगे जिसको बिजली देंगे और नहीं चाहेंगे उसको बिजली नहीं देंगे । ओटोनोमस बोर्ड कहां का है ? टेक्निकल आदमियों को और दूसरों को दोष मत दो माननीय सदस्यों उनकी चलती नहीं है । महाराजा साहब का

Page No 95

(श्री जयकृष्ण शर्मा,

हुक्म होगा उसी को उनको बिजली देनी पड़ती है ; महाराजा साहब मर्जी आये जिसको बिजली दे देंगे । जिला परिषद में यह निवेदन किया और आज भी यही कहना चाहता हूँ । मेरे जिले में दो मिनिस्टर थे । एक जिला प्रमुख बने हुए हैं और एक सदन के सदस्य तीन साल बाद बने । इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ! आप चाहे जो कीजिये, ये नहीं मानने वाले हैं नेशनल इन्ट्रेस्ट में कहना चाहता हूँ ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक लाइन ही कह दूं ।

अबकी बार यह लिखा कि पांच हजार का तो सोच विचार था । पहले लिखा लाइन के ऊपर से जाना चाहिये । लाइन जा रही है वहां मिल गयी । दूर दूर बिजली गयी । उस गांव को छोड़ा और एक लाइन और बढा दी । आप इस प्रकार क्रेश प्रौग्राम नाम देकर क्रश कर रहे हो और क्रश करोगे और गलत तरीके से बिजली दोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको और हमको नहीं बख्सेगी । और यह आखिरी बात कहता हूँ कि यह मोटे २ पोथे देते हो, यह बजट देते हो जिनके आंकड़े एक दूसरे से नहीं मिलते । मैं बताता हूं आपके डिपार्टमेंट की काबलियत का नमूना कि ६ करोड़ ६० लाख के घोटाले हैं । मैं चाहता हूं कि इन कागजों को रद्दी की टोकरी में फैंक दूं ।

[कागज सदन के पटल पर फैंक दिये]

श्री घासीराम यादव : (बहरोड़) सभापति महोदय, यह बात सही है कि बिजली सब ही जगह चाहिये और सब ही जगह बिजली से तरक्की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन मैं यह बात मानता हूँ कि पांच हजार की बात चलाई, चार पांच साल पहले चली, कहां कहां बिजली जाय ? बड़े२ कस्बों में बिजली चली जाय । सभी जगह चली गई । हो सकता है दो चार जगह रह गई । विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब वे हालात नहीं रहे । आपको इस पर पुर्नविचार करना पड़ेगा । पांच हजार की स्कीम बनाई । देश में संकट नहीं था । ६२ से आया है और एक्यूट फॉर्म में आया है । तो बिजली के बारे में सोचना पड़ेगा और पांच हजार से ऊपर की आबादी के विचार को छोड़ना पड़ेगा और यह विचार करना पड़ेगा कि अनाज के लिये सबसे ज्यादा उसका उपयोग कहां हो ।

मैं सभापति महोदय, आप से कहना चाहता हूं आज हमारी भारत सरकार को इस बात का दुख है कि वह कहां से अनाज लाये ? हमारे देश के नेतागण दूसरे विदेशों से प्रार्थना करते हैं कि हमें अनाज दिया जाय । आज हमारी सरकार की नीति है कि हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा अनाज की पैदावार बढ़ायें, वैसी हालत में उसके लिये हमें साधन देने होंगे । उस नीति के अनुसार हम देखते हैं, इस बिजली के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं आया । मेरा सरकार से निवेदन है कि आज की आवश्यकता को देखते हुए अनाज की वजह से इस विद्युत वितरण में परिवर्तन करना होगा ।

आज हमें प्राथमिकता इस आधार पर देनी होगी कि किस क्षेत्र में अनाज की पैदावार बिजली देने से हो सकती है ? जहां से

(श्री घासीराम यादव)

ज्यादा अनाज पैदा होने की आशा हो, उसको प्रथम स्थान देना चाहिये। उसके बाद उससे कम और फिर सबसे कम जहां पैदा होता है उसको सबसे बाद में दें। आज अफसोस इस बात का होता है कि देश में अनाज का संकट है और हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जब अमेरिका गई, तो वहां के राष्ट्रपति श्री जानसन ने उनसे कहा। जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा है, आप अनाज की पैदावार के लिये फरटीलाइजर का प्रयोग करें, बिजली दें, From Farm to Farm & From village to village. सरकार ने इसको कभी सोचा नहीं। विद्युत मण्डल ने कभी इस बारे में सोचा नहीं। आज जिस प्रकार का संकट है उसको देखते हुए, यह बहुत ही सोचने लायक बात है।

इसी तरह से आप देखें जितनी बिजली आपके पास है, आपको बिजली कम पड़ती है, भाखरा चम्बल से आयेगी, तो आप पहले कहां देंगे? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ विद्युत मण्डल के पास इस प्रकार के आंकड़े होने चाहिये अच्छे कुए ज्यादा किस क्षेत्र में हैं? वहां का पानी कैसा है? कितना गहरा है? जैसा अभी भीमसेनजी ने कहा उनके उधर ४०० फीट गहरे कुए हैं। वहां पर बिजली लगाने से कितना फायदा होगा? एक जगह पचास फीट पर, तीस फीट पर पानी है, और वह भी अथाह पानी है तो जहां ४०० फीट गहरे कुए को एक को बिजली देंगे तो इधर आप उतनी ही बिजली में दस कुओं को चला सकते हैं। आपके पास जब इस प्रकार के आंकड़े नहीं होंगे, तो आपके सामने जो समस्या है अनाज की, वह हल नहीं हो पायेगी।

हमें इस बात की चिन्ता नहीं कि इस तरह के प्रोग्राम के कारण अलवर जिले का दस साल बाद भी नम्बर आये तो भी फील नहीं करेंगे, अलवर जिले में भाखरा की बिजली यदि न भी आवे तो। लम्बी लम्बी लाइन नगर तक चली गई है लेकिन अलवर नहीं आई। पहले नहीं आई तो अब आने की हम क्या आशा करें? अलवर जिले में पैदावार के लिहाज से सबसे पहले बिजली मिलनी चाहिये। वहां पर कोई गांव ऐसा नहीं, जिसमें एवरेज पचास कुए नहीं हों। बीस-पच्चीस कुए तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें कभी भी पानी नहीं टूटता। मीठा पानी है। वहां के पानी से दो फसलें पैदा करते हैं वहां के किसान के पास अच्छी जमीन है, वे अच्छे कृषक हैं, मेहनती लोग हैं, आप अगर उनको बिजली दे दें, तो वहां बहुत अधिक पैदावार हो सकती है। बिजली भाखरा से आ रही है और खेतड़ी से होकर अलवर भी आनी चाहिये।

अब हम देखते हैं कि वहां इस प्रकार के गांव हैं, बिजली जब उनको पहले मिलनी चाहिये और जिलों के मुकाबले वहां देरी से देते हैं, होना तो यह चाहिये कि वहां पहले मिले। इसके लिये आप कहते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं। मुझे यह सुनकर अफसोस होता है। आज हो यह रहा है कि जिस इलाके में बिजली का उपयोग नहीं एक कुए पर बिजली देने के लिये लाइन डाली जाती है। एक्सटैन्शन लाइन चल रही है लेकिन वहां के निवासियों के लिये बिजली नहीं। आपको हमारे एरिया में बिजली पहुँचाने में धन की दिक्कत है, तो हम आप से कहना चाहते हैं कि आप हमारे से लोन लीजिये जितना भी रुपया आप चाहेंगे, हम

(श्री घासीराम यादव)

देने के लिये तैयार हैं। इसी देश का फायदा होगा, देश पर जो अन्न का संकट है वह हल होगा, और किसानों को बिजली से फायदा होगा।

इसके अलावा आप बिजली की अवेलेबिलिटी की बात कहते हैं आपको भाखरा से थोड़ा बहुत कोटा मिला है, काफी जद्दोजहद के बाद ४०० के० वी० देने का तय हुआ है, उसके लिये पोइन्टस भी तय कर लिये हैं दो साल से लाइन पड़ी है लेकिन उससे टस से मस नहीं हो पाये हैं। रुपयों की समस्या हल करने के लिये हम तैयार हैं, तो बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार बिजली के लिये सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं, मैं आंकड़े बाजी में ज्यादा न फंसता हुआ अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

हमारे जिले में जिस प्रकार की धान्धलेबाजी चल रही है बिजली के वितरण में, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पैदावार जहां ज्यादा हो सके, उस क्षेत्र को पहले बिजली दी जाय, जिससे हमारे देश के सामने जो खाद्य संकट है, उसको हल किया जा सके।

सभापति महोदय, आज होता क्या है? जिस जगह जो पैदावार के लिहाज से बिजली की मांग होती है, उसको कट कर दिया जाता है। आज बिजली किस जगह को मिलती है? या तो पार्टी बाजी के आधार पर बिजली मिलती है या कोई नेता का निवास स्थान हो या प्रधान या जिला प्रमुख हो, वहां पर बिजली पहले दी जाती है। जहां से विरोधी पक्ष आता है वहां पर बिजली नहीं दी जाती है। इस बारे में सरकार हमेशा पक्षपात की नीति अपनाती चली आ रही है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से बिजली गांवों में दे रहे हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : विरोधियों के तो काफी बिजली लगी हुई है।

श्री श्रवणलाल : आपके यहां बिजली लगी हुई है, उसके बारे में लोग वहां के क्या कहते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा।

आज किस प्रकार से बिजली का वितरण एक जिले से दूसरे जिले में देखते हैं। सवाई माधोपुर जिला, जो पैदावार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण स्थान कहा जाता है वहां पर पानी उपलब्ध है, कुओं की संख्या इतनी है, जिनका अनुमान भी नहीं लगा सकते, आपको जगह जगह पर कुए मिलेंगे। आज होता क्या है कि तहसील हैडक्वाटर के पास कोई शहर है, वहां बिजली जरूर देते हैं। जो किसान अपनी खेती करता है, पैदावार को बढ़ाना चाहता है, बिजली की लाइन उनके गांव होकर आ रही है, लेकिन बिजली नहीं देते हैं। उनके निर्णयानुसार लाइन के एक-दो मील पर भी अगर हम बिजली की मांग करते हैं तो सरकार का उत्तर मिलता है कि आज सरकार के पास में इतना पैसा नहीं है, पोल्स नहीं हैं, तार नहीं हैं।

Page No 98

(श्री श्रवणलाल)

(४. म० प०)

यही नहीं, जब हम पड़ोसी जिले को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें भी पक्ष-पात बरता जाता है, झूठ बोला जाता है। हमें मुगालते में डालने की कोशिश की जाती है। भरतपुर में बयाना के पास एक गांव है समोगन, आठ दस घरों की बस्ती है, पर वहां बिजली दी गई है। उसी के पास दो मील दूर ही जहां कुछ दिन पूर्व राजबहादुर जी भी गये थे, पांच-सात हजार का गांव है उसमें नहीं दी गई तो उन्होंने भी ताज्जुब जाहिर किया था। इसका कारण क्या है ?

आज जो कटौती शहरों में की जाती है, उसमें भी छोटे-छोटे कारखाने वाले और चक्कियों वालों को परेशान होना पड़ता है, खुशामदें चलती हैं। रोज रोज उनको हैरान किया जाता है। टाइम पर बिजली नहीं मिलती, जो थोड़ी बहुत मिलती है, वह भी।

करौली में जिस प्रकार से एक इन्जन लाया जा रहा था, उस इन्जन को वहां फिट करना कैंसिल करके देवगढ़ ले गये। इस प्रकार वहां की जनता को बिजली से महरूम कर दिया।

एक माननीय सदस्य : आपके वहां तो चम्बल की आगई न ?

श्री श्रवणलाल : अभी तो जौइन्ट किया है, पता नहीं कब देंगे ? उससे पहले ही वह इन्जन ले गये। साल भर बाद ले जाते तो आज वहां के किसान लोग दुखी नहीं होते, पैदावार का बहुत बड़ा नुकसान सरकार ने किया है। जिन कुओं को बिजली मिलनी चाहिये थी वह आज से एक साल पहले मिल जाती तो पैदावार को लाभ होता।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सवाई माधोपुर में बिजली है।

श्री श्रवणलाल : मैं जानता हूं चम्बल की बिजली से मिला दिया। पर होता क्या है इसमें भी कि जो माननीय सदस्य कांग्रेस से करौली से आते हैं उनकी पंचायत समिति के एरिया में तो ट्रान्सफोरमर रख दिया जाता है। जहां विरोधी सदस्यों के क्षेत्र आते हैं, वहां आज तक भी ट्रान्सफौरमर्स रखकर बिजली नहीं दी। देते तो बहुत लाभ होता।

(शेम शेम की ध्वनि)

तो इस तरह से अन्न पैदा करने के प्रश्न पर भी वह सरकार पक्षपात और भेदभाव की नीति रखकर चलती है। यह अच्छी बात नहीं है। आज बिजली इसलिये है कि गांवों में पैदावार बढ़े। अकाल का संकट जो सिर पर छाया हुआ है उससे बचा जाय।

अन्त में सभापति महोदय ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह तो गलत तरीका है। फिर हम सात बजे तक चलायेंगे।

On a point of Information मैं कहता हूँ कि ३२ आदमियों की पार्टी को ३ आदमियों को बोलने का समय दिया और

(श्री मानसिंह महार)

जिसके दस आदमी हैं, जनसंघ के उनमें से चार बोल लिये । यह कहां तक न्याय है ? मेरा ही नहीं, मेरी पार्टी का यह प्रश्न है । अभी दस आदमी और बोलने वाले हैं । उधर ही उधर से बुलाये जावें जो यह अच्छा नहीं होगा ।

श्री भ्रदणलाल : तो अधिक से अधिक संख्या में पांच हजार के गांवों में मांगते हैं और एक मील की दूरी पर मांगते हैं, कुओं पर मांगते हैं, तो बिजली दी जानी चाहिये ।

श्री मोतीलाल चौधरी : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे माननीय सदस्य बहुत जोर जोर से बिजली की मांग गांवों में पहुंचाने की कर रहे हैं ।

कांग्रेस सरकार ने जब से शासनतन्त्र सम्भाला राजस्थान के अन्धेरे गांवों में बिजली मिले, किसान को मिले, इन्डस्ट्री को मिले इसका एक कार्यक्रम लेकर आई । ५४-५५ ५६ तक जिन क्षेत्रों में से बिजली की कोई मांग नहीं थी, आज ६५-६६ में कुओं के नाम पर खेतों के नाम पर गांवों के नाम पर बिजली की मांग दुहराई जा रही है । यह प्रसन्नता का विषय है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने बोर्ड के सम्बन्ध में बातें कहीं । मैं बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बोर्ड एक औटोनोमस बाडी है । उसका एक कानून है । वह पोलिटिकल पक्षपात से भरा हुआ है, यह बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं । बहुत बार तो सचमुच में हमें शिकायत होती है कि बोर्ड बनाने से हमें नुकसान हुआ है । यह औटोनोमस बाडी नहीं बननी चाहिये । बोर्ड अपने ढंग से काम करता है । गवर्नमेंट भी इसमें दखल नहीं दे सकती । सचमुच में उसका दखल नहीं है । शिकायत गवर्नमेंट को भी है ।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने आर्ग्युमेन्ट्स दिये, सवाई माधोपुर से आने वालों ने आर्ग्युमेन्ट्स दिये कि जहां कुछ अधिक हैं, पानी बहुत ऊंचाई पर ही मिल जाता है, जहां आज भी कुओं से दोनों फसलें अच्छी तरह हो रही हैं, कुछ भी जमीन खाली नहीं पड़ी है, वहां बिजली देनी चाहिये ताकि पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके । यह बिल्कुल उल्टी बात है ।

कई माननीय सदस्य : यह कैसे ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं बताता हूँ । आप शान्ति से सुनिये । सवाई माधोपुर में रेन-फाल ९५ सेन्टीग्रेड है, अलवर में ८० है । आपको तकलीफ क्या हो रही है ? तकलीफ जाननी हो तो हमारे जिलों में आप आओ, रेगिस्तानी इलाकों को देखो । वहां तो भगवान की नाराजी है ही, पर जिस सरकार को जनता ने अपना वोट देकर बनाया उस राज की हिम्मत नहीं कि वह जनता से नाराज हो, उसके साथ खिलवाड़ करे । रेगिस्तान के हम रहने वाले हैं, तीन सौ फीट नीचे पानी वहां मिलता है, कहीं सात सौ फीट पर मिलता है । वहां बिजली बिना पानी निकल नहीं सकता, पीने का पानी नहीं निकल सकता । जैसलमेर में हजारों फीट नीचे पानी है ।

अभी सीमा सुरक्षा की बात कह रहे थे । पाकिस्तानी हमले से बचाव की बातें

(श्री मोतीलाल चौधरी)

सदन में होती हैं। रेगिस्तान में मिलीटरी को तकलीफें पड़ीं। पानी नहीं मिला पीने को उसे क्योंकि वहां हजारों फीट नीचे कुए हैं। तो बिजली नहीं पहुँचती है वहां, तो वहां इसका भी क्या प्रबन्ध हो पावेगा? अगर जैसलमेर में, जालोर में, नागौर में, जोधपुर, चूरू, बीकानेर और भुंभनू सीकर में जो रेगिस्तानी इलाके हैं, पानी बहुत है। आज जो सरवे हुआ उससे पता लगता है कि वहां पानी है, पर बहुत नीचे है, पर इतना पानी है कि उससे एक राजस्थान नहर जितना पानी मिल सकता है। चम्बल डैम बन सकती है उस पानी से अगर उसे निकालने का प्रबन्ध हो जाय तो। एक एक ट्यूब वैल में जालोर में बहुत पानी मिला है। १३० फीट नीचे ही बगरोटा में इतना पानी निकलता है कि ८० हजार गैलन पानी एक ही घंटे में निकाला जा सकता है, फिर भी नहीं टूटे वह पानी। तो इस पानी को निकालने में बिजली नहीं मिलेगी तो वह रेगिस्तान कैसे पनपेगा? नागौर में मेरे एक जगह तीन सौ फीट नीचे ६० हजार गैलन प्रति घण्टा का पानी मिला है। तो इसको निकालने में बिजली चाहिये।

आज अगर तीस फीट, दस फीट, बीस फीट, नीचे से निकालने के लिये पानी नहीं मिलेगा तो हमारे बैलों की वहां बिक्री बढ़ेगी। अलवर में इतना पानी और इतने कुए हैं, कि एक इन्च धरती खाली नहीं मिलेगी खेती से। दोनों फसलें वे बोते हैं। धरती काफी अच्छी है, सवाई माधोपुर में यही हाल है। अब वे लोग मूंगफली, सरसों, तिल आदि लेंगे तो लें, हमें तो हाईब्रिड बाजरा मिल जावे तो बहुत है। पर यह नीचे से पानी मिले तो मिलने वाला है। तो इस तरह की बात जो भाई करते हैं उस पर मुझे अफसोस होता है। अभी बिजली की उतनी आवश्यकता रेगिस्तानी इलाके को है, जितनी कहीं नहीं है। आप थोड़ी इन्तजार कर सकते हैं।

श्री मानसिंह महार : On a point of order, Sir, सभापति महोदय, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं? माइक से मुख को दूर रख कर बोलें तो जरा ठीक हो और मुंह थोड़ा सीधा कर लें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मसला है, यह हाईब्रिड बाजरी की बात बोल रहे हैं। अलवर की बात कह रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहें तो उनका मुंह उनके मुंह और गाल के पास ले जाएं।

श्री मोतीलाल चौधरी : आज सारी रेगिस्तान की धरती अकालग्रस्त है। पैदावार नहीं है। पीने के लिये पानी नहीं मिलता।

मैंने इस हाउस में कहा था कि ५६ से ६२ के बीच में नागौर में ३ लाख पशु अकाल के कारण मरे हैं और अगर पानी होता तो शायद पशुओं की यह हालत नहीं होती और मारवाड़ छोड़कर उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन सभापति महोदय पानी नहीं मिलता और पशुओं को पानी नहीं मिलने के कारण, और पीने का पानी नहीं मिलने के कारण, वहां के लोग पशुओं को लेकर रिफ्यूजी की तरह से हर साल वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं। हर साल उनको जाना पड़ता है। अगर अलवर के किसान एक साल मारवाड़ में चले जायें,

(श्री मोतीलाल चौधरी)

तो उनको मालूम हो जाये कि क्या हालत है ? मुझे बहुत खुशी है कि हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े पशु भेड़, बकरी, गाय अगर यह सबसे अच्छे कहीं मिल सकते हैं रेगिस्तान के इलाके में मिलते हैं। राठी, काकरेल, नागौरी किस्म की नस्ल हमारे यहां ही होती है। इसके अलावा भेड़ सारे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी हमारे इलाके में है। कहने का मतलब यह है कि अगर सबसे अच्छे पशु कहीं है, तो रेगिस्तान में हैं। अगर पानी मिल जाते तो हम इससे फारेन एक्सचेन्ज ला सकते हैं। अगर आस्ट्रेलिया की गायें अफ्रीका और साउथ अमेरिका में बिक सकती है, तो क्या कारण है कि राजस्थान की गाय आस्ट्रेलिया में नहीं बिक सकती है। लेकिन सभापति महोदय, पानी नहीं है। इसकी समस्या को कैसे मिटायें ट्यूब वैलों से ३०० फुट नीचे से पानी लाना होता है और यह तभी मिल सकता है जब कि हमारे यहां बिजली दी जाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी क्रोप पैटर्न है उसको आप एग्रीकल्चर में ले लेते हैं, पशु पालन को आप बढ़ाना चाहते हैं हिन्दुस्तान की खेती पंजाब, यू० पी० राजस्थान पर डिपेन्ड करती है और यह खेती डिपेन्ड करती है तीन-चार तरह के बैलों पर। जयपुर, भरतपुर, अलवर और उसके बाद में पंजाब का आधा हिस्सा, मध्यप्रदेश का आधा हिस्सा जो बालोतरा, सांचोर और नागौर में मेले से बैल ले जाते हैं उससे खेती करते हैं। क्योंकि आजकल ट्रेक्टर तो हैं नहीं, इसलिए खेती को चलाने के लिए बैलों की जरूरत है, और उस बैल के लिए पानी की जरुरत है। हमें पानी देंगे तो हम आपको बैल सस्ते देंगे, घी देंगे, दूध देंगे और आपको विलायत से और अमेरिका से पाउडर का दूध मंगाना नहीं पड़ेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने नागौर इलाके के लिए कहा था। नागौर जिले के अन्दर जहां पानी है वहां ३०० फुट नीचे है वहां बिजली पहुंच जाये तो बिजली से पानी आप वहां दे सकते हैं। मकराना की इन्डस्ट्री हिन्दुस्तान की एक मात्र इन्डस्टी है, लेकिन उसको भरपेट बिजली नहीं मिल रही हैं। इसी तरह से दूसरे कस्बे हैं बोरावर, खाटू आदि। यहां हजारों कुए हैं और यहां अगर बिजली मिल जाती हैं तो इस इलाके को पानी भी मिल सकता है। वहां पंचायत समितियों ने स्वयं ने सर्वे किया है। पंचायत समिति परवतसर, मकराना, जायल, डेगाना रुपया दे सकती हैं, लेकिन उन्हें बिजली मिलनी चाहिए। मैं हाउस के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जिलों के लिए भी बिजली ले लें, लेकिन आपके पास पहले से ही पानी इतना ज्यादा है कि आपके यहां तो फ्लड आ गया। आप पानी को काम में नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए आपको रेगिस्तानी इलाके में पानी के लिए बिजली पहुंचानी चाहिए। बिजली के बिना पानी नहीं आ सकता। रेगिस्तान के अन्दर और बोर्डर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर बाड़मेर, जैसलमेर आदि इलाके को बिजली जरूर देनी चाहिए और उस तरफ सरकार को ध्यान रखना चाहिए।

श्री सभापति : श्री मानसिह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय सभापति महोदय, आज कई वर्षो के

Page No 102

(श्री मानसिंह महार)

बाद हमारे राजस्थान का विद्युत मण्डल का बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है। इसके अन्दर किस प्रकार के अन्याय होते हैं, वह मेरे उधर के बैठने वाले सदस्यों ने भी यहां पर हिमाकत करके चले कि महाराजा साहब के पोथे को फेंक दिया यह कह कर कि ये तो रद्दी के टुकड़े हैं। तो अब सब चीजें हद से बाहर निकल गई........

श्री मोतीलाल चौधरी : वे कागज तो बोर्ड के थे, महाराजा साहब के नहीं थे।

श्री मानसिंह महार : आपको क्यों एलर्जी हो गई है? यह तो Love at frist sight" हो गया है, ऐसा मालूम होता है।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपको क्यों तकलीफ होती है?

श्री मानसिंह महार : मुझे तो तकलीफ है तभी तो रो रहा हूं, नहीं तो क्यों रोता।

तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस विद्युत मण्डल के बारे में मेरा प्रथम एतराज है वह यह है कि यह विद्युत मण्डल राजस्थान के सिर पर कलंक का टीका है और इस कलंक के टीके को लगाने का श्रेय, श्री श्री १०८ श्री महाराजा हरिश्चन्द्र जी झालावाड़ को है। वह क्यों है? वह भी आप सुन लीजिए कि राजस्थान के अन्दर योग्य से योग्य इन्जीनियरर्स बैठे हुए हैं, लेकिन उनके सब के चान्सेज को खत्म करके महाराजा साहब ने अपनी अंग्रेजियत को बू का नमूना देते हुए हम पर एक मद्रास से बूढ़े आदमी को लाकर थोप दिया है। यह राजस्थान के लिए कलंक है। मैं आपसे कहता हूं कि आप कितना ही अपने एक्शन को जस्टीफाई करें लेकिन हमारे राजस्थानी आदमी जो इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के काम को समझते हैं, उनके मुकाबिले में दुअन्नी भी आपके एक्सपोर्टेड चीफ इन्जीनियर भी नहीं समझते होंगे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Imported.

श्री मानसिंह महार : मैं तो एक्सपोर्टेड ही कहता हूं क्योंकि इम्पोर्टेड से पहले ही महाराजा साहब को एलर्जी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृपा करके या तो यहां के एडीशनल चीफ इन्जीनियर को मद्रास भेजें और वहां उसको चीफ इन्जीनियर बनवायें और अगर आपकी हिम्मत नहीं है जो कि मैं जानता हूं कि नहीं है तो आप राजस्थान को दुनिया की निगाहों से मत गिराओ। आप यह नहीं कहें कि राजस्थान के अन्दर कोई योग्य आदमी नहीं है जिसको हम राजस्थान का चीफ इन्जीनियर बना सकें। राजस्थान वह प्रान्त है जहां गुदड़ी के लाल बैठे हुए हैं। ऐसे योग्य आदमी हैं कि जो आपके चीफ इन्जीनियर को जिन्दगी भर बिजली के काम में पढ़ा सकते हैं। लेकिन महाराजा साहब तो विलायत से आये हुए आदमी हैं, तो जरूरी है कि कोई अंग्रेजीदां आदमी आये, हर शब्द अंग्रेजी में बोले और अंग्रेजी के अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स बोल सके। इसलिए वह राजस्थान के आदमी को कैसे चीफ इन्जीनियर बनायेंगे? इसलिए मेरी

(श्री मानसिंह महार)

पहली मांग तो यह है कि आप राजस्थान का चीफ इन्जीनियर राजस्थानी को ही बनायें। मैं किसी का नाम नहीं देता आप जिसको सीनियर मोस्ट समझें, जिसको एबलेस्ट समझें उसको बना दें। लेकिन बाहर से लाने की जो पद्धति है उसको खतम किया जाये। तो यह मेरी मांग नम्बर एक है।

मेरी मांग नम्बर २ विद्युत मंत्रीजी से जो है वह यह है कि यह जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसको आप इन्डिपेन्डेन्ट बनाइये। यह आप कहते हैं कि यह इन्डिपेन्डेन्ट है लेकिन वह आपके शिकंजों में ऐसा बंधा हुआ है जैसा कि आपके ही पक्ष के एक मित्र कह रहे थे, मैं नहीं, मेरी जुबान नहीं है, यह बात आपके ही पक्ष वाले की है कि विद्युत मण्डल तो महाराजा झालावाड़ के हुकम का गुलाम है। मैं कहता हूं कि विद्युत मण्डल महाराजा झालावाड़ के हुकम का गुलाम नहीं होकर जो उचित चीज है उसके हुकम का गुलाम हो। दूसरी चीज यह है कि आपका जो पैशाचिक हाथ विद्युत मण्डल पर रखा हुआ है, वह पैशाचिक हाथ दूर कीजिए। विद्युत मण्डल का जो आपने गला घोंट रखा है उस गला घोंट हाथ को दूर रखिये और इसको बिलकुल इन्डिपेन्डेन्ट और आटोनोमस बाडी बनाइये।

यह मेरी तीसरी माँग है वह भी आप सुन लें। आप खुद जानते हैं और बहुत प्रेम से जानते हैं। यह सही है कि आप जितने भी काम करते हैं वह एक हैपहैजर्ड वे में करते हैं। आपने हुकम दे दिया कि कोटा से झालावाड़ की लाईन लगनी चाहिए तो वह काम ओवरनाइट में हो गया। मैं जानता हूं वहां ट्रान्सफोर्मर या जो कुछ आया वह रद्दी था। आते ही चलाने से पहले हैड उसका क्रेक हो गया लेकिन आप झालावाड़ की जनता को जरूर दिखाना चाहेंगे कि आप उनकी बहबूदी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : ट्रान्सफोर्मर नहीं टर्बाइन था।

श्री मानसिंह महार : ट्रान्सफोर्मर मैंने जल्दी में कह दिया, तो I am subject to correction. तो वह चीज भी है।

लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जो गैस टरबाईन वगैरा पर लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन यह रुपया खर्च करने पर भी आपको रिटर्न कितना मिलता है? आप एक स्टेटमेंट दीजिए, जो कि आप कभी नहीं देंगे मैं यह भी जानता हूं, क्योंकि आप पकड़ में आते हैं, उसमें आप बताइए कि कितने रुपये बिजली पर खर्च करते हैं? जो बिजली आप पैदा करते हैं उसमें कितना रुपया खर्च होता है? यह आपने जितने व्हाईट एलीफेंट लगा रखे हैं, गैस टरबाईन वगैरा, ये व्हाईट एलीफेंट खर्चा तो ज्यादा करते हैं और इनसे आमदनी कम होती है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन यह जानते हुए भी आप उनको लाए हैं। आप किस लिए लाए हैं? इसलिए लाए हैं कि राजस्थान पर लायबलिटी हो। यह राजस्थान की जनता पर जो टैक्स का बोझ आज तक है, उससे भी अधिक बोझ से दबें। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस ओर भी गौर कीजिए और आयन्दा इन

(श्री मानसिंह महार)

अनइकोनोमिक बातों की ओर मत पधारिए।

चौथी बात, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप महाराज साहब, राजस्थान के बडे सेवक हैं। मैं मानता हूं कि आपके हृदय में राजस्थान के लिए अपार श्रद्धा है। तो आपके विद्युत् मंत्री बनने के बाद राजस्थान में अकाल पड़े हैं। जितने बड़े २ बांध जिनसे बिजली पैदा होती थी वे सारे सूख गए हैं। इसलिए कृपा करके आप इस बिजली मंत्री के पद से इस्तीफा दे ही दीजिए। यह तो किसी किसी का जोग होता है कि उसके ग्रह नहीं मिलते। आपके ग्रह इस बिजली विभाग से मिले नहीं हैं, इसलिए राजस्थान का दुर्भाग्य हो रहा है। मेरे जैसे किसान ने उनकी बिजली ले ली वह रो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप और कोई विभाग ले लीजिए लेकिन इस बिजली विभाग पर रहम कीजिए क्योंकि अभी तो डेढ करोड़ का ही नुकसान हुआ है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो मैंने शुरू ही किया है, मैं तो कम से कम आधे घण्टे तक बोलूंगा।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री मानसिंह महार : यह तो मेरा पैट सब्जेक्ट है। तो मैं निवेदन करूं कि यह बिजली विभाग अभी तो डेढ़ करोड़ के घाटे में गया है और महाराज साहब अगर आप दो तीन साल और विराजमान रहे तो जैसे २३३ करोड़ तक कौल साहब ने पहुंचा दिया, तो आप भी इसे पचास करोड़ तक पहुंचा देंगे, यह मेरी निश्चित धारणा है। इसलिए आपसे मेरी अर्ज है, प्रार्थना है कि आप इस विभाग को छोड़ दीजिए। आप विभाग को बदल लीजिए। मैं यह नहीं कहता कि आप मंत्रीमण्डल में मत रहिये क्योंकि वह तो आप करेंगे भी नहीं, तो कम से कम इस बिजली विभाग को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये चार पांच बड़े मुद्दे की बातें मैंने कहीं।

अब मैं आता हूं छोटी मोटी बातों पर। मैंने यह कुछ मुद्दे की बातें इसलिए कहीं कि जब तक इनको नहीं कहा जाय मंत्री लोग ध्यान नहीं देते।

श्री सभापति : छोटी-मोटी बातों में ज्यादा समय न लें।

श्री मानसिंह महार : छोटी बातें भी बहुत हैं, इनमें थोड़ा समय लगेगा। अब मैं आपको बता दूं मंत्री महोदय, कि जैसा अभी आपकी ही पार्टी के सदस्य ने आपके विद्युत विभाग को जिस प्रकार से फेंका और जिस प्रकार से उन्होंने मेरी बातों की ताईद की, उस ओर विचार कीजिए कि आपने कितना अन्याय किया है? जयपुर से आप शाहपुरा-मनोहरपुरा इतनी दूर बिजली ले गए। आप सब इलाकों को छोड़ते जाते हैं, लेकिन एक उप मंत्री के इलाके में आपको बिजली पहुंचानी थी इसलिए आपने ऐसी लम्बी छलांग मरी। आप यह मत समझिये कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शाहपुरा में तो कोई उप-मंत्री नहीं है।

Page No 105

श्री मार्नसिंह महार : कमला बेनीवाल कहां की हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उप-मंत्री के इलाके में करेंट पहुंचाया है ।

श्री मार्नसिंह महार : मेरी तरफ से करेंट सब जगह दें, मुझे क्या एतराज है ? यह मैंने ही नहीं कहा है, एक कांग्रेसी सदस्य रैफर कर रहे थे ।

मैं आपको कहता हूं महाराज । साहब, वह युग खत्म हो गया जिस युग में आपकी मिनिस्ट्री एक हामोजीनस मिनिस्ट्री थी । वह युग अब खत्म हो गया है, वह आपका ढोंग जो था वह भी खत्म हो गया है । अब आप चाहे कमलाजी को खुश करिए और चाहे किसी और को खुश करिए, लेकिन कांग्रेस वाले भी आपके पक्षपात पूर्ण रवैये को जान गए हैं और कांग्रेस का जो दूसरा ग्रुप है वह आपको खुले आम चुनौती देने लगा है और वह........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप किस किस की बातें जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की बातें जानते हैं, स्वतंत्र पार्टी की बातें भी जानते हैं.......

श्री मार्नसिंह महार : मैं तो आपकी बातें भी जानता हूं । आप रात को दो दो बजे तक घर जाते हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो सबके घर जाता हूं और आप किस किस के घर जाते हैं ? सड़कों पर यों हाथ जोड़े-जोड़े इधर उधर घूमते-फिरते हो ! क्या बात करते हो ? यह मेरा हक है कि मैं कहीं पर भी जाऊं, किसी के भी घर पर जाऊं, किसी से भी मिलूं, आप कहने वाले कौन होते हो मेरे व्यक्तिगत मामलों को ? मैंने तो आपको एक सवाल किया कि जो आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में यह हो रहा है, वह हो रहा है तो आप कांग्रेस पार्टी की बातें भी जानते हो और अपनी स्वतन्त्र पार्टी की भी बातें जानते हो ? लेकिन कांग्रेस की बातें जानने के लिए सदन नहीं है, सदन इसलिए नहीं है कि कांग्रेस अपने आप में, अपनी पौलिसी के बारे में क्या करती है ? यह उनका अपना मामला है, उस मामले को बार बार यहां लाने का, मैं समझता है, सभापति महोदय इनको कोई हक नहीं है, इनको सदन का समय लेने का कोई हक नहीं है । हम भी जानते हैं स्वतन्त्र पार्टी की बातें....

(व्यवधान)

श्री सभापति : (श्री मार्नसिंह महार से) आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम भी जानते हैं किस तरह से स्वतन्त्र पार्टी चलती है ? हम उनकी तरह नहीं कहते जैसा उन्होंने कहा है अपने साले के लिए कि सुखाड़िया ने सी० आई० डी० भेजा है स्वतन्त्र पार्टी में । सब के सामने उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं । इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की बातें करते माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता है । हर एक को यह कहते हैं इस तरह से ।

(व्यवधान)

श्री मार्नसिंह महार : आप लड़ाना चाहते हैं हमको आपस में । यह हम लोग

(श्री मानसिंह महार)

इतने बेवकूफ नहीं है जो आप लोग कहो उस पर....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह मेरा कहना नहीं है, आप खुद कहते–फिरते हो, मुझे कहा है। लेकिन यह आपकी पार्टी का मामला है, आपके साले–जीजा कुछ भी कहते फिरें, मुझे क्या करना है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन उनको भी सोचना चाहिए जो अपने पार्टी के मेम्बर के लिए कहते हैं कि वह सुखाड़ियाजी ने सी० आई० डी० भेजा है स्वतन्त्र पार्टी में। यह हम भी कह सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि सदन में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है और दूसरी पार्टी क्या करती हैं?

श्री मानसिंह महार : आपको एलर्जी क्यों है? आपने कौल साहब के लिए क्या क्या नहीं किया है, मैं सब जानता हूँ।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मानसिंह महार : कौल साहब के लिए क्या क्या किया है आपने, सदन में मत बुलवाओ यह आपकी अपनी चीज है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप राजा साहब को कुछ भी कहें, लेकिन पार्टी एज ए होल, उसके लिए आप सदन में कुछ नहीं कह सकते। आपने जो कुछ किया है वह बहुत ही निंदनीय है।

श्री मानसिंह महार : आपको एतराज क्यों होता है?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : एतराज तो आपको हो रहा है।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, इसमें डिसइण्टीग्रेशन आ रहा है, यह कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, मैं तो आपको चेतावनी दे रहा हूँ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : × × × × × ×

(व्यवधान)

(अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार : × × × × × × ×

(शोरगुल)

(अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : × × ×

(भयंकर शोरगुल)

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 107

श्री मानसिंह महार : × × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मानसिंह महार : मैं कभी अनपार्लियामेंट्री नहीं बोलता हूं अगर कोई दूसरा अनपार्लियामेंट्री बोलेंगे तो मैं भी चौगुना बोलूंगा। मैं अपने भाषण को जारी रख रहा हूं और मैं निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी में डिस्इंट्रीग्रेशन आ रहा है। जो उस पक्ष में बैठने वाले हैं महाराज साहब, उन्होंने आपकी चालें देख ली हैं और अब ज्यादा वे आपके फन्दे में नहीं रहेंगे। यह तो मैं आपको कहता हूं, मुझे सब अन्दरूनी बातें मालूम है कि आप भी इस मंत्रि–मण्डल में नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : × × × × × ×

श्री मानसिंह महार : × × × × × ×

(भारी शोरगोल अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : × × × × × ×

श्री जेठमल बरवड़ : × × × × × × ×

(भारी शोरगुल व्यवधान अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार : × × ×

(इसके बाद माननीय सदस्य श्री ज्वाला–प्रसाद शर्मा एवं श्री मानसिंह में कई बार परस्पर × × × का उच्चारण होता रहा)

श्री जेठमल बरवड़ : × × × × × × ×

श्री मानसिंह महार : × × × ×

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : × × ×

(भारी शोरगुल अश्रव्य)

श्री सभापति : यह सब जो कुछ कहा है उसे एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री जेठमल बरवड़ : सभापति महोदय, यह जिस तरह से गालियां देते हैं हम गालियां सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री सभापति : जितना बोला गया है, जो कुछ कहा गया है उसको एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री मानसिंह महार : तो, अध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय), मैं सदन के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : आपका महत्वपूर्ण भाषण तो सब सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया भाषण कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करूंगा।

× × × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री सभापति : आप समय का ध्यान रखें। कफी समय आप ले चुके हैं।

श्री मानसिंह महार : समय कहां ले चुका हूं ? बीच बीच में इन्टरप्ट कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप ५ मिनिट बोलें।

श्री मानसिंह महार : जबरदस्ती बीच में इन्टरप्ट करते हैं।

श्री सभापति : आप ५ मिनिट में समाप्त करें।

श्री मानसिंह महार : मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो शुरू ही किया है

इस बिजली बोर्ड के बारे में मैं कह रहा था। फिर आ जाऊंगा दो मिनट बाद। अभी दो मिनिट नहीं हुए हैं मैं अर्ज करूंगा कि बिजली बोर्ड की क्या स्थिति है ? जहां नहरें हैं, जहां सब कुछ है, वहां तो बिजली दी जाती है, और जिन जिलों में जैसा कि अभी मेरे एक कांग्रेसी मित्र ने कहा जो कि मेरे बहुत अजीब मित्र हैं, न तालाब है, जिन जिलों में न कोई बड़ा बांध है, उन जिलों में जहां वैल इर्रीगेशन होता है, उनमें आप बिजली दीजिए। लेकिन वहां जहां कि भाखरा की नहरें फिर रही हैं उनमें बिजली का जाल बिछा हुआ है। अलवर और जयपुर जो हमारे यहां के जिले हैं उन जिलों में बिजली नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं देते हैं ? आप नहीं देते हैं इन जिलों में बिजली जब कि हमने शुरू से मांग की है। बिजली उन्हीं जिलों में देना चाहिए जिन जिलों में सिचाई के और साधन नहीं हैं, लेकिन वह नहीं होता है। आप उन्हीं जिलों में अनाप-शनाप बिजली दे रहे हैं। वर्ना यह क्राइटेरिया रखकर चलें तो जयपुर और अलवर फर्स्ट आयेगा। ये जिले ऐसे हैं कि ये वैल इर्रीगेटेड है, और इनमें जितनी अधिक तादाद में बिजली दी जाय वह थोड़ी है। आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ? क्यों कि आपके ऊपर दबाव है। इधर-उधर का दबाव है उस वजह से बिजली देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिजली देने में न्याय कीजिए।

हमारे इलाके में, चैयरमैन महोदय, बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि जिन गांवों में बिजली सैंक्शन नहीं थी, उन गांवों में बिजली दे दी। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड द्वारा बिजली सैंक्शन्ड नहीं, और उनमें लाइन डाल दी है। लाइन डालने के बाद, जब नये कनैक्शन दिये जा रहे थे उस समय क्या मालूम किस बात से हमारे एडीशनल चीफ इन्जीनियर को इस चीज का पता लगा और उन्होंने उसको रोका। वह भी कितना अन्याय है। आप देखिए कि उन गरीबों ने कुओं में मोटर लगा दी और मोटर लगाने के बाद उनको बिजली की लाइन देने से इन्कार कर दिया गया कि तुमको बिजली की लाइन नहीं है। मोटर लगाने से बैल भी नहीं चला सकते। वहां पर खड़ी फसल सूख रही है। आखिर गुड सैन्स ने प्रिवेल किया। उनको बिजली तो दी गई लेकिन जिन इन्जीनियरों ने इस प्रकार की हिमाकत की उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया ? मैं नहीं समझता कि इस सरकार ने कभी किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक कुआ नहीं, १० कुए नहीं, सैकड़ों

(श्री मानसिंह महार)

कुए ऐसे थे कि जिनके लिए बिजली की लाइन खेंची गई जिसके लिए आपके डिपार्टमेंट की सैन्क्शन नहीं थी। आपके कानों तक तो आवाज नहीं पहुँचती हैं। मैं कहता हूं कि अव्यवस्था इतनी है।

यही नहीं जिन गांवों की लाइन सैन्क्शन हो जाती है। गांवों की लाइन सैन्क्शन होने के बाद क्या होता है कि गांव वाले जाते हैं तो बिजली वाले कहते हैं कि हमारे पास तो ट्रक नहीं है। अगर आपको अपने गांवों में बिजली ले जाना हैं तो खुद सवारियों में सामान ले जाओ। गांव वाले लड्डियों में और ट्रकों में बिजली के खम्भे वगैरह ले जाते हैं। लड्डियों और ट्रकों में ले जाते हैं और ले जाकर अपने गांवों में लाते हैं और बिजली वाले ट्रकों का आना जाना बिजली के ट्रकों का भी दिखा देते हैं, मगर वस्तु स्थिति ऐसी है कि गांव वाले खुद अपनी लड्डियों और ट्रकों में बिजली का सामान ले जाते हैं। यह निन्दनीय परिस्थिति है। यह फैक्ट है। यह बिल्कुल सही बात निवेदन कर रहा हूँ। तो इस स्थिति से भी हमको बचाना चाहिए।

मैं कहता हूँ कि आज हमारे हायर लेवल के इंजीनियर्स चाहे नहीं खाते हों, और मैं मानता हूं कि वह नहीं खाता है, लेकिन जो आपके जे० ई० एन० और ए० ई० एन० हैं वह बिजली के कनैक्शन देने में खुले आम २००) रु० फी कनैक्शन का लेते हैं। यह ओपन सीक्रेट है। ९० पर्सेन्ट केसेज में हर कनैक्शन के देने में २००) रु० लेते हैं। यह आप खुद भी देखते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप कुछ भी नहीं हैं। इसमें बहुत योग्यता चाहिए। रिश्वत रोकने में बड़ी भारी योग्यता की जरूरत है। लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि यह चीज तो आप से ही होनी चाहिए, लेकिन आप दबे हुए हैं। कही कमलाजी से दबे हुए हैं, कहीं चन्दनमलजी से दबे हुए हैं, कहीं एक्स से दबे हुए हैं, कहीं वाइसे दबे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, बाजार) : कहीं जैड से भी दबे हुए हैं।

श्री मानसिंह महार : कहीं जैड से दबे हुए मान लीजिये, यदि आप कहे तो।

इसलिए मैं कहूं कि आप कम से कम चीज का इन्तजाम करें जो रिश्वत, कनेक्शन लेने में किसानों को देनी पड़ती है उसको कम करें।

अब मैं आता हूं अपने आखरी पाइंट पर स्टोर्स की खरीद के घोटालों पर। मैं निवेदन करूंगा, चैयरमैन महोदय, कि जो सामान खरीदा जाता है, बिजली बोर्ड के अन्दर उसका सौदा पहले से ही तय हो जाता है कि वायर इतने रुपये का आयेगा। तो पहले से ही कम्पनी वाले हाइएस्ट लेवल पर बातचीत कर लेते है और बीच का अपना कमीशन तय हो जाता है हर चीज के ऊपर। मैं फिर कहता हूं कि जितना सामान है हर चीज में यह बात है और फिर खरीद-फरोख्त होती है। इसकी भी आप रोक-थाम करें, मिनिस्टर साहब !

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : हाइएस्ट लेवल है, कौनसा लेवल बता रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : हाइएस्ट लेवल ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उसका कोई लेवल नहीं है ।

श्री मानसिंह महार : मैं यह कहता हूं कि ऊपर से नीचे तक किसी लेवल तक नहीं बखानता । मैं इतना ही कहता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से डरते हैं ।

श्री मानसिंह महार : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं मैं किसी के खिलाफ नहीं कहता । आप अपने यहां से कागजात मंगवा कर देखें ।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल गलत कह रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार : मैं आपके कहने से किसी का नाम नहीं लूंगा । आप चाहे....

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : आप सच्चे हैं तो नाम लें ।

श्री मानसिंह महार : मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी ऑडिट रिपोर्ट भरी हुई हैं इन चीजों से ।

श्री मानसिंह महार : आप मेरा नाम क्यों लेते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट हुई है, तो क्या ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर कौन से लेवल के ऊपर यह लिया जाता है, इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है ?

श्री भैरोंसिंह : यह ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ नहीं होता है । यह मंत्री-मंडल के सदस्यों की जानकारी में होता है । ऑडिट रिपोर्ट आप देखते नहीं हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : अभी यहां यह प्रश्न उठा है कि हाइएस्ट लेवल पर ली जाती है तो उसके सम्बन्ध में मैंने पूछा था कि ऑडिट रिपोर्ट में कौन से लेवल पर लिखा हुआ है ?

श्री भैरोंसिंह - लेवल लगा हुआ है, यह आपको मालूम है । आप यह बता दें ।

श्री हरिश्चन्द्र : आपको मालूम हो तो आप बता दें । क्वैश्चन उधर से आया है ।

श्री भैरोंसिंह : 'क्वश्चन-क्वश्चन' आपने इन्वाइट किया है । जो इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं वह किस लेवल पर हो रहे हैं ? हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि किस ने खाया है और किस ने नहीं खाया है । यह कोई हमारी ड्यूटी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह चार्ज लगाया है कि यह कोई हाइएस्ट लेवल पर लिया जाता है, इस वास्ते कहा है ।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दें कि लोअर लेवल पर खाया है । आप कह दें यह ।

श्री मानसिंह महार : मैं इस कन्ट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता । मैं निवेदन करूंगा कि मैं अपना स्पष्टीकरण दे दूं । जैसा कि मैंने कहा २००) रु० एक एक कनैक्शन देने के लिए जाते हैं, जे० ई० एन० और

(श्री मानसिंह महार)

ए० ई० एन० खाते है । इसी प्रकार डाइ-रेक्ट कोई चीज मंगाते हैं तो ऊपर वाले खाते हैं। मेरा मतलब यह है मैं बहुत क्लीयर हूं, ऊपर वाले भी सामान खरीदने पर खाते हैं। मैंने अपनी जबान से नहीं कहा कि मिनिस्टर खाते हैं या चीफ इंजी-नियर खाते हैं। मैं ऊपर के तबके का कह रहा हूं. घोटाला है। पर्टिकूलर आदमी के लिए जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक नहीं कहूंगा. लेकिन होता जरूर है । मंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना है ......

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (जोहरी बाजार, जयपुर) : आपने दो ही पोइन्ट लिखे थे, you had given only two points. बाकी कहां से बोल रहे हैं

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन करूं बात यह हुई कि मित्र चाहते हैं कि अधिक नहीं बोलूं, लेकिन आखिरी बात पर आता हूं....

श्री सभापति : आखिर बात तो पहले कह चुके हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका पहला शब्द और आखिर शब्द एक ही होता है ।

श्री मानसिंह महार : मंत्री जी को सतर्क होकर चलना चाहिए । उनके कार-नामों को उनके दूसरे पक्ष के लोग खूब जान गये हैं । अब आप इस प्रकार न सोचिए कि मन मानी करते जावें । आप ही की तरफ बैठने वाले लोगों ने बिजली बोर्ड के कागजों को फेंकना शुरू कर दिया है । हमको तो आप ही बताते हैं । मुझे अधि-कांश इन्फोरमेशन नसीराबाद के साथी या दूसरे देते हैं, यही कहना चाहता हूं ।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं सभापति महोदय, इस सदन के बाहर सरकारी कर्मचारियों का जुलूस आया है। मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के मसले को छोड़ कर यह कहना चाहता हूं कि वे अपनी तनख्वाह और महंगाइ भत्ता सैन्टर के कर्मचारियों के बराबर कराने के लिए सदन के समक्ष आये हैं। मै सदन के सभी माननीय सद-स्यों और मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि वे लोग इस सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ें, और हम सब चलकर हमारे कर्मचारी जो हमारे खंभ हैं राज्य को चलाने वाले हैं...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : (अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार : Please don't disturb me.

जो सरकारी कर्मचारी सरकार के खंभे हैं, यदि इनका विश्वास खो देंगे तो सरकार फैल हो जायेगी। उन कर्मचारियों से मिलने में हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिये ...

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : आप राज्य कर लीजिये ।

श्री **मानसिंह महार** : मैं असंतुष्ट कर्म-चारियों के साथ राज्य करने को तैयार नहीं हूं, इतना गिरा हुआ नहीं हूँ । मैं इतना ही कहता हूं कि कर्मचारियों को संतुष्ट रखना

श्री मानसिंह महार

चाहिये। मंहगाई के जमाने में कर्मचारियों की उचित मांग नहीं मानेंगे तो यह सरकार नहीं टिकेगी। मैं निवेदन करूंगा कि कल संकल्प के समय चाहे जल्दबाजी करके उठ गये हों, लेकिन अभी जल्दबाजी करने की जरुरत नहीं है। आप विद्युत मंडल की बहस का जवाब बाद में दे दीजिये तब तक सदन की कार्यवाही ५ मिनिट के लिए स्थगित करके हम सब चल कर उनसे मिलें जिससे कांग्रेस पक्षवालों के प्रति उनके दिमाग में किस प्रकार की भावना हो कि वे हमसे मिलना नहीं चाहते तो वह खत्म हो जाय। हम सब चल कर उनसे मिलें यही मेरी मांग है।

श्री सभापति : श्री गोविन्दसिंह।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : सभापति महोदय, जवाब कब शुरु किया। मुझे ऐतराज नहीं है, माननीय सदस्य बोललें कम से कम सवा पांच बजे तक और चलालें मुझे भी आधा घंटा जवाब देने के लिए मिल जाय।

श्री **सभापति** : यदि सदन की मंशा हो तो समय बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

आज की कार्यवाही समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाता है।

(४.४४ म. प.)

(विराम)

श्री **गोविन्दसिंह**।

विधान सभा के बाहर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों से मिलने विषयक विचार–विमर्श

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य गोविन्द सिंहजी बोलें उससे पहले आमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने आपसे और सदन से निवेदन किया है उस बारे में मैं कुछ विचार रखना चाहूँगा। सभापति महोदय, कल इस सदन में प्रस्ताव पर विचार चल रहा था ....

श्री **हरिश्चन्द्र**: On a point of order sir, चेयरमैन महोदय, मैं चाहता हूं कि यह समाप्त हो जाय तो उसके बाद इस चीज को उठावें तो we will certainly second it. We will give you time.

श्री भैरोंसिंह : मैं टाइम के लिए अर्ज नहीं कर रहा, टाइम मिलेगा ही

श्री **गोविन्दसिंह** (पिडावा) मैं बोल रहा हूं ....

श्री भैरोंसिंह : मैं आप का टाइम नहीं ले रहा हूं आप खूब बोलिए ६ बजे तक १२ बजे तक हम बैठेंगे। मेरा निवेदन यह था कि कल प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था उस पर सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका, वह डिबेट अनकन्ल्युडेड रही। उसका परिणाम यह रहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों की मांग के सम्बन्ध में क्या नीति है उसकी जानकारी न सदन को मिली और न कर्मचारियों को मिल पाई। आज समस्त राजस्थान के कर्मचारी जो जयपुर में सभी विभागों के कर्मचारी हैं उन्होंने विधान सभा के सामने

(श्री भैरोंसिंह)

प्रदर्शन किया है। महिलाओं और बच्चों सहित आये हैं। मैंने कल ही कहा था कि यदि उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई तो प्रदर्शन होगा यह वह प्रदर्शन सरकार के प्रति अविश्वास का प्रतीक है। सरकार के प्रति सरकारी कर्मचारियों का अविश्वास यह गम्भीर घटना है। यह सदन इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड पर विचार कर रहा है लेकिन जो गम्भीर घटना है उसको प्राथमिकता देने का सवाल आता है तो ऐसे प्रश्न से गुरेज नहीं किया जा सकता। आप भी मानते हैं कि विधान सभा प्रान्त की सर्वोच्च सत्ता है, यदि उसके समक्ष राजस्थान के कर्मचारी मांग लेकर आते हैं....

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अर्ज कर रहा था कि पहले यह समाप्त हो जाता उसके बाद आपका भाषण हो जाता। बीच में इन्टरप्ट न करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का समाप्त हो जाता....

श्री भैरोंसिंह : मुझे आप यह विश्वास दिला दीजिए कि इसके समाप्त होने के बाद राजस्थान मन्त्री मण्डल के सदस्य कर्मचारियों को सम्बोधित करने वाले हैं तो मैं इस प्रश्न को नहीं उठाऊंगा। यदि यह विश्वास देते हैं कि इलेक्ट्रीसिटी की मांग मन्जूर होने के बाद आपका मन्त्री मण्डल इन कर्मचारियों को संबोधित करने वाला है तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा। अभी आप कह दीजिए।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने प्रश्न उठाया, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यह प्रश्न इसके समाप्त होने के बाद उठावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके बाद उठाने का प्रश्न इसलिए खड़ा नहीं होता कि जब कल बहस हो रही थी, डाइरेक्ट सवाल था कि राजस्थान राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता सेन्टर के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के समान कर दिया जाय उस पर डिबेट नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि सदन की कार्यवाही बढ़ाई जायेगी, पूरे समय तक बहस होगी, उत्तर होगा, प्रस्ताव रखा है उसका जवाब होगा तब मीटिंग डिसपर्स होगी उसके बावजूद भी मुझे दुःख होता है आपने अपनी नीति स्पष्ट कर दी उसी के कारण राज्य कर्मचारी अपनी बीबीं बच्चों के साथ विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने आए हैं। कल राजस्थान का मन्त्री मण्डल सदन की कार्यवाही ५ बजे अचानक समाप्त करके भाग गया इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। आज आप यह कहते हैं कि इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के सम्बन्ध की बहस समाप्त हो जाय उसके बाद फिर यह बहस चला लीजिये। बाद में तो आप वही करने वाले है जो करते आए हैं। आप न कर्मचारियों का फेस करना चाहते हैं न कर्मचारियों की मांग को फेस करने वाले हैं। जिस समय पी० डब्ल्यू० डी की मांग आई थी उस समय यह हुआ कि अपोजीशन के लोगों ने वाक आउट किया, बाहर गए और वापिस अन्दर आये, जब तक अन्दर आए उससे पहले ६ घंटों तक डिबेट होने वाली मांग १ मिनिट में पास करके सदन की बैठक उठा दी। इसका विरोधी दल के लोगों ने विरोध किया। सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी, लेकिन विरोधी सदस्यों के प्रभाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा और दुबारा सदन की कार्यवाही शुरू करनी पड़ी। यह सरकार

(श्री हरिश्चन्द्र)

का रवैया लोकतन्त्र के विरुद्ध है। आप मन-मानी करना चाहते हैं, मन में आवे जैसा करना चाहते है। २० हजार कर्मचारी इस धूप में बाहर खड़े है, आप पंखे के नीचे बैठे हैं, उनके लिए पंखे नहीं हैं, उनके लिये कुसियां नहीं हैं, मेज नहीं है, वे बाहर चिल्ला रहे हैं। सरकार के नाम पर रो रहे हैं, ऐसी सरकार के काम पर रो रहे हैं जो फाइनेंस कमीशन और सैन्ट्रल गवर्नमेंट से फोर्थ फाइव ईग्रर प्लान के अन्दर से छः करोड़ रुपया ले आये और फिर भी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता और उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। यह सरकार ऐसी वेईमानी करती है। यह सरकार एक वेईमान सरकार है। यह केन्द्रीय सरकार से छः करोड़ रुपया ले आती हैं कर्मचारियों की तनख्वाह और मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिए और उस काम पर खर्च नहीं करती है—यह एक धोखेबाज सरकार है और ऐसी सरकार राजस्थान में बैठने के काबिल नहीं है।

मैं फिर कहता हूँ कि आप यह कहते हैं कि इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की बहस समाप्त हो जाय और उसके बाद में इस बहस को खड़ा कर लिया जाय। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला एक महत्वपूर्ण मसला है अर इस मसले पर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : विचार किया जाय सबसे पहले।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मौन क्यों है? चुप क्यों बैठे हैं? चैअरमेन महोदय, आप कंट्रोल करें, इसका सीधा जवाब आना चाहिए। आप जवाब दें खड़े होकर।

श्री हरिश्चंद्र (विद्युत मन्त्री) : क्या जवाब दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार को खड़े होकर कहना चाहिये, जो भी कहना हो। सरकार यह कहे कि केन्द्रीय सरकार से छः करोड़ रुपया कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता और वेतन बढ़ाने के लिए लाई थी उसको दूसरे कामों पर खर्च कर रही है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : ऐसी सरकार को खत्म करना चाहिये, यह ऐसी वेईमान सरकार है, चोर सरकार है!

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! काफी समय ले चुके हैं।

श्री भैरोंसिह : हमारी रिक्वेस्ट इतनी ही है, इसमें कोई डिवेट का विषय नहीं है....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सभापति महोदय !

श्री भैरोंसिह : रिक्वैस्ट इतनी ही है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय और सरकारी पक्ष के मेम्बर और सरकार के लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि वह कर्म-चारियों को फेस नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल नही कर सकते, उनको अपने कॉन्फीडेन्स में नहीं ले सकते—इस प्रकार की निर्लज्जता उन पर छा गई है तो सरकार के लोग

(श्री भैरोंसिंह)

बैठे रहे लेकिन ग्रॉपोजीशन के मेम्बर इतने निर्लज्ज नहीं हो सकते हैं। विधान सभा के सदस्य–राजस्थान सरकार के कर्मचारी अपने पेट भरने को रोटी के लिए मांग करें और सदन में बैठे हुए इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में चर्चा करते रहें–इस प्रकार की निर्लज्जता से इस सदन को बचाने के लिए हमने रिक्वैस्ट की है। और बार तो सदन स्थगित किया जाता है आपकी इच्छा के अनुसार या सरकार की इच्छा के अनुसार लेकिन आज ऑपोजीशन सरकारी कर्मचारियों के बिहाफ पर आपको रिक्वैस्ट करता है कि हम विधान सभा के सदस्यों को मौका देने के लिए हम सरकारी कर्मचारियों के समक्ष जाकर उनकी बात को सुन कर........

श्री हरीश्चन्द्र : चेअरमैन महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आप बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इन्ट्रप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ....

श्री **भैरोंसिंह** : मैं जल्दी खतम कर रहा हूँ, आप उतावले न हों।

श्री हरिश्चन्द्र : हमारी बात आप नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए कि क्या उनके ग्रीवान्सेज हैं, किस प्रकार उनको पुटअप किया जा सकता है, उनके जो ग्रीवान्सेज हैं, उनके पीछे कारण क्या है, सरकार क्यों नहीं दूर करना चाहती है ? आज इस प्रकार की समस्या को लेकर इस विधान सभा के समक्ष आकर बच्चों और औरतों के द्वारा नारे लगाये जायं कि हमारे पेट के लिए रोटी की व्यवस्था कीजिये, तो सभापति महोदय, आप महसूस करेंगे कि मानवता के नाते कोई भी मनुष्य होगा, जो मनुष्यता में विश्वास रखता है, जो मानवता में विश्वास रखता है, जिसके अन्दर मानवीय संस्कार तनिक भी है–वह यह मान कर चलेगा कि इन दुखी लोगों की आवाज को सदन में रखने के लिए, उनको तसल्ली कराने के लिए, विधान सभा का जो औगस्ट हाउस है उसके सदस्यों को उनके सामने जाना चाहिये।

विधान सभा के जो सदस्य हैं, जैसा मैंने पहले कहा, यदि सरकारी पक्ष के लोग नहीं जाना चाहें, यदि मन्त्रिमण्डल के लोग जाना चाहें तो कैन्टीन में जाकर बैठ जायं या लॉबी मे जाकर बैठ जायं या सो जायं–इसकी हमें चिन्ता नहीं है, लेकिन हम उनके सामने जाना चाहते हैं। हमें इजाजत देने के लिए कि हम उन लोगों के सामने जाकर कुछ बात कह सकें, कुछ उनकी बातें सुन सकें, और उनको विश्वास दिला सकें कि आपकी मांगों को लेकर विधान सभा में पुरजोर शब्दों में मांग की जायगी, और उनको यह विश्वास दिला सकें कि आपकी मांगें स्वीकार की जायंगी–इसलिए कि ऑपोजीशन उनके सामने जाकर खड़ा हो सके–यह आवश्यक है कि सदन की कार्यवाही पन्द्रह मिनट के लिये स्थगित की जाय ताकि हम लोगों को मौका मिले और

(श्री भैरोंसिंह)

हम उनके सामने जा सकें । इसलिए हमारी यह रिक्वेस्ट है कि सदन की कार्य-वाही को पन्द्रह मिनट के लिये स्थगित किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
श्री हरिराम चौहान) सभापति महोदय....
डा० हरिप्रसाद शर्मा(पाटन)

श्री हरिराम चौहान : मैं इस विषय के अन्दर...

श्री सभापति : माननीय ज्वाला–प्रसाद जी !

डा० हरिप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय...

श्री हरिराम चौहान : यह कर्मचारियों का सवाल है...

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप बैठ जाइये !

श्री सभापति : माननीय ज्वाला–प्रसादजी !

डा० हरिप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, कंट्रोल कीजिये ।

श्री सभापति : माननीय ज्वाला–प्रसाद जी !

श्री हरिराम चौहान : मैं यह समझता हूँ...

श्री सभापति : Order please ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मेरे बाद बोलें, साहब । नाम मेरा लिया गया है । तशरीफ रखिये ।

सभापति महोदय...

श्री हरीराम चौहान : आपको मालूम हो जाय, मेरा नाम बोला है ।

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद जी !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बालों के साथ में कान की भी हजामत बनवा लो !

सभापति महोदय, जहां तक यह मामला है जो मसला सम्मानित सदस्यों ने उठाया है और जिस मसले के सम्बन्ध में कोई डिमोन्स्ट्रेशन हमारे सरकारी कर्मचारियों का यहां आया हुआ है, इसके ऊपर मैं सम-झता हूँ कि जहां तक मानवीय ढंग से सोचने का सवाल है, इधर के सब सदस्यों की भी पूरी उनके लिए हमदर्दी है और इसके साथ साथ, इस हमदर्दी के साथ साथ कुछ कदम भी सरकार ने उठाये है, और जो कुछ डिमो-न्स्ट्रेशन हो रहा है, इस जनतंत्र के अन्दर उसका असर भी सरकार पर पड़ना आव-श्यक है, लाजिमी है, पड़ता है, पड़ा है ।

इसके साथ साथ आज जिस तरह का वातावरण चल रहा है उस वातावरण में, मैं शायद बेमौजू लगू इस वक्त, लेकिन मैं मन से, दिल से एक सलाह देना चाहता हूँ क्योंकि इस एजीटेशनल स्ट्राइक में मुझे भी कुछ काम करने का मौका मिला है तो एजी-टेशन उठाने का और उनको चलाने का कुछ थोड़ा सा अनुभव मुझे है, इस अनुभव की निगाह से और जानकारी के ऊपर मैं सम्मा-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नित सदस्यों को कहना चाहता हूं कि लोग सही तौर से सेवा करना चाहते हैं और हम सभी करना चाहते हैं तो सरकार को, हम सबको बैठ कर इस सिलसिले में कोई बात तय करना चाहिए, और उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। उसमें दृष्टिकोण विरोधी पक्ष का, सबका, यह होना चाहिए कि उनका भला हो, सरकार की जो ताकत है उसके अन्दर उनकी हमदर्दी के लिए क्या कर सकते हैं–उसके ऊपर सीरियसली, सदन जिम्मेदारी के साथ सोचे और उस जिम्मेदारी से सोचने में पार्टी का या और सवाल नहीं आना चाहिए। सवाल यह है कर्मचारियों का, यह आपके भी रहने वाले हैं और हमारे भी हैं। उनके अन्दर कोई चीज पैदा होती है तो वह पूरे देश का कन्सर्न बन जाती है। उनको ऊपर उठाने या आगे बढ़ाने में जनतन्त्रात्मक ढंग से पार्टियां जो विचार करती हैं या इन्ट्रेस्ट लेती हैं तो मानवीय ढंग से उस पर विचार करें, न कि यह बात हो कि जो सरकार के नौकर हैं, उनके सामने कोई यह बोले कि तुम्हारी दो आने तरक्की को जायगी, दूसरा यह कहता है कि चार आने तरक्की करेंगे, तीसरा यह बोले कि हम आठ आने तरक्की करेंगे–और देने लेने के नाम पर कुछ नहीं हो।

तो बोली लगाने के ऊपर जहां तक ट्रेड यूनियनिज़म का सवाल है, वहां इस तरह की चीजें चलती हैं और मजदूर बिचारे जो घरेलू दुःख दर्द से दुःखी है, जिनको तकलीफें हैं, इस मंहगाई के जमाने में, और आज जिस तरह की उनकी दिमागी हालत है–उसके अन्दर जो बड़ी बोली बोलता है उसके पीछे पीछे वह गाना गाना शुरू कर देते हैं। उनकी स्थिति के ऊपर रहम करना चाहिए। मैं कहूँगा सबको, और सबको कहूंगा कि इस मसले पर कल जो हुआ, मैं नहीं कहता कि वह सही बात थी, जरूर दो घंटा, चार घंटा डिबेट चलनी चाहिये थी और डिबेट चलने के बाद में सदन को जिम्मेदारी के साथ इसके ऊपर विचार करने का मौका देना चाहिए था। मैं था नहीं कल, लेकिन जो सुना है उस पर मैं कहता हूँ कि डिबेट चलनी चाहिए थी और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहता। इस वक्त मैं सरकार से अपील करूंगा कि सरकार सब पार्टियों के लोगों को साथ ले जो जनतन्त्र में विश्वास करती हैं–यह शर्त है। मैं नहीं चाहता उन सब चीजों को, इसलिए नहीं चाहता कि कुछ लोगों की दूसरी मन्शा है, लेकिन सबकी वैसी मन्शा नहीं है–इसकी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सबकी मन्शा यह है कि इस मामले को अच्छे ढंग से सुलझाया जाय, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको किस तरह से मीट कर सकें, कागज पर, सबके साथ विचार कर उनको तय किया जाय। उसके अन्दर मैं विरोधी दल के सम्मानित सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि इधर के सब सदस्यों की तरफ से, और जो सरकार में बैठे हैं उनकी तरफ से भी विश्वास दिलाता हूँ कि इनके लिए जो सहानुभूति पहले नम्बर की हमारी सरकार में है, सरकार की केबिनेट में है, और उससे भी ज्यादा हमारी पार्टी के अन्दर है, हम उनके साथ हैं उनके दुख-दर्द में। और जो मंहगाई धीरे धीरे बढ़ गई है और जो दुःख दर्द बढ़ गये हैं....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : बिलकुल गलत है !

Page No 118

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह सब हमारा किया हुआ नहीं है। लेकिन जो यह चीजें जीवन में घुस गई हैं इनको हम बाहर निकालें और इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई परमानेन्ट हल निकालना पड़ेगा और हम उसको निकालना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिह : बहुत बढ़िया !

टाइम बढ़ा दिया जावे ।

(५ म० प०)

श्री सभापति : समय पहले ही बढ़ा दिया गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, मैंने सिर्फ एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, वह यह कि यहां पर इस तरह की परम्परा रही है कि जब कभी भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, उस वक्त माननीय सदस्यों ने उसके बारे में यहां पर सुझाव रखे हैं, लेकिन एक चीज कि यहां सदन की कार्यवाही को स्थगित करके सारा का सारा सदन यहां से जाकर उनसे मिले, यह परम्परा नहीं है। कर्मचारी यहां आये हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनको इज्जत की नजर से देखते हैं। वे भी आज हिन्दुस्तान की और राजस्थान की रीढ़ की हड्डी हैं। They are also a part and parcel of the organisation. डेमोक्रेसी को चलाने के लिये ब्यूरोक्रैसी की जरूरत होती है। उनको किसी बात की दिक्कत है, घर-बार में दिक्कत है, तो उनके साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। लेकिन एक व्यवस्था का प्रश्न है जो मैंने सदन के सामने रखा है कि इस तरह की परम्परा नहीं रही है। कई जुलूस आते हैं। हर जुलूस के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करके, सदन की कार्यवाही रोकी जावे तो मैं यह कहूंगा अपने सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। यहां से जाने और हटने का प्रश्न नहीं, कोई दिमाग में ऐसी बात नहीं कि हम उनसे न मिलें, हम मिलना चाहते हैं और वे जरूर आवें। मैं सदन के बाहर मिलूंगा और हमारे और मंत्री हैं वे भी मिलेंगे और उनकी दिक्कतें हैं उनको सुनेंगे और जहां तक उनकी दिक्कतों को हल करने का प्रश्न है, उस पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन अभी सदन की कार्यवाही स्थगित करके वहां सारे के सारे चलें, यह उचित नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहां विचार हो रहा है उसके बाद उस पर उत्तर हो जाने के बाद या तो वे (उनके प्रतिनिधि) यहां आकर मिलें या हम वहां जाकर मिलें, इसमें किसी तरह का एतराज नहीं होना चाहिये। लेकिन बीच में कोई सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी जावे और मिला जावे ऐसी परम्परा नहीं रही है।

श्री हरिराम चौहान : सभापति महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय अपना इलेक्ट्रिसिटी पर भाषण समाप्त कर लें उसके बाद

श्री भैरोंसिह : सरकारी कर्मचारी यहां पर, विधान सभा की गेट पर आये हैं और आप तो सरकार के प्रतिनिधि के नाते गेट पर जाने और उनसे मिलने को तैयार हैं, यह प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की डिबेट के खत्म होने के बाद में या पहले, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर कई माननीय सदस्य बोलेंगे और यह डिबेट ८ बजे तक खत्म होगी, अब आप यह चाहते हैं कि

(श्री भैरोंसिंह)

उनके साथ औरतें और बच्चे ८ बजे तक बैठे रहें, यह नहीं होना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने यह निवेदन किया कि कोई उनका डेप्युटेशन यहां पर आवे उनसे मिलेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह कोई कांग्रेस पार्टी का या कॉम्युनिस्ट पार्टी का या जनसंघ का जुलूस नहीं है, यह राजस्थान सरकार के सरकारी कर्मचारियों का है जिसको आप जानते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने इस बात को चैयरमैन पर छोड़ा है कि आप निर्णय दें कि परम्परा इस बात की रही है कि ऐसे अवसर पर सदन की कार्यवाही स्थगित करके दूसरी कार्यवाही नहीं की जाती है । जहां तक मेरा खुद का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उनसे मिलना चाहिये । हम यह कर सकते हैं कि डिबेट को जल्दी वाइन्ड–अप कर सकते हैं । आधा घन्टा में ही वाइन्ड–अप कर दें और वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं ।

श्री सभापति : जैसा माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि विद्युत् मंडल की कार्यवाही समाप्त होने के बाद में मिल सकेंगे, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि यह कार्यवाही जल्दी समाप्त कर दी जावे । इसका जल्दी जवाब हो जावे ताकि मंत्री महोदय उनसे मिल सकें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहूंगा कि यह सदन के लिये और आपके लिये बुरा होगा । उनके लिये यहां पर बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है और कोई छाया भी नहीं है । पानी की व्यवस्था नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, ये सारी बातें आपके सामने रखी गई हैं मैंने जो बात आपके सामने रखी है वह एक व्यवस्था की बात रखी है । इसके बाद चैयरमेन के आदेश हो गये हैं । उनके चार–पांच नोमिनी यहां आ जावें हम उनसे मिल लेंगे । और काम को चलते हुये को रोक कर चलें ऐसी परम्परा यहां नहीं रही है ।

श्री हरिराम चौहान : सभापति महोदय, बाहर हजारों लोग खड़े हैं । उनको महत्व देना चाहिये ।समझ में नहीं आता कि सरकार के दिमाग में कैसे यह बात है कि जब वह कहते हैं कि उनके प्रति हमको हमदर्दी है, उधर बैठने वाले भी यही कहते हैं कि यह समस्या किसी रूप में हल हो , जब उनके दिमाग में इतनी बात का महत्व है, वे इतनी बात समझते हैं तो उनसे मिलने में उनको कोई एतराज नहीं है लेकिन वे कहते हैं कि हाउस की परम्परा ऐसी नहीं रही है । मैं यह कहूंगा कि किसी भी तरह की हाउस की परम्परा रही हो, आज हमें नई परम्परा डालनी है जो अच्छी परम्परा है जो मेहनतकश लोगों के लिये बता रहे हैं कि ऐसी परम्परा नहीं रही है, मैं यह कहूँगा कि अगर नहीं रही है तो हमें अच्छी परम्परा अच्छी बातों के लिये डालनी चाहिये । यदि हम अच्छी परम्परा डालते हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं है । अभी हजारों लोग बाहर खड़े हैं । यह प्रश्न बहुत महत्व का है ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री बहस का उत्तर देने के बाद मिल सकेंगे ।

श्री हरिराम चौहान : यह प्रश्न बहुत महत्व का है और इनको मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : बहस का सरकार की तरफ से जवाब दिया जावे।

श्री हरिराम चौहान : कल इस प्रश्न पर बहस हो रही थी उस समय हमें समय नहीं दिया। वैसे ही सदन से बाहर निकाला हुआ है और मैं भी बन्द किया हुआ था। मैं यह कहूंगा कि कोई भी इस तरह का सवाल आता है तो हमें बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता है और बाकी लोगों को एक एक घन्टा बोलने दिया जाता है।

श्री सभापति : अगर आपको विद्युत् मंडल के बारे में कहना हो तो आप कह सकते हैं।

श्री हरिराम चौहान : सबसे पहले इस बारे में विचार होना चाहिए। मैं यह बहुत महत्व पूर्ण मसला समझता हूं।

(घन्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य! माननीय सदस्य।

श्री हरिराम चौहान : जब सरकार इस बात को महसूस करती है कि यह मसला इतना महत्वपूर्ण है, तो हमको बाहर जा कर उनसे मिलना है तो मिलना चाहिये और उनको ६ बजे तक भूखे और प्यासे रख कर मिलने में क्या शोभा की बात है? औरतें हैं वे कब घर जावेगीं और कब बच्चों को खाना बना कर खिलावेंगी? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो सरकार दो घन्टे बाद मिलना चाहती है वह पहले ही मिलले ताकि उनको यह दिक्कत उठानी नहीं पड़े।

श्री सभापति : Order please! Order please!! माननीय सदस्य! माननीय सदस्य!

(शोरगुल)

श्री हरिराम चौहान : मैं अभी खत्म करता हूं।

जनता से मिलते हुए उनको डर लगता है। सभापति महोदय, आप देखें तो आपको मालूम होगा कि हजारों पुलिस के लोग लाठियें लिये उनको घेरे हुए हैं। आप सरकार के नुमायिन्दे है। आप राजा हैं। मिनिस्टर हैं। मैं यह कहूंगा कि आज आप उनकी नहीं सुनते हैं। कल आपको उनके पास वोट लेने के लिए जाना होगा और उनको सर झुकाना पड़ेगा। आज उन लोगों ने आपकी असेम्बेली को घेर रखा है। आज वे आपके दरवाजे पर खड़े हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते। मगर मैं यह कहूंगा कि आप उनसे गांवों में जाकर एक एक से मिल कर बात करेंगे उस समय आपके लिये यह बड़े शर्म की बात होगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

इस बात पर पहले ध्यान दिया जावे। बच्चे भूखे प्यासे हैं। वे लोग आज आपकी विधान सभा को घेरे हुए हैं। यह सारे विधान सभा के लोगों की मांग है कि उनको अभी सदन की कार्यवाही को रोक कर जा कर मिलना चाहिये।

[शोरगुल]

श्री सभापति : माननीय मन्त्री बहस का जबाब दें।

Page No 121

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस पर अभी हमें बोलना है ।

श्री मानसिंह महार : इस डिबेट के सिलसिले में सदन को चला रहे हैं तो हम सब इधर वाले बोलने वाले थे । बोलेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of information Sir, प्रश्न यह है कि सदन चल रहा है, डेप्युटेशन आया है । ठीक है । मगर मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट में इससे भी बड़े बड़े डेप्यूटेशन गये हैं और उसमें मिनिस्टर या अपोजिशन के लीडर और दूसरी पार्टीज के लीडर जाते हैं उनसे मिलते हैं और उनके रिप्रेजेन्टेशन होते हैं उनको जाकर स्पीकर को दे देते हैं । और वहां पर सदन के अन्दर कार्यवाही चलती रहती हैं । जो कार्यवाही चलती है उसको एक दम बन्द नहीं कर दिया जाता है ।

एक माननीय सदस्य : On a point of order Sir, कल तो बहुत से डेप्यूटेशन यहां पर आयेंगे और सदन की कार्यवाही बन्द की जावेगी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं इस सम्बन्ध में अपना फैसला दे चुका हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह डिबेट कल तक चालू रखी जावे । हम बोलेंगे ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री उत्तर देंगे ।

एक माननीय सदस्य : मेरी यह रिक्वेस्ट है इसके बारे में जो पहले भी कहा है और यह हमेशा के लिए ५० लाख रुपये बचाने वाले हैं सेन्टर को क्या....

(घन्टी)

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, मैंने यह निवेदन किया कि एक दो माननीय सदस्य इस पर बोलने वाले हों तो वे बोल लें । मुझे कोई एतराज नहीं ।

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद जी के बोलने के बाद माननीय मंत्री श्री हरिश्चन्द्र बोलेंगे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर) : सभापति महोदय, मैं आज सवेरे से बोलने के लिए खड़ा हो रहा हूं, मुझे समय नहीं दिया गया है ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : एक बार आसन से आदेश दिया जा चुका है कि मन्त्री महोदय जवाब देंगे ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री ज्वालाप्रसाद के बोलने के बाद मन्त्री महोदय जवाब देंगे ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, यह नहीं हो सकता, आपने पहले आदेश दे दिया है कि मन्त्री महोदय का जवाब होगा, अब या तो किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जाय या फिर हम सब बोलेंगे । या तो हमें सबको बोलने की इजाजत दी जाय या मन्त्रीजी का जवाब करा दीजिये ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही जल्दी स्थगित कर के उन से मिल सकें ।

श्री मानसिंह महार : हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। ये बोलेंगे तो मेरी पार्टी के भी कई माननीय सदस्य बोलेंगे। इसलिए या तो मन्त्री महोदय का जवाब करा दें, नहीं तो हम भी बोलेंगे।

श्री सभापति : माननीय ज्वालाप्रसाद जी।

श्री मानसिंह महार : चाहें जैसे घड़ लें, यह तो नहीं हो सकता, मन्त्री महोदय जवाब दें तब तो ठीक है, नहीं तो हम सब बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, इसका रास्ता सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इधर के भी बोलें, उधर के भी बोलें, हम काफी समय तक बैठने को तैयार हैं। मन्त्री महोदय कृपा करके सदन को यह बता दें कि वे कर्मचारियों के सम्मुख क्या भाषण देने वाले हैं, यह खुलासा कर दें, ताकि हम उन लोगों को सूचना करवा सकें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कोई भाषण देने नहीं जाऊंगा, जो वे मांगें रखेंगे उनको सुनूंगा।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था, यह इसी बात से साबित है कि गवर्नमेंट ने बिना जवाब दिये ही कल डिबेट को पोस्टपोन किया है....

श्री हरिश्चंद्र, : जवाब तो सब है, पर आपने तो मिलने की बात की है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना हो Has the Government anything to say on this score ?

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय,

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गवर्नमेंट की कलई खुल गई है। गवर्नमेंट के पास कल के रिज्योलूशन के जवाब में कुछ भी कहने को नहीं था, इसलिये साजिश करके गवर्नमेंट ने कल की कार्यवाही स्थगित करवा दी।

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : टॉक–आउट हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस भ्रम में नहीं रहें, मिनिस्टर का रिप्लाई हो जाता है, उसके बाद टॉक-आउट होता है, इस सैशन में नहीं तो अगले सैशन में वह तुम्हारी छाती पर आयेगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि कौनसा रिज्योलूशन टॉक आउट होता है ? वह अगले सैशन में आयेगा। आपको जानकारी नहीं है तो यह रूल्स की किताब है इसे देखें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सदन को स्थगित करके यह कह दें कि वहां पर जाकर मिलें, यह कहीं नहीं होता। जिनको जाना है जायं, मिनिस्टिर भी जायं........

श्री **भैरोंसिंह** : आपने बात कही उसी के अनुसार मैंने यह बात कही है कि या तो सरकार बता दे कि कर्मचारियों के सम्बन्ध में कि सरकार की नीति क्या है और फिर मिलें, ताकि इतने कर्मचारी आये हैं उनको सूचित कर दिया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, जहां तक नीति का प्रश्न है, मुख्य मंत्रीजी १३ तारीख को इसके ऊपर अपना वक्तव्य देंगे, जहां तक सुनने का सवाल है हम सुनने जायेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : १३ तारीख तक सोच कर राजस्थान सरकार इस नई रोशनी में सोच कर बतायेगी। हम पर सरकार पर इन सब चीजों का असर है, उस असर के बाद कमिट करते हैं कि १३ तारीख को सैटिस्फेक्टरी या जो कोई सरकार का रुख होगा वह कर दिया जायगा। इसके अलावा एक मिनिस्टर के तो हाथ में नहीं कि वह यह कह दे कि यह कर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : ये केवल इलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर नहीं हैं। गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट करते हैं, क्योंकि यह कोई आज का सवाल नहीं लगातार तीन महीनों से सरकार के सामने इन कर्मचारियों की यह मांगें प्रस्तुत हैं और भारत सरकार के समक्ष, राजस्थान सरकार के समक्ष, रिप्रेजेन्टेशन्स जा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है कि आज की तारीख तक सरकार ने अपना माइन्ड मेकअप नहीं किया है और सरकार कहती है कि १३ तारीख को मुख्य मन्त्रीजी जवाब देंगे, तो आपने क्या इन राज्य कर्मचारियों के मसले पर भाड़ झोंकी थी?

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री सभापति : Order! Order please! ये कुछ निवेदन करना चाहते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि १३ तारीख को मुख्य मन्त्रीजी जवाब देंगे।

श्री सतीचन्द्र अग्रवाल : यह आप अपने आपको कमजोर क्यों समझते हैं? क्या यह मुख्य मन्त्रीजी की बपौती है? ६ करोड़ ५८ लाख रुपया भारत सरकार से इन कर्मचारियों के लाकर खा गए। यह चोट्टी सरकार है।

एक माननीय सदस्य : ये शब्द आपको ही शोभा देते हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, इसका जवाब आना चाहिये।

श्री सभापति : जवाब आ चुका है।

श्री विजयसिंह झाला : सरकार की क्या नीति है, इसका जवाब आना जरूरी है। नहीं तो जितने मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ६७ में जो चुनाव होने वाले हैं, इनमें से एक भी मिनिस्टर नहीं आने वाला है, आपकी कुर्सियां उड़ती हुई नजर आवेंगी!

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि....

श्री सभापति : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है?

श्री मानसिंह महार : मैं सूचना देना चाहता हूं, On a point of information। सरकारी कर्मचारियों का मसला बहुत जरूरी है। हमने नम्रता से निवेदन किया कि दो-तीन आदमी चलें, उनको

(श्री मानसिंह महार)

आश्वासन दें, पर आप किसी पर तैयार नहीं। मैं नहीं चाहता कि सदन का वाता-वरण क्षुब्ध हो, कोई अमानवीय घटना घटे, सरकारी कर्मचारियों का जहां तक मामला है, हमारी पूर्ण सहानुभूति है।

श्री सभापति : यह तो पहले ही कह चुके हैं।

श्री मानसिंह महार : यही फिर कह रहा हूं कि आप हमें नहीं सुनना चाहेंगे तो हम चले जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : चले जाइये।

श्री मानसिंह महार : तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे, तुम्हारे निकाले नहीं निकलने वाले हैं।

श्री **चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा) : सर-कार भी अपने आप सुनेगी कर्मचारियों की मांगों को ...

श्री मानसिंह महार : हम चाहते थे कि दो-तीन मन्त्री हमारे साथ चलते, पर सरकार अपनी जिद पर डटी हुई है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लेखा जोखा पास किया जाय, वे हजारों आदमी भूखे प्यासे बठे रहें, तो यह बात कम से कम मेरा दल तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रकार की सरकार की इस डिक्टेटोरियल नीति का विरोध करते हुए, प्रजातन्त्र में विश्वास करते हुए, मैं अपने दल के मित्रों से निवेदन करूंगा कि हम इस सदन से बहिगर्मन करें।

(स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिगर्मन)

श्री शसतीचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर) : माननीय मन्त्री महोदय विद्युत मंडल के सिलसिले में....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of information। इस सिलसिले में अब तक मेरा विचार सब पार्टियों के लिए विचार था कि इस समस्या पर इनकी हमसे ज्यादा सहानुभूति है, लेकिन सहानुभूति नहीं है। निश्चित रूप से आज मेरे मन के अन्दर और दूसरों के मन के अन्दर, जो जिम्मेदारी से सोचते हैं, वे वाक आउट की सारी बातें सहानुभूति की नहीं हैं, इसको राजनैतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है।

श्री शसतीचंद्र अग्रवाल : सभापति महो दय, अभी जो स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्यों ने वाकआउट किया है उसके बारे में श्री ज्वालाप्रसाद ने कहा है और विरोधी दल के बाकी सभी सदस्य अपना विरोध प्रकट करने लिए कोई लीगल ढंग से कदम उठाते हैं वाकआउट का, तो वह संविधान और अपनी लोकतन्त्र की परम्पराओं के अनु-कूल है। अगर कोई चीज़ लोकतन्त्र के प्रति-कूल है तो वह वह कि यह सरकार अपने कर्मचारियों से मिलने के लिए तैयार नहीं है, अगर प्रतिकूल है तो यह है।

आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिबेट की बात कहते हैं और माननीय सदस्य ५० लाख रुपए बचाने की बात कहते हैं। माननीय ज्वालाप्रसादजी, आप तथ्य रखें, ५० लाख बचत करें; लेकिन यह ऑडिट उठाकर देखें। ३०० केसेज़ में टेन्डर्स इन्वाइट किए हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फाइल्स का पता नहीं और ६ करोड़ का घोटाला इसी बोर्ड में है। इसके असेट्स और लाइबिल्टीज़ का पता नहीं, जिसके स्टोर्स का पता नहीं, फिज़ीकल वेरीफिकेशन का पता नहीं, ऐसा बोर्ड घोटालों का बोर्ड बना हुआ है। दूसरा खादी बोर्ड है वह घोटालों का भण्डार बना हुआ है। सरकार का ढांचा ऐसे सुधरने वाला नहीं।

मैं मंत्री महोदय से एक चीज और पूछना चाहता हूँ। क्या यह सही है कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिए आप केन्द्रीय सरकार से ६,५८,००,०००) रु० लाए हैं या नहीं ? मेरे पास एक्सट्रेक्टस हैं कि मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिए पैसे मांगे थे और केन्द्र ने ६,५८,००,०००) रु० दिए, लेकिन आज सरकार, यह सरकार जो केन्द्र से कह कर लाती है कि हम राजस्थान के गरीब कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाएंगे, वह सरकार जिस काम के लिए पैसा लाती है उस काम में नहीं बांटना और एक सरपंच को कुंआ बनाने के लिए पैसा दिया जाय और वह न बनाए तो सस्पेंड किया जाय, कोई नगरपालिका अनुदान लेकर काम नहीं करे तो उसको सुपरसीड किया जाय और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से ६,५८,००,०००) रुपए कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिए लाए और सरकार हज़म करके खा जाय, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। आप खड़े होकर बताइए कि आप ६,५८,००,०००) रुपया केन्द्र से नहीं लाए हैं ? आप यह भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं। सुखाड़ियाजी आएंगे १३ तारीख को, बताएंगे; यह मुकदमा नहीं है, कोर्ट नहीं है कि पेशी पड़ती है। अफसोस है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के सम्बन्ध में इतना भी नहीं कह सकती है। ऐसी सरकार के साथ सहयोग करने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। इसमें राजनैतिक शोषण का सवाल नहीं। इसलिए अपना विरोध प्रकट करने के लिए, सरकार के इस रवैए के खिलाफ, हम सभी बहिर्गमन करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक मिनट तो ठहरिए। हम कहते हैं कि आपने जो कहा है कि सरकार ६ करोड़ रुपए लाई है तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में मिलेगा।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : सरकार से कहलवाइए।

श्री **भैरोंसिंह** : सभापति महोदय, खुशी की बात है कि आखिर कांग्रेस के एक वरिष्ट और जिम्मेदार सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार ६,५८,००,०००) भारत सरकार से लाई है और....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अगर लाई है तो....

श्री भैरोंसिंह : अगर-मगर मत लगाइए मुझे इस बात का दुख है कि यह 'अगर मगर' विरोधी दल के कोई और सदस्य लगाते तो कुछ बात....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह कह रहे हैं कि लाए हैं तो....

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ कि 'अगर-मगर' स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ या कॉम्युनिस्ट पार्टी लगाती तो समझ में आता क्योंकि वह सरकारी पक्ष नहीं है; उनके पास अधिकृत जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य 'अगर मगर' से बात कर रहे हों, जिनके पास मंत्री बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, जिनके पास सरकारी मशीनरी है, वह जानकारी करके आए हैं या नहीं। आपने जो कह दिया वह मंत्री महोदय से कहलवा दो। मैं आपकी बात की इज्जत करता हूँ। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य माफ करेंगे, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपने जो कुछ किया, अभी कहा, जोश में कहा, आपका जोश वाजिब भी था, तो यह बात मंत्री से कहलवादें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सवाल वह है कि इस सिलसिले में सरकार ने कोशिशें कीं। सरकार के जो मंत्री है, इनकी जाति अलग है, इनकी जाति राज्यपाल के सामने शपथ खाती है इसलिए मुझे जानकारी होना बहुत जरूरी नहीं है; लेकिन कांग्रेस को मैं जितना समझता हूं, अपने कलीग्ज़ को समझता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये केन्द्रीय सरकार को रिप्रेजेंट करके और कोशिश करके हमारी सरकार इतने रुपए नौकरों के लिए लाई, खुशी की बात हैं। लेकिन सीक्रेसी की वजह से सरकार ने यह चीज नहीं बतलाई, आप निकाल लाए, हम आपके आभारी हैं, ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि जो सरकार इतना रुपया अपने कर्मचारियों की सहानुभूति के लिए केन्द्रीय सरकार से लड़ कर लाई है तो वह अपने घर में नहीं रख सकती। यह कन्कलूजिव फैक्ट है कि जो जिस चीज के लिए पैसा लाई है उसमें काम आएंगे। आर० ए० एस० वालों के लिए जो बढ़ा हुआ रुपया देना पड़ेगा, इतने नौकरों को नहीं मिला, सरकार ने रिप्रेजेंट किया तो बजाय इस वाकआउट के इस पोइंट पर सरकार की तारीफ करें कि यह पैसा उनमें ही बटेगा। श्री सतीशचन्द्र ने जो कागज पढ़ कर सुनाया, एक नीली किताब देखकर इसको मैं सत्य मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि सरकार को कहना पड़ेगा। इस पार्टी के मेंम्बर्स देखेंगे कि सरकार करती है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे खेद है कि ऐसे वरिष्ठ सदस्यों की बात का समर्थन करने के लिए कोई मंत्री खड़ा नहीं होता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : राज्यपाल के आगे कसम खाई है।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री): सरकारी पक्ष का उत्तर आना था वह आ गया। सरकार की तरफ से १३ तारीख को मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : रकम आई है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इनकी जाति दूसरी है, इन्होंने शपथ खाई है। शपथ हमने भी खाई है। उन्होंने राज्यपाल के सामने और हमने इस ऑगस्ट हाउस में शपथ खाई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारी शपथ और उनकी शपथ में फर्क है । हमने तो कहा है कि संविधान के प्रति ईमानदारी से काम करेंगे और उन्होंने कहा है कि सीक्रेसी मेन्टेन करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : जहां तक सीक्रेसी की ओथ का सवाल है, माननीय सदस्य को जानकारी है कि चौथी योजना में जितने भी एलोकेशन्स हैं वे सीक्रेट नहीं होते, यह ओपन फैक्ट हैं । यदि इसकी जानकारी मन्त्रि-मंडल के किसी सदस्य को नहीं है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात राज्य सरकार के लिए नहीं हो सकती कि हम कितने रुपए लाए और कितने नहीं लाए ? अब प्रश्न आता है कि आखिर सरकारी कर्मचारियों के प्रश्न को लेकर सरकार ने एक तारीख दी है कि हम १३ तारीख को इसका जवाब देंगे । मैं नहीं समझ पाया कि १३ तारीख भगवान ने निश्चित की है या १३ तारीख स्वप्न में आगई, यह अभी तक मुझे समझ में नहीं आया । १३ के पीछे क्या लॉजिक है ? १३ तक भारत सरकार विशेष सहायता देने वाली है ? माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है वरना कूद कर मंत्रिमंडल के सदस्यों को बाहर फेंकते । आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जब सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने का प्रश्न आया तो मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से मंहगाई भत्ता बढ़ाने की वकालत नहीं की और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा था उस समय भारत सरकार को कहा कि इनका मंहगाई भत्ता न बढ़ाया जाय ।

इतना और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जिनके भरोसे पर आप बैठे हो, वे इस बात की कोशिश में हैं कि केन्द्रीय सरकार के मंहगाई भत्ते के सिलसिले में कल लोक सभा में विरोधी दल के सदस्यों को वित्त मंत्री ने विश्वास दिलाया कि इस सम्बन्ध में फिर प्रावधान किया जावेगा, मुख्य मंत्री अभी यहीं बैठे हैं, मुख्य मंत्री सरकारी कर्मचारियों के गले पर छुरी चलाने के लिये बैठे हैं, उस स्थिति में सरकार का कोई मंत्री जो, प्रदर्शन लेकर यहां आये हैं उनको किसी प्रकार का विश्वास दिलाने में असफल रहा है । मैं समझता हूं यह दुर्भाग्य है इस सरकार का और इस सरकार के नीचे रहने वाली जनता का, जिस प्रकार से इसका शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से यह सरकार शोषण कर रही है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज यह स्थिति मंत्रिमंडल ने पैदा की है, इस निकम्मे मंत्रिमंडल ने पैदा की है, जो सरकारी कर्मचारियों के गले पर छुरी चलाकर अपना पेट भरना ही जिसने अपना तरीका अपना लिया है, इनको तो १५००) रु० की तनख्वाह मिले और यहां के चपरासी को ४०) रु० तनख्वाह मिले । मंहगाई भत्ता बढा दें, अभी नहीं, कहते हैं १३ तारीख को जवाब देंगे । १३ तारीख को भगवान पधार रहे हैं । यह निकम्मा मंत्रिमंडल झुकेगा । किस प्रकार झुकेगा ? झुकने की डिक्शनरी अलग बना रखी है, झुकने की अलग भाषा है । उसी भाषा में और प्रक्रिया में जब स्थिति आवेगी तो उनको झुकना पड़ेगा । चपरासी के सामने मंत्रिमंडल को झुकना पड़ेगा । जब झुकेंगे तो कहेंगे नाराज क्यों हो गये ? पैसा बढ़ाने वाले हैं । जब झुकेंगे तो कहेंगे दिल्ली गया था, भारत सरकार के वित्त मंत्री से बात कर रहा था, कोशिश

(श्री भैरोंसिंह)

करते करते ब्लडप्रेसर की बीमारी हो गई; वे सब बातें यह सरकार कहने वाली है। सरकार से कहना चाहता हूं कि उस भाषा और डिक्शनरी का कम से कम प्रयोग हो, तो लोकतन्त्र बच सकता है। लेकिन सरकार उस भाषा को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाये जा रही है। आज सरकारी कर्मचारी यहां आये; विधान सभा के सामने आये। किसी पार्टी विशेष से सम्बन्ध नहीं हैं, न जनसंघ, न कांग्रेस और न कॉम्युनिस्ट। सरकारी कर्मचारी विधान सभा के प्रतिनिधियों के सम्मुख आये हैं, तो विधान सभा के प्रतिधियों और इस सरकार को वहां जाकर उनको आश्वस्त करना चाहिये और सरकार के मंत्रियों को वहां जाकर उनको आश्वासन देना चाहिये कि हम तुम्हारे मसले पर विचार करने वाले हैं। मंत्रिमंडल इतना भी नहीं कर पाये कि १५ मिनिट के लिये हाउस को स्थगित करके उनके सामने जाकर मंत्री महोदय खड़े हो जांय और उनको आश्वासन दें, किन्तु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र : On a point of order, sir,....

श्री भैरोंसिंह : इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चलाने वाले और आपकी स्कीम को इम्पलीमेन्ट करने वाले कौन है? राजस्थान की हुकूमत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले मजदूरों को बोनस न दे सके, उसके लिये आश्वासन न दे सके, राजस्थान की हुकूमत सरकारी कर्मचारियों का गला काटने के लिये तैयार हो गयी, राजस्थान की हुकूमत सरकारी कर्मचारियों के पेट पर छुरी चलाने के लिये तैयार होगई, उस हालत में मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : On a point of order.

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय ने रूलिंग दी थी कि ज्वालाप्रसादजी अपना भाषण शुरू करें। मैंने यह कहा था कि सरकार की ओर से जो कुछ कहा जावेगा वह १३ तारीख को कहा जावेगा।

श्री विजयसिंह झाला : यह कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : आप १३ तारीख को जवाब देना चाहते हैं क्या? वे गरीब १३ तक यहां बैठे रहेंगे?

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, sir, सभापति महोदय, जिस समय मैं बोल रहा था आपने मुझे टोका नहीं, आपकी अनुमति से बोल रहा था, उस बीच में माननीय मंत्री महोदय ने एक गलत पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के रूप में जो कुछ बात कही उसको एक्सपन्ज किया जाना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने व्यवस्था की बात कही है।

श्री सभापति : एक्सपन्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

इस मसले को गम्भीर समझे । ज्वालाप्रसाद जी की बात सरकार मानने वाली है....

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैं भी अपनी बात कह दूंगा । मैं भी जुबान रखता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, हमने उनका विश्वास किया और इसलिए किया कि यह समझा कि कांग्रेस पार्टी भी कहती है । लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके सपोर्ट में एक भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ ।

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : सभी हैं ।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : दो मिनिट ।

श्री **भैरोंसिंह** : अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं । आप पांच मिनिट ले लीजिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस सरकार में मानवता का दृष्टिकोण न हो, जिस सरकार में सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति न हो, जो सरकार भारत सरकार से रुपया लाकर सरकारी कर्मचारियों में बांटने की क्षमता न रखती हो, जो सरकार सरकारी कर्मचारियों को विश्वास में नहीं ले सके, जो सरकार सरकारी कर्मचारियों के प्रति अविश्वास प्रकट करे, उस सरकार के सम्बन्ध में अच्छा यह हो कि इस सरकार को सदन से निकाला जाय, जो सरकार सरकारी कर्मचारियों के प्रति अविश्वास की भावना रख कर चल रही है और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भी कर रही है तो कांग्रेस के सदस्य बाहर जाकर कह दें कि हम तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं लेकिन मंत्री महोदय नहीं चाहते, मंत्रिमंडल नहीं चाहता ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of interruption. sir, सभापति महोदय, मुझे एक बात याद आ गई । सदन की स्थिति साफ हो जावेगी । एक को लड़े बगैर नहीं रहा जाता था । उसके पेट में बगैर लड़े रोटी पचती नहीं थी । । पड़ौसी से कहा आ बहिन लड़ लें । खामख्वाह लड़ लें । लड़े मेरी जूती । उसने जूती दिखाई । उसने कहा जूती मार तेरे खसम को । और लड़ाई शुरू हो गई । १३ तारीख को कहा है । सिर्फ लड़ना चाहते हैं । आज कोई मैटिरियल बात बता दीजिये । आपकी बात का असर हुआ । चारों तरफ से एक बात ला रहे हैं कि सरकार ने दिमाग नहीं बनाया । यह नहीं किया । इंगलैंड की पार्लियामेन्ट में, यहां दिल्ली में लोक सभा में, इस सदन में, मेरे लिये एक नया एक्सपीरियेन्स हो रहा है कि डिमोन्स्ट्रेटर्स आयें, उस पर वाक आउट, लाल स्टार बांध कर आये कॉम्युनिस्ट उन्होंने किया और आप बैठे रहे थे । आप मदद करिये हम भी मदद करें । १३ तारीख को स्टेटमेन्ट होने वाला है यह गवर्नमेंट ने कमिट कर दिया है । उसके बाद आप यह सोचें कि १३ तारीख को ऐसी बात होने वाली है कि आज तक किया गुल गपाड़ा खत्म हो जावेगा, आप सही तरीके से चाहते तो जवाब हो जाता । पेट में उंगलियां उठ रही हैं । १३ तारीख को कर देंगे । सरकार के पास पैसा आने दीजिये । डिमोन्स्ट्रेशन इसमें ज्यादा होंगे नहीं मानेगी । इसलिए इस बात को यहीं खत्म करना चाहिये । पर्सनल ढंग से कहना चाहता हूं कि वाक आउट कितनों कितनों के लिये करेंगे ? झुग्गी-झौंपड़ी वाले आवेंगे तो वाक-आउट करेंगे । स्कूटर वाले आवेंगे तो करेंगे । स्कूटर दे दो, तो यह सरकार अच्छी हो गई । उनसे भी कहोगे मित्रने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चलो । इसका कोई निकाल तो होना चाहिये । आप मिल आइये । मिनिस्टर कोई चला जाय, उनमें से कोई आ जाय, लेकिन सदन की कार्यवाही रोकी जाय, यह उचित नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह कौनसा पोइन्ट था ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी नज़रे इनायत और उनकी मर्जी से ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह भी नई परम्परा कायम हो गई कि पोइन्ट ऑफ इन्टरप्शन को चेयर अलाउ करती है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी इच्छा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह स्पष्ट हो गया कि पोइन्ट ऑफ इन्टरप्शन को चेयर रिकॉग्नाइज़ करती है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इन्टरप्शन में इन्टरप्शन । सही तौर से चीज़ आ रही है । आपकी सीरियस पार्टी है । सही तौर से करना चाहती है । आप चाहते हैं सरकारी कर्मचारी डिसिप्लिन्ड रहें । आपकी इच्छा यह है कि कोई भी गड़बड़ जनतन्त्र के खिलाफ नहीं होनी चाहिये । इसीलिये आपकी पार्टी में वजन है और डिसिप्लिन में रह कर सदन को चलाना चाहते हैं । आपकी पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास करती है । आप यह भी नहीं चाहते कि सब कर्मचारी बगावत कर दें, आप उनको समझाना चाहते हैं । लेकिन जब इस प्रकार की बातें हो जाती हैं तो सोचना चाहिये इसका कहीं उल्टा तो असर नहीं होगा ? आप और सरकार भी यह चाहती है कि उसके पास काम करने वाला कर्मचारी सुखी रहे, अगर नौकर सुखी होकर काम करेगा तो देश को बढ़ायेगा । यदि नौकर राजी है तो सरकार भी राजी है, हम भी राजी हैं । अगर आप ही उन नौकरों को भड़काने लगे तो जनतन्त्र कहां रहेगा ? आप उनके दुःख से दुःखी हैं लेकिन यह मन मानिये आपसे कम इधर वाले भी दुखी नहीं है यह बात नहीं है । आपकी सहानुभूति है तो सरकार की आपसे ज्यादा सहानुभूति उनके प्रति है । जब सरकार की तरफ से यह कह दिया गया कि चार दिन और ठहर जाओ, तो चार दिन में कोई ऐसी बात नहीं होने वाली है । आपको १३ तारीख को स्टेटमेंट मिलेगा । आखिर जो सरकार चलाते हैं उन पर कितनी जिम्मेदारियां है, उनको जो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है उसमें एक एक शब्द देखभाल कर रखना पड़ता है, स्कूल के बच्चों की तरह नहीं कि मास्टर ने कह दिया बताओ १३ तारीख को क्या हुआ ? १५ को क्या हुआ ? इस प्रकार की बात इसमें नहीं हैं । सरकार जिम्मेदारी से स्टेटमेंट बनवाती हैं । केल्कुलेशन करना पड़ता है । अगर कुछ बात की कमी रह जाती है, तो आपके सामने जवाब देना पड़ जाता है । इसलिये मैं आपसे अपील करूंगा कि आगे की कार्यवाही चलने दी जाय, १३ तारीख तक आपको और सरकारी कर्मचारियों को इन्तजार करना चाहिये ताकि उनको भी सन्तोष हो सके और हमें सन्तोष हो सके ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का किस्सा माननीय सदस्य ने कहा वैसा किस्सा तो मैं नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

कहूंगा लेकिन एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि मेरी बच्ची कल ही एक चार पैसे का खिलौना लेकर आई। वह लकड़ी का था, उस पर शक्ल बनी हुई थी बबुए की बोतल में पानी की तरह कुछ भरा हुआ था, जब उसको दबाया जाता है तो वह उछला करता है। मैंने पूछा बच्ची से यह खिलौना कैसे ले आयी ? उसने कहा ज्वालाप्रसादजी को उछलते-कूदते देख लिया इसलिये खरीद ले आयी....

एक माननीय सदस्य : यह तो सरकार की बात है।

श्री भैरोंसिंह : हम दोनों आमने–सामने रहते हैं, इसलिये मैंने सोचा कहीं आपने ही सजेस्ट नहीं किया हो ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह तो पहि–चानकर ही लाई है।

श्री भैरोंसिंह : कपड़े का बन्दर जरूर बना हुआ है, उसकी शक्ल जरूर बनी हुई है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि राज्य कर्मचारियों का पहला प्रदर्शन २६ तारीख को हुआ, उन्होंने उस दिन माननीय अध्यक्ष के सामने अपना रिप्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया। उस समय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि आपकी मांगों पर विचार किया जायगा; कब विचार किया जायगा ? तो कहा गया कि पांच तारीख को हम मिलेंगे। चार तारीख की शाम को कर्मचारी उनसे मिले, पांच तारीख को विधान सभा में उनके चेम्बर में कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्रीजी से मिला। उस दिन जिस प्रकार की भाषा में उनके साथ व्यवहार किया वे खुद इस बात के लिये जिम्मेदार हैं। उस दिन उनका व्यवहार कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार का रहा उसको प्रगट करने के लिये मजबूर होकर आज फिर उनको प्रदर्शन करना पड़ा। आप आज कहते हैं कि कर्मचारियों के लिये वाक आउट न किया जाय। हमने जब २६ तारीख को जुलूस आया था तो वाक आउट नहीं किया और न सदन की कार्यवाही को इन्टरप्ट किया। आज जब कि उनका प्रदर्शन फिर आया है, आप उनके बारे में कुछ वक्तव्य दें। आप नहीं तो हम उनको कन्वे कर देंगे। मुख्य मंत्रीजी दिल्ली में हैं निर्माण मंत्रीजी ने केवल इतना कह दिया कि १३ तारीख को वक्तव्य देंगे इसके अलावा कुछ नहीं।

सभापति महोदय, सरकारी कर्मचारी २६ तारीख से लगातार मांग करते चले आ रहे हैं कि यदि उनकी मांगें मन्जूर नहीं हुई तो फिर विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं। वे आज विधान सभा के सामने आये हैं। आज भी वे विधान सभा के कुछ आश्वासन लेकर न जायं, उनको कुछ जानकारी नहीं मिले, उनके बारे में सरकार मौन रहे, तो सरकार के इस रवैये के प्रति हमारे सामने सिवाय प्रोटेस्ट के और कोई रास्ता नहीं रहता। वाक आउट कर सरकार पर दबाब डाला जाय सरकार निकम्मी है, यह सरकार झुकेगी, और सरकारी कर्मचारियों का भत्ता बढ़ कर रहेगा, उसकी आदत के अनुसार उसको झुकाने की कोशिश करनी होगी, वह दिन दूर नहीं जब सरकार झुकेगी, मंहगाई भत्ता

(श्री भैरोंसिंह)

बढ़ कर रहेगा। हम सरकार के इस अनुचित रुख के प्रति विरोध प्रगट करते हुए सदन से प्रोटेस्ट के रूप में वाक आउट करते हैं।

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से वाक-आउट)

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि इतनी बहस के बाद भी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, वह दस कदम जाकर भी सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त नहीं करना चाहती। मैं समझता हूं और मेरा विश्वास हो चुका है कि जो सरकार अपने कर्मचारियों को, जो उनकी २४ घंटे सेवा करते हैं, २४ घंटे मंत्रियों की सेवा करते हैं, सरकार जब उनका पूरा पेट नहीं भर सकती तो सरकार से क्या आशा की जा सकती है जो बाकी भूखे-नंगे लोग हैं उनका पेट भर सकेगी ? जो लोग बेकार हैं उनका पेट भरेगी, यह उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता व तनख्वाह बढ़ाने की कोई चिन्ता नहीं है। केवल उपदेशों से, भाषणों से, आश्वासनों से, सरकारी कर्मचारियों का पेट नहीं भरा जा सकता। यह आपकी गलत नीति है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं उसको सबक लेना चाहिये बंगाल से, आन्ध्र से सबक सीखे। आज वहां की सरकार की हालत जिस प्रकार की हो रही है, जिस तरह से सरकार झुक रही है कहीं वह हालत यहां पर न हो जाय। मैं इसके प्रोटेस्ट के रूप में सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री हरिराम चौहान, साम्यवादी, द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपके साथ कौन चलता है ?

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद अपना भाषण जारी करें।

(५.४८ म. प)

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक आय-व्ययक पर वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सभापति महोदय, बिजली आज के वक्त में दुनियां के अन्दर तरक्की का, सिविलाइजेशन का, एक मापदंड बना हुआ है। वह मुल्क के उत्थान का एक रास्ता समझा जाता है। बिजली देश के उत्थान में बहुत काम आती है, इसलिए इस तरीके से इसको देखा जाय तो १८ साल पहले राजस्थान में बिजली की जिस प्रकार की हालत थी, आज १८ साल के बाद उन्हीं सड़कों से निकलते हैं तो आप देखेंगे कितना फर्क मालूम पड़ता है ? इसी निगाह से सारे राजस्थान को देखा जाय तो ऐसा मालूम देता है कि सरकार ने इस दिशा में बहुत कुछ किया है।

यह सही बात है कि शिकायतें आज बहुत हुईं। लोगों को गुस्सा भी आया। पर जो टैक्निकल बात नहीं समझते उनको इसे समझाना चाहिये। वे समझते हैं कि उस गांव में आ गई तो उसके पास के में क्यों नहीं आई ? बात समझ की है। केरोसिन

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आॅयल का लैम्प नहीं हैं जो जब चाहा तब, जहां चाहा वहां, पहुँचा दिया जावे। बिजली का पहुँचना एक टैक्निकल काम है। उसका अपना एक टैक्निक है।

गांवों की जिन्दगी में बिजली ने अपना स्थान बनाना शुरू किया है। अभी यह बाल्यावस्था में है। जोरों के साथ यह चल रहा है, पर उसमें दिक्कतें आती हैं जो स्वाभाविक हैं। उधर अकाल होता है इधर पानी नहीं बरसता पूरा, फिर पानी पर भी यह बिजली मुनहस्सिर है। इसके लिये सरकार को सोचना पड़ता है। इस योजना में कई बातें सरकार को करनी पड़ती हैं।

सभापति महोदय, दूसरी जगह से टरबाइन भी लाने पड़ते हैं। रास्ते में टूट फूट भी हो सकती है। इन्डस्ट्री को बचाने के लिये बोर्ड को नुकसान खाकर भी आगे बढ़ना पड़ता है।

इन चीजों पर अगर जायजा लिया जावे तो मेरी कॉन्स्टीट्यून्सी में हर गांव में बिजली नहीं लगी तो इसलिये मुझे नाराज होना चाहिये ? पर मैं खुश हूँ कि आज गांवों में अन्न उत्पादन के लिये बिजली देने की बात को प्राथमिकता मिल रही है। आज यह देश की जरूरत है। इस लिहाज से खर्चा ज्यादा लगाकर भी गांव में किसान के खेत पर, कुओं पर, बिजली जानी चाहिये, इसकी रफ्तार तेज होनी चाहिये।

किसी पेड़ या सैक्रेटेरियेट की बिल्डिंग का नाम सरकार नहीं है। मैंने देखा है कि सभी के भाई–भतीजे इसमें नौकर हैं और वे सब नौकर मिलकर एक विभाग को बनाते हैं। उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं और बुरे लोग जो हैं सभी जगह हैं। वे भी किसी के भाई, काका, चाचा, भतीजे हैं; मैंने देखा है कि जो लोग बढ़-बढ़ कर बातें करते हैं, करप्शन की उनके भाई–भतीजे, काका चाचाओं के फंसने पर यों यों हाथ लेकर घूमा करते हैं कि मेरे साले का साला है, यह इस बार तो करप्शन के केस से इसे छोड़ दो अब नहीं करेगा यह। पर जब यहां आते हैं बोलते हैं तो सबको करप्ट कहते हैं। कोई चैक उन पर रहा ही नहीं। इतना काम इस बोर्ड ने किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रहा है। यह कोई बात नहीं, पर किसी एक–आध जगह इस तरह का करप्शन का केस आ गया तो हाय–तोबा मचाते हैं। पर वे करें क्या ? जिसकी निगाहें ही गटर को सूंघने की आदी हो गई हैं, जिनकी नालियों में नाक चलाने की आदत है तो सिवाय इस गन्दगी के उनकी नाक में और कोई चीज आती ही नहीं, अच्छी चीज नहीं आती। उनकी तो आंखों के आगे पट्टी बन्धी है।

सभापति महोदय, दो तरह के क्रिस्टिसिज्म हैं। एक वह जो जिनुइन और दूसरी वह जो जिनुइन नहीं है। किसान आज बिजली का भूखा है। पर आपसे मैं पूछूं यह भूख किसने जगाई ? यह काम कहिये कि इस इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने किया। आज जितनी तेजी से भूख बढ़ रही है उतनी तेजी से नहीं चला जा सकता। इसका अपना बढ़ने का तरीका है। उस तरीके से बढ़ेगी। जिस एक गांव में बिजली पहले पहुंची और कुए से पानी फिकता देखा तो पास के किसान के दिमाग में जोरों से वह प्रदर्शन चल रहा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है। ग्राज वह सोच रहा है कि बिजली ग्रगर उसके यहां नहीं पहुंची तो इस रिवोल्यूशन से वह खाली रह जावेगा। उसकी भूख इस तरह से बढ़ रही है। यह तरक्की की निशानी है। गांव वाले इस तरक्की की भूख का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम समझते हैं यह हमारी तरक्की का ग्रच्छा लक्षण है कि चलो भूख तो पैदा हो गई, किसी दिन यह मिटेगी भी। हम इससे प्रेरणा लेकर प्रयत्न करेंगे। हम इसके लिये साधन कैसे जुटावें ग्रधिकाधिक इस पर सोचना चाहिये।

कई बार टेक्निकल चीजें हो जाती हैं। छः मील पर बिजली चली गई तो दो मील पर क्यों नहीं गई ? ग्रगर इस पर कानून के खिलाफ गड़बड़ी होती है तो ये बोर्ड वाले हाथ रखने नहीं देते। कोई भले ही क्रिटिसाइज करे। ये गड़बड़ी क्या करते हैं ग्रौर किसमें करते हैं, ये सामान की गड़बड़ी कर देते हैं। सामान नहीं ग्रायाजी। तो सामान तो इधर-उधर हो जाता है। पर जो उनका निश्चित टैक्निक है उन सबको देखकर के ही किसी को वे फेवर करते हैं तो करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्रब इस बात पर ग्रा जाता हूं। मुझे एक शिकायत है। डी. सी. एम. के बारे में, मेरे सम्माननीय सदस्य गोयल ने काफी कह दिया। ग्राज इस बोड को विरासत में बहुत सी खराब बातें मिलीं। जैसे कोई पंख टूट गये हों किसी हवाई जहाज के। तो यह जब स्थिति थी तो ऐसे वक्त में सरकार ने सोचा कि चलो राजस्थान का भी एक बोर्ड बना देना चाहिये। ग्रब ये कागज इकट्ठा कर रहे हैं। दस वर्षों में कागज मिल जाते हैं, चीजें नहीं मिलतीं, ग्रादमी नहीं मिलते। केस कोर्टों मे चले। मरडर हुए, झगड़े हुए तो इससे मजबूर होकर सरकार ने इस पर कब्जा किया ग्रौर एक ग्रॉटोनोमस बॉडी की शक्ल इसको दी। तो जिसकी पैदाइश के पीछे इतना बड़ा जाल हो, वह बढ़ने की कोशिश करता है। इस बीच कई चीजें नहीं सैटिल हो पातीं। इसकी वजह से उसको दोष नहीं देना चाहिये। दोष तो उस बात को है जिसकी नींव पर यह खड़ा किया गया है।

पर इसके साथ, मैं पूछना चाहता हूँ ग्रापसे कि डी. सी. एम. को तो इन्डस्ट्री के नाम पर ग्रापने सस्ती बिजली दी पर ग्रजमेर इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को किस नाम पर ग्रापने दी ?

पहली बात तो यह है कि इस कम्पनी को ग्राप देते हैं ८ पैसा यूनिट के भाव पर बिजली ग्रौर यह चार्ज करती है ३७ पैसा कन्ज़ूमर से। यह छूट ग्रापने दी, यह कैसे ? मैं पूछता हूँ ग्राप कौन हो इन पूंजीपति दरिन्दों के सामने ग्रजमेर की जनता को फेंकने वाले ? ग्रापने ग्राठ पैसे में दी ग्रौर इसे ग्रजमेर के नागरिकों को ३७ पैसा लेकर लूटने की इजाजत देने वाले ग्राप कौन होते हैं ? ग्रापको किसने कहा ? यही सोशलिज्म है ग्रापका ? फर्स्ट प्लान में इस कम्पनी को नेशनलाइज़ करने का तै हो गया था। हाई-कोर्ट से ग्रौर सुप्रीम-कोर्ट से फैसला ग्रापके हक में हो गया। हाई-कोर्ट में वह हो ग्राया, सुप्रीम कोर्ट में वह हो ग्राया। ग्रापके लॉ विभाग ने कह दिया ग्रापको कि यह जीत

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नहीं सकता, इसको नेशनलाइज कर लो। आपने फिर क्यों नहीं किया ? आपने इसके बाद उससे राजीनामा किया कि ८ पैसे में बोर्ड तुमको देगा और यह बोर्ड इस कम्पनी को एजेन्ट बनावेगा। आप कौन हैं आठ पैसे यूनिट देने वाले और जनता को इस तरह से लुटवाने वाले ?

जयपुर में हम आठ आना दे सकते हैं, दस आना भी दे सकते हैं। नुकसान उठाकर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें इस बात का सन्तोष है कि यह पैसा सरकार के पास जावेगा। यह पैसा जनता के दुख-दर्द गरीबी, मिटाने के काम में खर्च होगा।

पर नहीं सन्तोष होता है इस बात मे कि अजमेर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को आप लूटने की इस तरह से इजाजत दे दें। पूना और बम्बई के सेठों ने आपसे एक एग्रीमेन्ट किया कि आठ पैसा प्रति यूनिट वह आपसे लेंगे और ३७ पैसा जनता से वसूल करेंगे। यह तो धर्मादा हो रहा है आपका। क्या आपने कोई धर्मादा खोल दिया है ? यह अन्याय किया है आपने। अगर आपसे पहले किसी ने किया है यह पाप तो आप इसका सैटिस्फेक्टरी जवाब दीजिये सदन में।

आठ पैसे से क्या हालत होती है ? इसके बाद आपको यह बतलाता हूं। डी. सी. एम. को आप अधिक खर्चा होने पर भी उस खर्चे को इन्डस्ट्री के नाम से बर्दाश्त करके कम पैसे पर दे रहे हैं। आपने इस अजमेर बिजली कम्पनी को कहा कि आप अपने इन्जिन चलाओ, बिजली की राजस्थान में कमी है इस वक्त। पर वह कहता है नहीं मैं २२ पैसे पर-यूनिट आपसे लूंगा। आप २२ पैसा पर-यूनिट ज्यादा दें मुझे तो मैं चलाऊंगा इन्जिन अपने। आपको वह गुलाम बनाकर बैठा है वहां। वह कहता है राजस्थान में भले ही आग लगे, राजस्थान में भले ही पानी बरसे या न बरसे, मेरे से इसका क्या लेना देना. तुमको मुझे बिजली देनी पड़ेगी और अगर मेरे इन्जिन चलवाओगे तो २२ पैसा तुम मुझे और दो। आठ पैसे में तो वह लेगा, २२ पैसा और लेगा और फिर ३७ पैसे में जनता को देगा। यह एग्रीमेन्ट है आपका ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : On a point of order, sir, सदन में कोरम नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको पता है कोरम कितने का होता है ? कुछ जानकारी भी रक्खा करें।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

(६ म. प.)

जनता को ३७ पैसे देती है इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में यह है कि ३० लाख रुपये और देंगे नकद जिस दिन उसे नेशनलाइज़ करेंगे। तो यह तो हमारे अजमेर के ३ करोड़ लोगों के साथ व्यवहार है। जहां अजमेर गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इसको नेशनलाइज़ कर लिया जाये उधर आपने जिन्दगी के लिए जनता को उसके मातहत रख दिया है और अजमेर की जनता के सामने जब यह सब चीजें खुलती हैं, तो ऐसा मालूम होता

Page No 136

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है कि हमारे ऊपर आपने एक सेठ को, एक कम्पनी को, आज उसको परपीचुएट किया है जिसके चंगुल से निकलने के बाद, आजादी के बाद तड़फड़ा रही थी और आज वह २७ पैसे वसूल करे । हमको एतराज नहीं है लेकिन आप ८ पैसे दें जनता के लूटने वाले को दें और बीच में जो इतना मुनाफा खा जाये और आप उस कम्पनी को नेशनलाइज नहीं करें—मेरा चार्ज है कि इस हुकूमत ने इस कम्पनी के नेशनलाइजेशन को रोककर एक बहुत बड़े अत्याचार को जगह दी है जिससे ज्यादा लुटाई हो रही है। और भी लूट के कुछ इन्स्टान्सेज में सदन के सामने रखता हूं । इस कम्पनी ने आपके एक्ट को तोड़ा है । इस कम्पनी की कन्डीशन्स की एक किताब है और यह कन्डीशन कुछ है फिर किताब बदल जाती है। सरकार से कन्डीशन है उसके सिलसिले में जो रुपया दिया जाता है मीटर लगाने का, जो प्राईवेट सेंक्शन करते हैं उससे पैसा लेते हैं। आज आठ साल के अन्दर लोग कहीं चले गए, कोई मर गए, किसी का पैसा इसने नहीं लौटाया । उसका हिसाब नहीं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस एक्ट के मातहत, जिसके मातहत आपने इसको लाइसेंस दिया है इलैक्ट्रीसिटी बनाने का, उसके मातहत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इसकी जांच करने के लिए तैयार हैं और इसके बाद १६ लाख रुपया अजमेर के लोगों को मिलेगा जो कि आज तक प्राईवेट रुपया जो लिया है, जिसका व्याज भी नहीं दिया और वह लोग छोड़ गए, इस कम्पनी ने किसी को पैसा भी नहीं दिया और वह सब माल इसका हो गया ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, अजमेर इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी का एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हम यह सब माननीय सदस्य से सुनना चाहेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मैं और भी बात कहूँगा । यह कम्पनी दिल्ली से और फोरिन से मीटर्स मंगाती हैं। मैं श्रीमान मदेरणा साहब आपको मुखातिब होकर कहता हूँ और १ परसेन्ट उसने टैक्स दे दिया है। यह सैल्स टैक्स जिनके भी मीटर्स लगाते हैं उन सब से चार्ज कर लेते हैं और आपको सैल्स टैक्स का लाखों रुपया इसने नहीं दिया। आज उसकी तरफ निगाह आपके डिपार्टमेंट की नहीं हो सकती । क्यों नहीं हो सकती ? उसका सबूत मैं दे देता हूं । मेरे पास कहीं से यह कागज आया है। आप इसकी सच्चाई की जांच कर लीजिए। यह है :

"The Resident Engineer, Amalgamated Electric Supply Co. has been charging less from big officers and higher authorities."

यह रुपया क्यों नहीं वसूल होगा ? मैं बताता हूँ। यह लिखा है :

"For example, in estimate No. 1938/65 he charged Rs. 2.00 per foot on cable (underground) instead of Rs 10.00 per foot as charged from ordinary citizens."

श्री भैरोंसिंह : इसमें नाम लिखा हुआ है क्या ?

श्री **दौलतराम सारण** (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : नाम तो बताना चाहिए।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आपके पास जाऊंगा तो बता दूंगा। आप दबा कर पूछ रहे हैं। सैल्स टैक्स का इस आदमी से पैमेंट लेना चाहिए। यह आदमी सैल्स टैक्स का क्या करता है, वह आप देखिये....

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : नाम तो बता दीजिए।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आ जायेगा जरा इत्मीनान रखिये। यह कम्पनी क्या करती है कि मीटर्स मंगाती है :

"The Amalgamated Electric Supply Co. imports the material on 'C' form India and sells to consumers by charging sales tax and profit."

प्रोफिट भी लेती है और सैल्स टैक्स भी लेती है।

"But the sales tax amount recovered from consumers is not deposited with the Government. Thus the Government has to take about 5 lakhs of rupees from the company for the sales tax on meters."

श्री **परसराम मदेरणा** (उप मन्त्री, वित्त) : आप जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं यह क्या कोई रिपोर्ट है या ऑडिट के कागज हैं ? क्या है ?

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैं कह रहा हूं मेरे पास तो आये हैं। न सैल्स टैक्स देता है और न आप वसूल करते हैं।

श्री **परसराम मदेरणा** : यह कागज है क्या ? किसी के रिमार्क्स हैं क्या ?

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मेरे रिमार्क्स हैं। इसमें कहीं गलती हो तो कह देना। हमारे सब माननीय सदस्यों ने दबाया यह बताने के लिए कि यह आदमी कौन है नाम तो बताओ। इस कम्पनी ने २ रुपये फिट लिए जब कि आम जनता से १० रुपये चार्ज करते हैं और इस तरह से उसको हजार रुपये का फायदा पहुंचाया। आप पता लगा लीजिए कि जो सैल्स टैक्स की वसूली नहीं कर रहे हैं, तो सैल्स टैक्स वाले उस तरफ मुंह क्यों करेंगे ?

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : नाम तो बता दो उसका।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : नाम माया देवी कौल है या महादेवी कौल है....

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : यह नया मकान है या पुराना मकान है ?

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : पुराना मकान या नया मकान, इसका मुझे पता नहीं।

श्री **भैरोंसिंह** : यह मायादेवी कौल कौन हैं ? समझे नहीं।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : अरे आप समझ गये। वही हैं। सब समझते हैं।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह व्यक्तिगत मामला है और आपने कहा कि कुछ सदस्य समझ गये। हो भी सकता है कि समझ

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

गए हों। लेकिन आप किस का नाम ले रहे हैं उसके बारे में बतायें तो अच्छा हो ताकि डिपार्टमेंट उसके बारे में कुछ एक्शन ले सके।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मायादेवी कौल जो पहले वहां कभी कलेक्टर थे उनकी पत्नी हैं।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मुझे पता नहीं। उसमें हाई ऑफिसर लिखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य काफी समय हो चुका है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : समय का ध्यान है मुझे। इस बारे में एक बात और कहता हूँ। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और गवर्नमेंट और जो कानून के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसको और इस बोर्ड को अलग करना चाहिए। मैं मिनिस्टर महोदय आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो लाइसेंसशुदा जमात है, जो ऑटोनोमस बॉडी है और एक इस एक्ट को लागू कर दो; ये दोनों एक जगह हैं। ये इन्जीनियर्स इनकी गलती नहीं पकड़ते, जनता के हकों की रक्षा नहीं हो पाती और उस एक्ट के मातहत उस डिपार्टमेंट को अलग कर दीजिए। इलेक्ट्रिक की तकलीफ होती है, वॉल्टेज पूरे नहीं होते....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि वे कौन हैं? कौन हैं मायदेवी कौल ? कौन ऑफिसर हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फिर भी बात तो वही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मायादेवी कौल श्रीमती बालकृष्ण कौल तो नहीं हैं ?

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : हां, वही हैं। वही दिखती हैं।

मेरे पास और भी हैं। अगर 'एल' फार्म कोई भर कर नहीं देता है तो उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता है। अगर कोई कम्पनी किसी को 'एल' फार्म के बगैर कनेक्शन कर देती है तो इस एक्ट के मातहत उसका लाइसेन्स जब्त हो सकता है। आज एक किसान 'एल' फॉर्म नहीं भरता है तो उसके कुंए पर बिजली नहीं लग सकती और आपने बिना 'एल' फॉर्म के कैसे उस मकान पर बिजली दे दी और कनेक्शन कर दिया ?

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मामला बहुत गम्भीर है और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा क्योंकि यह एक मंत्री का मामला है इसकी तो जांच करवाई जाये कि बिना 'एल' फॉर्म के बिजली का कनेक्शन दिया गया या नहीं।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : 23rd February, 1965. Estimate for laying of service line, two phase supply system."

यह जो ३०२ रुपया है।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तो माननीय सदस्य इतने जल्दी जल्दी बोलते हैं कि मैं समझ नहीं पाता कि वे क्या कह रहे हैं। अगर वे केस को वैल–प्रिपेयर्ड करके बतायें तो मैं जांच करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तो अभी तक समझा ही नहीं कि किस चीज के बारे में आप कह रहे हैं। कभी आप सैल्स टैक्स पर आते हैं ...

श्री परसराम मदेरणा : वह तो मैंने नोट कर ली है।

श्री हरिश्चन्द्र : कभी आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में कहते हैं। आपके पास दो तीन किताबें रखी हुई थी; उसके बाद आपने एक कागज उसके नीचे से निकाला और उस कागज को प्रोड्यूस किया और उसमें से कोटेशन पेश किया। लेकिन ऐग्जेक्टली जो चीज आपके दिमाग में है, उसको अगर आप री-प्रोड्यूस करके मेरे पास भेज दें, तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऐसी बात है तो मुझे एतराज नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि जो दो रुपया फिट चार्ज एस्टीमेट में लगाया है तो वहां जनता से तो दस रुपये लिए जाते हैं और उनसे दो रुपये लिए गए हैं तो उस सारे को लगाने का उसका कम्पनी का क्या हक है? यह कोई उनके बाप का घर नहीं है। जनता से जब चार्जेज लिए जाते हैं तब तो कुछ और, और इनसे कुछ और, इस तरह से जनता को लूटेंगे और उनको छोड़ देंगे।

दूसरी बात यह कि जो 'एल' फार्म होता है, बिजली लेने से पहले किसी का सर्टीफिकेट लेना पड़ता है, यह ठीक से लगी है या नहीं, इसका सर्टीफिकेट जो आपके सुपरवाइजरी कोर्स पास किए हुए हैं उनसे लेना पड़ता है और उसके लिए यह 'एल' फार्म भरा जाता है, लेकिन वह 'एल' फार्म नहीं भरा गया। इस कम्पनी ने इस तरह से एक्ट का इन्फ्रिंजमेंट किया है। आप तुरन्त तार देकर यह पता लगा लीजिए कि एल फार्म भरा गया है या नहीं, वरना तो ऐसटीमेट्स के साथ 'एल' फार्म लगाने में क्या देरी लगती है? पचासों सुपरवाइजर घूमते हैं, वह किसी भी सुपरवाइजर से दस्तखत कराके लगा सकते हैं। आप चुपचाप इन्क्वायरी कीजिए और जो आपके इंस्पैक्टर हैं, उनको कहिए, वह जाकर देख लें अभी इसी वक्त कि 'एल' फार्म लगा हुआ है या नहीं। और अगर आपको उसमें 'एल' फार्म नहीं मिले तो तुरन्त कनेक्शन काट दो। लेकिन जो कुछ करना हो वह तार से करो, अभी इसी वक्त।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, सदन में मेरी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई है। अगर आपको इसकी इन्क्वायरी करानी थी कि आप इसको डिस्क्लोज़ नहीं करते और मुझे कान में आकर कह देते। अब आपने यहां पर खबर तो कर दी, सबको मालूम हो गया तो अजमेर भी खबर पहुंच जायेगी और उसके बाद जब मैं कार्यवाही करूंगा तो आप कहेंगे कि इस पर कोई कार्यवाही टाइम पर नहीं की गई।

श्री भैरोंसिह : इसका मतलब यह हुआ कि माननीय मन्त्री महोदय को अपने साथी पर विश्वास नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : साथी का मामला नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है।

श्री **भैंरोंसिंह** : मेरा आपसे मतलब नहीं है। मेरा मतलब मन्त्रीजी से है जिनके घर में बिजली लगी है।

श्री हरिश्चन्द्र : मन्त्री कौन हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह कह रहा हूं कि जब किसानों को बिजली का कनेक्शन दिया जाता है तो उससे रुपया लिया जाता है, उसको 'एल' फार्म भरवाना जरूरी है और अगर वह 'एल' फार्म नहीं भरे तो उसे बिजली का कनेक्शन मिल नहीं सकता ....

श्री **दौलतराम सारण** : ये पूछ रहे हैं कि कौन से मन्त्री हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह वी० एम० कौल, मिसेज वी० एम० कौल हैं। यह है मेयो कॉलेज रोड़, नियर राजा साईकिल, अज़मेर। यह पता लिखा हुआ है इसमें जो ऐस्टीमेंट कम्पनी ने दिया है ३०२) रुपये का जब कि वह हजार रुपये का होना चाहियें था। आप यह कागज ले लो, यहां क्या है ? यहां तो दौलत का खजाना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अच्छा, समापति महोदय, मैं फिर एक बात अर्ज कर देता हूं कि ये दोनों अलग होने चाहिए। जनता के ऊपर इस तरह से मनमानी नहीं होनी चाहिए। आपके इन्सपैक्टर हैं जिनको आप पॉवर देते हैं एक्ट के मातहत, उनको दोनों को अलग करना चाहिये, उनके एक होने में जनता को राहत नहीं मिलती है। कभी आप उनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं तो कभी कुछ बना देते है। उनका कैडर अलग होना चाहिए, जो चैक करते हैं, उनको कभी आप चैकिंग में लगा देते हैं तो कभी उनको मजिस्ट्रेट बना देते हैं, यह सब मनमानी बन्द करें, तभी जनता की रक्षा हो सकती है, जनता को फायदा हो सकता है। यह कोई आपके घर की चीज नहीं है, सरकार की चीज नहीं है या कोई डिपार्टमेंट की चीज नहीं, यह अलग होना चाहिए। और इसलिए मैं इस कम्पनी के बारे में एक मांग करता हूं, इसके बारे में, मेरी मांग है कि आप एक कमेटी बनाएं और इसमें जो जनता के साथ ज्यादती हैं, उस पर जांच होकर इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाय तब तो जनता बचेगी, नहीं तो अजमेर की जनता को, जो पिछले सालों से गिरवी रख दिया है, अजमेर की तीन लाख जनता को जो इस कम्पनी के पास गिरवी रख दिया है, जो कम्पनी इस सरकार के बनाए कानून तोड़ती है, जानबूझ कर तोड़ती है, उसका लाइसेंस रद्द करो अगर कुछ इस सरकार में दम है। मैं मानता हूँ कि यह आपने नहीं किया, यह आपके टाइम में नहीं हुआ, लेकिन आपके टाइम में बचा तो सकते हैं। मैं जानता हूं कि काफी अर्से से नाउम्मीद होने के बाद भी आपने डेढ़ लाख रुपया गरदन पकड़कर बंटवाया है। इससे मुझे उम्मीद होती है कि जहां कोई ऐसी हस्ती नहीं थी, कि बनिए से डूबा रुपया निकाल दे, वहां आपने डेढ़ लाख रुपया जनता को वापस बंटवाया है। इसी से मेरी हिम्मत हुई कि आप इनके फन्दों से जनता को बचा लेंगे। किसानों के

Page No 141

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

साथ जो रोजमर्रा की ज्यादती होती है, जो जनता के साथ सख्ती की जाती है उस सब की जांच के लिए एक इन्क्वायरी कमेटी बैठाई जाय और जो जनता की वाजिब मांगें हैं, उनको पूरा किया जाय और जो कानून तोड़ते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाय, बस यही मेरी मांग है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं साफ कर देता हूं, जो माननीय मन्त्री महोदय जानना चाहते थे। उसमें लिखा है एड्रेस, जो एस्टीमेंट तैयार किया गया उसमें, मिसेज बी० एम० कौल, डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ ऐजूकेशन, न्यू हाऊस, मेयो कॉलेज रोड, नियर राजा साईकिल, पैट्रोल पम्प, अजमेर। और यह डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन वही हैं जो श्री बालकृष्णजी कौल, फाइनेंस मिनिस्टर की धर्मपत्नी हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ओरिजिनल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां, ओरिजिनल।

श्री सभापति : अब माननीय मन्त्रीजी की ओर से जवाब दिया जाएगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मन्त्रीजी महोदय जानना चाहते थे कि यह मिसेज कौल कौन सी हैं, इसलिए मैंने कहा कि यह उनकी पत्नि हैं शुरू की, वही हैं।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि विद्युत् मण्डल के सिलसिले में जो बजट पेश हुआ उस पर कई सुझाव यहां आए। राजस्थान के अन्दर विद्युतीकरण १९६१ के बाद शुरू हुआ, सही माने में, क्योंकि १९६१ के पहले राजस्थान के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं थी। इस वास्ते उद्योगों का विकास या कृषि विकास हम नहीं कर पाए। कृषि के अन्दर बिजली देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस वास्ते दूसरी रियासतों में और राजस्थान में एक काफी गैप नजर आता था। हमने इस बात का प्रयास किया कि राजस्थान के अन्दर धीरे २ बिजली की व्यवस्था, बिजली का जनरेशन, राजस्थान के अन्दर बढ़े, जिससे कि उद्योग-धन्धों और कृषि के अन्दर भी बिजली का उपयोग हो सके। यही एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रान्त के अन्दर पर्याप्त मात्रा के अन्दर बिजली होती है, तो उस प्रान्त को औद्योगिकरण करने के लिए काफी गुंजाइश रहती है। यह जरूर है कि राजस्थान के अन्दर अगर औद्योगीकरण होगा तो उससे जो राजस्थान के

(६.२० म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

सामने दिक्कतें हैं, इस प्रान्त के सामने दिक्कतें हैं वे काफी हद तक हल हो सकती हैं। इसी तरह से अगर बिजली कृषि के सम्बन्ध में इस्तेमाल की जाय तो कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है। इस बात की तो मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने आज इस बात को महसूस किया कि कृषि के लिए भी बिजली दी जाय। यह महकमा मेरे पास करीब पाच-छः साल से है, और वह समय भी मुझे याद है कि जब यहां पर जो

(श्री हरिश्चन्द्र)

रिपोर्ट पेश होती थीं, उस वक्त हम इस बात की ख्वाहिश करते थे कि गांवों के अन्दर, छोटे २ कुओं के अन्दर बिजली जाय। लेकिन उस समय न तो बिजली ही थी हमारे पास और न पर्याप्त मात्रा में धनराशि थी कि हम उस काम को कर सकें। आज भी जब हम इस बात के आंकड़े देखते हैं कि पॉवर कितनी हमारे पास होगी और पॉवर की डिमाण्ड क्या है, तो हमें यह हमेशा मानना पड़ेगा कि जो प्रोग्रेसिव असेट्स हैं और जिस स्टेट के अन्दर रैपिड डेवलपमेंट होगा उसमें बिजली की मांग हमेशा बढ़ती जायेगी और उसके जनरेशन में कुछ न कुछ फर्क आयेगा। इस तरह से राजस्थान के अन्दर १९७०-७१ के आसपास का लोड हम यह मानकर चलते हैं कि ६४० मेगावाट्स के आस–पास पहुंचेगा। और यह भी मैं मानता हूं कि ६४० मेगावाट्स १९७०-७१ तक जो लोड डिमाण्ड है यह भी कम है, क्योंकि राजस्थान के अन्दर औद्योगीककरण की इतनी गुन्जाइश है, राजस्थान के अन्दर इतना पोटेन्शियल, डेवलपमेंट करने की गुन्जायश है कि आज अगर हम पर्याप्त मात्रा में हम पॉवर सैक्टर के अन्दर धनराशि लगायें, तो इसकी एक बहुत बड़ी गुन्जाइश है। जहां तक कि जनरेशन ऑफ पॉवर एवेलेबिलिटी का सवाल है १९७०-७१ के पश्चात् ५८५ मैगावाट हम बिजली उपलब्ध कर पायेंगे। इस बिजली के आंकड़े के अन्दर मैंने पलाना लिग्नाइट से जो पॉवर डेवलप हो सकती है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और इस फर्क को देखते हुए जो रैपिड डेवलपमेंट राजस्थान का हो रहा है, और जो पॉवर का पोटेन्शियल राजस्थान के के अन्दर उद्योग–धन्धों के लिए और कृषि को देखते हुए हो सकता है, मैं यह समझता हूं कि इसके अन्दर फोर्थ फाइव ईयर प्लान में पलाना को लेना निहायत जरूरी है। उसके लिए मेरे मित्र माथुर साहब ने इस सदन के अन्दर कई बार कहा है। लेकिन आज पलाना के अन्दर इतना पोटेन्शियल है कि वहां पर कम से कम १०० मैगावाट का एक सैट लगा सकते हैं जिससे राजस्थान के औद्योगीकरण के अन्दर सहूलियत हो। आज राजस्थान के अन्दर कृषि के बारे में भी बिजली कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए दी जाय, इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने मांग की है। यह होना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि हर गांव और हर कुंए के अन्दर बिजली पहुंचे।

आज जब मैं आंकड़े देख रहा था तब मैं आपको कुछ अर्ज करूं कि राजस्थान के फोर्मेशन के वक्त हमारे विलेजेज यानी लौकलिटीज इलेक्ट्रिफाइड उसके आंकड़े जो मुझे बताये गये हैं वह ०.१३ परसेन्ट थे जब कि ऑल इंडिया फिगर ०.७ परसेन्ट था। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान का आंकड़ा ३.८ परसेन्ट आया है जब कि ऑल इंडिया का फिगर ७.७ आया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): ०.७ नहीं ७.७ है ऑल इंडिया फिगर।

श्री हरिश्चन्द्र : ०.७ है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ०.७ राजस्थान का है।

श्री हरिश्चन्द्र : ऑल इंडिया का फिगर जब राजस्थान बना उस वक्त की

(श्री हरिश्चन्द)

बात कर रहा हूं और आज जो है इंडिया का फिगर वह ७.७ है और राजस्थान का ३.८ है। ऐसी हालत में आप इस बात को मानेंगे कि राजस्थान में जो प्रोग्रेस हुई है उसके आंकड़े और आॅल इंडिया फिगर के आंकड़े अगर आप निकालें तो, यह निस्सन्देह बात है कि राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है। २३ गुना उन्होंने काम किया है जब कि ११ गुना काम होल इंडिया के अन्दर हुआ है। तो ऐसी हालत में........

श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** : सभापति महोदय, मैं इनको करेक्ट कर दूं, यह लिखा है–

"It will be a matter of satisfaction to note that while at the time of formation of Rajasthan the percentage of electrified localities was only 0.13"

०.१३ था राजस्थान का;

"by the end of the current year it would stand at adout 3.8% compared with India as a whole in 1951 the percentage of the electrified localities was only 0.7 as against7.7 expected to be on31.3.66 i.e.a multiple of ten times."

यह कहीं नहीं है कि ०.७ इंडिया का है परसेन्टेज, मगर हिन्दुस्तान के मुकाबले में हमारा ०.७ था ५१ में, जिसको बढ़ाकर ०.७ से बढ़ाकर ६६ में ७.७ लाना चाहते हैं।

श्री **हरिश्चन्द्र** : यही मैंने कहा है। मैंने कहा है कि राजस्थान के आंकड़े इस वक्त ३.८ है और फोर्मेशन के वक्त राजस्थान के अन्दर ०.७ आॅल इंडिया का फिगर था जो कि ७.७ पर आ गया।

इस तरह की स्थिति के अन्दर राजस्थान के अन्दर १९६१ के बाद हमने रैपिड प्रोग्रेस इलेक्ट्रिफाइंग के अन्दर की है। और इसी के साथ साथ सैकण्ड फाइव ईअर प्लान के पहले कुओं के अन्दर बिजली देने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि बिजली ही नहीं थी, लेकिन सैकिण्ड फाइव ईअर प्लान के आखिर तक १०३३ कुओं के अन्दर बिजली दी और आज तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ७५०० कुओं के अन्दर हम बिजली दे पाये हैं और टोटल नम्बर आॅफ विलेजेज इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं वह करीब १२०० के हैं। हम इनको इलेक्ट्रिफाइड कर चुके हैं जब कि हमारा प्लान का टारगेट ३०३ का था। आप खुद, माननीय सदस्य, अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी निर्धारित टारगेट्स थे उससे कहीं ज्यादा हमने इलेक्ट्रिसिटी के अन्दर काम किया है।

इसके अलावा जो पाॅवर एलोकेशन मुख्तलिफ रियासतों को हुए हैं उसमें मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि पाॅवर एलोकेशन के अन्दर राजस्थान को सकिण्ड फाइव ईअर प्लान के अन्दर १५० लाख यानी १५० मिलीयन रूपीज हमको मिले थे और इसके बाद थर्ड फाइव ईअर प्लान में ३६५ मिलियन रूपीज मिले थे। ये जब आंकड़े दूसरी रियासतों से कम्पेअर करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर ही हम आते हैं। बाकी जितनी स्टेट्स हैं उनके

(श्री हरिश्चन्द्र)

अन्दर बड़े हायर एलोकेशन्स होते हैं। और अगर हमको राजस्थान के अन्दर प्रगति की तरफ जाना है और राजस्थान के अन्दर विद्युतीकरण करना है, राजस्थान के अन्दर उद्योगों को बढ़ाना है और कृषि के अन्दर हमको बिजली देना है, तो हमें हमारे एलो-केशन्स की ओर थोड़ी बहुत निगाह रखनी पड़ेगी।

जहां तक एक्सपेन्डीचर ग्रोर रेवेन्यू का सवाल है, ग्रांकड़े माननीय सदस्यों के पास पहुँचे हुए हैं, लेकिन यह कहा गया है कि हमारी जो रेवेन्यू पहले १९६४–६५ में ५८६ थी, उसके एवज में हमें ग्राज ६६–६७ में ७५४ की इन्क्रीज़ हमने बताई है। यह इन्क्रीज़ इस वास्ते है कि जो लाइन हमने रतनगढ़ से जयपुर खींची है और जो एकस्ट्रा यूनिट्स भाखरा से ड्रॉ कर रहे हैं उसकी ग्रामदनी जब इसमें जोड़ते हैं तो यह केलक्युएशन रेवेन्यू में दीखता है। वैसे ऐक्सपेन्डीचर भी उधर बढ़ सकता है, लेकिन एक्सपेन्डीचर बढ़ने का सवाल जब हम देखते हैं तो उसमें दो बातें साफ दिखती हैं।

क्योंकि इस वक्त बिजली की इतनी डिमान्ड है कि हमारे जितने भी स्टीम टरबाइन्स हैं वे सारे फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं, और दो साल से लगातार चल रहे हैं उधर खर्चा भी बढ़ा है जिसके ग्रांकडे पेश करूंगा, लेकिन फिगर जो ७५४ बढ़ा है, यह ७५४ है, उसमें लाइन रतनगढ़ से जयपुर तक खींची है उससे एकस्ट्रा यूनिट्स बिजली के ड्रॉ करते हैं, उससे एक्स्ट्रा इन्कम भी ग्राती है और जो खर्चा लगा है, उसके लिये हम ग्राशा करते हैं कि दो-तीन साल में निकाल लेंगे। यह हिस्टोरिकल लाइन फोर राजस्थान है। इसको मैं लाइफ लाइन फोर राजस्थान मानता हूं। यदि यह हम नहीं खींचते, तो न तो हम बिजली उद्योगों को दे सकते थे और न कृषि को दे सकते थे इस क्राइसिस के बावजूद भी। कोई एक साल संकट नहीं ग्राया विद्युत मंडल के सामने, दो साल से यह संकट ग्रा रहा है। बावजूद इस संकट के जहां टारगेट हमारा ३०३ विलेजेज़ का था वहां हमने ७५०० कनेक्ट किये हैं, यह सराहनीय कार्य है, वर्थ एप्रीसियेशन है। बोर्ड को हमें इसके लिये एप्रिसियेशन देना चाहिये।

(हियर-हियर)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : रेवेन्यू इन्क्रीज़ हो रही है, उसके साथ ही ग्रोपरेटिंग एक्सपेन्डिचर का परसेन्टेज इन्क्रीज क्यों जा रहा है?

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे बोलने दें। मैं इस पर भी ग्रा रहा हूं। ग्रापने सवाल उठाया कि ग्रोपरेशन एक्सेपेन्सेज़ क्यों बढ रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा इसके दो मेन फैक्टर हैं। तीन मेन फैक्टर ले सकते हैं जो ग्रॉपरेशन एक्सपेन्सेज को बढाते हैं। एक तो यह कि हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में हाइडल सिस्टम चलता है। स्टीम टरबाइन बंद थे, वे ग्राज शोरटेज के कारण २ साल से स्टीम टरबा-इन चल रहे हैं। कोल पहले नहीं चलता था ग्रब चलने लगा है, कोल का एक्सपेन्डीचर लाखों में ग्राता है; दूसरा ग्रापका बीकानेर का प्लान्ट है उसको थोड़े दिन तक चलाया ग्रौर मेरा ख्याल है शायद ग्राज भी चल रहा है। वह इसलिये चलाया कि वॉल्टेज में फलक्च्युएशन होता है। भाखरा की लाइन

(श्री हरिश्चन्द्र)

इतनी लंबी है कि उसके कारण उसमें फल्क्च्युएशन बहुत होता है। इसको रेगुलेट करने के लिये थोड़ा फल्क्च्युएशन कम रहे इसलिये इसको चलाया जा रहा है ताकि इसका असर पड़े। इस पर कोल में खर्चा हो रहा है। टरबाइन लाये हैं वह हाई स्पीड डीज़ल से चल रहा है उसमें खर्चा है। ये सारी चीजें मिलाकर खर्चा ६४-६५ में ३५० था, वह ६५-६६ में ५३८ पर पहुंचा तब भी सारे वजन को लेने के बाद, आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास ६६-६७ में थोड़ा बहुत सरप्लस है। यह नहीं कहता कि टरबाइन नहीं आता तो सरप्लस ज्यादा हो सकता था, क्योंकि हमारे पास सरपलस था ६४-६५ में और ६५-६६ २३६ लाख और २०० लाख के बैलेन्सेज़ थे तो वे सरप्लस बैलेन्सेज़ भी हमारे पास कम होने लगे क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ने लगा। दूसरा खर्चा इसलिये बढ़ा कि हमने इतना सामन ऑर्डर किया। पहले यह होता था कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये हम चलना चाहते थे तब सामान नहीं होता था लेकिन अब सामान करीब ४-४।। करोड़ के आसपास का ऑर्डर किया है। वह सामान धीरे धीरे आता है, वैसे वैसे पेमेंट होता जाता है। डिपोजिट खाते में रहता है। जैसे वर्क सेक्शन होता है, वैसे वैसे उस हिसाब से सैन्ट्रल स्टोर से दिया जाता है।

श्री **सम्पतिलाल बोहरा** : इससे प्रोफिट में क्या फर्क पड़ेगा ? कैश होता या स्टोर होता इससे प्रोफिट पर क्या फर्क पड़ता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपकी तरह चार्टड अकाउन्टेन्ट तो नहीं हूं। कैश बैलेन्स था उसमें २००) लाख थे वह अब कैश बैलेन्स न रह कर टाइम में कन्वर्ट हो गया।

श्री चंदनमल वैद (उप-मंत्री, विद्युत) : वेज़ एण्ड मीन्स में फर्क पड़ा है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं थोड़ा सुधार दूं। यह जो २३६ लाख बताया यह कैश बैलेन्स नहीं है, यह ग्रौस मुनाफा है। इससे कैश और परचेज़ का संबंध नहीं है वह तो ग्रौस मुनाफ़ा है। डेप्रिसियेशन वगैरह जाने के बाद बचता है वह ग्रोस मुनाफ़ा है, कैश बैलेन्स से इसका संबंध नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : कैश बैलेन्स भी होता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसका कैश बैलेन्स से संबंध नहीं है। ७५४ लाख की आमदनी होती है उसमें से ऑपरेटिंग एक्स-पेन्सेज़ ५३८ लाख के निकालने के बाद २१६ लाख बचे उसमें से आप २० लाख वेजेज़ के देंगे, कुछ लाख जनरल रिज़र्व में देंगे, कुछ डेप्रिशियेशन में देंगे, इस तरह से यह है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप कह रहे हैं वह सही है, लेकिन ये सारी चीजें सरकार के पास रहती हैं और वेज़ एण्ड मीन्स में मदद करती हैं। पोजीशन यह है कि हमारे वेज़ एंड मीन्स में मदद करती हैं। यदि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सरकार को मदद करती है और अब हम स्टोर परचेज़ करने लगे तो वेज एंड मीन्स में काम आया। पहले बोर्ड को दिक्कत आई तो सरकार के पास

(श्री हरिश्चन्द्र)

गये। यदि हमारे ये एक्सपेन्सेज नहीं होते, तो हम काफी पैसा सरकार को भी दे सकते थे। अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि ऐसा जो टरबाइन चल रहा है उसमें कितना खर्चा आयेगा ? उसके लिये अर्ज करना है कि अभी अनुमानतः चार महीनों के लिये चल रहा है । ४ महीनों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ५४ लाख रुपये देने पड़ेंगे। हो सकता है यदि वर्षा पर्याप्त मात्रा में शुरू में ही हो गई तो हमें चार महीनों तक ही चलाना पड़ेगा और हो सकता है वर्षा की खींच हो गई, तो चार महीनों के बजाय ६ महीने भी चलाना पड़े। ४५,०००) रु० पर डे एक्सपेन्डीचर आता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इससे जो बिजली पैदा होती है, उससे पैसा कितना आता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर-यूनिट ४५ पैसा है और इससे टोटल जनरेशन आता है करीब डेढ़ लाख यूनिट्स। जैसा कि आमेर से आने-वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने वाइट एलिफेन्ट बांध लिया है । यह सही है कि एक्सपेन्सिव चीज हमारे सामने आई है, इसकी कोस्ट ऑफ जनरेशन हाई है, लेकिन इसमें खूबी यह है कि ५ मिनिट में इसको स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा इतना बड़ा यूनिट हिन्दुस्तान में था नहीं, जहां इतने लाख यूनिट बिजली हमको इमिजियेटली मिल जाती । गांधी सागर की हालत आप लोग जानते हैं, इस समय लोएस्ट स्टेज के ऊपर है। दो बड़ी प्रोब्लम्स थीं; एक तो गैस टरबाइन कोटा में लगा है, उस गैस टरबाइन को लगा देना, एक बहुत बड़ा काम था इसके लिये आपको फिर मुबारकबाद देना चाहिये कि इतना बड़ा टरबाइन लाये और लगाया, इसमें रेलवे का भी भारी सहयोग रहा ....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यहां तक मुबारकबाद का सवाल है हम सरकार को और कर्मचारियों को मुबारक दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि गांधी सागर में कितना........

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अभी इस पर आता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इनको मुबारकबाद देना चाहिये क्योंकि मुबारकबाद नहीं मिलता है तो लोगों को यह ख्याल होता है कि हम इतना बड़ा काम करते हैं और उसको सदन एप्रिशियेट नहीं करता।

श्री भैरोंसिह : हमने पहले भी एप्रि-सियेशन दिया है आपको और इन सबको।

श्री सभापति : सदन की तरफ से मैं मुबारिकबाद दे देता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : Thank you, Sir.

श्री परसराम मदेरणा : Thank you very much.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद !

श्री हरिश्चन्द्र : यहां महसूस यह नहीं हो रहा है कि सब एक चीज की बात चल रही है कि बिजली नहीं आ रही है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

यहां एप्रिसियेशन होता है तो दूसरे कामों में सुस्ती बन्द हो जाती है ।

तो ग्रापके सामने एक सवाल था गैस टरबाइन लाने का वह ले ग्राये । ग्रब सवाल ग्राता है, तीन एरियाज़ हैं जो कम्पलीटली डिपेन्डेन्ट हैं गांधी सागर पर–उदयपुर, भीलवाड़ा ग्रौर झालावाड़, यह तीन एरियाज़ ऐसे हैं, जो सोलली डिपेन्डेन्ट ग्रॉन गांधी सागर हैं, ग्रब गांधी सागर जब बिल्कुल नीचे बैठ जायगा, तब हमको सोचना पड़ेगा कि हम इसके लिए क्या करें ? तो हमने इसका निर्णय लिया है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : झालावाड़ तो सेफ हो गया है ।

श्री हरिश्चंद्र : झालावाड़ गैस टरबाइन पर लाये हैं ग्रौर एक लाइन कोटा से झालावाड़ खींची है । मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि क्योंकि मैं वहां का हूं ग्रौर मिनिस्टर हूं इसलिए वहां की जनता ग्रंधेरे में बैठी रहे....

श्री कृष्णकुमार गोयल : कतई नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र : ग्राप चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : हम भी नहीं चाहेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं झालावाड़ से हूँ, इसलिए ग्राप ऐसा कहें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हम भी नहीं चाहते ।

श्री हरिश्चन्द्र : ग्रब उसका सवाल नहीं रहता क्योंकि लाइन खींचने से गैस टरबाइन से लोड लायेंगे तो कम से कम झालावाड़ को बिजली मिल सकेगी ग्रौर उदयपुर के लिए एक हजार का सट उदयपुर भेज रहे हैं ताकि उदयपुर में ऐसी पोजीशन कर लें कि गांधी सागर से बिजली न भी ग्राए तो भी काम चला सकें । भीलवाड़ा में ग्रौर सैट लगायेंगे । ग्रभी ६८० किलोवाट का सैट लगा हुग्रा है, ग्रब हजार का ग्रौर लगा रहे हैं ताकि भीलवाड़ा में इन्स्टाल कर दें । तो गांधी सागर बन्द भी हो जाता है तो इन क्षेत्रों को बिजली की कमी महसूस नहीं हो ग्रौर बिजली मिलती रहे ग्रौर लोगों का जो ६० परसेन्ट कट किया है उस कट पर भी चलते रहें । यह टार्गेन्ट डेट हमने सारे कम्प्लीशन की १५ मई तक रखी है । मैं ग्राशा करता हूं कि हमारे चैयरमैन साहब ग्रौर दूसरे कर्मचारी इस काम को मुस्तैदी से करेंगे जैसे पहले भी करते ग्रा रहे हैं ।

इसके ग्रलावा रूरल इलेक्ट्रिफ़िकेशन का सवाल है । इसके लिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि रूरल इलेक्ट्रिफ़िकेशन के लिए हमको १९६५–६६ में करीब ४ करोड़ ६० लाख रुपये मिले थे । ४ करोड़ ६० लाख रुपये मिले उसमें यह इलेक्ट्रिफ़िकेशन का हमने काम शुरू किया । १९६५–६६ में काफी ग्रच्छा पैसा मिल गया लेकिन इस साल वह फिगर ४.६० लाख था, वह घटकर २ करोड़ ग्रौर ६८ लाख के ग्रास पास ग्रा गया है । So there is a fall in the allocation which have been given for rural electrification.

तो यह जो कमी हुई है, इससे हर माननीय सदस्य के दिल में यह हुग्रा कि भई,

(श्री हरिश्चन्द्र)

ग्रब क्या होगा ? ग्रौर यह साल इतने महत्व का साल तो बिजली के प्रोग्राम में क्या होगा ? कृषि उत्पादन का सवाल इतना महत्वपूर्ण सवाल है, कृषि उत्पादन होना चाहिये तो ग्रभी से ग्रावाज ग्राने लगी कि बिजली कृषि के लिए नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हम चाहते हैं ग्रौर भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि by the end of 1969, 20 percent of the villages should electrified.

मिनिमम २० परसेन्ट होना चाहिये, तो राजस्थान सरकार का एलोकेशन ज्यादा होगा तब जाकर हम २० परसेन्ट पर पहुँचेंगे। इसके लिए नौ दिन पहले मैं दिल्ली गया था ग्रौर प्लानिंग मिनिस्टर साहब से ग्रौर सब एम० पीज० से, इसके ग्रलावा वहां के डॉ० राव, मिनिस्टर इरिगेशन एण्ड पावर से बातचीत करने का मौका मिला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस हालत में राजस्थान है ग्रौर जिस डिफिकल्टी से राजस्थान गुजर रहा है उसको ग्रौर राजस्थान की पोटेंशियलिटी को देखते हुए यह निहायत जरूरी है कि हमको भारत सरकार हमारे एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए ग्रौर पैसा दे। ग्रौर मुझे पूरी उम्मीद है, ग्रौर एश्योरेन्स मुझे इस तरह का दिया गया है कि वह मामला जेर गौर केबीनेट के है वहां पर ग्रौर हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिलेगी ताकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण एग्रीकल्चर सफर करता ग्रा रहा है....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Agriculture means including cattle.

श्री हरिश्चन्द्र : Rural electrification only.

श्री मोतीलाल चौधरी : रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए तो नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : No no ! देखिए, ग्राप यह भूल जाइये। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से मेरा मतलब है, गांव में जाने का मतलब है कि गांवों में वितरित करेंगे। ग्रौर देखिए हम रियलिस्टिक फिगर पकड़ना चाहते हैं, वह इस तरह कि २० परसेन्ट के हिसाब से ग्रॉल इण्डिया के बेसिस पर जाना चाहते हैं तो इस साल का मेरा एलोकेशन छः करोड़ का होना चाहिये ग्रौर इस तरह एक हजार विलेजेज इस साल में केनेक्ट कर पाऊंगा ग्रौर फिर डेढ़ हजार विलेजेज हर साल कनेक्ट करता चला जाऊंगा तो फाइव ईग्रर्स के ग्रन्दर सात हजार गांव में जोड़ता हूँ। मैं निवेदन करता हूं कि जिन रियासतों के टार्गेट बहुत हाई हैं, जिनका एलोकेशन बहुत ऊंचा है। लेकिन कम से कम राजस्थान की कमी को महसूस करते हुए हम भारत सरकार को निवेदन करना चाहते हैं ग्रौर निवेदन करते रहते हैं ग्रौर मैं कहूंगा कि हमको पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिलनी चाहिये ताकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ सके....

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा मतलब यह है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फोर एग्रीकल्चर प्रोग्राम मीन्स एग्रीकल्चर, एनीमल हसबेन्ड्री, पॉल्ट्री फार्म, डेयरी। पॉवर एग्रीकल्चर के लिए चाहिये, तो पॉवर डेयरी के लिए भी चाहिये, पैल्ट्री फार्म के लिए भी चाहिये, कैटल फार्म के लिए भी चाहिये। उनको ग्राप इन्कलूड करते हैं या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कब कहा, मैं इन्कलूड नहीं करता हूँ। मैं आपको बता दूं, हमने डी०सी०एम०, जिनके लिए यहां कहा गया, के ऊपर ६० परसेन्ट कट लगाया, लेकिन हमने एग्रीकल्चर के कुओं पर कट नहीं लगाया है। No cut has been imposed on the rural Sector.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक बात कम से कम बता दीजिए, डी० सी० एम० को तो सस्ती बिजली दे दी, आप राजस्थान में इस प्रकार की इन्डस्ट्री को तो लाइसेन्स नहीं देने वाले हैं, इस प्रकार की इन्डस्ट्री इन्सटाल करने वाले तो नहीं हैं जिसमें रॉ-मेटिरियल इलेक्ट्रिसिटी हो ?

श्री मोतीलाल चौधरी : कैसी ?

श्री भैरोंसिंह : जिसमें रॉ मेटिरियल के रूप में काम आती हो इलेक्ट्रिसिटी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूँ कि इस तरह का एश्योरेन्स आप मुझसे किस तरह चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : बड़ा अजीब एश्योरेन्स आप चाह रहे हैं : भई! इन्डस्ट्रियलाइजेशन करना है तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास इस तरह की डिमाण्ड आई एलीम्युनियम फैक्ट्री के लिए। एलीम्युनियम फैक्ट्री के लिए आपका मतलब है तो वह लेंगे कम से कम तीन लाख यूनिट। वह तीन लाख यूनिट लेंगे तो मुझे पकड़ेंगे। मैं ऐसी बात का एश्योरेन्स नहीं दे सकता। तो

श्री भैरोंसिंह : नहीं नहीं !

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : तीन नये पैसे पर नहीं देंगे—यह बतायें ? जैसे दिल्ली क्लॉथ मिल को तीन नये पैसे पर दे दी, वह नहीं देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : आपका मतलब जो पॉवर कन्ज्यूम करती हो ?

श्री भैरोंसिंह : रॉ मेटिरियल की तरह !

श्री हरिश्चन्द्र : जो तीन नये पैसे वाली बात है....

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब यह है कि डी० सी० एम० को बिजली दी वह सस्ती कीमत पर दी क्योंकि कमिटमेंट है। पर मेरा प्रश्न है सीधा सा। जिस वक्त तक बिजली की कमी है, और आपने जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का टार्गेट तय किया है, उसको पूरा करना है और ऑल इण्डिया लेवल पर आना है—उस समय तक ऐसी फैक्ट्री, जिसके प्रॉडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी एज रॉ मैटिरियल इस्तेमाल की जाती है, ऐसी इन्डस्ट्री को इन्स्टाल होने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे ? मेरी जानकारी है, वह मैं अर्ज कर दूं। मेरी जानकारी है कि बहुत से इन्डस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि बाकी स्टेट्स में क्योंकि वह रॉ मैटिरियल के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इन्डस्ट्री इन्स्टाल करना चाहते हैं, इसलिए किसी स्टेट ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए कुछ लोग राजस्थान में घेरा डाल रहे हैं कि राजस्थान में इस प्रकार की इन्डस्ट्री इन्स्टाल करी जाय जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रॉ मैटिरियल के रूप में मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता

(श्री भैरोंसिंह)

हूँ कि इस प्रकार के चक्कर में आने से इस प्रकार का इन्डस्ट्रिलाइजेशन राजस्थान के हित में नहीं होगा, वह तो तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा बिजली गांवों में फैले और कुओं में जाय, छोटी छोटी इन्डस्ट्री कायम हों। अगर आप बल्क इलेक्ट्रिसिटी किसी इन्डस्ट्री को देंगे तो राजस्थान का इलैक्ट्रिफिकेशन का टार्गेट रुक जायगा। आपके पास काफी इन्डस्ट्रियलिस्ट्स चक्कर लगा रहे हैं, बाकी स्टेट्स ने उन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को निकाल दिया है, अब वह राजस्थान में घेरा डालना चाहते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य निश्चिन्त रहें, उस घेरे में हम नहीं फंसेंगे, निश्चिन्त रहें।

अब सवाल आता है, माननीय सदस्य ने उठाया, गैस टरबाइन का। उसके बारे में अब आप क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में सरकार के विचाराधीन है यह प्रश्न कि इसका क्या किया जाय। मैं मशबिरा चैअरमेन साहब से कह रहा हूं कि किस तरह इस मसले को हल किया जाय ताकि सरकार को कम से कम नुकसान हो।

इसके विषय में हम और राय भी ले रहे हैं कि किस तरह से हल किया जावे। इस लिए इस विषय पर मेरा कहना मुश्किल रहेगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह प्रश्न हमारे जेरे गौर है कि किस तरह से यह प्रश्न हल हो। यह प्रश्न अकस्मात घटना गुजर रही है उसके लिए किस तरह से इस गैप को रिड्यूस कर सकें और मैं समझता हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है ४५ पै० है। एट वेरियस अदर रेट दे रहे हैं तो ऐसी हालत में गैप लोस से बढ़ जाता है। ४ महीनों में ५४ लाख खर्च होगा उस गैप को किस तरह हम कम कर सकते हैं, इस विषय पर हम सोच रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अभी गांधी सागर से बिजली मिल रही है उसके लिए पहले ५,४ बताया। उसकी कॉस्ट क्या पड़ी?

श्री हरिश्चन्द्र : उसकी कॉस्ट ग्रिड एज़ होल नहीं मिल रही है। वह शायद ३।। नये पैसे या ४ नये पैसे है। यह मैं बता दूंगा लेकिन गांधी सागर से हम जहां ९ लाख यूनिट बिजली लेते थे वहां पर हम इस वक्त १० अप्रेल के बाद सिर्फ २५ हजार यूनिट ही लेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अस्थाई यह ठीक है। ४५ नये पैसे कोटा में आ रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : ४५ नये पैसे आ रहे हैं If you are interested, I can explain इसमें तीन टरबाइन हैं, उससे ले रहे हैं और जयपुर से स्टीम टरबाइन से ले रहे हैं; अब हमने यह सोचा है कि हमने अपनी लाइन को १३२ के.वी. की है उसको ६६ की लाइन कर दें। थोड़ा पॉवर भाखरा का कोटा में भेज सकते हैं। तो इस तरह से चारों तरह के पॉवर आवेंगे एक तो कोटा गैस टरबाइन का, एक भाखरा का और चम्बल की थर्मल पॉवर में टरबाइन बना उसका। यह इसलिए कि गांधीसागर जब बंद हो जावे तो कोन्सटेन्ट फ्लॉ पॉवर मिलता रहना चाहिये। गैस टरबाइन

(श्री हरिश्चन्द्र)

बन्द हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है। हमारे एक्सपर्ट और इंजीनियर्स इसको एग्जामिन कर रहे हैं। अगर हम इसको पास कर सकते हैं तो हमें सोलली डिपेन्ड ओन टरबाइन नहीं रहेंगे और अपना काम सक्सैस्फुली कर पावेंगे और कोटा को भी इससे लाभ मिलेगा। अब यहां पर अलवर का प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : वे यहां हैं नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अजमेर की बात बतावें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डी० सी० एम० को आप केवल ३ पैसे प्रतियूनिट देते हैं जहा पर सरकार को ४५ पैसे प्रति यूनिट खर्च करने पड़ रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : अभी कोटा में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई गैप को कम करने का प्रश्न आता है तो उसमें फर्क लाना होगा। यह मैटर अन्डर कन्सीड्रेशन है।

श्री भैरोंसिंह : आप डी० सी० एम० को बिजली देते हैं और जो डी० सी० एम० और जनरेशन के गैप हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : D. C. M. is one of the major factors.

श्री भैरोंसिंह : आप बतावें....

श्री हरिश्चन्द्र : आप सुनिये, कोटा का तीन लाख यूनिट का खर्चा है। इस वक्त कम्पल्सरी कट कर रहे हैं इसलिए ३ लाख है उसमें से १॥ लाख गैस टरबाइन करेगा अगर १॥ लाख यूनिट यहां से जावेंगे। अगर इसमें बढ़ा सकते हैं तो वह कोटा को ही मिलेगा। लेकिन यह बात आपके समझ में नहीं आती है। क्योंकि आप सीरियस से नोन-सीरियस हो जाते हैं। डी०सी० एम० को एक लाख २२ हजार यूनिट मिलते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कट के बाद।

श्री हरिश्चन्द्र : कट के बाद। कुछ अदर इन्डस्ट्रीज का है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा था आपने इसके दो भाग किये हैं। एक डी० सी० एम० को और बाकी दूसरों को। जो कोस्ट आती है और उसमें जो बिजली देते हैं, उसका गैप होता है उसके बारे में हमें विचार करना चाहिये। आपने दूसरी बात कही। डी० सी० एम० और जनरेशन के बीच जो गैप है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : वह गैप नहीं वह ३ लाख कोटा के गैस टरबाइन का पार्ट है। भाखरा की बिजली मिल जायेगी तो और फर्क पड़ जावेगा।

४५ नये पैसे हैं और

एक माननीय सदस्य : ४५ तो नहीं हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : ४० कह दीजिये। हम गैस टरबाइन चला रहे हैं उसके खर्च को

(श्री हरिश्चन्द्र)

कम करने के लिए थर्मल का लोयर फिगर पर-टैरिफ को रिवाइज़ करने की एग्ज़ामिन कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसको ६७ के बाद ही देखना ठीक रहेगा।

श्री चन्दनमल वैद : आपने स्वीकार करलिया है।

श्री भैरोंसिंह : आप स्पष्ट कह दीजिये। डी० सी० एम० को जिस रेट से आप बिजली देते हैं उस रेट और कोस्ट ऑफ जनरेशन में जो वाइड गैप है उसको कम करने के लिए आप खुद करेंगे या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह ऑटोमेटिकली हो जावेगा। It will automatically be there.

श्री भैरोंसिंह : आप टैरिफ रिवाइज़ करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह हम अभी नहीं कह सकते। यह मैं कह सकता हूँ कि it is under my consideration. जिसका दिमाग है, मैं बोलना नहीं चाहता। जो लास्ट वल्क कन्ज्यूमर हैं उन पर तो कुछ न कुछ लगाना ही होगा तब काम होगा।

श्री भैरोंसिंह : It includes D.C.M.?

श्री हरिश्चन्द्र : Why are you doubting ?

श्री चंदनमल वैद (उप–मन्त्री, विद्युत): आप कह दीजिये इनका पर्पज सर्व हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : आज इस मामले को वेग रखा गया है। ६७ में इलेक्शन चलेंगे उस वक्त कहेंगे। अभी आपने उन पर तलवार लटका रखी है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह आप लटकाते हैं हम नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : यह आपसे ही सीखा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारी तो सुनें। हमारे यहां का क्या प्रोग्राम है ?

श्री भैरोंसिंह : आपको इस स्कीम पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप साफ कह दें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : वे खुशामद करना शुरू कर देंगे।

(७ म० प०)

श्री हरिश्चन्द्र : आपको इस बात की नाराजगी है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : नाराजगी इसलिए है कि राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई के धन की कोस्ट पर इन लोगों से आप अपनी खुशामद करवाना चाहते हैं। आप अपने घर की कोस्ट पर खुशामद का

(श्री भैरोंसिंह)

रास्ता निकालिये, हमें कोई नाराजगी नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह अर्ज कर रहा था कि आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आसींद, बदनौर में बिजली नहीं आई है। मैं मानता हूँ, मैं कमिट करता हूँ, पर उसमें आज भी दिक्कत यह है कि ५० परसेंट कट हो गया है। मुझे सरकार से पैसा मिल जायगा तो आपके एरिया में, भीलवाड़ा एरिया काफी अच्छा इलाका है, वहां बिजली आये तो कृषि की पैदावार में जरूर बढ़ोत्तरी करेगी, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वहां बिजली दी जाय।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पॉवर सप्लाई करने का लाइसेंसी है वह अनियमितताएं करता है, प्रोविजन्स ऑफ लॉ को ठुकराता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपका भी मेरा रुख देखा हुआ है, आपको और हमारी मेहनत से उसके रेट्स को लोअर करवाया है, पर एक्ट के प्रोविजन्स को वायोलेट करता है और वहां की जनता को नुकसान होता है तो मैं उसकी जरूर एन्क्वायरी करूंगा। मैं कल या परसों ही एक कमेटी नोमिनेट कर दूंगा, वह उन प्रोविजन्स की जांच कर आवे कि वह किन-किन धाराओं का उल्लंघन कर रहा है और अगर उस कमेटी की रिपोर्ट से यह साबित हो जायगा तो ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी सजा उसको देंगे और वह सजा, can terminate his license. We shall certainly terminate his liecnse. You should be rest assured.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसके लिये तो धन्यवाद देता हूँ। यह आप बहुत बड़ी बात करेंगे। पर यह कमेटी जाय तो इसको पब्लिसिटी देकर भेजें ताकि लोगों को वहां मालूम हो जाय ताकि वे सब बातें प्रोपर ढंग से रख सकें और पूरी ऑथोरिटी होनी चाहिए उस कमेटी को।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं जितने एम. एल. ए. हैं उनको लिख दूंगा, सबको लिखने की जरूरत नहीं। म्यूनिसिपल चेयरमैन को लिख दूंगा, म्यूनिसिपल मेम्बर्स को लिख दूंगा। वैसे पब्लिसिटी तो हो ही जायगी ? हाई पॉवर कमेटी एक दो की चली जाय और कौनसे प्रोविजन्स का वह उल्लंघन कर रहा है इसकी जांच करे, अगर उसका लाइसेंस टर्मीनेट हो सकता है तो लाइसेंस टर्मीनेट करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अब तक जो वायोलेशन किया है, उसके लिए क्या किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर्स जाते हैं और कानून के अनुसार कार्यवाही करते हैं, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि एक्ट के प्रोविजन्स का उल्लंघन करता है, वह मेरे नोटिस में नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह कम्पनी कितनी असर वाली है, यह सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट से केस त्रिदड़ाँ करवा सकती है। ८ नये पैसे की जगह ३७ नये पैसे जनता से वसूल कर सकती है। इसलिये ऐसी ऑथोरिटी को जांच के लिये भेजें जिसकी इन्टेग्रिटी में जनता को विश्वास हो। जो इस लाइसेंसी ने डोजिंग दिया है, जनता को १० लाख से कम नुकसान नहीं हुआ है। सारे रेकार्ड से उस चीज को ले और सप्लाई करने के लिए जितनी फाइलें हैं, उन फाइ-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ल्स को लेकर विश्वस्त ढंग से सारी जांच करे। ऑथोरिटी ऐसी होनी चाहिए जो इस काम को समझने वाली हो, सर्विस में जिसकी इन्टेग्रेटी हो, ऐसे आदमी को रखना चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : जरूर जरूर, आप कहते हैं...

श्री भैरोंसिंह : जैसा इन्होंने कहा है कि वह कम्पनी सरकार से सुप्रीम कोर्ट से केस विदड्रॉ करवाने की क्षमता रखती है। केस कैसे विदड्रॉ कर लिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह सदन में मामला आ चुका है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपसे पहले वह मामला हो गया था। वह तो हाथ कटे हुए हैं, ३ लाख लोगों को ऐसा पाबन्द किया है कि २० लाख तो गुडविल के देने पड़ेंगे। २० लाख की कन्डीशन सरकार ने डाली है, चीफ सेक्रेटरी और सब लोग गवर्नमेंट की तरफ से आंखें मीच कर दस्तखत करते हैं, २० लाख गुडविल का किया था जो टर्मिनेट हो गया तो वह कम्पनी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ३७ पैसा वसूल करता है, जनता को रिलीफ मिले, इससे पीछा छुड़ाया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे टैक्निकल मैम्बर के लिये कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन टैक्निकल मेम्बर सत्संगी साहब को मैंने काफी नजदीक से देखा है, जहां तक इनकी क्वालीफिकेशन, काबलियत का सवाल है मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि १९६० से, जब से यह महकमा मेरे पास आया, बहुत से सुधार और प्रोग्रेस जो इसमें हुए हैं, उसमें उनको श्रेय है और होता है। आज टैक्निकल हैंड्स की बहुत कमी है। यह मैं मानता हूं, जो आप कह रहे हैं कि कानून के अनुसार ६० साल की आयु के बाद नहीं रखना चाहिये। ६० साल के बाद नहीं रखें पर आज टैक्निकल हैंड्स की कमी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जो रूल्स आपने बनाये, मैग्जिमम एज लिमिट (Maximum age limit) उनमें दे रखी है केवल यह कहते हैं कि क्वालिफाइड हैं, योग्य हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा है कि केवल इसी बोर्ड में ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं है। सरकार को पॉवर है कि वह रूल्स अमेंड कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : आज तक तो अमेंडमेंट नहीं हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : कर सकती है, मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूँ, he is an experienced engineer, जिन्होंने अपने एक्स्पीरियेंस से बोर्ड को लाभ पहुँचाया है, मुझे उनके सम्पर्क में आने से। He is man of drive and push.

ऐसी कन्डीसन्स हैं जब कि हमें एक्पीरियेन्स्ड आदमी की जरूरत है, तो कह दें कि घर बैठ जाओ तो...

श्री भैरोंसिंह : जनवरी ६६ में उन्होंने ६० साल की आयु पार कर ली, आज कोई दूसरे रूल्स नहीं, जो रूल्स हैं उनमें आपने

(श्री भैरोंसिह)

आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं किया, फिर वे जनवरी से आज तक कैसे कन्टिन्यू कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह सरकार के विचाराधीन है, ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम ही नहीं हो और कन्टिन्यू कर रहे हों। मुझे मालूम है, मैंने एग्ज़ामिन करने का कहा है, एग्ज़ामिन कराने की कोशिश की है।

श्री भैरोंसिह : यह तो मामला बड़ा एम्बिग्युअस बन गया। रूल्स में व्यवस्था की है कि ६० साल की आयु होने के बाद उनको बोर्ड में मेम्बर नहीं रख सकते, रूल्स इस प्रकार के हैं। फिर आपको किस तरह अधिकार है कि १९६६ की जनवरी के बाद में आपने उनको कन्टिन्यू करने की इजाजत दे दी ? कौनसा कानून है, कौनसा संविधान है, कौनसा एड्मिनिस्ट्रेटिव फॉर्मूला है, जिसके अनुसार आप ऐसा करते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार को अधिकार है कि अमेंड कर दे।

श्री भैरोंसिह : कहां है।

श्री हरिश्चन्द्र : We can amend the rules.

श्री भैरोंसिह : आज तक अमेंड नहीं किया है, फिर कैसे आपको पॉवर मिल गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : लीगल राय है।

श्री भैरोंसिह : वह बतलाइये।

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। लीगल ओपीनियन अगर यह मिलती है कि नहीं हो सकता तो नहीं होगा।

श्री भैरोंसिह : वह प्रश्न नहीं है कि कितने क्वालीफाइड हैं या कितना नहीं है, सरकार को रखना चाहिए या नहीं, यह सवाल नहीं है। लेकिन सदन में आप कहें कि रूल्स की व्यवस्था के उपरांत सरकार को पॉवर्स हैं, सारे रूल्स को रिलैक्स कर दे और रूल्स की व्यवस्था ताक में रखे और कन्टीन्यू करने की परमीशन दें। रूल्स को अमेंड नहीं किया और जब तक ऐसा नहीं किया तब तक न तो सरकार को पॉवर्स हैं और न उनको पावर्स हैं कि वह विद्युत मंडल की बैठकों में जायं, वह एक स्ट्रेंजर के रूप में है। आप रिकॉग्नीशन किस कानून के आधार पर देते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : लीगली हम इसको अमेंड कर सकते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से कर सकते हैं या नहीं, यह जेरे गौर है।

श्री भैरोंसिह : जेरे–गौर का सवाल नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप कह रहे हैं कि आज के दिन रूल्स हैं उनमें ६० साल का है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप वेतन नहीं दे सकते।

श्री हरिश्चन्द्र : लेकिन वे अमेंड कर सकते हैं लीगली करेक्ट हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : आप बताएं नियमों के अनुसार कि विद्युत् मंडल का वह आज के दिन मेम्बर है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : हैं।

श्री भैरोंसिंह : किन रूल्स के तहत ? बताइए।

श्री हरिश्चन्द्र : इस रूल को अमेंड किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : Whether he is a member of the Electricity Board and if he is, under what rules ?

श्री हरिश्चन्द्र : आज के दिन आप फरमा रहे हैं कि मैम्बर हैं या नहीं; तो सरकार उस रूल को अमेंड करके लीगेलाइज कर सकती है तो करेगी।

श्री भैरोंसिंह : वह तो आगे की बात है। अमेंड नहीं जो किया गया है, उसका प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट के अनुसार विद्युत् मंडल के मैम्बर हैं या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं उसको अमेंड कर रहा हूं। मैं उसको टैक्नीकल मैम्बर मान सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने यह बताया कि आगे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको मैम्बर बनाने वाले हैं। अभी तक रूल्स के हिसाब से वह मैम्बर नहीं है।

(७.१३ म. पू.)

शासकीय दीर्घा में सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के बैठने सम्बन्धी आपत्ति

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि सदन का प्रिविलेज है कि सरकारी दीर्घा में केवल सरकारी अधिकारी बैठ सकते हैं। एक आदमी सरकारी अधिकारी नहीं है, कानूनी रूप से सरकारी अधिकारी नहीं है, इसलिए वह स्ट्रेंजर है, सरकारी अधिकारी बनकर गैर-कानूनी ढंग से सरकारी दीर्घा में आकर बैठा है। सदन की व्यवस्था के हिसाब से उनको आदेश दिया जाय कि वह सरकारी दीर्घा छोड़ कर सदन के बाहर चले जायं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : Electricity Board is an autonomous body.

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के अनुसार मंत्री महोदय आज कहते हैं कि कानूनी ढंग से वह विद्युत् मंडल के मैम्बर नहीं हैं, वह मैम्बर बनकर आए हैं, अपने आपको पर्सोनीफाई किया है, वह गलत है और इस दीर्घा में वे ही बैठ सकते हैं जो विद्युत् बोर्ड के सदस्य हैं, इसलिए उनसे कहा जाय कि बाहर चले जायं।

श्री सभापति : माननीय श्री भैरोंसिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि विद्युत मंडल के टैक्नीकल मैम्बर श्री सत्संगी....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : No. It is not a privileged seat.

श्री सभापति : Order please ! आपको कहना था तो मेरे खड़े होने से पहले कहते

(श्री सभापति)

I was looking to the Government, if they had to say anything. You are murmuring. It is very unfair.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : You named me.

श्री सभापति. : No. For the Government, I said....

श्री भैरोंसिंह : आप बोलिए।

श्री सभापति : Whether the Government has to say anything with regard to the point of order that he has raised. I have to dispose it of.

श्री हरिश्चंद्र : He is not sitting here.

श्री भैरोंसिंह : दूसरा मेरा पोइंट ऑफ ऑर्डर है कि इस सदन में कोई स्ट्रेंजर नहीं आ सकता और यदि कोई आता है वैसे तो जो पब्लिक गैलेरीज हैं, प्रेस गैलेरीज हैं, सरकारी अधिकारियों की गैलरी इन में कोई आदमी बिना पर्मिशन के नहीं आ सकता और यदि कोई आदमी, जो सरकारी अधिकारी नहीं है और सरकारी अधिकारी के रूप में पर्मिशन मांगता है और उस पर्मिशन के आधार पर सरकारी दीर्घा में आकर बैठता है तो सदन का अपमान है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, सदन के साथ धोखा है, इसके लिए वह व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी के रूप में यहां आकर बैठा है उसको दण्ड दिया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : आज जो रूल है वह ६० साल का रूल है। माननीय सदस्य ने कहा कि ६० साल से आगे जिसकी उम्र होती है वह चल नहीं सकता, लेकिन सरकार के पास यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या सरकार उस रूल को अमेंड करे और अगर वह रिट्रोस्पेक्टिवली करती है तो जो आपत्ति आपने उठाई है, वह नहीं आएगी। अगर रिट्रास्पेक्टिवली कानून में नहीं हो सकता तो जो आपत्ति आप फरमा रहे हैं वह आ सकती है, लेकिन आज के दिन विचाराधीन है। एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से ६० साल के बाद कोई भी मैम्बर नहीं रह सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बहुत साफ है। आज की स्थिति में वह बोर्ड का मैम्बर नहीं कहलवा सकता इसलिए आदमी स्ट्रेंजर की स्थिति में आकर सदन में बैठे हैं।

श्री भैरोंसिह : सरकारी अधिकारी का प्रिविलेज नहीं, वे केवल व्यवस्था के रूप में सरकारी दीर्घा में आकर बैठ सकते हैं, उनको राइट नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : हम मानते हैं। अभी मामला विचाराधीन है इसलिए उसको सरकारी तरफ से मानते हैं।

श्री भैरोंसिह : नहीं मान सकते। आपके या मेरे कहने से नहीं माना जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह एक व्यवस्था का सवाल नहीं है, एक कानून का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सवाल उठाया है कि फलाने कानून के अनुसार वह रह सकता है या नहीं ? वह कहता है कि सरकार की तरफ से यह कानून है कि उनको नहीं हटाया जाय, यह तथ्य है। He is still a Government servant.

श्री **भैरोंसिंह** : No, no.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'नो, नो' क्या हैं, कोई हाई कोर्ट चल रही है ? उस सर्वेन्ट ने डिस्क्वालीफाइ किया है, केकिन उस डिस्क्वालीफिकेशन को एसर्ट करने की एक जगह वह है कि जिसका वह नौकर है उस सरकार के पास शिकायत पहुँचे। वह ऑल-रेडी सर्विस में है। आज तक नहीं निकला है तो उसको नोटिस देना होगा। यह सरकार की गलती है कि उसको नोटिस नहीं दिया तो आपको सरकार को कन्डैम करने का अधिकार है, आप नो–कॉन्फीडेंस सरकार में लाएं। एक आदमी जिसको सरकार ने नौकरी में रखा है उसने डिस्क्वालीफिकेशन इन्कर किया है, सरकार चाहे तो कानून को बदल सकती है। जब रिट्रोस्पेक्टिव कानून आपके सामने आएगा तो वह नौकर रहेगा तो कानून बदल कर उसको रेग्युलराइज करना होगा। ऐसे कई केसेज रेग्युलराइजेशन के मौजूद हैं। इसलिए नौकर को निकाला जाय सरकार को कोई राइट नहीं है। कानून में लिखा है, अगर वह तनख्वाह न पाता हो....

श्री **भैरोंसिंह** : तनख्वाह नहीं पाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लेकिन नौकरी से नहीं निकाला गया। इस पर गहराई से सोचें। सरकार को कन्डैम करें जो आदमी अपनी कन्डक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको व्यक्तिगत रूप से आप कन्डैम करें तो ठीक नहीं। मंत्री, जिसने कानून का वायोलेशन किया है उसको कन्डैम करें।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, ...

श्री **चन्दनमल वैद** (उप-मंत्री, विद्युत) : सभापति महोदय, यदि आप इजाजत दें तो मुझे भी दो मिनिट के लिए अर्ज करना है।

इस गैलरी में बैठने का प्रश्न उठा और यह कहा गया कि वे ही लोग बैठ सकते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक ऑटोनोमस बोर्ड है, इसके सारे एम्प्लोइज गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं हैं। कुछ तो डेपुटेशन पर आये हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स नहीं हैं। चूंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट विचाराधीन है इसलिए मंत्रियों को जवाब देने में सहूलियत हो, इस कारण वे यहां बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह एक ऑटोनोमस बोर्ड है और पब्लिक अन्डरटेकिंग है, कुछ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं और दूसरे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स नहीं हैं, चूंकि दूसरे गवर्नमेंट सर्वेट्स नहीं हैं और बोर्ड के मैम्बर हैं और उनकी सर्विस में हैं, वे यहां न बैठें, इसलिए कि यह गैलेरी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए ही है, लेकिन यह गैलरी केवल गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए ही रिज़र्व हो, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दिया। उन्होंने रूल्स नहीं पढ़े। पढ़ लेते तो इतना जोश नहीं आता।

(श्री भैरोंसिंह)

गवर्नमेंट उनको हटाये या नहीं। गवर्नमेंट उनको हटाने के ऑर्डर्स दे या न दे; रूल में नहीं है। बोर्ड का कॉन्स्टीट्यूशन है उसके अनुसार कोई मैम्बर है या नहीं, उसका निर्धारण होगा रूल ३ से :

"No person shall hold office of the Chairman or a member beyond the age of 60 years."

इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी आदमी जिसकी उम्र ६० वर्ष से ज्यादा होगी वह ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। गवर्नमेंट कहती है या नहीं कहती है, जैसा उप–मन्त्री महोदय ने कहा कि ऑटोनोमस बोर्ड है, ऑटोनोमस बोर्ड है उसको इन रूल्स के आधार पर निर्धारित किया हुआ है। जिसमें लिखा है ६० वर्ष से ऊपर का व्यक्ति बोर्ड का मैम्बर न रहे। जिस अधिकारी के बारे में आप चिन्ता प्रकट कर रहे थे, वे जवाब नहीं दे सकते, मंत्री का कन्डैमनेशन करना चाहते हों, उनकी इन्सल्ट करना चाहते हों और उनके खिलाफ बोलें, यह हमारा मतलब नहीं है। इन नियमों के अनुसार, इस सदन की परम्परा के अनुसार वे बोर्ड के मैम्बर नहीं है। फिर उप-मंत्रीजी ने कहा कि यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये ही नहीं है बल्कि कोई ऑटोनोमस बोर्ड है, उसके सरकारी अधिकारी हैं या ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार के कर्मचारी नहीं हैं और सरकार ने डेपूटेशन पर नहीं भेजा है और बोर्ड के हैं वे भी उसमें बैठ सकते हैं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैम्बर ट्रान्सफर होकर गये हैं, वहां वे बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं, जब सरकारी कर्मचारी हैं। कानून के अनुसार बोर्ड के मैम्बर और अधिकारी नहीं है तो उस हालत में वे वहां उस गैलेरी में नहीं बैठ सकते। यह बात मैं स्वयं ही नहीं कहता। स्वयं मंत्रीजी ने यह कह कर स्वीकार कर लिया है कि वे अब चले गये हैं। अभी तक बैठे थे।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा अभी नहीं बैठे हैं। आपने कहा बैठे हैं और मैंने कहा नहीं बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं मंत्री महोदय शब्दों के जाल में न फंसे और जो कुछ गलती कर गये.....

श्री हरिश्चन्द्र : जो आप फंसाना चाहते हैं, वह मैं नहीं फंसना चाहता। मैं सफाई कर दूं।

श्री भैरोंसिंह : पहले मैं अर्ज कर दूं।

श्री हरिश्चन्द्र : पहले मैं इसको स्पष्ट कर दूं।

श्री भैरोंसिंह : आप कर दिजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : सेक्शन ५, चेप्टर ३, सब सेक्शन (७) ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, १९४८। इसमें लिखा है :

'No action done by the Board shall be called in question on the ground only of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board.'

यानी इसका....

श्री भैरोंसिंह : क्या हुआ इससे ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसका मतलब यह है कि यह सवाल उठाया, नल एन्ड वॉयड हो जायगा, कहते हैं वह नहीं होगा। जहां तक उनको तनख्वाह मिली है या नहीं, उनको पेमेन्ट नहीं किया है। वे बोर्ड में बैठते हैं और प्रोसिडिंग्ज में बैठते हैं, तो वह नल एन्ड वॉयड नहीं हो जातीं।

श्री भैरोंसिंह : प्रोसिडिंग्ज नल एण्ड वॉयड नहीं होतीं।

श्री हरिश्चन्द्र : नल एन्ड वॉयड नहीं होतीं हैं इस धारा के अनुसार। सरकार इसको अमेन्ड करती है और लीगल अमेन्डमेन्ट हो जायगा।

He will continue. It will be all regular. लीगली रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इनफोर्स है तो सरकार सोचेगी कि क्या करे।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इससे ज्यादा सरकार की बुद्धि का दिवाला नहीं निकल सकता। माननीय मंत्री महोदय स्वीकार भी करते हैं कि कानून के अनुसार बोर्ड के सदस्य नहीं हैं और यह भी कहते हैं कि बोर्ड ने कोई एक्शन लिया है तो इस कारण कि जगह वैकेन्ट है। यह कब कहा ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने यह कहा कि वहां बैठते हैं तो सारी प्रोसिडिंग्ज नल एन्ड वॉयड हो गईं।

श्री भैरोंसिंह : उसके लिये कहा तो आपने दुरुस्त किया। बहुत धन्यवाद।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बडी कृपा हुई, आपने मान लिया।

श्री भैरोंसिंह : कृपा तो रोज करता हूं, पर दुर्भाग्य यह है कि उस कृपा का लाभ नहीं उठा पाते।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकारी बैन्चेज के हिसाब से ही यह क्लीयर कट बात सामने आयी कि वे बोर्ड के मैम्बर नहीं हैं। सरकार ने यह भी कहा कि रूल्स को अमेन्ड करने का अधिकार है और इसकी लीगेलाइज पोजिशन बना सकती है, उस अधिकार को मैं चुनौती नहीं देता। लेकिन सरकार ने अब तक जो कुछ कहा इस एक्ट के अनुसार, श्री सत्संगी आज के दिन बोर्ड के मैम्बर नहीं हैं। यह बात मैंने कही और मंत्री महोदय ने इसको स्वीकार कर लिया। जब मैंने वह पोइन्ट रेज किया था उस समय श्री सत्संगी सरकारी बैन्चेज की सरकारी गैलेरी में बैठे हुए थे। जब वे वहां बैठे हुए थे उस वक्त मैंने यह पोइन्ट रेज किया, माननीय मंत्री महोदय ने उधर देखा, उसके साथ ही श्री सत्संगी वहां से उठ कर बाहर चले गये और उसके बाद मंत्री महोदय ने कहा श्री सत्संगी चले गये, गवर्नमेन्ट ने इस पोजीशन को स्वीकार कर लिया कि श्री सत्संगी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेम्बर नहीं हैं, दो बार इसको स्वीकार कर लिया और यह भी स्वीकार कर लिया कि वे सरकारी अधिकारियों की गैलेरी में नहीं बैठ सकते। यह कह कर राजस्थान विधान सभा की सरकारी गैलेरी में बैठे हैं, कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मैम्बर हूं, जब कि वास्तव में वे मैम्बर नहीं हैं, इस सरकारी गैलेरी में बैठ कर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेम्बर की पोजिशन होल्ड की है, इसके माने यह हुआ कि असेम्बली के स्पीकर की जो स्वतंत्र ऑथोरिटी है उसको फलाउट किया है और कोई इस

श्री भैरोंसिंह)

प्रकार यदि असेम्बली के स्पीकर की ऑथोरिटी को फ्लाउट करता है तो यह कन्टेम्प्ट ऑफ दी हाउस है और उसके लिये उनको सजा मिलनी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय ने जानकारी दी, गलती से मैम्बर ले लिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उसके लिये मंत्री महोदय द्वारा खेद प्रकट किया जाय और चेयर से निवेदन करूंगा कि सरकारी अधिकारी के रूप में चेयर को फ्लाउट किया है, सैक्रेटरी, विधान सभा के सामने गलत तरीके से पर्सोनीफाई करके गैलेरी पास लिया, उनको विधान सभा के सामने खड़ा किया जाय और उनको दंड दिया जाय।

श्री **कुम्भाराम** (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह बौद्धिक तर्क है। इसके दो पहलू हैं–एक वैधानिक और दूसरा व्यावहारिक । जहां तक वैधानिक पहलू का प्रसंग है अभी बोलने वाले माननीय सदस्य की बात के अन्दर कुछ प्रामाणिकता मिलती है, लेकिन व्यावहारिक पक्ष में ऐसी बात दिखाई नहीं देती । किसी अधिकारी के लिये मियाद मुकर्रर कर सकते हैं कि इसको फलां तारीख तक रखा जाता है, उसके बाद उसकी मियाद नहीं बढ़ाते हैं और रुटीन की वजह से उसमें कुछ विलम्ब हो जाता है, तो भी वह अधिकारी अपनी ड्यूटी से अलग नहीं हो सकता, यह उसके अधिकार में नहीं है, यह तो सरकार के अधिकार की बात है। इनको मैम्बर बनाने के बाद जब तक वे उस जगह से नहीं हट जाते, अपने आपको मैम्बर ही कहेंगे। गवर्नमेंट ने जो मियाद रखी, वह खत्म हो चुकी है; तो वे अपने आप हट जांय, यह उनके हाथ की बात नहीं है।

वैधानिक पक्ष का जहा तक ताल्लुक है मैं माननीय सदस्य की बात को वजन देता हूं, लेकिन व्यावहारिक पक्ष दूसरी तरह का है। वे ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी देने के लिये विवश हैं। यह तो सरकार के देखने की बात है कि जब उनकी मियाद खत्म हो गई तो उसके पहले ही उसके बारे में कार्यवाही कर देनी चाहिये। इतनी सी तर्क की बात है।

श्री सभापति : Qte sufficientiu debate.

विद्युत मंडल के टैक्निकल एडवाइजर, श्री सत्संगी जनवरी, १९६६ के बाद नियमानुसार बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, अतः उन्होंने सरकारी दीर्घा में बैठ कर विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है; अतः उन्हें दण्डित करने की व्यवस्था की जाय, यह आपत्ति उठाई गई।

सरकार की ओर से अभी जैसा कि राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया उन्होंने इस बारे में जो तर्क दिया उसकी वैधानिकता को स्वीकार किया है। जहां तक इस प्रश्न का संबन्ध है और सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि जनवरी, १९६६ के बाद नियमों में जिस प्रकार की व्यवस्था है, श्री सत्संगी की आयु ६० वर्ष की पूरी हो चुकी है। नियमों में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया है, अतः वे टैक्निकल मैम्बर

(श्री सभापति)

नहीं रहे, सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है, अतः मुझे इस संबन्ध में कुछ नहीं कहना है।

जो इस बारे में मुद्दा उठाया गया है, उसमें अनेक बातें देखने की हैं; जैसे उन्होंने पास किस प्रकार प्राप्त किया, पास किस नाम से इश्यू हुआ, मेम्बर की स्थिति क्या है ? आखिरकार जो रेगुलेशन्स हमारे बने हुए हैं दीर्घाओं के संबन्ध में, उसमें यदि प्रिविलेजेज़ का ब्रीच होता है तो वह एक महत्वपूर्ण मसला बन जाता है। सरकार उनके संबन्ध में यह कह सकती है कि वे यहां पर नहीं हैं, ऐसी हालत में जब कि वे यहां पर नहीं हैं, अतः उनको यहां से हटाने के लिये आदेश देने की तुरन्त आवश्यकता नहीं रहती। सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, चेयर की आथोरिटी को फलाउट किया है, तो इस बारे में गंभीरता से विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस बारे में जहां तक व्यवस्था का सवाल है सभी पहलुओं पर विचार करके व्यवस्था दी जायगी।

श्री भैरोंसिह : सभापति महोदय, सरकार अपनी बात को जस्टीफाई करने के लिये आज ही रूल्स में अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन निकाल सकती है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के किसी भी नोटिफिकेशन का आज की रूलिंग पर इफैक्ट नहीं होगा। सावधानी बरतने के लिये आप सरकार को कह दें, जब तक रूलिंग न हो जाय कोई नोटिफिकेशन इश्यू न करें।

श्री सभापति : सरकार इश्यू करे या न करे, मैं इतना कह सकता हूं कि जो स्थिति आज की तारीख को है, जो ऑफेन्स हुआ है, और जैसी पोजीशन आज है, उसी के आधार पर व्यवस्था दी जायगी। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता।'

(७. ३५ म. प.)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक आय–व्ययक

(पूर्व क्रम से विचार विमर्श)

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, इनके बारे में........

श्री सभापति : आप जल्दी करें।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके बारे में यह भी कहा गया कि एक केस के अन्दर इनका चालान हुआ, कोर्ट में केस गया। मुझे इस बारे में बताया गया वहां से वे ओनेरेबली एक्विट हो गये। उसके बाद जहां तक मेरी सूचना है एडवोकेट जनरल ने भी राय दी है, उसकी फाइल तो मेरे पास नहीं है, जो मुझे कहा गया उस आधार पर कह रहा हूं, लॉ डिपार्टमेंट ने और एडवोकेट जनरल ने कहा है इस केस में कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए अपील करने में फायदा नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सैशन्स कोर्ट के अन्दर पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने जो पैरवी की थी उसने यह रिकमन्ड किया था कि इसकी अपील की जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : 'In the result I acquit the accused Shri K. C. Satsangi and Shri V. S Dube honourably of the aforesaid charges levelled against them.'

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं लॉ डिपार्टमेंट से जो ओपीनियन आई उसके भी तथ्य आपको मालूम हैं । उस समय लॉ सेक्रेटरी कौन थे ? उन लॉ सेक्रेटरी का लड़का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ट्रान्सफर हो गया उसकी आड़ में लॉ सेक्रेटरी ने यह बात बताई !

श्री हरिश्चन्द्र : आप यह किस आधार पर कहते हैं, मुझे मालूम है । आप अपनी बात मेरे मुंह में देकर क्यों कहलवाना चाहते हैं ? मुझे जो कहा गया वह मैंने आप के सामने कहा, मेरे पास फाइल तो नहीं है आप नोटिस दें तो फाइल मंगवाकर आपको सूचना देता ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं उस समय लॉ सेक्रेटरी श्री लहरसिंह मेहता थे, उनका लड़का इन्जीनियर था, उसके ट्रान्सफर और और प्रोमोशन का विवाद चल रहा था । उनको इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से काम करवाना था, काम करवाने की गरज से इस प्रकार की रिकमन्डेशन की गई है ।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : बेंगू में बिजली के लिए कुछ नहीं कहा ।

श्री हरिश्चन्द्र : बेंगू में तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ।

श्री चौसरसिंह बावेल : कहां हो रहा है ? केवल रुपया रख दिया २ लाख ६० हजार, लेकिन कुछ नहीं हुआ ।

श्री हरिश्चन्द्र आप वहां गये भी या यहीं से कह रहे हैं ?

श्री चौसरसिंह बावेल : अभी दो-चार रोज पहले ही जाकर आया हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र : तो आपने क्या काम हुआ यह देखा है ?

श्री चौसरसिंह बावेल : कुछ नहीं हुआ ।

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, मुझे अफसोस है वहां का एक डेपूटेशन यहां आकर मुझे धन्यवाद देता है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ ।

श्री चौसरसिंह बावेल : बेंगू में नहीं हुआ, मैं चार दिन पहले ही वहां से आया हूं, बसोद होगा वह...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मैंने भी दो-चार पोइन्ट उठाये थे उनका जवाब नहीं दिया गया । अकाउन्ट्स के बारे में सुधार करने के लिए क्या कर रहे हैं ?

और ब्यावर की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी....

श्री हरिश्चन्द्र : अकाउन्ट के बारे में अर्ज करना है, मुझे यह बताया गया बुक कीपिंग बुक रिकन्सीलिएशन है यह आपको भी सिखाया है क्या ? इसमें हमारे यहां झगड़ा यह है कि तीन-चार जगह के अकाउन्ट्स का रिकन्सीलियेशन बाद में होता है, वैसी हालत में सारे अकाउन्ट्स कहां से

Page No 164

(श्री हरिश्चन्द्र)

मिल जायेंगे ? इस वास्ते रिकन्सीलियेशन बाद में होता है....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ब्यावर की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में....

श्री सभापति : It is not necessary that every point should be replied and it is not possible also.

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक ११ अप्रेल, १६६६ के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ७ बज कर ४० मिनट पर ११ अप्रेल, १६६६ के म.पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ का उत्तर देखिये)

सूची उन गांवों की जो फसल खरीफ २०२२ के नष्ट होने के फलस्वरूप अभावग्रस्त घोषित किए गए

जिला कोटा, तहसील इन्द्रगढ़

(१)	मोहनपुरा	(२)	सोदानपुरा
(३)	मुई	(४)	बालापुरा
(५)	चकखेड़ली	(६)	वावई
(७)	चन्द्रगंज	(८)	कैलाशपुरी
(९)	सुमेरपुरा	(१०)	लोहारिया गांव
(११)	संग्रामगंज	(१२)	रमजगंज
(१३)	जैनगर	(१४)	जैतिवास
(१५)	रामनगर	(१६)	गुढ़ा
(१७)	टोकसपुरा	(१८)	रूपपुरा
(१९)	महापुरा	(२०)	कोडल्या
(२१)	ड्याडोल	(२२)	कवरपुरा
(२३)	चान्दाकला	(२४)	किशनगंज
(२५)	डोवरली	(२६)	मुरजादपुरा
(२७)	पियाना	(२८)	निमोली
(२९)	गोड़ा कला	(३०)	विजयपुर

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक ९ अप्रेल, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२	अन्तिम से ६	याद	यदि
३	२	को	के
,,	३	को	की
५	अन्तिम से ६	श्री मथुर दास	श्री मथुरादास
७	६	गाथुर	माथुर
,,	१३	शरू	शुरू
९	१	नीजि	निजी
१२	अन्तिम से ३	सालोदिय	सालोदिया
१३	५	बांगले	बंगले
१४	५	(विलाड़ ा)	(विलाड़ा)
१६	५	(आसींद)] :	(आसींद)
,,	६	द्वारा:	द्वारा पूछा गया] :
१७	५	प्रश्त	प्रश्न
१८	११	श्री भीमसैन	श्री भीमसेन
२०	६	ग्री	श्री
२१	४	सीमतियों	समितियां
,,	१८	बनवायगा ?	बनवायेगा ?
२२	अन्तिम से ३	श्रीमती गोरी	श्रीमती गौरी
२४	,, २	हाई	हार्ड
,,	,, २	कर रही हैं	कह रही हैं
२५	,, १२	नहीं	नहीं
२६	,, ८	श्री दौलतरान	श्री दौलतराम
३२	,, ४	चोंधरी	चौधरी
,,	अन्तिम	वहा	वहाँ ।
३४	,, ४	बताएंने	बताएंगे
३६	२	दिवार	दीवार
३८	३	श्री परशराम	श्री परसराम
,,	१२	(पृस्तकालय में	पुस्तकालय में
३९	अन्तिम से १४	प्राइमाफेन्सी	प्राइमाफेसी

१	२	३	४
४४	अन्तिम से ७	तृतिय	तृतीय
४६	,, ४	जा सकता कि	जा सकता है कि
४८	१३	सूचि	सूची
५२	अन्तिम से १०	सालोद्रिया	सालोदिया
,,	,, ६	पाड़ा	पीड़ा
५४	अंतिम	म ी	मंत्री
५५	शीर्षक	रजस्थान	राजस्थान
,,	३	प्रद्वान	प्रदान
,,	१७	मवूजरी	मजबूरी
५७	शीर्षक	अध्याक्ष	अध्यक्ष
६२	१२	वसे	वैसे
६४	अंतिम से ६	वर्फि ।	वर्किंग
६५	,, ३	करती है।	करता है।
६८	५	वसे	वैसे
७१	अंतिम से २	मह र	महार
७३	,, ३	लिए होंगे	लिए गये होंगे
७४	६	दिया करेगा	कर दिया करेगा।
७६	६	अर्पोचुनिटी	अपोर्चुनिटी
७६	अन्तिम से ४	म्युनिस-	म्युनिसि-
८०	,, १३	उबड़-खाबढ़	उबड़-खाबड़
,,	अंतिम	कुनितियों	कुनीतियों
८१	१४	साईकिले	साईकिलें
,,	१५	स्कूटरे	स्कूटर
६६	२२	ecessary	necessary
६७	अन्तिम से ६	काम या :	काम था।
६८	,, ३	ग्रोर	ग्रौर
६६	१४	Shold	Should
,,	१७-१८	forwardded	forwarded
११२	शीर्षक	६६-६७	६६-६७
,,	१	जिसने	जो
११४	१५	िगरावट	गिरावट

१	२	३	४
११६	६	ग्रापकी	ग्रापका
,,	१०	Cha!rman	Chairman
१२२	१५	है	हो
,,	१८	रही	रही
१२६	५–६	हमारा हमारा	हमारा
१३६	१३	महीनां	महीनों
१३७	१२	गवन	गवन
१४३	२०	मिएप्रोप्रियेशन	मिसएप्रोप्रियेशन
१४४	अन्तिम से ५	वातें	वातें
१४५	१३	जायेगे	जायेंगे
१५२	१८	दार्विक ? ग्राय	वार्षिक ग्राय
,,	१९	पूर्व	पूर्व
,,	अंतिम से ५	इलैक्ट्रिसिटी	इलेक्ट्रिसिटी
१५३	शीर्ष	(श्री चौसरसिंह बावेल)	(श्री चौसरसिंह बावेल)
१५४	१६	राजस्थात	राजस्थान
१५७ से १५९	शीर्ष	(श्री डूंगाराम राजौरिया)	(श्री डूंगाराम राजोरिया)
१५८	२१	ट्यूबवैल	ट्यूबवैल
१५६	अन्तिम से ६	राजौरिया	राजोरिया
,,	,, ,, २	गवर्नमेंन्ट	गवर्नमेन्ट
१६१	शीर्ष	(श्र	(श्री
,,	१	द ।	दें ।
१६२	२०	पेसा	पैसा
१६३	अन्तिम से ६	विभूत्	विद्युत्
१६४	१३, १९	महालेखपाल	महालेखापाल
,,	१७	ह	है
,,	१८	ाक	कि
,,	१९	लगात	लगाते
,,	२०	एसा नही है	ऐसा नही है
,,	अंतिम से ५	क्या	—
१६५	शीर्षक	ग्राय-म्ययक	ग्राय-व्ययक

१	२	३	४
१६५	शीर्ष	श्री	(श्री
,,	२	महीं	नहीं
,,	१३	वरतो	वस्ती
,,	अन्तिम से ६	नास	नाम
१६८	अंतिम	बिकानेर	बीकानेर
१६६	शीर्षक	विद्यूत्	विद्युत्
,,	अन्तिम से १२	गर्जी	मर्जी
१७१	,, १४	कौने	कोने
१७२	१६	पंचपर्षीय	पंचवर्षीय
,,	२२	टार्मेट	टार्जेट
१७३	२	मे गावाट	मैगावाट
१७६	१०	बोंड	बोर्ड
,,	अंतिम से ११	सचालित	संचालित
१७७	४	ऋणो	ऋणों
१८७	३	मंत्री महोदय।	मंत्री महोदय
१६१	७	व ां के राट्रपति	वहां के राष्ट्रपति
१६३	अन्तिम से ८	पैदावर	पैदावार
१६४	,, १०	हैडक्वांटर	हैडक्वार्टर
२०२	१०–११	इन्डस्टी	इन्डस्ट्री
२०३	१५	frist	first
,,	२३	इिदुत	विद्युत
२०३	अन्तिम से २	योग्व इन्जीनियर्स	योग्य इन्जीनियर्स
२०७	शीर्ष	भहार)	महार)
२०८	२	करौड़	करोड़
,,	७	बटल	बदल
२१४	अंतिम से ३	रहैं	रहे
२१६	१२	चैयरमैन	चेयरमैन
२१७	अन्तिम से ६	ग्रीर	ग्रौर
,,	,, ३	सीक्रेट	सीक्रेट
२१८	१२	श्री मानतिह	श्री मानसिंह
,,	१६	स्टीर्स	स्टोर्स

२	३	४
७	तंबके	तबके
अन्तिम से ७	मैं	में
,, ८	फैल	फेल
शीर्ष	श्री मानसिंह महार	(श्री मानसिंह महार)
अन्तिम से ८	अनकन्ल्युडेड	अनकन्क्ल्युडेड
,, ५	सस्बन्ध	सम्बन्ध–
२	उठा े	उठाने
अ ंतिम से १२	डल्ल्यू. डी	डब्ल्यू. डी.
,, ८	जब बक	जब वह
शीर्ष	(श्री हरिश्चन्द्र)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
अन्तिम से ६	अर	और
,, २	निलंज्जता	निर्लज्जता
१७	श्री हरीश्चन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
१६	इम्ट्राट	इन्ट्राट
१५	विघान	विधान
८	चौहा ।	चौहान
५	श्री हरीराम	श्री हरिराम
१४–१५	ससझता	समझता
अ ंतिम से ५	इम	इस
शीर्षक	अनेंल	अप्रेल
१२	दूसरो	दूसरी
अन्तिम से १३	मडोदय	महोदय
,, २	an thing	anything
शीर्षक	राज्य के कर्मचारियों	राज्य कर्मचारियों
अन्तिम से २	p ease !	please !
३	श्री सतीचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१५	श्री बिज सिंह	श्री विजयसिंह
अन्तिम से ४-३	imformation!	information,
अन्तिम	बहिगर्मन	बहिर्गमन
२	,,	,,
३	श्री शसतीचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र

१	२	३	४
२४८	१६	श्री शसतीचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
२४६	शीर्णक	कर्भचारियों	कर्मचारियों
,,	अन्तिम से ३	अ गर भगर	अगर मगर
२५३	३	कास	काम
२५५	१२–१३	प्रति धियों	प्रतिनिधियों
,,	अन्तिम से २	छरी	छुरी
२५८	,, १२	गफाड़ा	गपाड़ा
२६०	६	मन मानिये	मत मानिये
२६६	अन्तिम से १२	क्रिस्टि——	क्रिटि——
२६७	,, ५	बोड	बोर्ड
२७१	,, ६	गिलेंगा	मिलेगा
२७४	७	रुपये फिट	रुपये प्रोफिट
२७५	७	हैं	है।
२७६	२	मायबेवी	मायादेवी
२७७	अ ंतिम से६,५	कुछ और	कुछ ओर
२८१	शीर्षक	विधूत	विद्युत
२८६	अ ंतिम से ७	सकिण्ड	सैकिण्ड
२८७	शीर्णक	आय–श्ययक	आय–व्ययक
२६४	१४	भिग्ती	मिलती
२६६	अन्तिम से ५	हसवेन्ड्री	हसबेन्ड्री
२६७	,, ,, ५	कभ	कम
,,	,, ,, २	सकता। तो	सकता। तो ....
३००	१७	गो ल	गोयल
३०८	अन्तिम से ६	एक्पी–	एक्सपी–
३११	१४	अभेन्ड	अमेन्ड
३१५	२०	इन्कर	इन्कार
,,	अन्तिम से ७	फो	को
३१६	१७	श्री मैं रोंसिह	श्री भैं रोंसिह
३२२	१३	Qte sufficientiu	Quite sufficient
३२५	३	Shri V. S Dube	Shri V. S. Dube